राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] ग्यारहवीं विधान सभा के सप्तम् सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या : 4

सोमवार

19 नवम्बर, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य : दीपावली मुबारक हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : दीपावली और रमजान मुबारक। दोनों की मुबारकबाद आपको।

श्री अध्यक्ष : दीपावली के पावन पर्व पर मेरी ओर से, विधान सभा के स्टाफ की ओर से भी मैं हृदय से शुभकामनाएं अर्पित करता हूं।

प्रश्नकाल। मोहम्मद माहिर आजाद।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला भरतपुर व सवाईमाधोपुर में कृषि भूमि रूपान्तरण पश्चात् खाली भूखण्डों का नियमन

97. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला भरतपुर व सवाईमाधोपुर में कृषि भूमि नियमन के पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रभारी अधिकारी (एस.डी.ओ.) कृषि भूमि रूपान्तरण के द्वारा कृषि भूमि नगरपालिकाओं को स्थानान्तरण (सिवाय चक घोषित) करने के बाद कितने प्रकरणों पर खाली भूमि का नियमन किया है एवं कितने निर्मित भवनों का नियमन किया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कृषि भूमि का रूपान्तरण अकृषि अर्थात् सिवाय चक घोषित होने के बाद नगरपालिकाओं की भूमि मानी जाती हैं? क्या पालिकाओं की भूमि घोषित होने के बाद खाली भूखण्डों का नियमन किया जा सकता हैं? यदि नहीं, तो ऐसे प्रकरणों पर सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं?

उत्तर

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) जी, हां। विवरण संलग्न है।

(2) यह सही है कि प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.ओ.) द्वारा कृषि भूमि पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी की कार्यवाही (समर्पण कार्यवाही) करने के उपरान्त स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित कर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

दी जाती हैं। तदुपरान्त प्रकरणों में खाली भूमि का नियमन एवं निर्मित भवनों का नियमन किया गया हैं। विवरण संलग्न है।

(3) जी हां।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। आपने मेरे प्रश्न के दूसरे बिन्दू में जो उत्तर दिया है कि "यह सही है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी की कार्यवाही (समर्पण कार्यवाही) करने के उपरान्त स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित कर दी जाती हैं।" माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जब समर्पण की कार्यवाही, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि नगरपालिका को या स्वायत्तशासी संस्था को समर्पित कर दी गयी, करने के बाद वह नगरपालिका की हो गई नगरपालिका उस पर बने हुए भूखण्ड को नियमित करने का अधिकार रखती है, लेकिन उसके बाद उस समर्पणकर्ता का उस पर क्या अधिकार रह जाता है? जब उस समर्पणकर्ता का कोई अधिकार नहीं रहता है तो फिर उससे एग्रीमेंट करके रजिस्ट्री के लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान पहुंचा कर उसका जो गलत तरीके से नियमन किया जा रहा है इस सम्बन्ध में आपका क्या जवाब है? समझे आप मेरी बात? (व्यवधान) दुबारा सुनो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 1956 की धारा 90 बी के तहत कोई भी जमीन का स्वामी अपनी भूमि को नगरपालिका को या स्वायत्तशासी संस्था को समर्पित कर देता है, नगरपालिका उसकी मालिक बन गई और उसके बाद उस पर बने भूखण्ड को या खाली जमीन को नियमित करने का अधिकार 90 बी के तहत उसको है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भरतपुर और सवाईमाधोपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान की नगरपालिकाओं कें अंदर जो जमीन समर्पित कर दी गयी उसके बाद समर्पणकर्ता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके एग्रीमेंट के माध्यम से दूसरे लोगों को, उसके नाम नियमन की कार्यवाही की जाए तो यह वैधानिक है कि उसने समर्पण किया और उसमें कुछ हिस्से को आप नियमित करते हैं, लेकिन वह जो सूची देता है, जिसको उसने पट्टे जारी किये हैं, एग्रीमेंट किये हैं, उसके नाम नियमित करने की कार्यवाही भरतपुर और सवाईमाधोपुर के अंदर बड़ी संख्या में की गयी है। इस सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं, मेरा पहला सवाल यह है।

दूसरा सवाल यह है कि इस सम्बन्ध में भरतपुर में कृषक उत्थान समिति ने भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी एक ज्ञापन दिया और माननीय पशुपालन मंत्रीजी, यहां बैठे हैं, इन्होंने भी एक चिट्ठी 22.3.1998 को इस सम्बन्ध में लिखी है कि वह अनियमित कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की?

दूसरा, जो दोषी लोग हैं, जिन्होंने सरकार को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया है, सरकारी भूमि भी भू-माफियाओं के कहने से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नियमित की हैं उस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब ने यह सवाल उठाया है कि खातेदार जब लैण्ड को सरेण्डर कर देता है तो वह भूमि स्थानीय निकाय की हो जाती है और तदुपरान्त जो भी खातेदार के द्वारा अथोराइज्ड आदमी होता है, या तो खातेदार स्वयं का या उसका कोई भी अथोराइज्ड पर्सन, वह चाहे इकरारनामे के द्वारा अथोराइज्ड हुआ हो, चाहे पावर आफ अटार्नी के द्वारा हुआ हो या कोई अन्य दस्तावेज के द्वारा अधिकृत हुआ हो, उसको वह भूमि अलोट कर दी जाती है। कानून के ज्ञाता तो हैं आप, लेकिन कानून शायद आपने नहीं देखा होगा इसलिये शायद कुछ भ्रम आपके दिमाग में है। साफ लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति के आबंटन के सदस्य से, गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्य से या अन्य किसी से, इसमें खातेदार भी आ गया, इकरारनामे के आधार पर भूखण्ड क्रय किया गया है तो ऐसे हस्तान्तरण के लिये 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से नियमन शुल्क के अतिरिक्त राशि वसूल किया जाकर हस्तान्तरण को मान्यता प्रदान करते हुये नियमन किया जाएगा। इसमें कहीं कोई राजस्व की हानि नहीं हुई।

दूसरी बात यह है कि एक्ट जब बनाया गया, माननीय सदस्य ने भी उस वक्त, बनते वक्त विचार-विमर्श में और वाद-विवाद में हिस्सा लिया था। मोटी मंशा यह थी कि जो काबिज हैं अगर उसके पास में मामूली दस्तावेज भी हैं और कोई विवाद नहीं है तो वह भूमि उसको आबंटित कर दी जाए। दूसरी बात आपने फरमाया, मेरा अर्थ आप समझ गये कि समर्पण से पूर्व अंतिम कब्जेदार कौन है, जिसके नाम पर नियमन हो जाता है। इसमें कहीं कोई गलती कहीं पर भी नहीं हुई। जहां-जहां इस प्रकार के विवाद पैदा हुये कि एक ही भूखण्ड पर दो ने अपना स्वामित्व जताया उन विवादों को रोक दिया गया और उनसे यह कह दिया गया कि सिविल कोर्ट से अपना फैसला करवा लीजिए। अगर आपकी निगाह में ऐसा कोई मामला है कि जिसमें गलत नियमन किया गया है तो मेरा खयाल है कि आप अक्सर मुझसे मिला करते हैं, आपने कभी कोई शिकायत आज तक नहीं की। दूसरी बात आपने यह कही....

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई जरूरी थोड़े ही है। यह कोई जवाब थोड़े ही हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या जवाब है यह? अक्सर मिला करते है, यह क्या जवाब है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनिए साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : हाउस में तो रोज ही मिलते हैं, सभी मिलते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बात साफ कह देनी चाहिए, साहब। प्रश्न का उत्तर बिलकुल साफ होना चाहिए।

दूसरी बात आपने जो उठायी भू-माफियाओं के बारे में। मैं इससे इंकार

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नहीं करता। भू-माफियाओं का अपना एक जबरदस्त नेटवर्क है और भू-माफिया भी कई बार इन चीजों में सफल हो जाते हैं, लेकिन जहां-जहां हमारे नोटिस में यह बात आती है हम कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं। मुझे माननीय सदस्य एक भी एग्जाम्पल ऐसा बता दें जो मेरी जानकारी में आया हो और उस पर मैंने कोई कार्यवाही नहीं की हो या मेरे विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी घुमा-फिराकर बात का जवाब दे रहे हैं। मेरा तो स्पेसिफिक प्रश्न आपसे यह है कि जो आदमी, जिसने भूमि समर्पित कर दी और वे काबिज हैं, आप उसे नियमित करते है उससे किसी को एतराज नहीं है। उसकी रजिस्ट्री भी नहीं होती है, एग्रीमेंट के आधार पर आप उसका नियमन कर देते हैं। मेरा सवाल तो यह है कि एक व्यक्ति ने अपनी जमीन चार बीघा समर्पित कर दी कि मैं इसको समर्पित करता हूं उसके बावजूद फिर उससे आप लिस्ट ले रहे हैं कि बताओ आप, और वे 15 आदमियों की लिस्ट दे रहे हैं कि इन 15 के नाम आप उसको नियमित कर दो और आप 15 के नाम नियमित कर रहे हैं। यह तो गैर-कानूनी है। आप उसका जो उत्तराधिकारी है, उसका वारिस हैं उसके नाम कर सकते हैं, वे खुद काबिज हैं उसके नाम कर सकते हैं, जो पूर्व स्वामी था उसके नाम लीगल कर सकते हैं, कानून में जो प्रावधान रखा था वह इसीलिये रखा था कि जो काबिज हैं, जो मालिक हैं उसको किसी तरीके की असुविधा न हो, लेकिन इस कानून की आड़ में दूसरे लोगों को, आप सरकार को कह रहे हो कि नुकसान नहीं हुआ। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने यह उत्तर दिया है, आपके उत्तर के अंदर आपने भरतपुर में 135 जो कृषि भूमि पर भूखण्ड नियमन है और 168 आपने दिये हैं निर्मित भवनों का नियमन। मैं यह ज्ञापन जो मुख्य मंत्रीजी को दिया है और आपको भेजा है, इसमें साफ लिखा है, इसमें से 250 रेफरेंस हो चुके हैं अब तक जिनको वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है, दुकानों के उपयोग में लिया जा रहा है। और आप आज भी उसको एग्रीकल्चर लैण्ड मानकर नियमन कर रहे हैं और रेफरेंस कर रहे हैं। मेरा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सीधा सा निवेदन यह है कि इसमें आप खुद यह बात मान रहे हैं कि भू-माफियाओं का नेटवर्क है। है तो आपका नियंत्रण उन पर कमजोर क्यों है? आपके नोटिस में जरूरी नहीं है कि मैं लाऊं, आपका खुद का भी नियंत्रण होना चाहिए। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी लम्बी सूची आपने भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट की दी हैं जिसमें हजारों मामले नियमित किये हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इसमें भू-माफियाओं का उनकी सूची के आधार पर जो गलत तरीके से नियमन किया गया है और सरकार को उससे लाखों रुपये की राजस्व की हानि हुई है, क्या उसकी जांच करवा कर आप दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सवाल साथ में है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक-एक का जवाब दे दूं, आपका भी दे दूंगा। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आप शायद उसमें अपने आपको क्लियर नहीं कर पाये। मैं इस एक्ट की धारा 3 पढ़ रहा हूं :—

"When the tenant or the holder of such land or any person duly authorised by him, as the case may be,....."

अगर चार बीघा जमीन किसी खातेदार की हैं और उसने वहां पर यह की यह लिस्ट पेश कर दी कि साहब, इन-इन के नाम पर भूखण्डों का आबंटन कर दीजिएगा तो बिलकुल किया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, ऐसे कैसे किया जाएगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनिये, दूसरी बात जो आप कहते हैं कि भूमि नियमन के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता हैं, रजिस्ट्रेशन फीस पर कहीं पर भी रेवेन्यू का लास नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नियमन वाले का नहीं होता हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नियमन वाले का होता है, आप गलत समझ रहे हैं। तीसरी बात आपने यह बताई भरतपुर के मामले में तो भरतपुर के मामले में जो आप कहते हैं कि कामर्शियल परपजेज के काम में वह भूखण्ड आ रहा है तो उसके भू-उपयोग परिवर्तन का पैसा राज्य सरकार में जमा कराना पड़ता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 285 मामले ऐसे हैं भरतपुर के, प्रोपर भरतपुर के जो कि भू-उपयोग परिवर्तन के मामले में अटके हुये हैं, उन्होने राशि जमा नहीं करवाई इसलिये उनका नियमन नही किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम सवाल एक आपसे यह हैं कि यह सारी जो अव्यवस्था हो रही है, जो अनियमितता हो रही है और इसमें जो शुल्क लिया जा रहा है वह इसलिये लिया जा रहा है कि आपके राजस्थान नगरपालिका के अधिनियम की धारा 80 में जो सैल आफ लैण्ड का अधिकार है, भूमि विक्रय का अधिकार था, वह पूरे बोर्ड को था लेकिन आपने यह अध्यादेश जारी करके वह अधिकार बोर्ड के बजाय आपने चैयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अर्न्तगत, सीई.ओ. के अर्न्तगत कर दिया, दो ही आदमी मिलकर गुपचुप के अन्दर कर देते हैं। एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकार की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने उसके ऊपर कुठाराघात करके धारा 80 के जो अधिकार हैं वह चैयरमैन और ई.ओ. को दे दिया इसलिये दो आदमी मिलकर करते हैं, इस पर आप पुर्नविचार करके और जो पहले व्यवस्था थी कि बोर्ड द्वारा यह किया जाएगा, यह करने का इरादा रखते हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य, बोर्ड को सैल आफ लैण्ड का

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अधिकारी आज भी है और बोर्ड के अलावा किसी को नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : चैयरमैन और सचिव को नहीं है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनिये आप। यह नियमन का इश्यु हैं, यह सैल आफ लैण्ड का नहीं हैं। नियमन के इश्यु पर बोर्ड में एक-एक मामला जाएगा। बोर्ड की मीटिंग्स 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 महीने में होती हैं, ये मामले जब तक अटके रहेंगे, क्या वह प्रक्रिया आपको पसन्द रहेगी? नियमन में सीधी-सीधी बात यह हैं कि खातेदार लैण्ड सरेंडर करता हैं, सरेंडर करके अगर कोई लिस्ट पेश करता हैं कि इन-इन आदमियों को भूखण्ड नियमन कर दिया जाय, उनका नियमन किया जाता हैं। पूरे बोर्ड में जाकर एक-एक पट्टा जारी करने पर एक-एक पर विचार होगा तो आप स्वयं समझ ले कि यह काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसीलिये ई.ओ. के सिग्नेचर होते हैं और चैयरमैन के सिग्नेचर होते हैं। मेरा खयाल हैं—

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें जो अनियमितता हुई उसको आपके नोटिस में लाएंगे तो आप उसकी जांच कराएंगे?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर कोई ऐसा मामला हैं तो जांच करवा लूंगा, आप जांच अधिकारी का नाम बता दे उसी से जांच करवा लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक हैं, साहब।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। एक तो सिरोही शहर में खसरा नम्बर 2109 में जो भूमि 1982 में (व्यवधान) जो नियमों में आपने फेरबदल किया हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मामला दो जिलों का हैं। यह मामला इससे रिलेटेड ही नहीं हैं।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उससे संबधित ही हैं यह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सम्बन्धित हैं, अगर कानून से सम्बन्धित हैं तो मैं जवाब दे दूंगा लेकिन पर्टिकुलरली मामला सवाल पूछा गया हैं भरतपुर जिले का और सवाईमाधोपुर जिले का और आप तीन सौ, चार सौ किलोमीटर दूर ले जाना चाहते हैं सिरोही में। यह उससे लिंक ही नही हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि राजस्व की हानि नहीं हुई। एक खातेदार हैं उसके पास 20 बीघा जमीन हैं उसने सरेंडर की आपको लिस्ट पेश कर दी 40 आदमियों की, अब 40 आदमियों के ट्रांसफर के लिये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हैं, रजिस्ट्रेशन उसने कराया नहीं और कह दिया कि इन 40 आदमियों को मैने बेचान कर दिया, इनका नियमन कर दिया जाय, आपने नियमन कर दिया तो बह रजिस्ट्री के पैसे का नुकसान हुआ या नहीं हुआ सरकार को? यानि पहले तो खातेदार रजिस्ट्री कराये, ऐसे ही ट्रांसफर कैसे होगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको बता देता हूं। जिस वक्त खातेदार लैण्ड सरेंडर करता हैं और सरेंडर करके मान लीजिए उसने कोई लिस्ट पेश कर दी कि उसका मेरा इकरारनामा इन-इन आदमियों से हो चुका हैं या मेरे भूखण्ड पर ये आथोराइज्ड हैं तो बाकायदा उसकी रजिस्ट्री की जाती हैं, उनसे लीज मनी ली जाती हैं उसके बाद ही पट्टे दिये जाते हैं। कहां राजस्व का नुकसान हुआ ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले रजिस्ट्री करवाएंगे उनसे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रजिस्ट्री करवायी जाती हैं उसके बाद लीज मनी ली जाती हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ट्रांसफर की, रजिस्ट्रेशन की फीस अलग देगा वह और उसके बाद कन्वर्जन की फीस अलग देगा। एम आई क़रेक्ट ? तो ठीक हैं। वह वास्तविकता नहीं हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कन्वर्जन का पैसा अलग देगा।

मोहम्मद माहिर आज़ाद : फीस देगा केवल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कन्वर्जन का मतलब यह हैं कि डवलपमेंट की फ़ीस भी आ जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वह आ जाएगी सब उसमें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और उसके बाद में अगर मान लीजिए ओरिजिनल इकरारनामे के बाद में उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो 10 रुपये प्रति वर्ग गज का अलग लिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं। जिससे इकरारनामा हुआ, इकरारनामें से ट्रांसफर नही होता हैं, टाइटल ट्रांसफर नहीं होता हैं जब तक रजिस्ट्री नहीं हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इकरारनामे से ट्रांसफर नहीं होता हैं टाइटल, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रजिस्ट्री का पैसा वसूल करते हो कि नहीं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रजिस्ट्री का पैसा वसूल किया जाता हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रजिस्ट्री होती ही नहीं हैं तो कहां से हो गया ? मंत्रीजी, आपको मेरे खयाल में जानकारी नहीं हैं। इसका राजस्व मंत्रीजी जवाब दें। यह आपसे सम्बन्ध ही नहीं रखता हैं क्योंकि आपमें तो लैण्ड जब बेस्ट करेगी जब वह कन्वर्जन के लिये बेस्ट करेगी, कन्वर्जन चार्जेज होंगे तब, पहले उसको, खातेदार को, ट्रांसफर कर ही नहीं सकते जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो। रजिस्ट्रेशन फीस चोरी हो रही हैं, असल बात यह हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरलीकरण के लिये ही यह कानून बनाया गया था और इसमें यही था कि खातेदार जिस वक्त सरेंडर अथोराइज्ड आफिसर के पास (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा हैं और इसका मिसयूज हो रहा हैं, माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं हो रहा हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने लोगों को सुविधा देने के लिये सरलीकरण का एक्ट बनाया था लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इसका गलत उपयोग हो रहा हैं। भारी नुकसान हो रहा हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान में घोटाला हो रहा हैं, बिलकुल हो रहा हैं घोटाला, मैं साबित कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : रजिस्ट्री नहीं होती हैं, वह करे तो करे। रजिस्ट्री का प्रावधान ही नहीं हैं। (व्यवधान) एक भी रजिस्ट्री नहीं होती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : रजिस्ट्री नहीं होती हैं। रजिस्ट्री का प्रावधान ही नहीं हैं। सदन का गलत जवाब दिया हैं।(व्यवधान) म्यूनिसिपैलिटी रेगूलराइज़ करती हैं जो नियमन होता हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टाम्प ड्यूटी जो रजिस्ट्रेशन के लिये लगती हैं वह चार्ज होती हैं या नहीं होती हैं, आप इसकी जांच करा लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, जांच नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर आप मेरे जवाब से असंतुष्ट हैं और मैंने गलत जवाब दिया हैं तो आपके पास कई अधिकार हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सूचना का अभाव हो सकता हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कई प्रकार के अधिकार हैं वह उपयोग में ले लें आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको जानकारी का अभाव हो सकता हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी जानकारी का अभाव हैं या आपकी जानकारी का अभाव हैं, यह मैं अभी बता देता हूं। हर ट्रांसफर के नियमन की दर पर, अगर मान लीजिए वह मकान 20 लाख रुपये का हैं लेकिन नियमन की दर अगर 20 हजार रुपये जमा कराई गई हैं तो उसका 20 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा और यह हो रहा हैं। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आप मुझे बता दें तो मैं जांच करवाने के लिये तैयार हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्रीजी, आप सवाल समझ नहीं रहे हैं। वह नियमन की कार्यवाही बाद की हैं सब्सिक्वेंट हैं। पहले जिस भूखण्ड के ऊपर निर्माण किया गया हैं तो वह भूखण्ड खातेदार ने उसको बेचा होगा, उस बेचान की रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी ली या नहीं ली आपने, यह बतायें।

मोहम्मद माहिर आजाद : बिलकुल नहीं ली।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कानून में प्रावधान किया गया हैं इसका। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कानून देख लें अच्छी तरह से, 90 बी का जो एक्ट बना हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, कानून रोज पढ़ते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप पढ़ते हैं तो दुबारा पढ़ लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : दुबारा तिबारा पढ़ लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पढ़ा दूंगा आपको। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि उसके मकान की कीमत पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती है। (व्यवधान) नियमन की दर पर फीस ली जाती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नुकसान हुआ हैं या नहीं हुआ है, माननीय मंत्रीजी ? अध्यक्ष महोदय, 20 लाख रुपये की बजाय.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बगैर नियमन की दर के अगर हुआ है (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार को 20 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क मिलता। वह 20 लाख रुपये के बजाय 20 हजार का मिल रहा हो तो नुकसान नहीं हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आजाद साहब, 7-8 सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यहां यह इस कल्याणकारी सरकार ने किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा कल्याण कर रहे हो सरकार का। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लाखों लोगों का कल्याण हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत अच्छा कल्याण कर रहे हो आप यह। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय मंत्रीजी, क्या आपके नियमों में, मैं यह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको काल कर लिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : कि क्या नियमों के तहत चाहे नियमन एस.डी.ओ. करे, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड करे, चाहे यू.आई.टी. या जे.डी.ए. करे, जब भी नियमन का फाइनल आर्डर होता है उसके बाद उस अधिकारी को पट्टा देने के साथ ही रजिस्ट्री करानी नियमों में आवश्यक रखी हुई है और वह रजिस्ट्री कराई जा रही है या नहीं ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस बात का जवाब तो मैं पहले भी दे चुका, शायद आपने सुना नहीं होगा। जिस वक्त उसको पट्टा दिया जाता है उस वक्त रजिस्ट्रेशन की दर जितनी भी है, 20 हजार है, 25 हजार है, 21 हजार है, 24 हजार है, चाहे मकान की कीमत 20 लाख हो उन पर उसको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ उसको लीज मनी भी देनी पड़ती है। उसके बाद में पट्टा उसको दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : You are confused. There are three stages. पहली स्टेज तो वह है जब खातेदार ने अपनी जमीनों का

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बेचान कर दिया। उससे कोई मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : एक ही प्रश्न ले रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सैकण्ड स्टेज वह है जब जमीन का कन्वर्जन हो गया एग्रीकल्चर लैण्ड से अर्बन लैण्ड के ऊपर। अब थर्ड स्टेज वह है जहां नियमन होता है। तीन स्टेजेज हैं इसके अन्दर। मैं पहली स्टेज के लिये पूछना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट ही अगर नियमन करेंगे तो पहली स्टेज में जब उसने ट्रांसफर किया है उस ट्रांसफर डीड को रजिस्टर नहीं कराया, स्टाम्प ड्यूटी आपने रियलाइज की तो वह नुकसान होगा या नहीं होगा ? यह है सवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कानून इस विधान सभा ने बनाया है जिसके आप भी सदस्य हैं और उस वक्त आपने भी काफी वाद-विवादों में भाग लिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कानून के हिसाब से किया है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब उस कानून को अगर आप दुबारा से देख लें तो मेरे खयाल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। बुरड़क साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर में एक ही क्वेश्चन आएगा क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है रजिस्ट्री कराने का, उसमें सिर्फ यह नियमन करने के बाद—

श्री अध्यक्ष : —उस दिन भी कहा था, माननीय सदस्य पूछते ही चले जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आपके रोकने का काम है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं उसकी तो मान लो रजिस्ट्री करा देते हैं लेकिन स्वामित्व का हस्तांतरण उस समय भी हो गया, अगर खातेदार ने दूसरों का लिखकर दे दिया उस स्टेज में रजिस्ट्री नहीं होती है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आपने जो उत्तर दिया कि नियमन के बाद जब उसको ट्रांसफर करते हैं उसकी तो आप रजिस्ट्री कराते होंगे लेकिन फर्स्ट स्टेज यह है—

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया। (व्यवधान) शार्ट में प्रश्न पूछिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक खातेदार ने जब जमीन एक को लिखकर दे दी वह रजिस्ट्री आप नहीं करवा रहे हैं, यह सवाल है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर माननीय सदस्यों का विचार हो और सदन का बहुमत इस कानून में परिवर्तन करने की अब मन्शा रखता हो तो—

एक माननीय सदस्य : कानून में कहां (व्यवधान) हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्थिति वह नहीं है मंत्रीजी, जो आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इसको पढ़ लें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सोच लीजिये।(व्यवधान) आप मेहरबानी करके....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 90 बी का कह रहा हूं, आपको दे देता हूं कि आप निकालकर बता दो मुझे कहीं पर भी....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Please, don't take it personal. सीधी बात यह है कि आज जो खातेदार की जमीन सरेण्डर होती है उसका कन्वर्जन होता है, यह सब सही कह रहे हैं आप। सिर्फ इसको आप दिखवा लें कि वह जो ट्रांसफर उसने पहले किया हुआ है उस ट्रांसफर के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी रियलाइज हो रही है। आप उसको लिखवा लें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं सब दिखवा चुका। अगर आप इस कानून को देखने के बाद इस बात की जरूरत समझें तो कोई प्राइवेट मैम्बर बिल ले आयें।(व्यवधान) इसमें अमेंडमेंट मूल कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज टेक योअर सीट। नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) आपका प्रश्न स्थगित है।

मोहम्मद माहिर आजाद : .... प्राइवेट मैम्बर बिल की कहां आवश्यकता हो गयी। सरकार को नुकसान हो रहा है। सरकार अगर रेवेन्यू नहीं लेना चाहे तो हमें क्या दिक्कत हो रही है? (व्यवधान) हम क्यों लाये यह?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको दुःख इस बात का है कि यह कल्याणकारी कार्य इस सरकार के द्वारा किया गया। (व्यवधान) आपको दुःख सिर्फ इस बात का है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा नहीं है। (व्यवधान) मिसयूज हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है इसका दुःख है। हमको इसका दुःख नहीं है। यह आप इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा नहीं है। आपके विभाग में तो कन्वर्जन चार्जेज पूरे लिये जा रहे हैं, कोई उसमें आरोप नहीं लगाया जा रहा है। आप इसको अन्यथा न लें। सिर्फ सवाल इतना-सा है कि जो खातेदार ने पहले ट्रांसफर्स कर दिये उन ट्रांसफर्स की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं हो रही है उसका दुःख हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिये आपको कन्वर्जन खातेदार की टोटल जमीन का करना पड़ेगा और फिर वह ट्रांसफर कराना चाहे तो करें जिस पर आलरेडी एग्रीमेंट किया है। बात सिर्फ इतनी सी है। आप इसको थोड़ा सही मायने में समझने की कोशिश कीजिये। इसको दिखाइये। वह राजस्व विभाग का मसला है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो आप कहें तो मैं पढ़कर बता दूं। (व्यवधान) पढ़कर बता दूं आपको?

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, बताइये, बताइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

जिला राजसमन्द में अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के तहत आबंटित खानें

98. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमन्द के खनन क्षेत्र में सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के नियम, 65 का इस्तेमाल करते हुए, माह अगस्त, 2001 में बेशकीमती 5 खानों का आबंटन श्री जगमोहन अरोड़ा, राजहंस मावों, श्री दिनेश कोठारी, श्री फूलचन्द कोठारी को किया था? यदि हां, तो आबंटन के समय में कितने समय में कितने आवेदन पत्र लम्बित थे? लम्बित आवेदन पत्रों पर क्यों नहीं विचार किया गया?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान अप्रधान खनिज सियासत नियमावली के नियम 65 के अंतर्गत आंबंटित खानों का कब्जा सौंपने, लीज नियमित करने, रजिस्ट्री होने व रवन्ना काटने का कार्य मात्र एक दिन में सम्पन्न हो गया? यदि हां, तो कैसे?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य की खान नीति अनुसार पूर्व में उक्त का प्रार्थना पत्र खान आबंटन हेतु निरस्त कर दिया गया था? यदि हां, तो निरस्त प्रार्थना पत्र पर पुनः खान क्यों, कैसे, किन नियमों के अनुसार आबंटित की गई?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सर्वोच्च मंच है और जब से यह सदन चला है, जिस किसी भी प्रश्न के माध्यम से सरकार का भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है उस प्रश्न का सरकार उत्तर देना नहीं चाहती।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सब जुडिस है। हाई-कोर्ट में हैं। (व्यवधान) यह मामला हाई-कोर्ट में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को ग्राह्य किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, अब तक जब मैं सदन में आया हूं, मुझे न तो सूचित किया गया, मुझे तो जब जवाब नहीं मिला तो मैंने सोचा शायद जवाब हाउस के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया, सब जुडिस हो सकता है, इसका कोई पक्ष हो सकता है सब जुडिस हो, परन्तु मैंने इसमें जो गलत अलाटमेंट हुए हैं उसकी बात की है। अध्यक्ष महोदय, इस चीज में प्रसन्नता इस बात से भी है कि प्रतिपक्ष के नेता ने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा 21.4.2001 को। मैं उसका आपरेटिंग पार्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उदयपुर और राजसमन्द जिले के अन्दर ऐसे गैप एरिया को अपने पक्ष में आबंटन कराने हेतु...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रश्न की ग्राह्यता...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा रही है कि कोई मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है उस पर किसी प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ... और मेरा आरोप है इस सरकार पर, करोड़ रुपये ले करके इन्होंने राजसमन्द के गैप एरिया के अंदर भूमि का आबंटन...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. के राज में 73.....(व्यवधान) की रही है। इन्होने करोड़ों रुपये लिये होंगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार अपने उत्तर को न देकर इसको छिपाना चाहती है। (व्यवधान) इसमें भारी घोटाला हुआ हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता पत्र लिखकर मुख्य मंत्री को यह कहते हैं कि इसके अंदर ...(व्यवधान)... यह अवैधानिक काम किया जाएगा। होता भी वही है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) सरकार के अंदर बैठे मंत्री...(व्यवधान) स्वविवेक के नाम पर करोड़ों रुपये खाकर सेठों को माइंस अलाट कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : करोड़ रुपये का घोटाला करके...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक-एक आबंटन में 2-2, 5-5 करोड़ तक का घोटाला है। एक एक आबंटन में 2-2, 5-5 करोड़ का घोटाला है। अध्यक्ष महोदय, सरकार लीपापोती करना चाहती है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यही क्वेश्चन 8 तारीख को लगा था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भ्रष्टाचार की, घोटाले की लीपापोती करना चाहती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस वक्त भी यही आया था कि इसको स्थगित किया गया। राजेन्द्रजी का, मेरा प्रश्न स्थगित किया गया। 12 तारीख को यह प्रश्न रखा, स्थगित किया गया और स्थगित करने का मतलब तो यही होता है कि आगे प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज की कार्य सूची में 4 क्वेश्चन पोस्टपोन किये गये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : स्थगित प्रश्न का मतलब यह है कि मेरा 8 तारीख को...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह करोड़ का घोटाला है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : यह तहलका कांड में खा गये तहलका में और घोटाले की बात कर रहे हैं। सारे घोटाले आपके हुए अब तक। (व्यवधान) और घोटाले हुए हैं। (व्यवधान) देश की सुरक्षा के साथ घोटाला किया है आपने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 8 तारीख के प्रश्न में यह किया गया कि इसको स्थगित किया गया।

श्री रामस्वरूप : सारी बात असत्य कह रहे हैं आप इस तरह। (व्यवधान) घोटाले की बात करते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं जहां तक समझता हूं, प्रश्न को स्थगित रखने का मतलब यह है कि शायद सरकार ने स्थगित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसलिये कराया होगा कि जो जवाब आना चाहिए वह नहीं आया होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह प्रश्न स्थगित किया जा चुका है और न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये इस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल लगे हुए है, सदन का समय जाया कर रहे हैं। इसलिये मेहरबानी करके हमारे प्रश्न आने दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया :— आज भी यह स्थगित हो रहा है। स्थगित प्रश्न का मतलब है कि इस प्रश्न का जवाब आगे चलकर आने वाला है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल हैं इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं स्थगित से यह मतलब समझता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब दिलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती पूनम गोयल। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : प्रश्नकाल बहुत कम समय का होता है जिसमें सारा समय जाया करते हैं जोर-जोर से बोल करके।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, सब जुडिस के बाद भी 6 दिसम्बर राम जन्म भूमि मुद्दे पर लोक सभा में बहस हुई थी। सब जुडिस न होने के बाद भी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : — एक प्रश्न तीन अलग-अलग मैम्बर के तीन अलग-अलग तारीखों को लगे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : तहलका पर भी बहस हुई थी वहां पर उसकी भी बात करो आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 6 दिसम्बर के मामले में बहस हुई थी लोक सभा में, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) इसमें करोड़ो की बू आ रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : — यह कहा गया कि इसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसका जो उत्तर आना चाहिए वह उत्तर नहीं आया इसलिये इसको स्थगित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती पूनम गोयल।

प्रश्न संख्या-99

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राम जन्म भूमि मुद्दे पर सब जुडिस होने के बाद भी डिस्कस हुआ था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह। श्री अरूण सिंह।

श्री रामस्वरूप : + + + जाओ, बाहर भाग जाओ। (व्यवधान) जाओ, पधारो। (व्यवधान) जाइये, जाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह पांच करोड़ का घोटाला है, एक-एक करोड़ का घोटाला है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को 23 तारीख को तो रखें।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय ने इस प्रश्न को स्वीकृत किया आठ तारीख को और आठ तारीख को मेरे प्रश्न को यह कहकर.... (व्यवधान) यही प्रश्न हैं, इन्हीं खानों के आबंटन का मेरा आठ तारीख का था, उस दिन यह कहा था कि हमको इसका जवाब पूरा नहीं मिला इसलिये स्थगित किया है। (व्यवधान) आठ तारीख को प्रश्न को स्थगित करने का मतलब तो यह था कि आप आगे किसी दिनांक को इस प्रश्न को लेंगे। आप यह कहकर....(व्यवधान) यही प्रश्न, सेम इसी प्रकार का प्रश्न 12 तारीख को माननीय राजेन्द्रजी राठौड का लिस्टेड किया गया है, यही प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : इसमें करोड़ों रुपयों के घोटाले की बू आ रही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आठ तारीख को लगा, 12 तारीख को लगा। आठ तारीख को आपने मुझे यह कहकर, मेरे प्रश्न को, यही मेरा आठ तारीख का प्रश्न था। आपने कहा था कि क्योंकि पूरा जवाब प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह।

विधान सभा क्षेत्र डीग में सड़कों पर व्यय

100. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डीग में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क के निर्माण के लिये कितनी राशि वर्ष 2001-2002 में व्यय की है तथा कितनी सड़कों का निर्माण कराया है ?

(2) कृषि उपज मण्डी द्वारा डीग क्षेत्र में कितने किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी राशि व्यय की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री दीपेन्द्र सिंह) : (1) विधान सभा क्षेत्र डीग में कृषि उपज मण्डी समिति, डीग के पास वर्ष 2001-2002 में समुचित धन राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। अतः नई सड़क निर्माण पर व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, डीग में वर्ष 2001-2002 में पुरानी सड़कों की मरम्मत पर कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(भारी व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर इस तरह के प्रश्नों से सरकार बचना चाहती है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चारों और अपराधियों को बचाना चाह रही है।

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें अनियमितता हुई है, नही हुई है तो निश्चत

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रूप से सरकार जवाब दे देगी। इस प्रश्न को स्थगित करने से भ्रष्टाचारियों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं और जब एक बार आसन ने इस प्रश्न को स्वीकृत कर दिया, अगर... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि जो भी सवाल इस प्रकार के हों, सरकार बचना चाहती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर एक बार आसन ने इस प्रश्न को लिस्ट में ले लिया।

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार इस प्रकार के प्रश्न से बचना चाहती है।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता के पूछने के बाद...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : भ्रष्टाचार पर आप पर्दा डालना चाहते हैं, अगर सरकार इसमें अपनी बात कहना चाहती है तो कहे, लेकिन...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप से यह कहकर बचना चाहते हैं कि यह न्यायालय में हैं, यह उचित नहीं है। सवाल यह नहीं है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारी सरकार लिप्त है इसमें, सारी सरकार लिप्त है। करोड़ों का घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है, सारी सरकार लिप्त है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन एक सर्वोच्च मंच है...इसके अलावा ऐसा कोई मंच नहीं है जहां हम अपनी बात कह सकें। (व्यवधान) जहां सरकार से जवाब दिलाया जा सके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस प्रश्न को स्थगित करने का मतलब केवल इतना है कि आज इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो अगली तारीख को देंगे, यही स्थगित प्रश्न का मतलब है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी, इस प्रश्न के बारे में मैं कह चुका हूं...

एक माननीय सदस्य : सरकार को इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए।

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री अध्यक्ष : मैं पूर्व में कह चुका हूं कि यह हाई कोर्ट में सब जूडिस है। इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से नारेबाजी)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को 23 नवम्बर को लेने की कृपा करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से परस्पर नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से लगातार नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह एक ही प्रश्न तीन माननीय सदस्यों का अलग अलग तारीखों में लिस्टेड हुआ है। मेरा पहला प्रश्न आठ तारीख को इन्हीं खान के आबंटन के बारे में लिस्टेड हुआ था। उस दिन मुझे स्थगन के बारे में कहा गया था कि आपका प्रश्न स्थगित किया गया है क्योंकि इसकी जानकारी नहीं आई है।. सेम प्रश्न 12 तारीख को राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ द्वारा लगाया गया और आज फिर इसको स्थगित... और आप इसको स्थगित कर रहे हैं। (व्यवधान) स्थगित का मतलब तो केवल इसकी डेट को आगे बढ़ाने का होता है। मैं यह सोचता हूं कि सरकार इस प्रश्न के जवाब से इसलिये बचना चाहती है कि सरकार पर इस बात का लांछन लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आती है। जिस प्रकार से गैप एरिया को आबंटित किया गया है, यह कभी भी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तहलका के भ्रष्टाचारियों में बदबू आती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : स्वविवेक के आधार पर नहीं हो सकता है लेकिन स्वविवेक के नाम पर गैप एरिया का आबंटन किया गया है प्रश्न उस गैप एरिया का आबंटन का है...(व्यवधान) यह प्रश्न गैप एरिया के आबंटन के बारे में था...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

लेकिन गैप एरिया को आज तक आबंटित नहीं किया गया है और प्लाट बता कर इसको दिया इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आती है और केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिये सरकार के द्वारा जिस प्रकार से इसमें बेइमानी की गई है, अफसोस यह है कि स्वविवेक के नाम से जिस प्रकार से ...(व्यवधान)

(लगातार नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री रामस्वरूप : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री मानिक चन्द सुराना : आप इस प्रश्न का जवाब इस सदन में आज ही दिलाने की कृपा करें। यह सरकार पारदर्शिता की बात करती है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से परस्पर नारेबाजी)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप सारी बात को सुनें। यह प्रश्न पिछली आठ तारीख को, सबसे पहले जब सदन शुरू हुआ था तो 8 तारीख को यह प्रश्न...(व्यवधान) उस दिन मुझे यह कहा गया था कि इस प्रश्न को स्थगित किया गया...(व्यवधान)... विचाराधीन है। सेम यही प्रश्न इन्हीं खानों के आबंटन के बारे में आठ तारीख को मेरा प्रश्न था। मेरे प्रश्न को स्थगित किया तो मुझे यह कहा गया कि इसकी जो सूचना आनी थी, वह सूचना नहीं आई इसलिये आपका प्रश्न आठ तारीख को स्थगित हुआ। यही प्रश्न इन्हीं खानों के आबंटन के बारे में 12 तारीख को राजेन्द्रजी राठौड़ का सेम वही प्रश्न लिस्टेड हुआ और 12 तारीख को भी यह कहा गया था कि यह पोस्टपोन किया गया है। मैं यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) पोस्टपोन करने का मतलब यह है कि आपके सचिवालय द्वारा जब लिस्टेड किया गया...(व्यवधान)

अगर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हल्ला करके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें भ्रष्टाचार की बदबू इस कारण से आती है कि...(व्यवधान) यह स्वविवेक का प्लाट नहीं बनता यह गैप एरिया है। (व्यवधान) यह गैप एरिया है, स्वविवेक का प्लाट बनता ही नहीं है। इन्होंने गैप एरिया के नियमों को तोड़कर और प्लाट बनाकर बेचे हैं...(व्यवधान)

यह नियमों में नहीं आता है स्वविवेक में नहीं आता है और ऐसा किया सरकार ने, चुनाव में चंदा इकट्ठा किया गया, करोड़ों रुपये इसमें से लिये गये। इस करोड़ों रुपये की बेईमानी को बचाने के लिये सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य केवल हल्ला करके इस तरह भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास करेंगे, इसको हम सहन नहीं करेंगे।

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसलिये आसन से मेरा निवेदन है कि आप हमारी रक्षा करें, जनता की रक्षा करें, जनता के पैसे की रक्षा करें। आसन से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हमारी रक्षा तो आप ही कर सकते हैं...(व्यवधान) मैं तो आसन से बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आसन के द्वारा इस प्रश्न का, यह एक बार नहीं, तीन बार प्रश्न के माध्यम से इसी एक सत्र में लिस्टेड हुआ है। मेरा यही प्रश्न लिस्टेड हुआ, राजेन्द्रजी का यही प्रश्न लिस्टेड हुआ और मानिक चन्दजी सुराना का यही प्रश्न लिस्टेड हुआ। तीन बार लिस्टेड प्रश्न को, विभिन्न अलग-अलग तारीखों में जब लिस्टेड किया और इसमें भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है, सरकार के अंदर बैठे व्यक्ति इसमें लिप्त हैं। इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिये अगर हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य हल्ला करके भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं, हम आसन का आदर करते हैं, आपका आदर करते हुए...(व्यवधान) मुझे इस बात का दुख है कि जो लिस्टेड हुआ है इसलिये आपसे जानकारी चाहते थे उस जानकारी को देने से आज सत्तारूढ़ दल हल्ला करके हमको नहीं देना चाहता...

श्री रामस्वरूप : मामला कोर्ट में विचाराधीन है, यह सर्वोपरि है, जो मामला कोर्ट में होता है उसके ऊपर कुछ विचार नहीं होता सदन में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आसन से मेरी बार-बार प्रार्थना है कि आप हमारी रक्षा करिये, हमारे सवालों का जवाब दिलवाइये। एक सत्र में यह तीसरी बार लगा चुके हैं, अलग-अलग तरीके से लगा चुके हैं, हम इस भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं... (व्यवधान) जो उन्होंने प्लाट दिया वह स्वविवेक का प्लाट बनता ही नहीं है, यह गैप एरिया का है, यह आठ माइन्स के बीच का एरिया है, इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई नया प्लाट बन नहीं सकता, उस पर नया प्लाट बना करके जिस प्रकार से अनियमितता की है उस अनियमितता को हम उजागर करना चाहते थे। एक बार नहीं, आठ तारीख को मेरा प्रश्न था, 12 तारीख को राजेन्द्रजी का और तीसरा मानिक चन्दजी सुराना का लिस्टेड हुआ है और फिर भी सरकार जवाब नहीं देना चाहती है...(व्यवधान) मैं आपसे आग्रह करता हूं और मेरा निवेदन है कि अगर ...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम सवाल का जवाब चाहते हैं खान मंत्रीजी से, यह बीच में कहां से आ गये। हम सवाल का जवाब चाहते हैं माइन्स मिनिस्टर से, सारा घपला हुआ है राज्य मंत्री के वरदहस्त से...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर यह सुनना ही नहीं चाहते तो अलग बात है। मैं तो इनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इस प्रश्न का, यह सब जुडिस है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज सर्वोच्च मंच पर हम अपनी बात नहीं कह सकते तो किसको जाकर अपनी बात कह सकते हैं, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसमें से जो सब जुडिस नहीं हैं उसके बारे में आप चाहें तो हम जवाब दे देंगे लेकिन जवाब के अंदर निश्चत तौर से जो सब जुडिस मैटर है उसके भी अपने आप में प्रश्न उठ जायेंगे और इसलिये किसी तरह का...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप स्वीकार कर रहे हैं क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहां पर भी मैटर सब जुडिस है इसलिये आपसे यह निवेदन है कि परम्परा को...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आदरणीय मंत्री महोदय, क्या यह घोटाले को स्वीकार कर रहे हैं ?

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप पहले करेंगे घोटाला उसके बाद कोई रिट हो जायेगी और उस रिट के कारण से यहां जवाब नहीं देंगे, यह नहीं चलने वाला है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप स्वीकार कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है, माननीय मंत्री महोदय, आप स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप एक-एक बोलें तो कुछ पता भी लगे। आप सब एक साथ खड़े हो जायें, कोई सुनने में नहीं आता, आप क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, आप स्वीकार कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है ?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय राज्य मंत्री और खान विभाग के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : विपक्ष के नेता महोदय खड़े होकर बोल लें...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप स्वीकार कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है ?

श्री मानिक चन्द सुराना : इस मामले में, अध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र से लोगों की आस्था टूट जायेगी अगर इसी तरह सरकार हमारे इस तरह के सवालों का जवाब नहीं देगी...

श्री मानिक चन्द सुराना : तीन तारीख को 65 प्रार्थना पत्रों में से 60 प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते हैं, सात प्रार्थना पत्र खारिज हुए... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हमारा इम्पोर्टेन्ट सवाल है यह, इसके ऊपर विचार कर लो पहले, यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं जानना चाहता हूं कि यह...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हाई-कोर्ट में मसला चल रहा है, हाई-कोर्ट के मसले पर यहां विचार नहीं हो सकता...

श्री मानिक चन्द सुराना : वह पांच भी खारिज क्यों नहीं कर दिये गये उसी आधार पर कि भूमि खनन के लिये उपलब्ध नहीं है। आपने पांच को रखा है और दो दिन के बाद में आपने उन पांचों प्रार्थियों को खान अलाट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की हैं। जो खान उपलब्ध नहीं थी वह दो दिन के भीतर खनन के लिये उपलब्ध कैसे हो गई? और वह दो दिन भी कौन से? शनिवार और रविवार के दिन थे, छुट्टियां थीं और 6 तारीख को आपके मंत्रीजी ने आदेश दे दिया कि पांच आदमियों का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाता है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को सचिवालय में आदेश पारित होता है और 6 तारीख को वहां पर 500 किलोमीटर दूर माइन्स इंजीनियर ने उनको बुला लिया, खानों की रजिस्ट्री करा दी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : समय नष्ट किया जा रहा है, अमूल्य समय नष्ट हो रहा है और जिस पर विचार ही नहीं हो रहा है तो कैसे विचार कर रहे हैं यह? बड़े-बड़े घोटाले जो दिल्ली में हुए हैं, यहां पर जो घोटाले हुए हैं उनके बारे में यह प्रश्न नहीं उठवाना चाहते। (व्यवधान) अभी इनके खिलाफ प्रश्न आ रहा हैं इसलिये यह कह रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। समय नष्ट कर रहे हैं यह। अभी इनकी पोल खुलनी हैं, बहुत-बड़ा घोटाला इनके समय का खुलने वाला है, इनके समय का घोटाला यहीं है मेरे पास, यह खुलने वाला है इसलिये यह लोग यह कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है, तीन अगस्त को एरिया अलाटेबल नहीं बताती है सरकार, 6 अगस्त को, तीन दिन बाद ही...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और, अध्यक्ष महोदय, खानों का आबंटन उन लोगों को किया...

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर, माननीय सदस्य, बिराजें। आसन पैरों पर है, बिराजें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पांच से तो इतना प्यार, साठ से बेवफाई क्यों? 65 में से पांच अर्जियां को दे दिया। करोड़ों के घोटाले की बू आ रही है, साहब।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द में जिस खान का आबंटन किया गया...

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध मे रिट पिटीशन और पब्लिक इन्टरेस्ट पिटीशन हाई-कोर्ट में दायर हुई परिणामस्वरूप यह मामला सब जुडिस है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 6 तारीख भी सब जुडिस था, साहब। राम जन्म भूमि का मामला लोक सभा में...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप सुनिये, पूरी बात सुनिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री अध्यक्ष : अब चूंकि यह मामला सब जुडिस है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राम जन्म भूमि भी सब जुडिस था, साहब, लोक सभा में चर्चा हुई। राम जन्म भूमि भी सब जुडिस था...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : तहलका। तहलका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने, राज्य सरकार ने मुझे प्रक्रिया के नियम 37 के अर्न्तगत निवेदन किया था कि इसको स्थगित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कब किया था?

श्री अध्यक्ष : यह तो 12 से पहले क्वेश्चन आया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कब किया राज्य सरकार ने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज, अध्यक्ष महोदय, आप पत्रावली का अवलोकन करिये, आज आया है। राज्य सरकार ने आज प्रार्थना पत्र दिया है, राज्य सरकार ने आपको आज कहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब कहा है?

श्री अध्यक्ष : यह 12 का क्वेश्चन लग गया था, बहुत पहले आ गया...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में सब जुडिस मैटर पर चर्चा हो चुकी है...

श्री रामस्वरूप : तहलका पर भी हो गई है, तहलका पर भी चर्चा हुई है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। गुलाबजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को यह प्रश्न मेरा लग चुका था उस दिन भी इसमें यह कह कर कि अभी इसमें जवाब प्राप्त नहीं हुआ है...

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा यही प्रश्न 8 तारीख को लग चुका था उस समय मुझे यह कहा कि प्रश्न का जो जवाब आना चाहिए, वह विभाग से प्राप्त नहीं हुआ इसलिये आपका प्रश्न स्थगित कर रहे हैं। यह आठ तारीख का मेरा प्रश्न था, यही इसी खान के बारे में था। यह तो 12 तारीख को सैकण्ड था इनका।

श्री अध्यक्ष : उसमें भी आ गया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 8 तारीख को मेरा प्रश्न था उस पर स्थगित किया था तब मुझे यह बताया...

श्री अध्यक्ष : उसको स्थगित करने के लिये वह की वह भाषा का इस्तेमाल किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उस समय सचिवालय से मुझे यह कहा गया था कि आपके प्रश्न का जवाब अभी प्राप्त नहीं हो पाया, इसमें जितनी क्वेरीज होनी थी, इसलिये इसका समय मांगा, स्थगित करिये। मेरा यही प्रश्न था, इसी खान से सम्बन्धित था, वह आठ तारीख को इस कारण से स्थगित किया। फिर 12 तारीख को राजेन्द्रजी का यही प्रश्न इसी खान से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सम्बन्धित इनका लगा तब भी यही बात है। स्थगित प्रश्न का मतलब यह है कि इसका जवाब आगे कहीं आने वाला है। मैं सोचता हूं कि इसकी ग्राह्यता के बारे में अगर सवाल है कि यह सब जुडिस है तो यह ग्राह्य नहीं होना चाहिए था। जब यह ग्राह्य हुआ इसका मतलब यह है कि केवल एक छोटे से पोर्शन पर केवल न्यायालय का है, जो लोग उससे इफेक्टेड थे, जिनका गैप एरिया नजदीक था वह लोग अपने गैप एरिये के लिये इसके लिये कोर्ट में गये थे—

श्री अध्यक्ष : ग्राह्यता का अलग से प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस अलाटमेंट के बारे में नहीं गये कि यह स्वविवेक अलाटमेंट नहीं हो सकता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक-एक आर्डर में करोड़ों के घोटाले हैं। एक-एक आर्डर में बू आ रही है करोड़ों की। एक-एक आर्डर में। पांच आर्डर किये 65 में से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बाकी सारी—(व्यवधान) को छोड़ कर आवंटन हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार उसका उत्तर नहीं भेजती है और उत्तर भेजने में जब यह कारण बताती है तब पता लगता है नहीं तो असेम्बली को क्या पता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह लिस्टेड हो चुका और पहले मुझे जवाब यह मिला कि आपके प्रश्न का जवाब जो विभाग से आना था उनका जवाब पूरा नहीं आया इस कारण से इसको स्थगित करें। 8 तारीख का मेरा प्रश्न था यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जब 8 तारीख का प्रश्न स्थगित किया था और उस समय आप कह रहे हैं कि इस बात की जानकारी मिल गयी थी कि यह मैटर सब जुडिस है तो 12 तारीख को क्वेश्चन लगा क्यों? 8 तारीख को आपने अभी बताया है।

श्री अध्यक्ष : 8 तारीख को तो स्थगित हुआ है। छपने के लिये तो बहुत पहले देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थगित हुआ है। नहीं-नहीं वो स्थगित होते होंगे, उसका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 12 तारीख वाला 3.11 को प्रिन्ट हो गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो ठीक हो गया, 8 तारीख का आपने स्थगित कर दिया। 8 तारीख को स्थगित किया तो गवर्नमेंट ने मांग की होगी कि इसको स्थगित किया जाए?

श्री अध्यक्ष : हां, मांग की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो मांग की है क्या उसमें लिखा हुआ है कि यह सब जुडिस मैटर है?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसमें नहीं था।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन है यह इसलिये इसको स्थगित किया जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थगित किया जाए यही आया है, सब जुडिस है यह नहीं कहा गया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, स्थगित तो मैंने किया है। इन्होंने सब जुडिस का कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं सरकार ने 8 तारीख का प्रश्न स्थगित कराया तो उस समय सरकार की ओर से आपसे यह निवेदन किया गया था या जानकारी दी गयी थी कि यह प्रश्न सब जुडिस है ?

श्री अध्यक्ष : उस पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है....।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : यह है, सर, उस लैटर में। 9 तारीख का लैटर है।

श्री अध्यक्ष : "अतः उक्त स्थिति में निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण उक्त तारांकित प्रश्न को स्थगित करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अनुरोध करने का कष्ट करें।"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ठीक है यह तो 12 तारीख के क्वेश्चन के लिये है। 8 वाले के लिये मैं जानकारी करना चाहता हूं, आप कृपापूर्वक बतायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 8 के बाद 9 आते है न, सर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, 8 के बाद 9 आता है लेकिन 8 का प्रश्न तो इसके लिये स्थगित नहीं हुआ न ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : 9 का यह लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 9 के बाद में खेतसिंहजी आते ही इति हो जाती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : "अतः उक्त स्थिति में निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है..."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो ठीक है आपका। मेरा प्रश्न सीधा साफ है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : 8 वाले का मैंने पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है कि जब 8 तारीख के पहले आपको यह सूचना मिल गयी जिसके कारण से आपने यह स्थगित किया कि यह प्रश्न सब जुडिस है, जब यह सब जुडिस है तो यह 12 तारीख का लगा क्यों ?

श्री अध्यक्ष : 12 तारीख को तो इसलिये लगा कि 12 वाला प्रिन्ट होने के लिये पहले चला गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 8 वाला प्रिन्ट करने के लिये पहले चला गया। 8 वाला भी चला गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो तो प्रिन्ट करने के बाद फिर क्वेश्चन....।

श्री अध्यक्ष : प्रिन्ट में तो पहले ही चला जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब 7 तारीख को जो क्वेश्चन लग गये थे, क्योंकि उस दिन भूतपूर्व राजस्व मंत्रीजी का स्वर्गवास हो गया था इसलिये वो अब लगेंगे 21 को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हां, वो ठीक है आप जो कह रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न दो बार प्रिन्ट हो जाए, यह भी व्यवस्था का प्रश्न है। यह इस सदन में एक बार नहीं पचास बार रूलिंग हुई है कि एक प्रश्न दो बार कभी भी नहीं आएगा।

आपने एक प्रश्न 8 तारीख को एडमिट कर लिया, दूसरा प्रश्न आपने 12 तारीख के लिये प्रिन्ट करने के लिये भेज दिया और 8 तारीख को मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आपके पास 8 तारीख को इस बात की सूचना नहीं थी कि यह प्रश्न सब जुडिस है। थी या नहीं थी, इसको आप बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : —(व्यवधान)—कहा है ना।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन तो आ गया होगा लेकिन वो उस दिन—।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वेश्चन तो आ गया लेकिन मैं उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 12 तारीख के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 8 का स्थगित हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ठहर जाएं।

श्री अध्यक्ष : 8 तारीख वाला पोस्टपोन करने के लिये 7 तारीख को ही आ गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ गया था तो क्या कारण दिया गया था इसमें ?

श्री अध्यक्ष : जो 12 तारीख वाला है इसका 9 तारीख को आ गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं। मैं मान गया, आपका प्रश्न आ गया। इसमें लिखा है क्या कि यह मैटर सब जुडिस है ?

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 7 वाले में नहीं लिखा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 7 वाले में लिखा है क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 7 वाले में नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं पूरा जो डिप्टी सैक्रेटरी के द्वारा यहां पत्र भेजा गया, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूरा सुना दूं तो सारी—।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप 7 वाला पत्र पढ़ो, 9 वाला नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप एक बार 7 वाला जो 8 तारीख का लगा हुआ प्रश्न था उसको स्थगित करने के लिये सम्बन्धित विभाग ने क्या लिखा, उसे पढ़िये। अगर उसमें भी यही रीजन था तो समझ में आ सकता है बात क्या है। सात तारीख को जो विभाग ने भेजा वो क्या था पत्र ? 8 तारीख वाले प्रश्न के लिये विभाग ने सात तारीख का क्या चीज स्थगित के लिये भेजा, उसे पढ़ें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसमें केवल इतना ही था कि अभी इसकी जो पूर्ण जानकारी चाहिए वो जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी इसलिये आपका प्रश्न 8 तारीख का स्थगित किया जाता है। यही प्रश्न था। यही माइन्स थी। यही स्वविवेक का अलाटमेंट था, वही राजसमन्द था, उसी जगह का था जिस पर मुझे यह कह करके रोका था चूंकि अभी जानकारी का अभाव है इसलिये जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यह मेरा 8 का प्रश्न है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : खैर वो 8 तारीख का तो...।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये लैटर तो सुनने दो सुना रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 8 तारीख का प्रश्न तो स्थगित हो गया। सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कैस हो गया?

श्री अध्यक्ष : यह कभी नहीं कहा आपको, यह कभी नहीं कहा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस रोज तो हाउस चला नहीं था क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : करोड़ों का घोटाला हो गया इसलिये स्थगित हो गया...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज का प्रश्न जो स्थगित हुआ है उसके बारे में...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, आपकी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट ने तो यह लिखा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, आपकी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर है, क्योंकि करोड़ों का घोटाला हो गया इसलिए स्थगित हो गया।

श्री अध्यक्ष : प्रकरण विचाराधीन है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं। आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन में फिर मुझे निर्णय लेना है कि सब ज्युडिस है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं वो सही है, वो ठीक है आप निर्णय लें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सब जुडिस साहब, दिल्ली लोक सभा में हो चुका है डिस्कस।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसके सम्बन्ध में निर्णय ले लिया कि यह सब जुडिस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं वो सही है, आपने निर्णय ले लिया और हमको सुना दिया। क्या हम यह जानकारी कर सकते हैं कि यह प्रश्न दो बार क्यों आया?

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि उस दिन तो गवर्नमेंट की इत्तला नहीं आती है और क्वेश्चन जल्दी-जल्दी आ गये थे साथ में शायद इस विभाग वाले एकाध क्वेश्चन में और भी हैं अलग-अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछे गये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन से अनुरोध है कि...।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप, अध्यक्ष महोदय के आदेश को चैलेंज करते हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य, परन्तु अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) बचना चाहते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, रूल 37 के खण्ड 20 में ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : खनिज मंत्रीजी कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो माननीय खनिज मंत्रीजी को भी बोलने का अवसर दिया जाए...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इस विधान सभा की चर्चा से जिस अथोरिटी के सामने यह मामला पैंडिंग है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न खनिज विभाग से सम्बन्धित है और माननीय खनिज मंत्री कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, उसको सुनें तो स्थिति साफ हो जाएगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : वो आथोरिटी इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। और इसलिये आपको रूल 37 के उप खण्ड 20 में ...(व्यवधान) आप चाहें तो इस पर चर्चा की इजाजत भी दे सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से हमने नियमों की अवहेलना करके जिस प्रकार का स्वविवेक का इसमें दिखाया, कोर्ट में मैटर इतना ही है कि उसके नजदीक के जो अलाटी हैं...

श्री मानिक चन्द सुराना : हमको तो ये जानकारी चाहिए कि अलाटमेंट हुआ या नहीं, वह अलाटमेंट वैध है अवैध है इसमें हमें कोई मतलब नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... उन्होंने कहा कि यह गैप एरिया है, हमारी माइन्स के साथ लगा हुआ है इस कारण से विरोध करने के लिये कोर्ट में गये हैं। किसी ने इस सारे के सारे अलाटमेंट के बारे में नहीं कहा।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम तो उस अलाटमेंट की जानकारी करना चाहते हैं कि 3 तारीख को खारिज करके और 6 तारीख को पांच आदमियों को अलाटमेंट क्यों किया गया ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल अपने माइन्स के पास का हिस्सा लेने की दृष्टि से किया और यह प्रश्न हमने विभिन्न माध्यमों से लगाया। 8 तारीख को लगाया, 12 को राजेन्द्रजी ने लगाया उसके बाद...

श्री मानिक चन्द सुराना : ... यह जानकारी देने में राज्य सरकार पाबंद है कि वह जानकारी करे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...मानिक चन्दजी सुराना ने किया। अगर वास्तव में यह सरकार इस प्रकार से भ्रष्टाचार को छुपाने के लिये केवल कोर्ट का सहारा ले करके इस सदन में अगर हमारे अधिकारों का इस प्रकार से हनन होगा तो हमें निश्चित रूप से दुःख है। हम इस बात के लिये अपनी नाराजगी जाहिर कर वाक-आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो रवैया अपनाया है, यह स्पष्ट प्रक्रिया के नियमों में दिया हुआ है कि कोई भी मैटर जो सब जुडिस है उसको नहीं उठाया जाना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता अभी यहां क्वेश्चन कर रहे थे और यह भी स्पष्ट है कि सचिवालय से सम्बन्धित या आसन ने जो निर्णय ले लिया है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता बार-बार आपसे यह प्रश्न कर रहे थे कि आपने यह निर्णय कैसे ले लिया, आपने निर्णय कब लिया? मेरी समझ में आसन द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको किसी भी कीमत पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उसकी कोई जानकारी नहीं ली जा सकती और न्यायालय का जो सब जुडिस मैटर है, न्यायालय में विचाराधीन है उसमें किसी प्रकार का विचार नहीं किया जा सकता। और यह इस समय जो प्रतिपक्ष का रूख है यह क्लीयरकट न्यायालय की अवमानना है और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इंक्रोचमेंट करने की एक प्रक्रिया है, हम इसकी आलोचना करते हैं।

(12.00 बजे)

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार 7 तारीख के पत्र के बारे में पूछा जा रहा है और वह पत्र आपके पास है। उसमें लिखा हुआ है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से इस प्रश्न को स्थगित किया जावे, यह आग्रह किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अरूण सिंहजी, सुरेन्द्रजी आप बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो बात निवेदन करना चाहता हूं। एक तो अग्राह्य होता है। अगर यह सब जुडिस मैटर था तो इसको एडमिट ही नहीं करना चाहिये था। क्वेश्चन लिस्ट होने से पहले डिपार्टमेंट में जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन एज सच इनएडमिशिबल नहीं है। क्वेश्चन लगने के बाद सप्लीमेंट्रीज चेयर डिसअलाउ कर सकती है। जो एलीगेशन रिट में लगाये गये हों, यह दोनों रिट फाइल हो चुकी है, दोनों रिट में जवाब आ चुका है। एक रिट में माननीय मुख्य मंत्रीजी को पार्टी बनाया गया है, उनका जवाब आ चुका है। उसके बावजूद सिर्फ हाउस को फेस नहीं करना चाहते हैं, इन्फोर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, हर आदमी तो रिट पढ़ेगा नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जवाब आने से क्या सब जुडिस नहीं रहा? कोर्ट में निर्णय हो गया, मुख्य मंत्रीजी का जवाब आ गया, गवर्नमेंट का जवाब आ गया। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैटर सब जुडिस है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात में निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष के आसन को सत्ता पक्ष अगर इस तरह से उपयोग में लेना चाहता है या दुरुपयोग करना चाहता है आपके ऊपर अनुचित दबाव

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

डालकर, तो मैं इसका विरोध करता हूं और इसके विरोधस्वरूप मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।'

(श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के आसन को इस प्रकार से आरोपित नहीं किया जा सकता। सदन में अध्यक्षजी सर्वोच्च हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय किया है तो सही निर्णय किया है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, न ही कोई कोर्ट को चैलेंज कर सकता है। इस तरह आपके बारे में जो यह विवाद पैदा किया जा रहा है यह आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अध्यक्ष के सर्वोच्च पद को भी नहीं मानते, न कोर्ट को मानते हैं वही लोग हैं जो साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इनके राज में 65 के तहत कम से कम 70 माइन्स अलाट की गई हैं, वह अपने राज को भूल रहे हैं यह।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है, इसके लिये मैं चर्चा अलाउ नहीं करता। मैं कोई चर्चा अलाउ नहीं करता।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न और उसका उत्तर

कुन्हाडी (कोटा) में प्रस्तावित आगार

99. श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम, कोटा आगार अपने परिवर्तित स्थल कुन्हाडी में बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त नये आगार को बनाने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? उक्त नया आगार कब तक बनना प्रारम्भ हो जावेगा?

(2) उक्त नये आगार के लिये कितनी भूमि अवाप्त की गई है तथा अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का कोई नया आगार बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है और न ही इस हेतु कोई राशि स्वीकृत है।

(2) नये आगार हेतु कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

स्वीकृत सहायता राशि में कटौती

193. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1999-2000 से अक्टूबर, 2001 तक केन्द्र सरकार एवं विदेशी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सहायता प्राप्त राशि से कौन-कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? उक्त परियोजनाओं में कितनी-कितनी राशि कब-कब राज्य को प्राप्त हुई? उक्त प्राप्त राशि में से सितम्बर, 2001 तक कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विदेशी सहायता के रूप में वर्ष 1999-2001 के मध्य कितनी राशि किस-किस योजनान्तर्गत स्वीकृत हुई? योजनानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य को विभिन्न योजनाओं में विदेशी/केन्द्रीय प्राप्त सहायता राशि का उपयोग समय पर नहीं कर पाने के कारण राशि में कटौती हुई? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर था?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1999-2000 से सितम्बर, 2001 तक केन्द्र सरकार एवं विदेशी सहायता प्राप्त राशि से संलग्न परिशिष्ट-क अनुसार कार्यक्रम/परियोजनाएं चल रही हैं। उक्त परियोजनाओं में प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर तथा सितम्बर, 2001 तक व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ख पर है।

(2) राज्य सरकार को विदेशी सहायता सीधे प्राप्त न होकर भारत सरकार के मध्यम से प्राप्त होती है। सूचना संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार है।

(3) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में सम्बन्धित विभाग द्वारा व्यय करने के उपरांत पुनर्भरण दावों की राशि केन्द्र सरकार के माध्यम से सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से पुनर्भरण के बाद अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है। अतः इस मद में कटौती का प्रश्न ही नहीं है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर निगम, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी

194. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर में कुछ अधिकारी/कर्मचारी दूसरे विभागों की सेवा के होते हुए भी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी किस-किस विभाग के हैं तथा कब-कब से निगम में किस-किस पद पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम में अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई नियम/प्रक्रिया निर्धारित है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम में कौन-कौन से पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है? पदों के नाम तथा प्रतिनियुक्ति अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निगम में ऐसे अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अवधि नियमानुसार समाप्त हो चुकी है? यदि हां, तो उनको, अपने विभागों में कब तक भेज दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां, वर्तमान में नगर निगम, जयपुर में दूसरे विभागों के अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर किस-किस विभाग से तथा कब से कार्यरत है इनका विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित नियमों व प्रक्रिया के अनुसार ही निगम में अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(3) निगम में कौन-कौन से पद प्रतिनियुक्ति से भरे जा सकते हैं नियमों में उल्लिखित नहीं हैं परन्तु निगम में पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है।

(4) जी, हां। कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिकाओं पर बकाया विद्युत बिल राशि

195. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में जलने वाली रोड लाइट की बकाया बढ़ी राशि का भार नगरपालिकाओं पर चढ़ा हुआ है? यदि हां, तो जिला नागौर की किस-किस नगरपालिका पर कितनी-कितनी राशि का भुगतान विद्युत वितरण निगम को नगरपालिका द्वारा किया जाना है?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका बोर्डों का विद्युत वितरण निगम अथवा विद्युत विभाग पर भी बकाया राशि लेने का क्लेम चल रही है? क्या उक्त राशि का भुगतान करने की कोई कार्यवाही विद्युत वितरण निगम अथवा विद्युत विभाग द्वारा नहीं की जा रही है, जिससे नगरपालिकाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त प्रकरणों का निस्तारण करवा रही है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या गृह कर खुली भूमि व निर्मित क्षेत्र दोनों पर लागू है परन्तु इनका मूल्यांकन विभिन्न नगरपालिकाओं का अलग-अलग होने से विद्युत वितरण निगम लि. निर्णय लेने में देरी कर रहा है तथा उनका कहना है कि किस दर को उचित माना जावे? क्या ऐसी स्थिति में स्वायत्त शासन विभाग, गृह कर विभाग वसूली से लिये खुली भूमि व निर्मित क्षेत्र के लिये राज्य स्तर पर कोई दर निर्धारित नहीं कर देती जिससे सभी नगरपालिका अपने-अपने क्षेत्रों में उस फलावट के आधार पर विद्युत वितरण निगम से गृहकर की राशि वसूल कर सकें।

(4) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जब कार्यरत था तब नगरपालिका क्षेत्र में विद्युत पोल के लिये उपरोक्त में दी जाने वाली भूमि की कोई राशि वसूल न की जावे इस प्रकार

(श्री हरीश चन्द)

का आदेश था? क्या अब जब विद्युत वितरण निगम प्राइवेट संस्था हो गई तथा उनके द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में रोड लाइट के जितने पाइन्ट लगे हुए हैं उन पर विद्युत वितरण निगम ने 30/- रुपये प्रति पाइन्ट सेवा शुल्क निर्धारित कर दी है जबकि उक्त पाइन्टों के विद्युत खर्च का चार्ज अलग से देय होगा? क्या नगरपालिका रोड लाइट का रख-रखाव व सारा सेवा कार्य अपने-अपने स्तर पर करती है व रोड लाइट के पोल नगरपालिका भूमि पर खड़े हैं? क्या इसकी सेवा नगरपालिका दे रही है तो अब विद्युत वितरण निगम सेवा शुल्क के नाम जो राशि लागू कर दी है उसी प्रकार नगरपालिका बोर्ड भी अपने क्षेत्र में लगे पोलों के लिये कोई-कोई किराया राशि तय कर नहीं वसूल कर सकता है?

(5) क्या नगरपालिका क्षेत्र में रोड लाइट जनता की सेवा के लिये उपलब्ध कराई जाती है? क्या उक्त पर चार्ज बहुत अधिक किया हुआ है जिससे नगरपालिका इतनी बड़ी राशि भुगतान करने में सक्षम नहीं है? क्या ऐसी स्थिति में स्वायत्त शासन विभाग उक्त दरों को कम करने अथवा ऐसी कोई प्रणाली लागू करावे जिससे रोड लाइट का खर्च स्वतः ही वसूल हो जावें का उपाय क्यों नहीं कर रहा है?

उत्तर

(1) जी, हां। निम्नलिखित प्रकार से भुगतान 31.12.2000 तक किया जाना बकाया है :—

नाम	नगरपालिका	देय राशि
1.	कुचामन सिटी	15.24 लाख
2.	कुचेरा	11.00 लाख
3.	मूण्डवा	38.21 लाख
4.	लाडनूं	74.94 लाख
5.	नांवां	07.46 लाख
6.	डीडवाना	60.03 लाख
7.	मेड़ता सिटी	— —
8.	नागौर	17.22 लाख
9.	मकराना	113.11 लाख
10.	परबतसर	— —

(2) जी, हां। नगरपालिकाओं एवं विद्युत वितरण निगमों का परस्पर में बकाया के निपटाने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर समस्या निस्तारण के प्रयास किया जा रहा है।

(3) जी, हां। वर्तमान में गृहकर खुली भूमि एवं निर्मित क्षेत्र दोनों पर ही लागू है। वर्तमान प्रक्रिया में गृहकर का आकलन सम्पत्ति के वार्षिक किराया मूल्य पर आधारित है। वार्षिक किराया मूल्य सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर निर्भर करता है जिसके निर्धारण की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। वार्षिक किराया मूल्य के स्थान पर भूमि के क्षेत्रफल एवं निर्मित क्षेत्र के क्षेत्रफल पर आधारित प्रक्रिया (एरिया बेसड मेथड) अपनाने का मामला विचाराधीन है।

(4) पालिका क्षेत्र में विद्युत पोल के लिये प्रयुक्त होने वाली भूमि पर कोई चार्जेज नहीं लिया जाता है। यह सही है कि विद्युत वितरण निगम प्राइवेट लिमिटेड बनने के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पश्चात् दिनांक 1.4.2001 से लागू की गई टेरिफ के अनुसार टेरिफ में फिक्स्ड चार्जेज व विद्युत खपत खर्च लिये जाने का प्रावधान है। इसमें पंचायतें व एक लाख से कम जनसंख्या वाली नगरपालिका में 30/- रु. प्रति पाइन्ट प्रति माह व 300 पैसे प्रति यूनिट तथा एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में 45/- रु. प्रति पाइन्ट प्रति माह व 330 पैसे प्रति यूनिट फिक्स्ड चार्जेज लिये जाने का प्रावधान है और उसके अनुसार ही बिल प्राप्त हो रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(5) जी. हां। दर को कम करवाए जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

नगर निगम जयपुर के कर्मियों द्वारा सुलभ इन्टरनेशनल के शौचालयों का निरीक्षण

196. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर निगम जयपुर और सुलभ इन्टरनेशनल के बीच सार्वजनिक शौचालयों की संचालन व्यवस्था के लिये कोई समझौता हुआ है? यदि हां, तो समझौते का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगर निगम के अधिकारी समय-समय पर उक्त शौचालयों का निरीक्षण कर समझौते की पालना की जांच करते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 में कितनी बार कहां-कहां जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर नगर निगम व सुलभ इन्टरनेशनल के मध्य सार्वजनिक शौचालयों की संचालन व्यवस्था के लिए किये गये समझौते की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी हां। नगर निगम के क्षेत्रीय आयुक्त एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सामान्य कार्यों के साथ समय-समय पर उक्त शौचालयों का निरीक्षण किया जाता है। परन्तु इस बाबत लिखित में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिसकी पृथक से जांच करवायी जा रही है।

(समझौते की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लक्की बुर्ज समता भवन कोटा के पास तोड़ी गई मजारें

197. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा शहर में लक्की बुर्ज व समता भवन के पास तालाब के किनारे जैन दिवाकर औषधालय के लगभग सामने बनी हुई मजारों को किसके द्वारा कब, किस उद्देश्य से तोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जनहित के उपयोगार्थ मजारों को तोड़ा जा सकता है? यदि हां, तो फिर सोफिया स्कूल के पास एरोड्राम चौराहे से दशहरा मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर आमने-सामने बनी हुई मजारों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? क्या उक्त मजारों के कारण रास्ता तंग हो गया है और कभी भी कोई

(श्री मदन दिलावर)

बड़ी दुर्घटना हो सकती है? क्या सरकार उक्त मजारों को हटाकर रास्ता चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त मजारों को नहीं हटाया जा सकता है? यदि हां, तो फिर लक्की बुर्ज के पास मजारों को तोड़ने के पीछे क्या षड्यंत्र था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) लक्की बुर्ज के पास नगर निगम कोटा द्वारा कोई मज़ार नहीं तोड़ी गई है।

(2) ऐसे स्थलों को स्थानीय निकायों की योजना को मूर्त रूप देने के लिये स्थानीय निकायों एवं जिला प्रशासन के स्तर पर निर्णय लिया जाता है। नगर विकास न्यास कोटा का कोई मजार तोड़ने की योजना नहीं है। मजारों के बीच रास्ता यथावत है।

(3) जी, नहीं।

नगरपालिका बून्दी की भूमि पर अतिक्रमण की जांच रिपोर्ट

198. श्री अशोक (खण्डार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक की अवधि में जिला कलक्टर बून्दी द्वारा नगरपालिका क्षेत्र बून्दी में नगरपालिका की भूमि पर अथवा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने, बदनियतीपूर्ण बेचान के सम्बन्ध में उपज़िला कलक्टर बून्दी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की है? यदि हां, तो कब? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो अब कार्यवाही कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पालिका द्वारा की जा रही है।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका सवाईमाधोपुर में बोर्ड के गठन के पश्चात् अतिक्रमण

199. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सवाईमाधोपुर में ई.एस.आई. मार्केट की 8 विवादित दुकानों का निस्तारण गत बोर्ड के समय समझौता समिति में हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरणों में दुकानों की राशि विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार जमा हुई है? क्या उक्त राशि मार्गदर्शन के अनुसार जमा नहीं हुई है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और तत्कालीन समय कौन कर्मचारी (लिपिक) कार्यरत था? उक्त के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है और वर्तमान में भी उक्त लिपिक के विरुद्ध अन्य पालिका में सम्बन्धित जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान बोर्ड का गठन होते ही अध्यक्ष ने उक्त दुकानों का कब्जा देने पर रोक लगाई है? यदि हां, तो वर्तमान में क्या स्थिति है ?

(3) नगरपालिका सवाईमाधोपुर के वर्तमान बोर्ड का गठन होने के बाद क्या अतिक्रमण एवं शापिंग सेन्टर व दुकानों का अवैध निर्माण हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

उत्तर

(1) जी हां, गत बोर्ड के समय सात दुकानों का निस्तारण समझौता समिति में हुआ तथा एक दुकान का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इन दुकानों की राशि नियमानुसार जमा नहीं करवाये जाने के मामले की जांच करवाई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। श्री हंसराज बैरवा कार्यरत थे इनके विरुद्ध नगरपालिका उनियारा से सम्बन्धित एक अन्य जांच भी विचाराधीन है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। रोक लगाने के बाद सात आबंटियों को दिनांक 14.9.2000 को कब्जा दे दिया गया है।

(3) जी हां, प्रकरण की जांच करवाई जा रही है।

सिन्धु नगर स्कीम नम्बर-16 सीकर रोड जयपुर में विकास कार्य

200. श्री मोहनलाल राठौड़ (झालरा-पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग ने पत्र क्रमांक प.7(क)(67)वि.स./एल.एस.जी./98/5901 दिनांक 12.8.99 के द्वारा सिन्धुनगर, स्कीम नम्बर 16 सीकर रोड़, जयपुर में माननीय विधायक की अभिशंषानुसार प्लाट नं. 222, 221, 223, 217, 179, 180, 181 आदि प्लाटों के सामने वाली गली में 30 फीट पर सड़क, नाली व रोड़ लाइट लगवाने की सहमति दी थी? यदि हां, तो उक्त कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं करवाये जाने के क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार अब उक्त कालोनी में उक्त प्लाटों के सामने वाले 30 फीट के रास्ते में सड़क, नाली निर्माण एवं रोड लाइट लगवाने सम्बन्धी कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त कार्य अब कब तक प्रारम्भ करवा दिये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार अब उक्त कालोनी में उक्त विकास कार्य करवाने हेतु विकास शुल्क जमा करवाये जाने की अड़चन डाल रही है जबकि सीकर रोड पर ही भवानी नगर, बन्धुनगर, आर्यनगर, विजयवाड़ी आदि कालोनियों में भूखण्डधारियों द्वारा विकास शुल्क जमा नहीं किये जाने के बाद भी सड़क नाली निर्माण करवाया है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी की भांति माननीय विधायक की अभिशंषा पर सिन्धुनगर स्कीम नं. 16 में उक्त प्लाटों के सामने वाली गली में भी विकास शुल्क जमा करवाये बिना विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और

(श्री मोहनलाल राँठौड़)

नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(5) अब सिन्धुनगर स्कीम नं. 16 के प्लाट नं. 222, 221, 217, 179, 180, 181 व 139 आदि के सामने उक्त सड़क, नाली निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिये जायेंगे ?

(6) क्या यह सही है कि सिन्धुनगर स्कीम नं. 16 में 40 फीट रोड व 30 फीट गली के रास्ते के बीच में कई व्यक्तियों ने रास्ते में मिट्टी, कंकर पत्थर आदि डालकर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त रास्तों को कब तक साफ करवाकर समतल करवा देगी ?

(7) क्या सरकार सिन्धुनगर, स्कीम नं. 16 सीकर रोड जयपुर की कालोनी का विकास शुल्क जमा करवाने के शिविर लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आर.एस.ई.बी. के खम्भों पर लाइट लगवा दी गई थी व वर्तमान में चालू है, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों की योजनाओं से नियमन पश्चात् योजना वासियों द्वारा जमा नियमन शुल्क के आधार पर विकास कार्य करवाये जाते हैं। इस योजना का नियमन कैम्प अभी तक नहीं लगा है एवं नहीं पर्याप्त विकास शुल्क जमा करवाये गये हैं। इसलिये कार्य नहीं करवाये जा सकें।

(2) जी हां। नगर निगम द्वारा खम्भों पर लाइट लगवा दी गई है, अन्य कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के नियमन व पर्याप्त विकास शुल्क जमा होने पर कार्य करवाया जाना सम्भव होगा।

(3) सहकारी समितियों की योजनाओं में विकास शुल्क जमा होने पर ही कार्य करवाना सम्भव है। भवानी नगर, बन्धु नगर, आर्य नगर, विजयवाड़ी में प्राधिकरण द्वारा विगत तीन वर्षों में कोई नया विकास कार्य नहीं करवाया गया है। वर्ष 1999-2000 में इस क्षेत्र की पुनर्निमित सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राधिकरण सड़क मरम्मत के तहत करवाया गया था।

(4) जी नहीं। शेष बिन्दु संख्या-5 के अनुसार।

(5) योजना के नियमन व पर्याप्त विकास शुल्क जमा करवाने पर कार्य करवाया जाना सम्भव होगा।

(6) जी हां। उल्लेखित रास्ता कच्चा है जब इस योजना में विकास कार्य करवाये जायेंगे तब समतल कर सड़क निर्मित करने पर विचार किया जा सकेगा।

(7) जी हां। समिति को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। पंच न्यायालय के निर्णय के अनुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने पर शिविर लगाने की कार्यवाही की जायेगी। योजना विवादग्रस्त है।

जयपुर नगर निगम द्वारा कचरा परिवहन के ठेके में अनियमितता

201. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा गत दो वर्षों में अपनी सीमा में कचरा परिवहन का ठेका विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को दिया गया है? यदि हां, तो निविदाओं की स्वीकृति किस स्तर पर दी गई? उक्त सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि का भुगतान किस-किस को किस आदेश से किया गया है? मय राशि के तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि न्यूनतम निविदादाता/संधिवार्ता में न्यूनतम दर दाताओं को शामिल नहीं किया गया तथा कुछ निविदादाताओं को काम दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कचरा परिवहन की निविदा स्वीकार करने के सम्बन्ध में निगम, बोर्ड व राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कचरा परिवहन के उक्त प्रकरण में राज्य सरकार के सामने शिकायत प्रस्तुत हुई है जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा गत दो वर्षों में अपनी सीमा में कचरा परिवहन का ठेका विभिन्न व्यक्तियों/फर्मों को दिया गया है। उक्त ठेकों से सम्बन्धित पत्रावलियों को प्राप्त कर प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से सक्षम स्वीकृतियों के विपरीत कार्य आदेश देने के तथ्य ध्यान में आये हैं। जांच करवाई जा रही है।

(2) जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) जांच विचाराधीन है।

(4) जांच विचाराधीन है।

आनन्दपुरी मोती डूंगरी जयपुर की नालियों की मरम्मत

202. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शांति रोडवेज के सामने वाली गली आनन्दपुरी मोती डूंगरी जोन जयपुर-4 में स्थित नालियों की टूट-फूट की मरम्मत की कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो शांति रोडवेज के सामने वाली गली के मकान नं. बी-297-ए के सामने तिराहे पर स्थित नाली के टूटे हुए ढक्कन कब तक मरम्मत कर नाली ढक दी जायेगी?

(2) क्या आनन्दपुरी, मोती डूंगरी, जोन जयपुर-4 में नालियों की नियमित सफाई एवं कचरे को उठाने की नियमित व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त हेतु कार्यरत कर्मचारियों के नाम व कार्य समय सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वार्ड संख्या-35 आनन्दपुरी में नालियों की टूट-फूट मरम्मत का कार्य चल रहा है। बी-297-ए के सामने टूटे हुए ढक्कनों को बदल दिया गया है एवं इसके सामने "एल" शेप नाली बना दी गई है जिसे ढकने का प्रोवीजन नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी, हां। कार्यरत कर्मचारियों का नाम व कार्य सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

नगर निगम जयपुर में भवन/दुकानों के निर्माण की स्वीकृति

203. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर निगम जयपुर (हवामहल जोन पश्चिम) में भवन/दुकान निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु क्या समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितने दिन के अन्दर भवन/दुकान निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी जाती है ?

(2) उक्त नगिर निगम में भवन निर्माण समिति की बैठक कब-कब होती है ? क्या इसके लिये नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो कितने अन्तराल के अन्दर भवन निर्माण समिति की बैठक का आयोजन होना आवश्यक है ?

(3) क्या भवन निर्माण समिति की बैठक में आवेदक को भी उसका पक्ष सुनने के लिये आमंत्रित किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि भवन निर्माण स्वीकृति के बाद आवेदक से कुछ राशि वसूल की जाती है ? यदि हां, तो उक्त राशि किस हिसाब से तय की जाती है ? उक्त राशि के बदले आवेदक को क्या-क्या सुविधायें नगर निगम जयपुर द्वारा दी जाती हैं ?

(5) क्या उक्त सुविधाएं दिये जाने के बाद आवेदक से प्रमाण-पत्र लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यदि कोई तकनीकी त्रुटि पाई जाती है तो आवेदक को इसकी सूचना रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या नगर निगम जयपुर (हवामहल जोन पश्चिम) के कर्मचारी/अधिकारी तकनीकी अभियन्ताओं के लिये भूमि भवन निरीक्षण के लिये कोई दिन तय है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो किस वार को निरीक्षण किया जाता है ? निगम के कौन-कौन अधिकारी उक्त तरह के निरीक्षण के लिये अधिकृत हैं ?

(8) गत तीन वर्षों में कितने आवेदन पत्र भवन निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त हुये तथा उक्त को कब-कब स्वीकृति प्रदान की गई ? क्या कई आवेदन पत्रों पर तीन वर्ष के अन्दर भी स्वीकृति जारी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त आवेदक का नाम कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर में भवन/दुकान के निर्माण स्वीकृति के आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु एक माह की समय सीमा निर्धारित है। प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय के भीतर निस्तारण किया जाता है।

(2) नगर निगम भवन निर्माण समिति की बैठक आवेदनों की उपलब्धता के आधार पर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

आयोजित कीं जाती है। राजस्थान नगर पालिका (समिति का कार्य संचालन नियम-1974) के नियम-3 के अनुसार समितियां जब उचित समझें बैठक कर सकती है। परन्तु प्रत्येक समिति के लिये न्यूनतम माह में एक बैठक करना आवश्यक है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। यह सही है कि भवन निर्माण स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण शुल्क उप विधि के अनुसार राशि तय की जाती है। राशि के बदले आवेदक को निर्माण स्वीकृति पत्र एवं अनुमोदित मानचित्र दिया जाता है।

(5) जी नहीं।

(6) आवेदन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यदि कोई तकनीकी त्रुटि पाई जाती है तो इसकी सूचना आवेदक को सूचना पत्र के द्वारा दी जाती है।

(7) जी नहीं। भवन निर्माण की स्वीकृति के आवेदनों की जांच के लिये सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता अधिकृत हैं।

(8) गत तीन वर्षों में भवन निर्माण/पुनर्निर्माण की स्वीकृति हेतु कुल 272 आवेदन प्राप्त हुये। उक्त में से 106 को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिन आवेदन पत्रों पर स्वीकृति जारी नहीं की गई सूची मय कारण सहित संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर विकास प्राधिकरण से नीलामी में लिये गये भू-खण्डों पर लीज मनी

204. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी में बेचे जाने वाले भू-खण्डों को लीज मुक्त करने के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 1998 में पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या निर्णय लिया गया? सरकार को भेजे गये पत्र एवं उक्त पर लिये गए निर्णय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नीलामी में बेचे गये आवासीय भू-खण्डों पर लीज-मनी ली जाती है? यदि हां, तो नीलामी में विक्रय किये गये आवासीय भू-खण्ड के प्रत्येक हस्तान्तरण पर लीज मनी 25 प्रतिशत बढ़ाने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भू-खण्ड की एकमुश्त लीज जमा करवाने के पश्चात् भू-खण्ड/भवन के हस्तान्तरण पर पुनः लीज राशि बढ़ाई जाकर वसूल की जाती है? यदि हां, तो क्यों? उक्त सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भूमि एवं भवन कर एकमुश्त वसूलने के पश्चात् हस्तान्तरण पर पुनः भूमि एवं भवन कर रोपण को अवैध करार दिया गया है? यदि हां, तो हाई कोर्ट के निर्णय की

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भावना के अनुरूप जबकि लीज मनी भूमि पर ही ली है न कि भू-स्वामी पर, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक हस्तान्तरण पर लीज मनी की 25 प्रतिशत की दर से वृद्धि के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी में बेचे गये भूखण्डों को लीज मुक्त करने के सम्बन्ध में 1998 में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है परन्तु इस सम्बन्ध में दिनांक 7.8.1997 को राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया (प्रति संलग्न है) लीज मुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना अभी विचाराधीन है।

(2) जी हां। यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा नीलामी में बेचे गये भूखण्डों पर लीज राशि ली जाती है। शहरी भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 7 के उप नियम 2 के प्रावधानानुसार आवासीय भूखण्ड के प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत लीज मनी बढ़ा कर ली जाती है तथा इसके अतिरिक्त 15 वर्ष की अवधि पश्चात् 25 प्रतिशत लीजमनी बढ़ाकर पुनर्निर्धारित करने का प्रावधान है।

(3) जी हां। भूखण्ड भवन के पुनः स्थानान्तरण पर पुनः लीज राशि बढ़ाकर ली जाती है क्योंकि भूमि के हस्तान्तरण से स्वामित्व परिवर्तन हो जाता है तथा भूमि निष्पादन नियम 7(2) के तहत प्रत्येक हस्तान्तरण पर लीज राशि में 25 प्रतिशत राशि का प्रावधान है आदेश की प्रति संलग्न है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भूखण्ड की एक मुश्त लीज जमा कराने के पश्चात् शहरी भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम 7(4) के अनुसार उसी भू-स्वामी से अवशेष अवधि हेतु लीज राशि बढ़ाकर नहीं ली जाती है।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं है। एक मुश्त राशि जमा करवाने पर भूमि/भवन के स्वामित्व हस्तान्तरण पर बढ़ी हुई राशि लेने या नहीं लेने के बारे में अन्तिम निर्णय हेतु राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

(पत्र की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जयपुर नगर निगम आयुक्त आमेर पश्चिम के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था

205. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम आयुक्त (आमेर पश्चिम) के कुण्डा व बुलाका की ढाणी आदि वार्ड में निगम द्वारा अभी तक किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कुण्डा (आमेर) में सफाई हेतु कार्यरत कर्मचारियों की गत छः माह की सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में कभी भी सफाई नहीं होने से सर्वत्र गंदगी फैली हुई है तथा विशेष रूप से पुराना कुण्डा आमेर रोड गंदगी के ढेर से ढका हुआ है? यदि हां, तो उक्त रोड की कब तक सफाई करा दी जायेगी और नहीं, तो क्यों?

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(3) उक्त क्षेत्र की नियमित सफाई हेतु भविष्य में निगम क्या व्यवस्था करने का विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कर्मचारियों की अपर्याप्तता के कारण आमेर के कुण्डा व बुलाका की ढाणी आदि वार्ड में साप्ताहिक सफाई कराई जाती है। गत छः माह में कुण्डा (आमेर) में साप्ताहिक सफाई हेतु लगाये गये कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। साप्ताहिक सफाई कराई जाती है, सर्वत्र गन्दगी नहीं फैल रही है तथा पुराना कुण्डा आमेर रोड गन्दगी के ढेर से ढका हुआ नहीं है।

(3) उक्त क्षेत्र में सफाई कराने हेतु नगर निगम जयपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

बीकानेर शहर के सौन्दर्यकरण की प्रस्तावित योजना

206. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों के विकास, सौन्दर्यकरण के लिये सरकार एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर योजना को स्वीकृति देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रत्येक शहर की प्रस्तावित व अब तक की संशोधित कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर शहर की योजना पर निर्णय लेकर कब तक कार्य शुरू करना प्रस्तावित है ? उक्त शहर के स्वीकृत कार्यों की विवरण सूची, राशि, मद, विभाग, स्थलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में राशि किस ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जाना प्रस्तावित है व पुनर्भरण की क्या प्रक्रिया तय की गई है ? उक्त योजनान्तर्गत कार्यों पर कितनी राशि वास्तविक रूप से व्यय की जावेगी, कंसल्टेंसी पर कितनी राशि कार्य पर व्यय की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार प्रदेश के छः प्रमुख शहरों के विकास, सौन्दर्यकरण के लिये एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। छः शहरों की प्रस्तावित व अब तक की संशोधित कार्य योजना की प्रति (परिशिष्ट "अ") पर संलग्न है।

(2) बीकानेर शहर की योजना पर निर्णय लेकर इसकी क्रियान्विती हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन बीकानेर में किया जा चुका है, व इस वित्तीय वर्ष के अन्तिम व त्रैमास में कुछ कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। बीकानेर शहर के प्रस्तावित कार्य की विवरण सूची, राशि, मद, विभाग स्थलवार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राज्य के छह प्रमुख शहरों में ढांचागत सुविधाओं के विस्तार हेतु 1529 करोड़ रुपये (362 मिलियन डालर) की परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

लिये एशियन विकास बैंक से 69 प्रतिशत राशि, 1055 करोड़ रुपये (250 मिलियन डालर) 7 प्रतिशत ब्याज की दर से भारत सरकार को प्राप्त होगी। भारत सरकार प्राप्त ऋण राशि में से 739 करोड़ रुपये (70 प्रतिशत) 12 प्रतिशत ब्याज की दर से एवं 316 करोड़ रुपये (30 प्रतिशत) अनुदान के रूप में राज्य सरकार को देगी। ऋण की वापसी जून, 2004 से प्रारम्भ होकर दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में एक जून व एक दिसम्बर को की जावेगी। इस परियोजना में विकास कार्यों पर कुल 1264.16 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रबन्ध सलाहकार के लिये 11.82 करोड़ रुपये एवं परिकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकारों के लिये 44.23 करोड़ रुपये की राशि देने का अनुबन्ध हुआ है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजगढ़ शहर (अलवर) में व्यावसायिक भूमि की दर

207. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर के राजगढ़ शहर में व्यावसायिक काम में आने वाली भूमि की प्रति बीघा दर क्या है ?

(2) क्या व्यापारियों की दुकान के काम आने वाली भूमि व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो के पास की भूमि की कीमत में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जिला अलवर के राजगढ़ शहर में व्यावसायिक के काम में आने वाली भूमि की अधिकतम दर 1060/- रु. प्रति वर्गफुट है, जो प्रति बीघा 28858500/- रु. होती है एवं न्यूनतम दर 385/- रु. प्रति वर्गफुट है जो प्रति बीघा 10481625/- रु. होती है।

(2) जी हां। व्यापारियों के काम आने वाली भूमि व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपों के पास की भूमि की दरों में 545/- रु. प्रतिवर्ग फुट का अन्तर है।

जयपुर के भगवती नगर (प्रथम) कालोनी की भूमि पर अतिक्रमण

208. श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के करतारपुरा स्थित भगवती नगर (प्रथम) कॉलोनी के भूखण्डधारकों ने विकास शुल्क जमा करवा दिया है ? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब जमा करवाया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालोनी में किन-किन भूखण्डधारियों ने विकास शुल्क जमा नहीं कराया है ? क्या उक्त वसूली हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रयास किया जायेगा ?

(3) क्या प्राधिकरण द्वारा उक्त कालोनी में सड़क एवं सीवरेज सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

(4) उक्त कालोनी में पार्क एवं चिकित्सालय हेतु छोड़ी गई भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? उक्त भूमि को कब तक अतिक्रमण मुक्त कर उक्त सुविधा प्रदान कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। इस कॉलोनी में कुल अनुमोदित 194 भूखण्डों में से 145 भूखण्डधारियों द्वारा नियमन शुल्क मय विकास शुल्क के जमा करवाकर अपने भूखण्डों का नियमन करवा लिया गया है। जिन भूखण्डधारियों ने अपने भूखण्डों के विकास शुल्क जमा करवाये हैं उनकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) कुल 49 भूखण्डधारियों द्वारा राशि जमा नहीं करवाई है (समिति द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार राशि जमा नहीं करवाने वाले की सूची संलग्न है परिशिष्ट "ब") जी हां, इनके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिया जाकर प्राधिकरण सम्पत्ति का बोर्ड लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) करतारपुरा क्षेत्र जिसमें भगवती नगर (प्रथम) स्थित है, में उप मुख्य सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है। आन्तरिक सीवर लाइन का कार्य जविप्रा द्वारा अनुमोदित कॉलोनियों में जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत रुपये 12.50 प्रति वर्ग गज प्लाट एरिया की दर से जमा कराने पर किया जाना प्रस्तावित है। भगवती नगर (प्रथम) कॉलोनी के निवासियों द्वारा सहभागिता योजना में वांछित राशि जमा नहीं कराई गई है अतः वहां आन्तरिक सीवर का कार्य नहीं कराया गया है। सड़क निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है, निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवा दिया जायेगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा जो प्लान अनुमोदित किये हैं उसमें 6 स्थानों पर सुविधा क्षेत्र दर्शा रखा है, लेकिन इनमें न तो पार्क अंकित है और न ही चिकित्सालय अंकित किया है। मौके की स्थिति के अनुसार सुविधा क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण के अतिक्रमियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट "स") अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कालवाड़ रोड़ जयपुर की जगन्नाथपुरी आवासीय कॉलोनी में भूखण्ड के निर्माण कार्य पर रोक

209. श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड झोटवाड़ा, जयपुर के द्वारा कालवाड़ रोड़ पर जगन्नाथपुरी आवासीय कॉलोनी के नाम से भूखण्ड आबंटित किये हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय कॉलोनी में एक भूखण्ड संख्या 425 भी है? यदि हां, तो किसके नाम से?

(3) क्या उक्त भूखण्ड एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का है? क्या उक्त व्यक्ति

(श्री कृष्ण मुरारी गंगावत)

को उक्त कॉलोनी निवासी व जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी बिना कारण परेशान कर रहे हैं और उक्त भूखण्ड पर उसे आवासीय निर्माण नहीं करने दे रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मंत्री/विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा? प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त भूखण्डधारी को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./अ.शा./जोन बी-3/2001 दिनांक 28.7.2001 जारी किया गया? क्या उक्त कालोनी में अन्य कोई भूखण्डों पर प्राधिकरण ने निर्माण कार्य नहीं करने दिया है? क्या अन्य भूखण्डों में भी निर्माण कार्य हुआ है? यदि हां, तो उक्त अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को निर्माण कार्य से क्यों रोका जा रहा है?

(6) क्या सरकार उक्त भू-खण्डधारी की सहायता कर उसे निर्माण कार्य करने की छूट देकर उसे राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा कालवाड़ रोड़ पर जगन्नाथ पुरी आवासीय कालोनी के नाम से भूखण्ड आबंटित किये हैं। आवासीय कालोनी में समिति द्वारा प्रस्तुत सूची की छाया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ") समिति द्वारा प्रेषित की गई सूची के अनुसार कुल भूखण्ड 491 हैं।

(2) समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में भूखण्ड संख्या-425 है। सूची क्रम संख्या-403 पर श्री पांचूराम चौधरी पुत्र श्री कालूराम चौधरी का नाम दर्ज है। परन्तु श्री सिराजुद्दीन अहमद पुत्र श्री हंसजी अजीमुद्दीन मंसूरी एवं हजनबतुल पत्नी श्री हाजी अजीमुद्दीन मंसूरी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामे के अनुसार भूखण्ड संख्या 425 जिसका कि कुल क्षेत्रफल 361.1 वर्गगज था का एक भाग जिसका क्षेत्रफल 244.44 वर्गगज है क्रय किया गया है।

(3) प्रस्तुत इकरारनामें के अनुसार उक्त भूखण्ड का एक भाग अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का है। योजनावासियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी परेशान करने बाबत नहीं है। कर्मचारी परेशान नहीं कर रहे हैं। और ना ही उसे नियमानुसार सैट बैक छोड़ते हुए उसके आवासीय निर्माण करने से रोक रहे हैं।

(4) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान भूखण्ड पर व्यावसायिक दुकानों का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ होना पाये जाने पर निर्माण को जविप्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के अन्तर्गत नोटिस देकर सामूहिक अभियान में ध्वस्थ कराया गया है।

(5) जी हां। छाया प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अन्य भूखण्ड पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जीरो सैट बैक पर किसी को निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है अन्य भूखण्डों पर नियमानुसार सैट बैक छोड़ते हुए

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

आवासीय निर्माण हुए हैं। उक्त व्यक्ति को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकानों के निर्माण से रोका गया है परन्तु नियमानुसार सैट बैक छोड़ते हुए आवासीय निर्माण से नहीं रोका गया है।

(6) उक्त भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। परन्तु नियमानुसार सैट बैक छोड़ते हुए आवासीय निर्माण किया जा सकता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ग्राम गोगुन्दा में पेयजल व्यवस्था

210. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा के ग्राम गोगुन्दा में पेयजल संकट के स्थाई समाधान हेतु सुखेर बांध से पानी पहुंचाने की योजना बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो अब तक क्या योजना बनाई गई है एवं कब तक गोगुन्दा ग्राम को पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के स्वीकृत कार्यों को करने हेतु विभाग द्वारा कार्य ठेकों पर दिया गया था एवं ठेकेदारों द्वारा कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया तथा कार्य अपूर्ण रहने से उक्त स्वीकृत राशि व योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो उदयपुर जिले में कितने व कौन-कौन से जलप्रदाय योजनाओं के कार्य किस-किस ठेकेदारों को दिये गये व कब से अपूर्ण स्थिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य जिन ठेकेदारों द्वारा पूर्ण नहीं किया गया उनके विरुद्ध क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या-क्या कार्यवाही की गई व उसका क्या परिणाम रहा है और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पेयजल के स्थाई समाधान के लिए सुखेर बांध से जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल आरक्षण व योजना बनाने की कार्यवाही प्रगति में है। सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। योजना बनाने के बाद प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति तथा क्रियान्वयन सम्भव हो पावेगा।

(2) उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत विभिन्न कार्य को करने के लिए कार्य ठेके पर दिये गये थे जिनमें से 8 कार्य ठेकेदारों द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जिन ठेकेदारों द्वारा उक्त कार्य पूर्ण नहीं किये गये हैं उनको कार्य नहीं करने/पूर्ण नहीं करने पर अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन के ग्रामों की जनता जल योजना

211. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि पंचायत समिति कुचामन में कुल 66 जनता-जल योजनाएं स्वीकृत हैं? उक्त योजनाओं में किस-किस योजना का किस-किस प्रकार का भुगतान अब तक बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओं पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राशि का भुगतान निर्धारित व नियमित रूप से होता है, परन्तु जनता जल योजनाओं पर काम पर लगे लोगों को मात्र 500/- रु. प्रति माह देय होता है जो समय पर नहीं मिलता है? यदि हां, तो ऐसी योजनाओं को नियमित रूप से भुगतान होना जारी रहे इसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि जनता-जल योजनाओं पर लगी मोटर की मरम्मत हेतु प्रति हार्स पावर के हिसाब से प्रति वर्ष राशि देने का प्रावधान है परन्तु जनता जल योजनाओं में कई नई योजनाओं को आंशिक रूप से भुगतान हुआ है? क्या उन्हें नियमित रूप से भुगतान नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में उक्त योजनाओं की मोटर जलकर सप्लाई अवरुद्ध हो जाने पर बड़ी दयनीय स्थिति होती है? उक्त योजनाओं को नियमित रूप से उनके हिस्से की राशि मिलना जारी रहे उसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

(4) क्या ग्राम पांचवा पारांकुआ की जनता जल योजना को भुगतान करना चालू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में ग्राम गोगोर, मुवाना, बिनजारिया, बालाजी, देपुर, रघुनाथपुरा, लीवाणा की जनता जल योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है? यदि हां तो उक्त स्वीकृति कब दी गई और नहीं, तो अब इनको स्वीकृति देने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही हैं कि विभाग द्वारा संधारित योजनाओं पर पदानुसार वेतन श्रृंखला के अनुसार मासिक वेतन भुगतान होता है। जनता जलयोजना पर 500 रुपये प्रतिमाह प्रति स्त्रोत दी जाने वाली राशि न होकर पम्प चालन के संदर्भ में पंचायत/जनता जलयोजना समिति द्वारा किए जाने वाले खर्च के संदर्भ में आंशिक अनुदान है। योजना का संधारण समिति/पंचायत को करना होता है व खर्च चलाने के लिए जनसहयोग/ जल शुल्क उपभोक्ताओं से लेने हेतु वह अधिकृत है। इस प्रकार की योजनाओं में समय पर अनुदान राशि के भुगतान हेतु सरकार प्रयासरत है।

(3) यह सही है कि जनता जलयोजना पर 400 रुपये प्रति हार्स पावर की वार्षिक दर से सबमर्सिबल पम्प सैटो पर राशि देने का प्रावधान है। मोनोब्लाक हेतु एक हजार रुपये वार्षिक मरम्मत हेतु देने का प्रावधान है। बजट उपलब्धता के अनुसार उक्त भुगतान विवरण परिशिष्ट-"अ" के अनुसार किया जा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

चुका हैं। शेष राशि बजट उपलब्धता के अनुसार भुगतान किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मोटर जलने की स्थिति में अध्यक्ष, जनता जलयोजना द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि या योजना पर अर्जित राशि में से मोटर रिपेयर कार्य करवाया जाता रहा है एवं पुनर्भरण राशि का समायोजन जनता जलयोजना के अध्यक्ष द्वारा कर लिया जाता है।

(4) ग्राम पांचवा विभाग द्वारा संधारित पाइप्ड जलयोजना से लाभान्वित है। साथ ही 2 अन्य ओपन वैल जनता जलयोजना के तहत चालू हैं। वर्ष 1995 में इसी ग्राम के पारा कुआ को चलाने हेतु जनता जलयोजना स्वीकृत हुई थी। परन्तु स्थानीय विवाद के कारण कार्य की अन्तिम परिणति तक नही पहुंच सकें। अतः जनता जलयोजना (पारा कुआ) को समिति को हस्तान्तरण नहीं होने से भुगतान नहीं किया गया।

(5) प्रश्न में संदर्भित जनता जल योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1	गोगोर	योजना स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में है।
2	मुवाना (बिन जारिया बालाजी)	स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।
3	दैपुर	योजना स्वीकृति पूर्व जांच प्रक्रिया में है।
4	रघुनाथपुरा	योजना स्वीकृत पूर्व जांच प्रक्रिया में है।
5	लिचाणा	योजना स्वीकृत कार्य प्रगति में है।

(भुगतान विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)

भवानी मण्डी नगर व पचपहाड़ (झालावाड़) में जारी पेयजल कनेक्शन

212. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक अभियन्ता, भवानी मण्डी (झालावाड़) के कार्यक्षेत्र के अन्दर गत पांच वर्षो के दौरान कुल कितने टयूबवैल व हैड पम्प कहां-कहां पर खोदे गये हैं तथा प्रत्येक की कुल कितनी गहराई है?

(2) भवानी मण्डी नगर व पचपहाड़ (झालावाड़) में जनवरी, 2001 के पश्चात् विभाग द्वारा कुल कितने सार्वजनिक व निजी नल कनेक्शन कहां-कहां पर किस-किस को दिये गये हैं?

(3) हुडको योजना के तहत भवानी मण्डी नगर में कहां-कहां पर कितनी-कितनी पाइप लाइन कब-कब बिछाई गई? क्या बिछाई गई पाइप लाइन चालू अवस्था में है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षो में भवानी मण्डी नगर में विभाग द्वारा किस-किस मोहल्ले व वार्ड में कितनी-कितनी पाइप लाइन बिछाई गई? क्या बिछाई गई पाइप लाइन की स्वीकृति थी? यदि हां, तो स्वीकृति कब-कब जारी हुई थी?

(5) जिला झालावाड़ में झालावाड़ नगर, झालरापाटन व भवानी मण्डी नगर में, ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2001 में कितने-कितने समय के अन्तराल पर जल का वितरण किया गया?

(श्री मदन दिलावर)

प्रत्येक नगर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2001 में भवानी मण्डी नगर में भीषण पेयजल संकट आने वाला है? यदि हां, तो फिर विभाग ने उक्त संकट से निपटने के लिए किस-किस मास में क्या-क्या उपाय किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता भवानीमण्डी के कार्य क्षेत्र के अन्दर गत पांच वर्षों के दौरान खोदे गए ट्यूबवैल व हैण्डपम्प मय स्थान एवं गहराई के प्रपत्र "अ" में तैयार कर संलग्न हैं।

(2) भवानीमण्डी नगर एवं पचपहाड़ में जनवरी 2001 के पश्चात विभाग द्वारा दिये गये सार्वजनिक नल व निजी कनेक्शनों की सूची प्रपत्र-"ब" व "स" में तैयार कर संलग्न है।

(3) हुडको योजना के तहत भवानी मण्डी नगर में बिछाई गई पाइप लाइनों का विवरण प्रपत्र-"द" पर संलग्न है। वर्तमान में सभी पाइप लाइनें चालू अवस्था में हैं।

(4) गत पांच वर्षों में भवानीमण्डी नगर में पाइप लाइन सिर्फ हुडको योजना के तहत बिछाई गई हैं जिसका विवरण प्रपत्र - "द" पर संलग्न है। पुनर्गठन जलप्रदाय योजना भवानी मण्डी की स्वीकृति हुडको मद में 108वीं पी.पी.सी. में दिनांक 3.11.1993 को जारी की गई थी।

(5) वर्ष 2001 में नगर झालावाड़, झालरापाटन व भवानीमण्डी में किया गया जल वितरण का विवरण :—

झालावाड़ नगर :— झालावाड़ नगर में अप्रैल 2001 तक 3200 किलोलीटर पानी प्रतिदिन वितरण किया गया। मई-2001 से 20 जून तक 2400 किलोलीटर पानी प्रतिदिन जोन वाइज एक दिन छोड़कर एक दिन वितरित किया गया। 21 जून से 3200 कि.ली. पानी प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है।

झालरापाटन :— झालरापाटन नगर में माह मार्च 2001 तक दोनों समय 2500 कि.ली. पानी प्रतिदिन वितरित किया गया। माह अप्रैल से 20 जून तक 1500 कि.ली. पानी प्रतिदिन एक समय वितरित किया गया। 21 जून से 2500 कि.ली. पानी दोनों समय वितरित किया जा रहा है।

भवानीमण्डी नगर :— भवानीमण्डी नगर में माह जनवरी 2001 से मार्च 2001 तक एक दिन छोड़कर एक दिन 15 लाख लीटर जल वितरण किया गया। माह अप्रैल से 31 मई तक 13 लाख लीटर पानी एक दिन छोड़कर एक दिन एवं एक जून से 20 जून तक 15 लाख लीटर पानी एक दिन छोड़कर एक दिन वितरित किया गया। 20 जून से लगातार 15 लाख लीटर पानी प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(6) जी हां। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में कम वर्षा होने के कारण ग्रीष्म 2001 में भवानी मण्डी नगर में पेयजल संकट आशंकित था। जिसका विभाग ने पूर्व में ही आकलन कर लिया था जिससे निपटने के लिए ग्रीष्म से पूर्व ही माह जनवरी में नाहरघट्टा एवं माह मार्च में मोगर बांध से पानी सेवा प्रारम्भ कर दिया। इसके अतिरिक्त अप्रैल, मई में टैंकर से अतिरिक्त पेयजल परिवहन किया गया तथा आवश्यकतानुसार शहर में विभिन्न स्थानों पर 18 हैण्ड पम्प लगाकर चालू किये गये।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र सिरोही की विचाराधीन योजनाएं

213. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाई बांध से शिवगंज नगर को पेयजल आपूर्ति की योजना किस स्तर पर विचाराधीन हैं? अब इसे कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?

(2) विधान सभा क्षेत्र सिरोही की कौन-कौन सी योजनाएं अधिशाषी अभियन्ता, सिरोही द्वारा सरकार को भेजी गई? उक्त योजना किस स्तर पर विचाराधीन हैं और इन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जवाई बांध से शिवगंज शहर हेतु संवर्द्धन पेयजल योजना वर्तमान में कार्यालय तकनीकी सदस्य राज. जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल जयपुर के स्तर पर तकनीकी परीक्षण में हैं। स्वीकृति उपरान्त बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार योजना का क्रियान्वयन संभव होगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिरोही की 5 पेयजल योजनाएं अधिशाषी अभियन्ता खण्ड सिरोही द्वारा सचिव, राज. जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल जयपुर को स्वीकृति हेतु भेजी गई इनमें से 3 पेयजल योजनाएं वर्तमान में कार्यालय तकनीकी सदस्य सचिव राज. जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल जयपुर स्तर पर तकनीकी जांच की प्रक्रिया में हैं तथा 2 पेयजल योजनाएं तकनीकी सदस्य द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य अभियन्ता, जोधपुर एवं अधीक्षण अभियन्ता वृत्त जालौर को भेजी गई हैं। उपरोक्तानुसार योजनाओं में आवश्यक सुधार तथा योजनाओं के तकनीकी जांच में सही पाये जाने के उपरान्त बजट एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृत करना सम्भव हो सकेगा। वांछित विवरण परिशिष्ट - "अ" पर संलग्न हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पेयजल समस्या के समाधान हेतु विधायक फण्ड की राशि का उपयोग

214. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधायक फण्ड की राशि पेयजल समस्या के समाधान हेतु दी जा सकती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री जौहरी लाल)

(2) क्या विधायक फण्ड से दी गई राशि का उपयोग तुरन्त किया जाना चाहिए? क्या विधायक वर्तमान समस्या का शीघ्र ही हल करने के लिये अपने कोटे से राशि देता हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं?

(3) क्या उक्त फण्ड की राशि के कार्य शीघ्र करने के संबंध में सरकार कोई आदेश जारी करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधायक फण्ड की राशि पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रचलित मानदण्डों के अनुरूप कार्यों पर दी जा सकती है।

(2) जी हां। विधायक फण्ड से प्राप्त राशि का उपयोग शीघ्र करने के प्रयास किए जाते हैं। विधायक फण्ड से वास्तविक रूप में धन प्राप्त होने के बाद उपलब्ध संसाधनों व कार्य प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य शीघ्र करवाने के प्रयास किए जाते हैं। यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता हैं तो नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जाती हैं।

(3) वर्तमान सन्दर्भ में आवश्यकता नही हैं क्योंकि पूर्व से ही इस कार्य को प्राथमिकता दी जाती रही हैं।

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ की अपूर्ण पाइप लाइन

215. **डा. रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास" योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से साइज के कितने पाइपों के कार्य कब-कब से लम्बित हैं?

(2) क्या उक्त कार्यों के लिये सरकार के पास पाइप उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो अधिशाषी अभियन्ता स्तर से इनको उपलब्ध करवाने के क्या-क्या प्रयास कब-कब किये गये? पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त पाइप कब तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त पाइप लाइन के लम्बित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों की पाइपों की आपूर्ति के लिए मांग (विवरण परिशिष्ट -"क" पर संलग्न) निर्धारित प्रपत्रों में पत्रों के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता वृत्त श्रीगंगानगर को प्रस्तुत की गई। वहां से मांग अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र बीकानेर को आपूर्ति आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत की गई। पाइपों की आपूर्ति व्यवस्था के लिए अधिशाषी अभियन्ता

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

हनुमानगढ़ के द्वारा किये गये पत्राचार की प्रतियां संलग्न हैं। सभी लम्बित योजनाएं ऐसी हैं जिनकी स्वीकृति वर्ष 2001 में ही हुई थी। अतः कार्य में लिया जा रहा समय सामान्य है।

(3) आदेशित पाइप जिनका विवरण परिशिष्ट-"क" में है वह निर्धारित आपूर्ति अवधि में प्राप्त होना सम्भावित है। शेष पाइपों की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रगति में है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची में खोदे गये असफल हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल

216. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में गत दो वर्षों में सरकार एवं गैर सरकारी योजनाओं के तहत सरकार द्वारा किन-किन ग्रामों में कहां-कहां हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल लगाए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल के खोदे जाने से पहले भू-जल विभाग से रिपोर्ट ली गई? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भू-जल विभाग की रिपोर्ट लिए जाने के पश्चात् भी वहां हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल फैल हुए? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त रिपोर्ट के आधार पर खोदे गये हैण्ड पम्प/ट्यूबवैल जो फ़ैल हुए उक्त पर कितनी-कितनी राशि का व्यय निष्फल हुआ तथा उक्त निष्फल व्यय कौन क्यों वहन करेगा?

(5) क्या सरकार भू-जल विभाग के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में स्वीकृत योजनाओं के तहत सरकारी एवं निजी ड्रिलिंग एजेन्सियों के द्वारा वर्ष 1999-2000, 2000-2001 में हैण्ड पम्प क्रमशः 60, 78 तथा नलकूप 7, 19 खोदे गये। जिनकी वर्षवार सूची प्रपत्र - "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त हैण्ड पम्प/नलकूप के खोदे जाने से पहले भू-जल विभाग/विभागीय ड्रिलिंग शाखा के भू जल वैज्ञानिकों से फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। विवरण प्रपत्र-"अ" व "ब" में समाहित है।

(3) पिछले 2 वर्षों में खोदे गये हैण्ड पम्पों में से 4 एवं नलकूपों में से 9 असफल रहे। जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

खारची विधान सभा क्षेत्र में भू जल चट्टाने कठोर एवं सख्त (ग्रेनाइट, पाइराइट) किस्म की हैं, जो कि गहराई के साथ अधिक कठोर एवं सख्त होती जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानों की भू जल आमद (इल्ड) बहुत कम होती हैं, जो वर्षा कम हो जाने के कारण भू जल स्तर नीचे चले जाने के कारण और भी कम हो जाती है। साधारणतया इस प्रकार की चट्टानें नलकूप लगाने हेतु अधिक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपयुक्त नहीं होती हैं। भू जल विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के भू जल वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्र का भू जल सर्वेक्षण कर पानी मिलने की सम्भावना की जांच कर ही नलकूप वेधन स्थल का चयन किया जाता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इन कठोर एवं सख्त चट्टानों में जहां भी सैकेंड्री फैक्चर उपलब्ध होने की सम्भावना होती है उस स्थान को चयनित किया जाता है, जो कभी कभी प्राकृतिक कारणों से गहराई पर उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे नलकूप में पानी कम मिलने से नलकूप असफल हो जाते हैं।

लगातार कम वर्षा के कारण जो कि भू जल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत हैं, खारची क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में भू जल स्तर औसतन 6 से 10 मीटर नीचे चला गया है जो कहीं-कहीं 10 से 12 मीटर तक भी नीचे गया है। जल स्तर नीचे जाने से नलकूपों की भू जल आमद अत्यधिक प्रभावित हुई है। उपरोक्त विषम परिस्थितियों में पिछले 2 वर्षों में 4 हैण्ड पम्प एवं 9 नलकूप असफल रहे हैं, जो अधिक नही है।

(4) विधान सभा क्षेत्र खारची में गत 2 वर्षों में असफल हुए हैण्ड पम्प/नलकूपों का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	असफल हैण्ड पम्प		असफल नलकूप		कुल राशि रु. (रु.लाखों में)
	संख्या	राशि (रु.लाखों में)	संख्या	राशि (रु.लाखों में)	
1999-2000	—	—	01	0.68	0.68
2000-2001	04	1.02	08	6.46	7.48
योग :—	04	1.02	09	7.14	8.16

नलकूप साइट तय करना उपलब्ध जियोलोजिकल (भूगर्भीय) डाटा के आधार पर होता है तथा अनुमान ही होता है। अभी तक कोई ऐसी वैज्ञानिक पद्धति नहीं आई है जिसमें नलकूप की शत-प्रतिशत सफलता खोदने से पूर्व ही निश्चित हो। अतः खर्च व्यर्थ नहीं है। उपरोक्त व्यय का सरकार वहन करेगी।

(5) चूंकि हैण्ड पम्प/नलकूप के असफल होने में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति बामनवास (सवाईमाधोपुर) की प्रस्तावित पेयजल योजना

217. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास (सवाईमाधोपुर) में पेयजल हेतु सुन्दरी-टिगरिया योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि की और इससे कौन-कौन गांव लाभान्वित होंगे?

(2) उक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

(डा. किरोड़ी लाल)

(3) क्या यह सही हैं कि उक्त योजना से सटे गांव माधोपुर में खारा पानी है तथा विभाग की किसी योजना से यह गांव नहीं जुड़ा हुआ है ?

(4) क्या यह भी सही है कि गांव माधोपुरा की जनता एवं प्रतिनिधियों ने विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिशः तथा लिखित में माधोपुर गांव को उक्त योजना में शामिल करने की अनेकों बार मांग की है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव को टिगरिया-सुन्दरी योजना में शामिल कर लिया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में हैंड पम्प से पी. एण्ड टी. योजना में कौन से गांव को प्रस्तावित कर स्वीकृत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति बामनवास (सवाईमाधोपुर) की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सुन्दरी-टिगरिया की स्वीकृति माह नवम्बर, 2000 में राशि रुपये 32.63 लाख की हुई है, जिसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन होने के उपरान्त तीन ग्राम क्रमशः सुन्दरी, टिगरिया एवं सांचौली लाभान्वित होंगे।

(2) उक्त स्वीकृत योजना का कार्य धन एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जून 2002 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) ग्राम माधोपुरा स्वीकृत क्षेत्रीय जलयोजना सुन्दरी-टिगरिया के मुख्य स्रोत से 7 किलोमीटर दूर स्थित है तथा यह ग्राम वर्तमान में हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है। इस ग्राम में विभागीय मापदण्डों के अनुरूप (1991 की जनगणनानुसार आबादी 417) 4 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, जो वर्तमान में चालू हैं। यह सही हैं कि ग्राम में उपलब्ध पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं है एवं पानी खारा है। ग्राम में पीने योग्य स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अब प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

(4) जी हां। ग्राम माधोपुरा को स्थानीय जनता एवं प्रतिनिधियों द्वारा इस ग्राम को क्षेत्रीय योजना सुन्दरी-टिगरिया से जोड़ने की मांग मौखिक रूप से उक्त योजना की स्वीकृति के उपरान्त की थी तदनुसार इस ग्राम को उक्त स्वीकृत योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। शेष प्रश्न 3 के उत्तर के अनुसार।

(5) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में किसी भी ग्राम को हैण्ड पम्प योजना से पम्प एवं टैंक योजना में प्रस्तावित कर स्वीकृत नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के ग्रामों में शुद्ध पेयजल

218. श्री नानालाल निनामा (घाटोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में काफी गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ?

(श्री नानालाल निनामा)

(2) क्या सरकार ने उक्त चिह्नित गांवों में फ्लोराइड निदान हेतु कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त चिह्नित गांवों में समस्या के निदान हेतु क्या योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में हुए सर्वे के अनुसार विधानसभा क्षेत्र घाटोल के किसी भी ग्राम के जल में फ्लोराइड की मात्रा 3 पी.पी.एम. (अधिकतम निर्धारित सीमा) से अधिक नहीं थी। वर्ष 2001 में किये जा रहे सर्वे (सर्वे वर्तमान में प्रगति में है) के अनुसार घाटोल विधानसभा क्षेत्र में 25 गांवों के स्थानीय जल स्त्रोत में फ्लोराइड की मात्रा 3 पी.पी.एम. से अधिक है। गांव के नाम की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार फ्लोराइड की बढ़ी मात्रा ज्ञात होने के बाद निम्न प्रकार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(अ) घरेलू उपचार विधि के प्रचार/प्रसार हेतु घाटोल विधान सभा क्षेत्र में 3 शिविर (नेगडिया, टामटिया व वाडगुन) अगस्त-2001 में लगाये जा चुके हैं। शिविर सम्पादन की प्रक्रिया चालू है।

(ब) इन गांवों हेतु अन्यत्र जल स्त्रोत की खोज भू-जल वैज्ञानिक द्वारा करवाई जा रही हैं। सही स्त्रोत मिलने के बाद योजना बनाई जावेगी। जिसकी स्वीकृति व क्रियान्वयन प्राथमिकता तथा धन उपलब्धि के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र भादरा में डिग्गियों की सफाई व्यवस्था

219. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में विभाग की अधिकतर डिग्गियों की सफाई काफी समय से नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त डिग्गियों की शीघ्र सफाई करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भादरा में विभाग की 5 डिग्गियों की सफाई गत 2 वर्षों में करवाई जा चुकी है और 6 डिग्गियों की सफाई करवाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 5 डिग्गियों की सफाई करवाने हेतु स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

(2) जी हां। डिग्गियों की सफाई आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए करवाई जावेगी। बिन्दु सं. 1 में प्रस्तावित डिग्गियों के अलावा शेष डिग्गियों की सफाई की वर्तमान में आवश्यकता नही है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में फिल्टरों की सफाई व्यवस्था

220. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में सरकारी स्कीमों के अधिकतर फिल्टर सफाई के अभाव में बन्द (चोक) पड़े हुए हैं? यदि हां, तो कब से और कौन-कौनसे? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त फिल्टरों को साफ करके कब तक चालू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में जलदाय योजनाओं के 5 स्लो-सैण्ड फिल्टर बन्द हैं। जिसमें से 3 स्लो-सैंड फिल्टर को चालू करने की वर्तमान में आवश्यकता नही है क्योंकि वहां उपलब्ध आर.जी.एफ. (रेपिड ग्रेविटी फिल्टर) से वर्तमान जल मांग की आपूर्ति हो रही है। 2 स्लो-सैण्ड फिल्टरों के फिल्टर मीडिया की सफाई करवाने की आवश्यकता है। विवरण परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) सफाई के लिए बन्द पड़े 2 फिल्टरों के फिल्टर मीडिया को बाहर निकाल कर सफाई करने के पश्चात् माह दिसम्बर, 2001 तक पुनः चालू किया जाना सम्भावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

तहसील फुलेरा (जयपुर) के ग्राम डूंगरी कलां में पानी की टंकी निर्माण

221. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि जिला जयपुर की तहसील फुलेरा के ग्राम डूंगरी कलां (बड़ी डूंगरी) हेतु आदेश संख्या-2576-85 दिनांक 10 जुलाई, 2001 डिसपेच संख्या-2828 दिनांक 20 जुलाई, 2001 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव जिला ग्रामीण खण्ड जयपुर द्वारा पानी की टंकी हेतु सैक्टर रिफोर्म योजना के तहत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य के लिए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की रेनवाल शाखा में ग्राम वासियों/ग्राम पंचायत द्वारा रुपये एक लाख भी जमा करवा दिये हैं?

(3) उक्त ग्राम में उक्त पेयजल योजना के तहत टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन डालने हेतु न तो अभी तक निविदाएं ही आमंत्रित की हैं और न ही कार्य प्रारम्भ किया है? यदि हां, तो क्यों और उक्त के लिए किस स्तर पर अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त ग्राम की उक्त योजना को क्रियान्वित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील फुलेरा के ग्राम डूंगरी कलां की जलयोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रुपये 10.00 लाख की जारी की गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट -"अ" पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। उक्त योजना के लिए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की रेनवाल शाखा में ग्रामवासियों के द्वारा रुपये 98000.00 जमा करा दिये हैं।

(3) जी नहीं। निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, कार्य प्रारम्भ नही हो पाया है। सैक्टर रिफोर्म के तहत योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ठेकेदारों एवं सामान की आपूर्ति करने वालों के लिए पैनल बनाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। जिसके तहत माह 8/2001 में निविदाएं प्राप्त कर उन पर कार्यवाही की जा रही है। इन पर जिला वाटर एण्ड सैनीटेशन कमेटी द्वारा शीघ्र निर्णय की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ताकि दरों की स्वीकृति/ठेकेदारों का पैनल तैयार हो। इसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ होना सम्भव होगा। सैक्टर रिफार्म योजना पहली बार प्रान्त में प्रारम्भ हुई है अतः प्रारम्भिक कार्यकलापों मे कुछ समय लगना स्वाभाविक है। इन कार्यों हेतु आवश्यक प्राथमिकता दी जा रही हैं तथा कोई अधिकारी दोषी नही है। वर्तमान में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना पर सेवास्तर 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। सन्दर्भित योजना में मूलतः उच्च जलाशय (पहाड़ी पर जलाशय) तथा वितरण हेतु कुछ पाइप लाइनो का प्रावधान है। अभी तक ठेकेदारों का पैनल तैयार नहीं हुआ है। अतः कोई विभागीय अधिकारी दोषी नही है।

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ग्राम डिगरना व सीलना (पाली) में खनन स्वीकृति

222. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि जिला पाली की तहसील जैतारण के राजस्व गांव डिगरना व सीलना के लाइम स्टोन क्षेत्रफल 192.80 हैक्टर के पी.एल. श्रीमती चांद कंवर पत्नी श्री नरपत सिंह राजपूत निवासी गोदरास तहसील डीडवाना (नागौर) का आवेदन पत्र राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.16(80) खान/1/93 दिनांक 24.8.1994 को अस्वीकृत करने के बाद भी श्रीमती चांद कंवर द्वारा केन्द्रीय खनन मंत्रालय में रिविजन संख्या-10 वर्ष 1994 विरुद्व राजस्थान सरकार दायर की, इस रिविजन का दिनांक 3.8.2000 को प्रार्थियों के पक्ष में निर्णय होने के बाद खनन विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? रिविजन में दिये निर्देश व अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या बहुमूल्य खनन भण्डार का दोहन नहीं होने से राज्य सरकार को गत 10 वर्षों में नुकसान का कौन जिम्मेदार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(3) अब उक्त खनन क्षेत्र के पी.एल. आबंटन में कितना समय और लगेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या रिविजन बाद प्रार्थियों को पुनः सुनवाई का नोटिस दिया है? यदि हां, तो नोटिस की प्रति व की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तथापि आवेदित क्षेत्र 192.80 हैक्टेयर के बजाय 600 हैक्टेयर था व भारत सरकार द्वारा निर्णय दिनांक 3.8.2000 के स्थान पर 19.6.2000 को हुआ। भारत सरकार ने पार्टी को सुनकर आवेदन पत्र पर पुनः निर्णय लेने हेतु आदेश दिये हैं। निर्णय के बाद जानकारी प्राप्त की जा रही है कि आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है या नहीं। पार्टी को सुनवाई हेतु 28.11.2001 की तिथि निर्धारित की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) पी.एल. आवेदन पत्र पर भारत सरकार के निर्णयानुसार आवेदिका को दिनांक 28.11.2001 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के बाद ही आवेदन पत्र के निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। नोटिस की प्रति संलग्न है।

(नोटिस की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या-223

(स्थगित)

कानोता क्षेत्र (जयपुर) में अवैध खनन

224. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि कानोता जिला जयपुर के आस-पास अवैध खनन किये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही हैं कि खनन माफिया जयपुर जिले में सक्रिय है और सरकार को भी इसकी जानकारी है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दिया गया है।

(2) जी नहीं। अवैध खनन के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण भी किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खनन

225. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में खनिज नीति क्या है ?

(2) क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार सरकार द्वारा नीति बना ली है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह सही हैं कि टी.एस.पी. एरिया में न्यायालय के फैसले के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(1) जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के लिए पृथक से कोई खनिज नीति नही बनाई गई है।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश में पारित निर्णय का परीक्षण कराकर राज्य सरकार द्वारा निर्देश क्रमांक प.14(10)खान/ग्रुप-2/99 दिनांक 18.12.2000 से जारी किये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.7.97 की अनुपालना में राजकीय/निजी भूमि में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.2.81 में विनिर्दिष्ट राज्य के अनुसूचित क्षेत्रो मे चेजा पत्थर जैसे गौण खनिजों के नवीन खनन पट्टे व अल्पावधि अनुमति पत्र आदि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.9.99 के अनुसार आबंटित करने के अलावा अन्य सभी प्रधान व अप्रधान खनिजों के नवीन खनन पट्टों का आबंटन प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त खनिजो की रियायत स्वीकृत करने की प्रक्रिया शासन सचिवगणों की कमेटी द्वारा अभिशंषा की जाएगी जिस पर राज्य मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा विचार किया जाकर केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा एवं वर्तमान खनन पट्टों के नवीनीकरण नियमानुसार करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। विभाग के समसंख्यक पत्र 25.9.1999 के अनुसार उक्त वर्णित क्षेत्रों में अप्रधान खनिज के कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र क्वारी लाइसेंस, खनन पट्टे नीलामी अथवा आवेदन पत्र द्वारा दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रों की ग्राम सभा से सिफारिश प्राप्त किये बिना कोई पट्टा (रियायत) मंजूर नही किया जायेगा।

(3) जी नहीं।

जिला नागौर में प्रस्तावित पुलिस थाने

226. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने पुलिस थाने कार्यरत हैं? सूची स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्तमान में कुल कितनी पुलिस चौकियां कार्यरत हैं? सूची स्थानवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितनी पुलिस चौकियों को थाने में तबदील किया जाना प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला नागौर में कुल 30 थाने कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जिला नागौर में 21 पुलिस चौकियां कार्यरत हैं, जिनकी सूची भी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में नागौर जिले में कोई भी पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

ग्राम मौलासर (नागौर) में हुए उपद्रव की जांच

227. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) एवं **श्री अमराराम** (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि जिला नागौर के ग्राम मौलासर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन करते समय उपद्रव हुआ था जिसकी जांच राजस्व मण्डल के सदस्य से कराई थी ? यदि हां, तो सरकार को उक्त जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई तथा जांच में कौन दोषी पाया गया और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जांच रिपोर्ट के अनुसार अभी भी कोई कार्यवाही शेष है ? यदि हां, तो क्या-क्या किन-किन के विरुद्ध जो कब तक की जा सकेगी ?

(3) उक्त उपद्रव में क्या-क्या नुकसान हुआ और किन-किन के चोटें आईं तथा किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या मामले दर्ज हुए ?

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट दिनांक 5.9.2001 को प्राप्त हो चुकी है। जांच रिपोर्ट विचाराधीन है।

(2) जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(3) उक्त उपद्रव में 14 सरकारी वाहन व 1 प्राइवेट वाहन क्षतिग्रस्त हुआ एवं 1 सरकारी वाहन को जला दिया गया एवं थाना चितावा की सरकारी गाड़ी से वायरलैस सैट मुलजिमों द्वारा ले जाया गया। उक्त उपद्रव में 22 पुलिस कर्मी एवं 3 (मुलजिम) जनता के लोगों के चोटें आईं तथा उक्त घटना के सम्बन्ध में 34 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग संख्या-03/2001 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 353, 332, 307, 395, 427 भादस व 3 पी.डी.पी.पी. अधिनियम थाना मोलासर पर दर्ज किया गया। व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

थाना लाडनूं (नागौर) में निरीक्षक स्तर का पद

228. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर के थाना प्रभारी का पद क्रमोन्नत करके इंस्पेक्टर स्तर का करने की मांग लम्बे समय से चल रही है ? यदि हां, तो कब से

(श्री हरजीराम बुरड़क)

और इस पद को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि कस्बा लाडनूं से छोटी जगहों पर भी इंस्पेक्टर के पद हैं ? यदि हां, तो फिर लाडनूं में क्यों नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1994 से जिला नागौर के थाना लाडनूं में प्रभारी थाना का पद पुलिस निरीक्षक स्तर का किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, लेकिन वित्तीय सिमित संसाधनों के कारण इस पद को वर्तमान में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। जिला नागौर के थाना परबतसर एवं डीडवाना पर निरीक्षक के पद हैं एवं लाडनूं में निरीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पद क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

पुलिस थाना सैंदड़ा (पाली) में सरपंच के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

229. श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के पुलिस स्टेशन सैंदड़ा में मुकदमा संख्या-116/2001 या अन्य संख्या का मुकदमा सरपंच ग्राम पंचायत नानवा (पंचायत समिति रायपुर) के विरुद्ध धारा 409 में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब।

(2) अब उक्त मामले का चालान कब तक अदालत में पेश कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही हैं कि दिनांक 29.9.2001 का श्री खीवाराम विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर की लिखित रिपोर्ट पर अभियोग संख्या-116/2001 धारा 409 भादस के अन्तर्गत थाना सैंदडा जिला पाली पर श्री इकवाल सरपंच ग्राम पंचायत नानणा के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ है। उक्त अभियोग अनुसंधानाधीन है।

(2) अनुसंधान जारी है। अनुसंधान पूर्ण होने पर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या-230

(स्थगित)

तहसील क्षेत्र खैरवाड़ा में पुलिस हिरासत में मौत

231. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री फूलाराम पुत्र श्री नगजी ग्राम लराठी, तहसील-खेरवाड़ा की मृत्यु दिनांक 26-9-2001 को पुलिस कस्टडी में हुई ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिये जाने का क्या कारण था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हैं कि दिनांक 25-9-2001 को श्री फूलाराम के प्रार्थना-पत्र पर कोई आदेश देकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार, खैरवाड़ा के पास भेजा था ?

(श्री मानिकचन्द सुराना)

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 26-9-2001 को श्री फूलाराम तहसीलदार खैरवाड़ा के पास पहुंचा और तत्पश्चात् लराठी के सरपंच द्वारा तहसीलदार को प्रभावित करके तहसील में ही श्री फूलाराम के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों को बुलाकर और उसकी मारपीट तहसील में की गई और तत्पश्चात् मारपीट थाने में की गई, जिसके फलस्वरूप 3.45 बजे बेहोश हो गया और संध्या समय में उसकी मृत्यु हो गई ?

(4) क्या यह सही हैं कि दिनांक 27-9-2001 को मृतक के भाई व परिवारजन को व मोतबीरान को लाकर थाने में बैठाया गया ?

(5) क्या पुलिस हिरासत में हुई उक्त मौत की पृष्ठभूमि में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई है ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या पुलिस थाने में हुई उक्त मौत के कारण सरकार ने अब तक किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री फूलचन्द (फूलाराम) पुत्र श्री नगजी ग्राम लराठी की मृत्यु दिनांक 26.9.2001 को पुलिस कस्टडी में हुई थी। श्री फूलाराम के खिलाफ उत्पात एवं फौरी शांति भंग होने की शिकायत होने पर धारा 107, 151 जा.फौ. के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

(2) जी हां। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार खैरवाड़ा को श्री फूलाराम के प्रार्थन-पत्र पर जांच कर सात दिन में रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा था।

(3) जी नहीं। दिनांक 26.9.2001 को श्री फूलाराम तहसीलदार खैरवाड़ा के पास पंहुचने व शांति भंग करने पर आमादा हो गया जिस पर थानाधिकारी द्वारा उसे धारा 107, 151 जा.फौ. में गिरफ्तार किया गया। श्री फूलाराम के साथ न तो तहसील में मारपीट की गई, न ही पुलिस थाने में मारपीट की गई। श्री फूलाराम द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। इसकी जांच उप जिला मजिस्ट्रेट, सलूम्बर द्वारा की जा रही है। जांच जैरकार होने के कारण जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखना संभव नहीं हैं।

(6) जी हां। थानाधिकारी खैरवाड़ा एवं संबंधित पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण थाने से पुलिस लाइन में कर दिया गया है और इस मर्ग की जांच जैरकार है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

मदरसों में कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

232. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं श्री मदन दिलावर (अटरु) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि जिला भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर, गंगानगर

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

व हनुमानगढ़ में चल रहे मदरसों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों व पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस थानों में मुकदमें दर्ज हैं? यदि हां, तो मुकदमेवार किस-किस के विरुद्ध किस-किस धारा में कब कब से मुकदमें दर्ज हैं। फरियादी के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदरसों में अभी तक पुलिस द्वारा ली गई तलाशी के दौरान किस-किस प्रकार के हथियार व आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए है? उक्त में दस्तावेज व हथियार किसके कब्जे से बरामद हुए हैं? उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त मदरसों से पुलिस द्वारा कोई हथियार, आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद नहीं किये गये हैं।

जोधपुर संभाग में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच

233. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में जोधपुर संभाग के किस-किस थानान्तर्गत साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं? क्या उक्त घटनाओं के संबंध में प्रकरण दर्ज हुए? यदि हां, तो कितने?

(2) उक्त में साम्प्रदायिक या साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली घटनाओं /पूजा स्थल को क्षति पहुंचाना, पूजा स्थल पर आपत्तिजनक सामग्री फेंकना, मूर्तियों को तोड़ना, गौ-माता की हत्या करना, जूलुस पर हमला करना या माताओं व बहिनों की छेड़खानी के कारण क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई? उक्त के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर संभाग के अन्तर्गत जोधपुर शहर में कुल 5 अभियोग दर्ज हुए हैं। जिनमें 4 थाना सूरसागर व एक थाना सरदारपुरा में दर्ज हुआ है। जोधपुर (ग्रामीण) में कुल 4 अभियोग दर्ज हुए हैं जिनमें 2 अभियोग थाना फलौदी, एक थाना लोहावट व एक थाना पीपाड़ शहर में दर्ज हुए हैं। जिला पाली में 6 अभियोग दर्ज हुए हैं जो सभी अभियोग थाना नाणा में दर्ज हुए हैं। जिला सिरोही में 3 अभियोग दर्ज हुए हैं जिनमें एक पिंडवाड़ा व 2 आबूरोड शहर थाने में दर्ज हुए हैं। जिला जालौर व बाड़मेर व जैसलमेर में कोई अभियोग दर्ज नही हुआ है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में जोधपुर (ग्रामीण) में पूजा स्थल को क्षति पहुंचाने का एक, जुलूस पर हमला करने का एक तथा जिला सिरोही में पूजा स्थल पर क्षति पहुंचाने का एक अभियोग दर्ज हुआ है। दो में चालान प्रस्तुत हो गया हैं। एक विचाराधीन हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

थानों में जप्त वाहनों की नीलामी

234. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने थानें, कोतवाली एवं पुलिस चौकियां हैं? उक्त में कितने साइकिल से लेकर भारी वाहन कितनी अक्सीसें जप्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त वाहनों के निस्तारण/नीलामी की नियमानुसार योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक निस्तारण हो जायेगा?

(3) क्या उक्त संबंध में कोई नियम नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार क्या नये नियम बनाकर इनके निस्तारण की योजना बना रही है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 709 थाने, कोतवाली एवं 775 पुलिस चौकियां कार्यरत हैं। उक्त में वर्ष 1972 से अक्टूबर 2001 तक साईकिल व रिक्शा 3823, दो पहिया वाहन 5021, आटो रिक्शा व टेम्पो 192, लाइट वाहन 1160, मिडीयम वाहन 38 एवं भारी-वाहन 416 कुल 10650 वाहन जप्त हैं।

(2) अभियोगों के अनुसंधान से सम्बन्धित जप्तशुदा वाहन का निस्तारण संबंधित न्यायालय द्वारा आदेशानुसार किया जाता है। 25 पुलिस अधिनियम एवं 102 द. प्र. स. के अन्तर्गत जप्तशुदा वाहनों का निस्तारण क्रमशः ज़िला मजिस्ट्रेट एवं संबंधित न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालयों द्वारा आदेश होने के पश्चात् ही वाहनों की नीलामी/निस्तारण किया जाता हैं। पुलिस मुख्यालय तथा रेंज स्तर पर समय समय पर ऐसे जप्तशुदा वाहनों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(3) जप्तशुदा वाहनों के निस्तारण के लिए पूर्व में ही पुलिस अधिनियम तथा द. प्र. स. के अन्तर्गत निश्चित एवं पर्याप्त प्रावधान हैं और उनके अनुसार ही निस्तारण किया जाता है।

उच्चाधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

235. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि रेंजर स्तर से उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप एवं विभागीय जांच लम्बित है? यदि हां, तो किस-किस की? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही हैं कि रेंजर स्तर से उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं विभागीय जांच लम्बित होते हुए भी किसी भी अधिकारी को राज्य सेवा नियमों के तहत अनिवार्य सेवा निवृत्ति नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रेंजर से उच्च स्तर के जिन-जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित है उनकी सूची परिशिष्ट "क" अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के अर्न्तगत रेंजर से उच्च स्तर के तीन अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति में अधिकारियों के समग्र अभिलेखों पर विचार कर किया जाता हैं। जांच लम्बित होते हुए भी जिन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के उपयुक्त नहीं पाया गया उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परशिष्ट-17 देखें)

आडिट आक्षेपों का निस्तारण

236. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1984-85 से 1998-99 तक विभाग में कार्यों की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने की कतिपय अधिकारियों को क्या-क्या शक्तियां प्राप्त थीं ?

(2) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न वन मण्डलों में प्राक्कलन स्वीकृत कराये बिना कार्य कराने के कितने आडिट आक्षेप बने हैं ?

(3) उक्त आडिट आक्षेपों पर विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने पर कितने आडिट पैरा ड्राप हुए ? सूची मण्डलवार सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 से 1998-99 तक विभाग में विकास कार्यों के तकनीकी प्राक्कलनों को स्वीकृत करने की शक्तियां निम्नानुसार थीं :—

क्र.सं.	पदनाम	1984-85 से 24.7.1997 तक	25.7.1997 से निरन्तर
1.	मुख्य वन संरक्षक	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
2.	वन संरक्षक	3.00 लाख रुपये	25.00 लाख रुपये
3.	उप वन संरक्षक/भूसंरक्षण अधिकारी/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	1.00 लाख रुपये	10.00 लाख रुपये

(2) उक्त अवधि में वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में प्राक्कलन स्वीकृत कराये बिना कार्य कराने के संबंध में विभिन्न वन मण्डलों में 468 आडिट आक्षेप बने।

(3) प्राकल्लनों की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने पर बने आडिट आक्षेपों में से 322 आक्षेप ड्राप किये गये। ड्राप किये गये आडिट पैराज की कार्यालवार सूची परिशिष्ट "क" अनुसार है।

(परिशिष्टों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला चूरू में मरुप्रसार रोक पर व्यय राशि

237. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(1) जिला चूरू में मरु प्रसार रोक कार्यक्रम फेज-I एवं फेज-II कब स्वीकृत किया गया और कितने कार्य व कितनी राशि व्यय की गई? योजना का प्रथम फेज व द्वितीय फेज कब-कब पूरा हो जाना चाहिये था और कितना विलम्ब हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में मरु प्रसार रोक कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में निश्चित किये गये कार्यस्थलों को बदला गया हैं? यदि हां, तो किस आधार पर व किसके आदेश से? उक्त तहसील में फेज द्वितीय में क्या क्या कार्यक्रम स्वीकृत किये गये?

(3) मरु प्रसार रोक कार्यक्रम में गैंग लीडर के चयन के क्या मानदण्ड है? तहसील चूरू में कितने गैंग लीडर कब से किस-किस गांव में नियुक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त तहसील में विभिन्न केन्द्रीय परिवर्तित व राज्य सरकार की योजनाओं अनुसार कितना वृक्षारोपण किया गया? तहसीलवार व साइडवार सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त में से कितने प्रतिशत पौधे जीवित रहे तथा वृक्षारोपण स्थल का रेंजर, जिला वन अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चूरू में मरु प्रसार रोक (कोबेन्टिग डेजरटिफिकेशन) कार्यक्रम फेज-1 दिनांक 27.11.99 तथा फेज-II दिनांक 7.8.2001 को स्वीकृत हुआ। इनके अन्तर्गत किये गये कार्यों का तथा व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। कार्य योजना के अनुसार इस कार्यक्रम का प्रथम फेज वर्ष 2004-05 व द्वितीय फेज वर्ष 2005-06 को पूर्ण होना है। अतः कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। चूरू तहसील में फेज द्वितीय में टिब्बा स्थिरीकरण, शैल्टर बैल्ट वृक्षारोपण तथा वृक्षारोपण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(3) श्रमिकों के मुखिया का चयन श्रमिकों को नियोजित एवं नियंत्रित कर कार्य को संपादित करने की क्षमता का आकलन कर क्षेत्रीय वन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तहसील चूरू में विभिन्न अवधियों में बनाये गये श्रमिक गैंग संगठन मुखियाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) तहसील चूरू में वर्ष 2000-01 एवं 2001-2002 (अक्टूबर 2001 तक) 633 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया हैं। जिसका साइटवार विवरण (संलग्न परिशिष्ट "स") सदन की मेज पर रख दिया गया है। इन वृक्षारोपण क्षेत्रों में वर्ष 2000-01 में लगाये गये पौधों में 93.73 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

वर्ष 2001-2002 में लगाये गये पौधों का मूल्यांकन किया जाना शेष है। वृक्षारोपण स्थलों का क्षेत्रीय वन अधिकारी चूरू तथा उप वन संरक्षक चूरू द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांकों का विवरण परिशिष्ट "द" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम किलतपुरी (जयपुर) के खसरा नं. 62 पर मालिकाना हक

238. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि ग्राम किलतपुरी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर की भूमि खसरा नं. 62 सरकार के कब्जे में है ? यदि हां, तो कब से व किस आधार पर उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश/नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को सरकार द्वारा सिवाय चक माना गया था ? यदि हां, तो कब ? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश/निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम किलतपुरी के खसरा नम्बर 62 की कुल 100 बीघा 19 बिस्वा भूमि में 89 बीघा 10 बिस्वा कब्जा क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनांक 30.3.1961 के आधार पर कब्जा वन विभाग का है। विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम क़िलतपुरी के खसरा नं. 62 की 100 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 1961 में घोषित आरक्षित वन भूमि 89 बीघा 10 बिस्वा का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में दिनांक 25.4.1990 को किया गया। खसरे की अवशेष 11 बीघा 9 बिस्वा का नामान्तरण दिनांक 22.1.2001 वन विभाग के नाम दर्ज किया गया।

(विज्ञप्ति की प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जैसलमेर में बैरल पाइंट की स्वीकृति

239. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में डीजल की बिक्री हेतु बैरल पाइंट आबंटित करने हेतु समिति गठित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही हैं कि गठित समिति की ढिलाई तथा अव्यवस्था के कारण केन्द्र सरकार ने गठित समिति को भंग कर दी है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर कि उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को एक सौ किलोमीटर यात्रा करने पर डीजल पम्प मिलता है ?

(4) क्या सरकार उक्त जिले में बैरल पाइंट स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) बैरल पाइंट स्वीकृति का प्रकरण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के मध्य विचाराधीन है।

डीजल बैरल पाइंटों के लम्बित आवेदन-पत्र

240. श्री रमेश चन्द पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि डीजल बैरल पाइंट आबंटन के लिये दो वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा साक्षात्कार लिये गये थे ?

(2) क्या साक्षात्कार के बाद चयनित आशार्थियों की सूची जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा से चयनित आशार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो उक्त सूची कब तक जारी की जायेगी ?

(3) राज्य में अब तक उक्त बैरल पाइंट आबंटित नहीं किये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार अब राज्य में प्रतीक्षित व्यक्तियों को बैरल पाइंट आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। दो वर्ष पूर्व लिये गये साक्षात्कार की सूची निरस्त कर दी गई है।

(3) उस समय की चयन प्रक्रिया में खामी के कारण बैरल पाइंट आबंटित नहीं किये गये हैं। प्रतीक्षित व्यक्तियों को बैरल पाइंट आबंटित करने का प्रकरण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के मध्य विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के लम्बित बैरल पाइंट

241. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर में बैरल पाइंट आबंटित करने हेतु साक्षात्कार कब हुए हैं ? बैरल पाइंट आबंटित करने के क्या मानदण्ड हैं ? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हैं कि उक्त हेतु सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो समिति में कौन-कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में बैरल पाइंट किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां दिया गया है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू के विस्तृत एरिया को देखते हुए यहां पर्याप्त बैरल पाइंट आबंटित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितने बैरल पाइंट कहां-कहां पर हैं ? नाम मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त क्षेत्र में बैरल पाइंटों की कमी को देखते हुए सरकार कहां-कहां पर बैरल पाइंट आबंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर में बैरल पाइंट आबंटित करने हेतु दिनांक 22 एवं 23.6.1998 को साक्षात्कार हुए है। मानदण्ड विभाग विभाग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति दिनांक 11.9.1998 में समाहित हैं। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। समिति मे वर्तमान में निम्नांकित सदस्य हैं :—

1. श्री जुगल काबरा, विधायक, अध्यक्ष जौधपुर
2. श्री रामगोपाल बैरवा, विधायक, सदस्य पीपल्दा
3. उपायुक्त (मुख्यालय), सदस्य खाद्य विभाग
4. उपायुक्त (प्रथम), सदस्य सचिव खाद्य विभाग
5. सबंधित जिला रसद अधिकारी, सदस्य

(3) जिले में बैरल पाइंट जिन व्यक्तियों को जहां-जहां दिया गया है, नामवर एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। बस्सी एवं चाकसू में क्रमशः 4 एवं 8 बैरल पाइंट आबंटित किये गये हैं। विवरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5 बैरल पाइंट आबंटन करने का प्रकरण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के मध्य विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जिला श्री गंगानगर में बी.पी.एल. कार्ड धारक

242. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्री गंगानगर में जनवरी, 2001 से सितम्बर, 2001 तक बी.पी.एल. गेहूं कितने परिवारों को वितरित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में पीले कार्ड किन-किन परिवारों के बने हैं? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें? क्या पीले कार्ड गलत बनने पर वार्ड नं.17 सादुलशहर के मामले की जांच की गई तथा जो कार्ड गलत बन गए थे क्या उन्हें निरस्त कर दिया गया हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार ने जांच करवाई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। जिन लोगों ने गलत पीले कार्ड बनाये हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में जनवरी, 2001 से सितम्बर, 2001 तक बी.पी.एल. गेहूं 40259 परिवारों को वितरित किया गया। पंचायत समितिवार परिवारों की संख्या की सूची निम्न प्रकार हैं :—

1.	पदमपुर	3656
2.	करणपुर	6472
3.	सादुलशहर	5728
4.	रायसिंह नगर	4105

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

5.	श्रीगंगानगर	7314
6.	सूरतगढ़	7184
7.	अनूपगढ़	5800

(2) जिले में पीले राशन कार्ड अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों के बने हुए हैं। तहसीलवार संख्या निम्न प्रकार है :—

1.	पदमपुर	649
2.	करणपुर	1081
3.	सादुलशहर	912
4.	रायसिंह नगर	630
5.	श्रीगंगानगर	1105
6.	सूरतगढ़	1088
7.	अनूपगढ़	1472
8.	विजयनगर	97

सादुलशहर के वार्ड नम्बर 17 में गलत बने 8 राशनकार्डों को निरस्त कर उनके स्थान पर 8 नये चयनित राशन कार्ड जारी कर दिये गये हैं। इस संबंध में करवाई गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन लोगों ने गलत पीले कार्ड बनाये हैं उन्हें जिला रसद अधिकारी, गंगानगर द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

(जांच रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

भूमि विकास बैंक केकड़ी में विचाराधीन आवेदन-पत्र

243. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 1 जनवरी, 2001 या उसके बाद भूमि विकास बैंक केकड़ी में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस से किस-किस प्रकार के ऋण के लिए कब-कब प्राप्त हुए एवं किस-किसको कब-कब कितना-कितना ऋण स्वीकृत किया गया तथा किस-किसको कब-कब कितना-कितना दिया और किस-किस प्रार्थना-पत्र के ऋण स्वीकृत नहीं किये गये ?

(2) क्या विचाराधीन आवेदकों को भी सरकार ऋण दिलाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शेष उत्तर की सूचना परिशिष्ट-"1" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उचित ऋण आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण की कार्यवाही दिसम्बर, 2001 तक कर दी जावेगी।

(शेष उत्तर की सूचना की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति से काटी गई राशि का समायोजन

244. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त व्यवस्थापक सहकारी बैंक के कर्मचारी या प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति के हैं ?

(2) उक्त का वेतन कहां से आहरित होता है ?

(श्री अमराराम)

(3) क्या उक्त का पी.एफ. और जी.पी.एफ. काटा जा रहा हैं? यदि हां, तो वह किस कार्यालय में जमा करवाया जा रहा है?

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त व्यवस्थापक प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति के कर्मचारी हैं।

(2) व्यवस्थापकों को वेतन व्यवस्थापकीय सेवा नियम 1991 में गठित वेतन कोष से दिया जाता हैं, जिसमें सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक वेतन कोष में नियमानुसार अपना अंशदान देने का प्रावधान है। जिन सहकारी समितियों के वेतन कोष में वेतन हेतु पर्याप्त राशि नहीं है और यदि उक्त नियमों के तहत चयनित व्यवस्थापक कार्यरत हैं जो वेतन हेतु समिति की केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा इस आधार पर ऋण दिया जा रहा है, जो वर्ष के अन्त में समायोजित किया जाता है।

(3) व्यवस्थापकों के पी.एफ. की राशि को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.5.1991 के द्वारा कैडर अथोरिटी को भंग कर दिये जाने के उपरान्त कुछ केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यवस्थापकों की भविष्य निधि राशि को वर्ष 1991 के बाद व्यवस्थापकों के वेतन में से कटौती कर पी.एफ. की राशि बैंक के सण्ड्रीज खाते में जमा की जा रही है, कुछ ने काटना बन्द कर रखा हैं तथा जिन केन्द्रीय सहकारी बैंकों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं, न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार अण्डर प्रोटेस्ट राशि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के यहां जमा करवाई जा रही है।

दोषमुक्त व्यवस्थापक को निलम्बन काल की वेतन राशि का भुगतान

245. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री देवी सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह राठौड़ निवासी–धनला (पाली) भूतपूर्व सैनिक व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो कब व किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कर्मचारी को माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में पुनः नियुक्ति दी गई? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त कर्मचारी को निलम्बन काल अवधि का बकाया वेतन आदि का भुगतान किया गया? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त कर्मचारी को निलम्बन काल अवधि का बकाया वेतन आदि

(श्री केसाराम चौधरी)

का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री देवी सिंह दिनांक 17.5.83 तक व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत थे, श्री देवी सिंह को 18.5.83 को निलम्बित कर दिया गया तथा दिनांक 27.5.85 को इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

(2) जी हां। श्री देवी सिंह को दिनांक 18.5.83 को निलम्बित किया गया। निलम्बन आदेश दिनांक 18.5.83 की प्रति परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(3) श्री देवी सिंह को निलम्बन एवं बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय ने दोषमुक्त नहीं किया है।

(4) जी नहीं। क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश निलम्बन व बर्खास्तगी के आदेश के सम्बन्ध में नहीं था। अतः पुनः नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

(5) श्री देवी सिंह को समय समय पर निर्वाह भत्ते का भुगतान किया गया। अब कोई निर्वाह भुगतान बकाया नहीं है। ना ही श्री देवी सिंह ने निर्वाह भत्तों के भुगतान उपरान्त भुगतान बकाया का कोई क्लेम भी प्रस्तुत किया। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री देवीसिंह को निर्वाह भत्ता का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

(6) उपरोक्तानुसार।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

राज्यकर्मियों हेतु चिकित्सीय बिलों के पुनर्भरण के सम्बन्ध में जारी निर्देश

246. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्यकर्मियों तथा पेंशनर के चिकित्सीय बिलों के पुनर्भरण हेतु प्रदान किये जाने वाले अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र (एन. ए. सी.) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में नये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो जारी दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कतिपय प्रकरणों में संबंधित क्षेत्र की सहकारी दुकानें बन्द होने पर या छुट्टी होने पर गम्भीर प्रकृति के मरीजों के सामने समस्या आ जाती है और इलाज में देरी के कारण (समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने से) मरीज की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो जाती है? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सम्बन्धित क्षेत्र की दुकान बन्द/छुट्टी होने या उक्त क्षेत्र में दुकान नहीं होने की स्थिति में किसी अन्य सहकारी दुकान से अनुपलब्धता प्रमाण-प्रत्र (एन.ए.सी.) दिलवाये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने कोई नये दिशा निर्देश जारी नहीं किये हैं।

(2) जी नहीं। सम्बन्धित क्षेत्र की सहकारी दुकानें बन्द होने पर या छुट्टी होने पर मरीजों को दवा उपलब्ध कराने/एन.ए.सी. उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रहती है।

(3) संबंधित क्षेत्र की दुकान बन्द/छुट्टी होने या उक्त क्षेत्र में दुकान नहीं होने की स्थिति में अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र (एन.ए.सी.) दवा उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रहती है।

मैसर्स हाई लैण्ड हाउस मण्डावा (झुंझुनूं) द्वारा प्रदूषण

247. श्री आदराम मेघवाल (टी. बी.) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं के कस्बा मण्डावा में मैसर्स हाई लैण्ड हाउस लिमिटेड नामक फैक्ट्री चल रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से कस्बे के नागरिक बीमार हो रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री में अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ थिनर काम में लेते हैं?

(4) क्या उक्त थिनर से दुर्गन्ध रहती है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है? क्या सरकार उक्त संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कारखाने में ईंधन की आपूर्ति हेतु हरे वृक्ष काट कर काम में लिये जाते हैं, जिससे भी धुआं फैलती है?

(6) क्या उक्त फैक्ट्री में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को खड्डे खोद कर काम में लिया जाता है? यदि हां, तो क्या इसमें कुत्ते-बिल्ली गिर कर मर जाते हैं। क्या सरकार उक्त की रोकथाम के लिए कोई उपाय कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, एहतियात के तौर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने उद्योग को दिनांक 7.11.2001 को नोटिस जारी करते हुए यह निर्देश दिये हैं कि वह इस आशय का दस्तावेज प्रस्तुत करे कि उद्योग से ध्वनि, वायु अथवा जल अप्रदूषण नहीं किया जा रहा है तथा आसपास के नागरिकों को परेशानी नहीं है।

(3) जी हां। उद्योग में थिनर का उपयोग होता है।

(4) जी हां। थिनर से दुर्गन्ध रहती हैं किन्तु इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने की कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत थिनर के लिए मानक निर्धारित नहीं है।

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

(5) इस प्रकार की कोई अधिकृत सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(6) उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को गड्ढ़े में भरा जाता है। इस आशय की उद्योग के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है परन्तु इसमें किसी कुत्ते-बिल्ली के मरने के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।

दयारामपुरा (जयपुर) स्थित उद्योग से प्रदूषण

248. श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उच्चमार्ग नं. 11 पर ग्राम खोखाला और दयारामपुरा के मध्य श्री फेट्स प्राइवेट लिमिटेड (डालडा की फैक्ट्री) स्थापित हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री में डालडा/तेल उत्पादित किया जाता है? क्या उक्त में गंदा पानी निकलता है जो बहुत दुर्गन्धदार है और सड़क के दोनों तरफ बहता रहता है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दुर्गन्ध के कारण ग्रामवासियों एवं आसपास के खेतीहर किसानों एवं जानवरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा काफी मौतें हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार फैक्ट्री से निकलने वाले दुर्गन्धित पानी को एक स्थान पर डलवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह उद्योग वर्ष 1992 से स्थापित है।

(2) फैक्ट्री में डालडा खाने का तेल उत्पादित किया जाता है। औद्योगिक उच्छिष्ठ उद्योग परिसर में स्थापित कच्चे लैगूल में ही रहता है एवं बाहर नहीं निकलता। किन्तु उद्योग परिसर में स्थापित श्रमिक आवासों से निकलने वाले घरेलू उच्छिष्ठ सैप्टिक टैंक तथा सोकपिट से होता हुआ सड़क के एक तरफ़ लगभग 50-60 मीटर तक बहता है। इससे दुर्गन्ध की संभावना रहती हैं।

(3) जी नहीं। फैक्ट्री की दुर्गन्ध से किसी की मृत्यु होने या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। उद्योग को मण्डल के पत्र दिनांक 8.11.2001 के जरिए निर्देश दिए गये हैं कि वह प्रवाहित किए जा रहे उच्छिष्ठ को अपने परिसर के बाहर न जाने दें।

अतिरिक्त निदेशक के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

249. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबूलाल नागर)

(1) गत 10 वर्षों में जनसम्पर्क अधिकारी से अतिरिक्त निदेशक के पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कब-कब आयोजित की गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग में उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक के पदों पर तदर्थ पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो उक्त तदर्थ पदोन्नति कब से है ? क्या उक्त पदोन्नति नियमानुसार की गई थी ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तदर्थ पदोन्नति केवल एक वर्ष तक ही की जा सकती है ? यदि हां, तो लम्बे समय से तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों को पदावनत क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या तदर्थ पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान होने के बाद भी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को तदर्थ पदोन्नति में लाभ नहीं दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनसम्पर्क अधिकारी से अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति नही की जाती है।

(2) जी नहीं। नियमों में तदर्थ पदोन्नति का प्रावधान नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के रिक्त पद

250. श्री रमेश चन्द पंड्या (बांसवाड़ा) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी के कितने पद रिक्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

(3) जनसम्पर्क अधिकारी पद के लिए आखिरी बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कौनसे वर्ष में किया गया था ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के 4 पद रिक्त है। सूची निम्नानुसार हैं :— 1. झुंझुनूं 2. करौली 3. बांसवाड़ा 4. सिरोही

(2) मंत्री मण्डल समिति द्वारा विभाग के पदों की समीक्षा के पश्चात् पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जनसम्पर्क अधिकारी पद के लिये आखिरी बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन वर्ष 1996 में किया गया था।

अतिरिक्त निदेशक के विरुद्ध जांच कार्यवाही

251. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि विभाग के अतिरिक्त निदेशक के विरुद्ध सरकार को अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अतिरिक्त निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो उन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा में क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या उक्त अतिरिक्त निदेशक के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने के मामले में लोकायुक्त कार्यालय में मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) वर्तमान में विभाग के किस-किस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राथमिक जांच विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियम विपरीत बहाल करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) लोकायुक्त सचिवालय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियम विपरीत बहाली से संबंधित परिवाद के संबंध में विभागीय टिप्पणी मांगी गई थी। टिप्पणी भिजवा दी गई।

(4) विभाग के किसी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राथमिक जांच विचाराधीन होने की कोई जानकारी नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-252

(स्थगित)

यात्री बसों से एस.आर.टी. वसूली

253. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्पूर्ण भारत रूट परमिट एवं अन्य रूट पर चलने वाली सवारी बसों का एस. आर. टी. वाहन की कीमत पर कब से वसूलना शुरू किया गया और वर्तमान में किस हिसाब से लिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एस.आर.टी. वाहन की कीमत पर लिया जा रहा है वह वर्ष 1998 माडल गाड़ी का भी 2001 माडल गाड़ी के बराबर लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों, जबकि पुराने माडल की गाड़ी पर डेप्रिशियेशन लागू होना चाहिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के वाहनों की कीमत के आधार पर एस.आर.टी. (स्पेशल रोड टैक्स) दिनांक 01.04.1997 से वसूल किया जा रहा है। संविदा एवं मंजिली वाहनों पर लागू स्पेशल रोड टैक्स की वर्तमान दरें संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध हैं।

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 1998 की माडल का एस. आर. टी. 2001 माडल गाड़ी के बराबर लिया जा रहा है। राजस्थान मोटर यान कराधान नियम 1951 के नियम 42 के अनुसार वाहन का जिस वर्ष का कर देय है उस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल का समकक्ष वाहन का प्रचलित क्रय मूल्य ही उक्त वाहन की कीमत की गणना का आधार होगा। पुरानी एवं नई वाहनों द्वारा सड़क को समान रूप से उपयोग में लिया जाता है। दिनांक 1.4.1997 से पूर्व पुरानी एवं नई वाहनों पर कर दर समान थी तथा पुराने माडल के वाहनों पर डेप्रिशियेशन का लाभ देय नहीं था।

(दरों के विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अलवर का भवन निर्माण प्रकरण

254. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर में नया आर.टी.ओ. कार्यालय बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि के खसरा नम्बर क्या है ?

(2) क्या उक्त कार्यालय किसी अन्य काश्तकार की भूमि में जिसका खसरा नम्बर 313 है में गलती से बन गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन दोषी हैं ?

(3) क्या उक्त गलत निर्माण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर में नया आर.टी.ओ. कार्यालय बनाया गया है। मौके पर की गई संयुक्त सर्वे टीम की रिपोर्ट के अनुसार यह भवन आराजी खसरा नम्बर 298 व 313 में बना है।

(2) जी हां। आर. टी. ओ. कार्यालय आंशिक रूप से खसरा नम्बर 313 में निर्मित हो गया है। दोषी व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच कराई जायेगी।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में सर्वे टीम का गठन कर मौके का सर्वे कराया गया है, जिससे आर.टी. ओ. कार्यालय आंशिक रूप से खसरा नं. 313 में बनने का पता चला हैं।

जिला बांसवाड़ा में संचालित निगम बस सेवा

255. श्री नानालाल निनामा (घाटोल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें बांसवाड़ा से दानपुर होते हुए घोड़ी तेजपुर घन्टाली से पीपलखूंट तक संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार निगम की बसे बांसवाड़ा, घाटोल, डूंगरिया-नरवाली-घरियावद होकर जयपुर तक चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(श्री नानालाल निनामा)

(3) क्या उक्त दोनों ही मार्ग पर बस संचालन के अभाव में आम जनता को परेशानी होती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार समाधान हेतु बस संचालित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त मार्ग पंचम अध्याय का मार्ग है जो कच्चा एवं गिट्टी रोड का है तथा निगम के बस के संचालन योग्य नहीं है।

(2) इस मार्ग पर दिनांक 25.10.2001 से निगम बस सेवा का संचालन आरम्भ किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। बांसवाड़ा से दानपुर होतें हुए घोडी-तेजपुर-घंटोली से पीपलखूंट के लिए निम्नाकित निजी मार्गों की बस सेवायें उपलब्ध हैं :—

1. बांसवाड़ा से घोड़ी तेजपुर वाया 5 नं. पाड़ला, गेमलपुल, कांजी की होटल, भाभरिया, नायला, कुटुम्बि छोटी श्रवण, दानपुर

2. बांसवाड़ा से घण्टाली वाया घाटोल, खमेरा, पीपलखूंट

3. घण्टाली से प्रतापगढ़ वाया पीपलखूंट, सेमलिया, सुहागपुरा, पाड़लिया

4. बांसवाड़ा से घाटोल वाया तेजपुर, सुरपुर, पडोली, देवदा

5. बांसवाड़ा से नरवाली वाया घाटोल, खमेरा

6. बांसवाड़ा से धरियावद वाया घाटोल, खमेरा,नरवाली, पारसोला, भुगाना।

बांसवाड़ा, घाटोल, डूंगरिया, नरवाली, धरियावद जयपुर, मार्ग में से बांसवाड़ा से धरियावद तक का भाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के पंचम अध्याय के अन्तर्गत है जिस पर उक्त मार्गों की बस सेवायें उपलब्ध है।

जयपुर - श्री गंगानगर मार्ग पर संचालित वाहन

256. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम श्री गंगानगर में कुल कितनी बसे हैं? सूची माडल सहित सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आगार में कुछ बसे बहुत पुरानी हैं? यदि हां, तो कितनी? क्या सरकार श्री गंगानगर में नई बसें उपलब्ध करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(3) श्रीगंगानगर से जयपुर के लिए क्या सरकार सिल्वर लाइन या पिंक लाइन बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रीगंगानगर आगार में कुल 154 बसें हैं। जिनकी माड़लवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट-1)

(यातायात मंत्री)

(2) जी नहीं। श्रीगंगानगर आगार में सभी वाहन निगम के निर्धारित नार्म्स के अनुरूप माडल की है। इस आगार में वर्ष 2001 माडल की 14 नई बसें शामिल की हुई हैं।

(3) जी नहीं। अपितु इस मार्ग पर एक सेमी डीलक्स बस सेवा का संचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में उपलब्ध यात्रीभार के कारण सिल्वर लाइन या पिंक लाइन बसें चलाने का कोई विचार नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

तहसील बस्सी (जयपुर) में परिचय पत्रों हेतु वीडियोग्राफी

257. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बस्सी की सभी ढाणी, बस्तियों, गांवों, कस्बों, मोहल्लों मे वीडियोग्राफी करवाकर परिचय पत्र जारी कर मतदाताओं को वितरित करवाये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक सभी मतदाताओं को परिचय-पत्र जारी कर दिये जायेंगे?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के बहुत से गांवों में जारी किये गये परिचय पत्रों में विभिन्न त्रुटियां हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों, ढाणियों के परिचय-पत्र त्रुटिपूर्ण पाये गए? क्या सरकार उक्त त्रुटिपूर्ण परिचय-पत्रों को पुनः संशोधित रूप से जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) ग्राम तूंगी तहसील बस्सी के पूर्व में जारी किये जा चुके परिचय-पत्रों में किस प्रकार की त्रुटि पायी गई? क्या उक्त ग्राम में पुनः वीडियोग्राफी करवाकर शुद्ध परिचय-पत्र जारी किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अर्हता दिनांक 01.01.2001 को 156720 मतदाता थे, जिनमे से विभिन्न चरणों में 121324 मतदाताओं की वीडियोग्राफी की गई तथा वीडियोग्राफी किये गये मतदाताओं में से 105507 मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र तैयार हुए। इसमें से अब तक 94823 मतदाता फोटो पहचान-पत्रों का वितरण किया जा चुका है।

भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है। प्रत्येक पुनरीक्षण के पश्चात् मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है। चूंकि भारत के निर्वाचन आयोग की नीति के अनुसार मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध कराये जाने हैं और यह एक निरन्तर चलने वाला कार्य है अतः समस्त मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र कब तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे इस संबंध में कोई निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के जिन ग्रामों/ढाणियों के परिचय-पत्र त्रुटिपूर्ण पाये

(चुनाव मंत्री)

गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रुटिपूर्ण पहचान-पत्रों को संशोधित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) ग्राम तूंगी, तहसील बस्सी के पूर्व में जारी किये जा चुके परिचय-पत्रों में मोटे तौर पर ग्राम का नाम सही अंकित नहीं किये जाने की त्रुटि पायी गई है।

भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रुटिपूर्ण पहचान-पत्रों को संशोधित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

258. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कहां-कहां ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण का क्या मानदण्ड है?

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर में नये कृषि क्षेत्र खुले हैं तथा उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास की सड़कें बनना बन्द हो गई हैं?

(4) क्या कृषि विपणन बोर्ड उक्त जिले के भू गर्भ सिंचाई से नये कृषि क्षेत्रों एवं इन्दिरा गांधी नहर के उपनिवेशन क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्यक्रम बनाने का विचार रखता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण कराई जा रही ग्रामीण सड़कों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की सड़क नीति के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। कृषि विपणन बोर्ड के सम्पर्क सड़कों के निर्माण के पृथक से कोई मानदण्ड नहीं हैं।

(3) यह सही है कि जैसलमेर जिले में नहर व खालों के निर्माण के साथ प्रतिवर्ष नये कृषि क्षेत्र खुल रहे हैं तथा सिंचित क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के अधीन कार्यरत सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड को विलोपित कर दिया गया है।

(4) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की सड़क नीति के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क सड़कों के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। जैसलमेर जिले के अन्तर्गत एक मात्र कृषि उपज मण्डी समिति जैसलमेर के पास वर्तमान में वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने से वर्तमान में नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति सम्भव नहीं है। अतः

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अजमेर की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा अनुग्रह स्वरूप दी गई राशि

259. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला अजमेर की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में गत तीन साल में कृषि कार्य करते हुए व्यक्तियों की मौत के प्रकरण आये हैं? यदि हां, तो किस मण्डी में किस-किस का किस-किस तारीख को ?

(2) क्या उक्त की नियमानुसार राशि का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो किस-किस को कितनी राशि का कब-कब भुगतान किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले की कृषि उपज मण्डियों में गत तीन साल में कृषक साथी योजना के अन्तर्गत प्राप्त मौत के प्रकरणों का वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) वांछित जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 4, 5 एवं 6 के अनुसार है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला नागौर में अपूर्ण सड़कें

260. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में जिला नागौर में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं ?

(2) क्या उक्त सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक पूरे कर लिये जावेंगे।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जिला नागौर में स्वीकृत निर्माण कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। उक्त स्वीकृत कार्यों में से परिशिष्ट-"ब" पर अंकित कार्यों के अतिरिक्त समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला दौसा की अपूर्ण सड़कें

261. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में जिला दौसा में कितनी आय हुई और उक्त में से कितनी राशि सड़कों के निर्माण एवं मण्डी विकास के कार्यों पर व्यय की गई ?

(2) क्या उक्त अवधि में स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कब-तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जिला दौसा में मण्डी समितियों की आय सम्पर्क सड़कों एवं मण्डी विकास के निर्माण पर व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कार्य पूर्ण होने संबंधित विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट - 23 देखें)

जिला दौसा की प्रस्तावित नवीन सड़कें

262. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दौसा में सड़कों की मरम्मत के प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृतियां कब तक जारी हो जायेंगी ?

(2) उक्त जिले में सड़कों की मरम्मत के अतिरिक्त क्या नई सड़कों की स्वीकृति जारी करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दौसा जिले में सड़कों की मरम्मत के प्रोजेक्ट के तहत 184.60 कि.मी. लम्बाई में राशि रुपये 450.70 लाख की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

(2) सम्बन्धित मण्डी समितियों के प्रस्ताव प्राप्त होने, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर एवं प्रस्ताव प्रभावी सड़क नीति के अनुरूप होने पर नई सड़कों की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

जिला सवाई माधोपुर में विकास कार्यों पर व्यय राशि

263. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में अल्प बचत कोष से जिला सवाईमाधोपुर में विकास कार्यों हेतु कौन-कौनसी राशि किस-किस कार्य के लिए आबंटित की गई ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) अल्प बचत कोष की राशि की जिला स्तर पर स्वीकृति जारी करने का क्या तरीका है ? क्या इसके लिए कोई कमेटी गठित कर रखी है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कमेटी की बैठक में किस-किस कार्य की स्वीकृतियां जारी की गईं ?

(3) किसी कार्य को स्वीकृत किये जाने के मानदण्ड क्या हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में अल्प बचत कोष से स्थायी निर्माण कार्यों पर व्यय करने पर वित्त विभाग ने रोक लगा रखी थी। अतः स्थाई निर्माण विकास कार्यों की कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत कार्यों की सूची का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "ए" के अनुसार संलग्न है।

(2) जिला स्तर पर जिला कलक्टर स्थाई निर्माण विकास कार्यों को स्वीकृत करने हेतु

(राज्यमंत्री, अल्प बचत)

सक्षम हैं। उसके लिए कोई समिति गठित नहीं कर रखी है।

(3) जिला प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्थाई निर्माण विकास कार्य हेतु उपलब्ध राशि को जिला कलक्टर द्वारा वित्त (राजस्व) विभाग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार्यों को स्वीकृत किया जा सकता है। इन बिन्दुओं में अंकित कार्य के अतिरिक्त कार्य होने पर निर्माण कार्य की कुल लागत का आधा भाग जन सहयोग या अन्य योजनाओं से उपलब्ध होने पर शेष आधा भाग स्थाई निर्माण कोष से व्यय करने हेतु जिला कलक्टर सक्षम है। जिले में विभिन्न विकास कार्यों के प्राप्त प्रस्तावों में से जिला कलक्टर कार्य की प्राथमिकता एवं कार्य की महत्ता अनुसार स्थाई निर्माण विकास कार्य स्वीकृत करते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

अल्प बचत कार्यालय, सहायक निदेशक झुंझुनूं द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि

264. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1998-99 से 2001-2002 के कार्यकाल की सहायक निदेशक, अल्प बचत कार्यालय झुंझुनूं का आडिट किया जा चुका है? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा कब कब किया गया? आडिट रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आडिट रिपोर्टों में क्या कोई एतराज के पैरा बनते हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त का निस्तारण कर दिया है या कोई बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के आदेश संख्या-46(2) वित्त/राले/1-89 दिनांक 16 मार्च, 1998 के अनुसरण में व्यक्तिगत प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु प्रावधित राशि में से श्री एच. के. शर्मा उपनिदेशक सी. आई.एस.एफ. न्यू देहली श्री आर. एस. बडेसरा, स. संयुक्त निदेशक सी.आर.पी.एफ. न्यू देहली, श्री दर्शनलाल कार्यालय सहायक ए. आई. एस. एफ. न्यू देहली तथा श्री सुभाष सिंह तकनीकी सहायक सी.आई.एस.एफ. न्यू देहली को क्रमशः रुपया 4,000/2,000/1,500/1,500 दिये गये? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट में उक्त भुगतानों के लिए क्या टिप्पणी की गई है तथा उक्त चारों व्यक्तियों का झुंझुनूं जिले में क्या योगदान रहा हैं, जिसकी वजह से उक्त प्रोत्साहन राशि दी गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि इतनी बड़ी राशि अन्य किसी व्यक्ति को उस वर्ष में नहीं दी गई है? यदि हां, तो फिर इनको इतनी बड़ी राशि देने के क्या विशेष कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) सहायक निदेशक, अल्प बचत कार्यालय, झुंझुनूं का आडिट 7/97 से 8/99 तक की अवधि का महालेखाकार, राजस्थान

(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

द्वारा दिनांक 24.9.1999 से 27.9.1999 तक किया गया है, शेष अवधि का आडिट अभी बकाया है।

आडिट रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त आडिट रिपोर्ट के कुल तीन आक्षेप हैं। आक्षेपों का विवरण (आडिट रिपोर्ट) संलग्न है। उक्त आडिट रिपोर्ट के आक्षेप संख्या-1 व 2 को महालेखाकार, राजस्थान द्वारा निरस्त कर दिया गया है - आक्षेप संख्या-3 का निस्तारण कराया जाना बकाया है।

(3) जी हां। आडिट रिपोर्ट में इन भुगतान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

उपरोक्त चारों कर्मचारी/अधिकारी क्रमशः केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नई दिल्ली से सम्बन्धित हैं और इन्होंने अपनी-अपनी संस्थाओं की क्रमशः 6 करोड़ व 2 करोड़ कुल 8 करोड़ की राशि जिले के मुख्य डाकघर, झुंझुनूं में वर्ष 97-98 के दौरान जमा कराने में प्रत्यक्ष सहयोग किया। इनके प्रत्यक्ष योगदान को ध्यान में रखकर ही उक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।

(4) जी हां। इनके विशिष्ठ योगदान को ध्यान में रखकर ही यह राशि स्वीकृत की गई है। यह प्रोत्साहन राशि जिला प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के दिशा निर्देश प. 6(2)वित्त/राले-1/89 दिनांक 16 मार्च, 1998 द्वारा व्यक्तिगत प्रोत्साहन राशि हेतु निर्धारित अधिकतम प्रोत्साहन राशि की सीमा में ही प्रदान की गई। इन अधिकारियों द्वारा झुंझुनूं जिले में अल्प बचत योजनाओं में निम्नलिखित संस्थाओं की राशि जमा कराने में सक्रिय योगदान प्रदान किया गया था :—

क्र.सं.	संस्था	खाता संख्या	राशि	जमा तिथि
1.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली	44325	2,00,00,000	23.1.98
2.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस केन्द्रीय सुरक्षा बल, नई दिल्ली	44326-33	2,00,00,000	6.2.98
3.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली	44334	4,00,00,000	4.3.98
	योग		8,00,00,000	

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला धौलपुर में अधिकारियों को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि

265. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में जिला धौलपुर में कार्यरत अल्प बचत विभाग में किस-किस विभाग की किस-किस योजना से कितनी-कितनी राशि अल्प बचत खातों में जमा कराई गई ?

(2) उक्त जमा कराई गई उक्त राशि पर किस-किस अधिकारी ने कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसी योजना विशेष के लिये स्वीकृत राशि को सावधि जमा योजना में जमा नहीं कराया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जिले में विभिन्न योजनाओं के लिये स्वीकृत राशि को सावधि योजना में अधिकारियों ने जमा कराकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है ?

(4) क्या उक्त विकास योजनाओं की प्रगति सावधि योजना में राशि जमा होने से अवरुद्ध हुई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जिला धौलपुर में किसी भी विभाग की राशि को अल्प बचत खातों में जमा नहीं कराया गया।

(2) किसी विभाग की कोई राशि जमा नहीं हुई अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी भी अधिकारी को कोई भी प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की गई।

(3) जी हां। यह सही है कि किसी योजना विशेष के लिए स्वीकृत राशि को सावधि जमा योजना में जमा नहीं कराया जा सकता है। जी नहीं, किसी भी विभाग की सावधि राशि जमा नहीं हुई अतः जमा राशि पर किसी भी अधिकारी को किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई।

(4) जी नहीं। किसी विभाग की राशि सावधि योजना में जमा नहीं हुई, अतः योजनाओं की प्रगति अवरुद्ध नहीं हुई।

शोकाभिव्यक्ति

श्री रामेश्वर लाल चौधरी, पूर्व सदस्य, के निधन के प्रति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामेश्वरलाल चौधरी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री रामेश्वरलाल चौधरी का जन्म 29 सितम्बर, 1930 को नागौर जिले के पलाड़ा ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी पाचवीं, छठी, सातवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा के नावां निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के

(श्री अध्यक्ष)

दौरान आप पुस्तकालय समिति, याचिका समिति तथा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

पंचायत समिति, कुचामन सिटी के प्रधान रहे श्री चौधरी ग्राम पंचायत, पलाड़ा के सरपंच और कृषि उपज मंडी, कुचामन सिटी के अध्यक्ष भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री रामेश्वरलाल चौधरी अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी का दिनांक 12 नवम्बर, 2001 को निधन हो गया।

मैं, दिवंगत श्री चौधरी को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से कृषि विद्युत उपभोक्ताओं के फ्लेट रेट नहीं हटाने के सम्बन्ध में।

(2) डा. रामप्रताप, सदस्य की ओर से साउथ घग्गर कैनाल एवं खारा सब ब्रांच का जलांक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (प्रथम चरण) के जलांक के बराबर करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से आबकारी राजस्व में यथोचित बढ़ोतरी नहीं होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य की ओर से जहाजपुर रैफरल अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से तहसील खेतड़ी में खनन विभाग द्वारा बजरी रेट निर्धारित करने के उपरान्त ठेकेदारों द्वारा अधिक राशि वसूले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से बारां एवं अन्ता नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों के रख-रखाव हेतु बजट आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से सिद्धमुख नहर परियोजना से राजगढ़ (चूरू) के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(8) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम जखराना में नव-निर्मित प्राथमिक चिकित्सालय भवन में चारदीवारी का निर्माण करने हेतु बजट आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों के जोगी (रावल) जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में।

(10) डा. किरोड़ीलाल, सदस्य की ओर से जिला सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति बामनवास की ग्राम पंचायत बिन्जारी के पूर्व संरपच के नाम निकाली गई बकाया राशि की वसूली करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामनारायण विश्नोई, सदस्य की ओर से फलौदी की पोकरण जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में।

श्री अमराराम चौधरी।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है और हाडौती अंचल की जो नहरें हैं उसमें लोग रोटेशन प्रोग्राम से जो पानी छोड़ रहे हैं वह हमारे किसानों को बिलकुल सूट नहीं कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज यह टेलीफोन करें कि आफिसर्स ने जो एक धांधली कर रखी है उसको यह बंद करवायें। किसानों को पहले भी पानी नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो। क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का मुद्दा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सही कह रही हैं। आज हाड़ौती में किसान चीत्कार कर रहा है।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आपको सुननी पड़ेगी। यह सब लोग बैठे हुए हैं, किसान भूखे मरने जा रहा है और यह लोग रोटेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आपके साथ हैं (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती के कमाण्ड एरिया जिसमें आर.एम.सी. और एल.एम.पी. दोनों आते हैं (व्यवधान) रोटेशन प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री मदन दिलावर : यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां आकर नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे, आप मुझे इस बात के लिये बताये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर देंगे, विराजो।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर अभी चर्चा होनी चाहिये और यह होना चाहिये कि किसानों को 40 दिन एक साथ पानी मिले।

श्री उपाध्यक्ष : किस पर चर्चा करें, आप विराजो।

श्रीमती ममता शर्मा : बहुत ज्यादा समस्या का सामना किसान कर रहे हैं। इस अहम मुद्दे को आप कोई भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसका मुझे हार्दिक दुःख है।

श्री हेमन्त कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती क्षेत्र की यह ज्वलन्त समस्या है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अभी तक अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचा।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, लिफ्ट कैनाल में भी पानी नहीं पहुंचा है। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्रीजी से आश्वासन दिलवाइए कि पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, आसन पैरों पर है। आप विराजिए।

श्री हेमन्त कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से आश्वासन दिलवाइए कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, विराजिए। माननीय सदस्य, आप कोई इश्यू लाना चाहती हैं तो हाउस में लाइए, ऐसे बीच में ही कैसे खड़े हो गये, आप कह रहे हो कि यह इश्यू हो गया। आप कल ले आइए इस इश्यू को, डिसकस कर लेंगे।

श्रीमती ममता शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इश्यू लाने के लिये समय चाहिये, एक-एक मिनट हमें भारी पड़ रहा है, आप एक दिन की बात कर रहे हैं, एक-एक मिनट किसान को भारी पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, कल ले आना आप इसको, बात कर लेंगे। विराजिए, विराजिए। श्री अमराराम जी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कृषि विद्युत उपभोक्ताओं पर फ्लैट रेट समाप्त करने विषयक

श्री अमराराम चौधरी (पंचपदरा) : विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(1) यह है कि एक अनुबंध के जरिए कृषक उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट पर कनेक्शन दिए गए थे उसी के अनुसार किसान निरंतर फ्लैट रेट भरता आ रहा है। लेकिन अब फिर दो-तीन वर्ष के बाद फ्लैट रेट को समाप्त कर डिफेक्टिव मीटर लगाये

(श्री अमराराम चौधरी)

जा रहे हैं, यहां तक कि विधायकों के निवास पर भी इलेक्ट्रोनिक मीटर सही साबित नहीं हुए हैं और अंधाधुंध बिल आ रहे हैं। इससे कृषकों पर भारी बोझ पड़ेगा। अतः फ्लैट रेट को समाप्त किया जाए।

(2) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि जिन कृषक उपभोक्ताओं ने हरा चारा पैदा करने के लिए एक दो वर्ष पूर्व 12,000 रुपये प्रत्येक काश्तकार ने जमा करवाए मगर अभी तक बहुत से काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार 12,000 से अधिक प्रत्येक कृषक से विद्युत विभाग द्वारा इतनी बड़ी राशि अपने खजाने में जमा करने के बाद भी पूरे कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जिनको शीघ्र ही कनेक्शन देने का सरकार को निर्देश दिलावें।

(3) यह कि कई कृषक अपने स्वयं का कृषि कनेक्शन अपने ही नाम की अन्य खातेदारी भूमि में शिफ्टिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन इस वर्ष एक भी कनेक्शन बालोतरा उप-खण्ड में शिफ्टिंग नहीं किया गया जिसके कारण किसानों में भारी असंतोष है। अधिकांश काश्तकार के मामले, 5 वर्ष की अवधि से पुरानी जमीन होने पर भी उनका भी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। यह बात न्याय संगत व व्यावहारिक भी प्रतीत नहीं होती कि आज कोई व्यक्ति कुएं के लिए भूमि खरीदता है तो 5 वर्ष के पश्चात् उस पर विद्युत कनेक्शन लेगा। यह कोई गारन्टी नहीं है कि जिस भूमि से मीठा पानी के लिए खरीद की है उसमें 5 वर्षों तक मीठा पानी ही रहेगा, क्योंकि कई भौगोलिक उथल-पुथल भी हो सकते हैं। इस कारण शीघ्र 5 वर्ष की समयावधि भी हटाने के निर्देश दिलावें व शिफ्टिंग के सभी बकाया प्रकरणों को अविलम्ब निपटाने के निर्देश दिलावें।

अतः श्रीमान् के माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि उक्त तीनों समस्याएं जो किसानों की वाजिब व न्यायसंगत हैं, जिनका समाधान करने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री को निर्देश दिलावें। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप। (अनुपस्थित) श्री रमेश खींची। (अनुपस्थित) श्री रतनलाल ताम्बी।

जहाजपुर रैफरल अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ को पदस्थापित करने विषयक

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : भीलवाड़ा जिले के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जहाजपुर स्थित रैफरल अस्पताल में लगभग 4 वर्ष से स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त होने से उस क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मंत्रीजी के जहाजपुर यात्रा के दौरान दिनांक 9 सितम्बर, 2001 को महिला प्रतिनिधि मण्डल ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त होने के अभाव में कठिनाई तथा लम्बे समय से रिक्त पद पर पदस्थापन नहीं होने का ध्यान आकर्षण किया किन्तु अभी तक भी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का पदस्थापन करने के बाद लम्बे समय तक अपनी ड्यूटी जोइन नहीं करने से पदस्थापन आदेश भी निरस्त हो गया, जिससे वहां की जनता को लम्बे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवा से वंचित रहने की स्थिति यथावत है। इस समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। इस अस्पताल के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आसपास सहित 4-5 लाख जनता को इस समस्या से निजात नहीं मिलने से जनता में आक्रोष व्याप्त है।

अतः मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार व चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान जहाजपुर रैफरल अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पदस्थापन करने हेतु आकर्षित कर समस्या के समाधान की अपेक्षा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

तहसील खेतड़ी में खनन विभाग द्वारा बजरी की तयशुदा दर से ठेकेदारों द्वारा ज्यादा राशि वसूली

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : श्रीमान् जी से निवेदन है कि खेतड़ी तहसील में खनन विभाग द्वारा बजरी का ठेका दिया गया था। उसमें निर्धारित की गई रेट नहीं लेते हैं एवं अपनी मनमर्जी से रेट ली जाती है। सरकारी रेट 6 रुपये प्रति टन 11.5 प्रतिशत टैक्स निर्धारित है। परन्तु ठेकेदारों ने अपनी मनमर्जी से खनन के 120 व टैक्स के 120 रुपये निर्धारित कर रखे हैं जबकि उस छोटे ट्रकों में 8 टन बजरी भरी जाती है। उसका खनन का टैक्स 78 रुपये व 92 रुपये सेल्स टैक्स बनता है। कुलयोग 170 रुपये बनता है और लिया जाता है 250 और इन गरीब व्यक्तियों के साथ अन्याय किया जाता है। इस सरकार में जब शिकायत की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठेकेदार अपने बलबूते पर लट्ठ के जोर पर 250 रुपये ही ले रहे हैं। गरीबों के साथ हो रहे अन्याय में न्याय दिलवाया जाए।

माननीय, गरीबों के साथ ऐसा अन्याय राजस्थान में पहली बार देखा जा रहा है। 10 टन बजरी के निर्धारित होने के बाद में 16 टन के पैसे लिए जा रहे हैं। खनन मंत्रीजी को बार-बार निवेदन किया जा चुका है, उनके विभाग के अफसरों को भी कहा जा चुका है परन्तु आज तक वह गरीब ट्रक वाले पीड़ित हैं। उन्होंने बार-बार जाम भी लगाए हैं, आज तक उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के प्रति जो जागरूक सरकार है यदि इसमें भी राजस्थान में इस तरह का अन्याय होगा तो फिर सुनने वाला कौन होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाए। उनको आज ही आदेश कराया जाए कि जो रेट निर्धारित की गई है, 6 रुपये प्रति टन के हिसाब से लिया जाए। और जितनी बजरी ट्रकों में भरते हैं उसको तुलवाकर उतने ही पैसे लिए जाएं। वह 16 टन के पैसे लेते हैं जिनके 8 टन बजरी भरी जाती है। (व्यवधान

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण। (अनुपस्थित)

श्री श्रवण कुमार : ठेकेदारों को पाबंद किया जाए।

श्री मदन दिलावर : जबरदस्त लूट हो रही है। किसानों को जबरदस्त तरीके से अटरू में भी लूट रहे हैं। हम प्रशासन को कई बार बता चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों को पांबद किया जाए। यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया, आपने पढ़ लिया।

श्री श्रवण कुमार : सुन लिया, लेकिन आप इसे ध्यान में भी कराइये। लोग दो महीने से पीड़ित हैं। राजस्थान की धरती पर पहली बार सुनने को मिला कि 8 टन वाले से 16 टन के पैसे लिए जा रहे हैं।

सिद्धमुख नहर परियोजना से राजगढ़ (चूरू) के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने विषयक

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि सिद्धमुख नहर परियोजना के अन्तर्गत राजगढ़ तहसील के 14 गांवों को जोड़ा गया है। यह गांव सिद्धमुख नहर परियोजना में हैं।

काश्तकारों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह काश्तकारों के सपने साकार करती है। इस योजना से काश्तकारों का भविष्य जुड़ा है।

महोदय, राजस्थान में आए साल अकाल पड़ता है। काश्तकारों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है तथा पीने के पानी की भी भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अतः मेरा राज्य के मुख्य मंत्री व सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि धन के अभाव के कारण अटकी हुई इस योजना को संसाधन उपलब्ध करवा कर तुरंत इस परियोजना पर कार्य शुरू करवाया जाए।

महोदय जी, भादरा तहसील के गांवों में इस परियोजना का कार्य चल रहा है। सिर्फ राजगढ़ तहसील के स्वीकृत शुद्धा गांवों में बजट धन के अभाव के कारण कार्य चालू नहीं है। यह राजगढ़ तहसील के किसानों के साथ सरासर अन्याय है।

मेरा इसी योजना के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि इस योजना में एक गांव ढाणी, बड़ी तहसील राजगढ़ जो कि स्वीकृतशुदा गांवों के बीच में स्थित है जो सिंचाई सुविधा से वंचित रह गया है, वह इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया है। बड़े खेद का विषय है कि बीच का एक गांव ढाणी भी शामिल नहीं है जो कि इस योजना में शामिल किया जावे।

मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि राजगढ़ तहसील के स्वीकृत शुदा गांवों में अति शीघ्र निर्माण करवाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव। (अनुपस्थित)। श्री नाथूराम अहारी। (अनुपस्थित)। डा. किरोड़ी लाल।

ग्राम पंचायत बिन्जारी, जिला सवाई माधोपुर के पूर्व सरपंच के नाम बकाया राशि की वसूली

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि जिला सवाईमाधोपुर पंचायत समिति

(डा. किरोड़ी लाल)

बामनवास की ग्राम पंचायत बिन्जारी के पूर्व संरपच रामस्वरूप मीणा के विरुद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.3/ए जे (3) जांच/समा/92/2134, दिनांक 31.10.1995 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1964 की धारा 38 (1)(ख) के अन्तर्गत परिनिर्णय लेखबद्ध करते हुए इस पूर्व सरपंच के विरुद्ध निम्न कार्यों की बकाया राशि, जिसका विवरण नीचे अंकित है, को वसूल करने के आदेश दिये गये थे। विवरण निम्नानुसार है :—

1. प्राथमिक शाला, लाडपुरा	22460.00
2. पटवार घर, बिन्जारी	10000.00
3. माध्यमिक शाला, बिन्जारी	20767.00
4. उ.प्रा.शाला बिन्जारी	8145.00
5. प्राथमिक शाला, बिन्जारी	42000.00
कुल राशि	94372.00

इस राशि को मय दण्डनीय ब्याज के वसूल करने के निर्देश सरकार ने दिये थे। पूर्व संरपच से यह राशि वसूल करने के लिये विकास अधिकारी, बामनवास द्वारा कई बार प्रयास किया गया। किन्तु पूर्व सरपंच रामस्वरूप ने आज तक राशि जमा नहीं करवाई तथा बार-बार पूर्व संरपच द्वारा उक्त कार्यों के पूर्व मूल्यांकन की बात की जाती है तो अब किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। पूर्व संरपच के द्वारा 23.6.2000 को बी.डी.ओ. कार्यालय को यह लिखकर दिया गया था कि पूर्व मूल्यांकन कर राशि का समायोजन कराया जावे जबकि मूल्यांकन के बाद भी उक्त बकाया राशि निकाली गई है। वर्तमान में पूर्व सरपंच की पत्नी बन्जारी ग्राम पंचायत की संरपच है जिसके द्वारा राजीव गांधी पाठशाला का निर्माण करवाया जा रहा है। जिसका मौका विकास अधिकारी द्वारा देखा गया, जिसमें भी काफी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। मौके पर बी.डी.ओ. द्वारा क्वालिटी सुधारने के निर्देश दिये गये। इस घटिया काम की जांच जिला परिषद के सहायक अभियन्ता द्वारा भी कराई गई है।

पूर्व सरपंच रामस्वरूप की बदनीयती है। वह सरकार की राशि का मय दण्डनीय ब्याज के जमा नहीं कराना चाहते हैं। सरकार जिला कलक्टर को निर्देश देकर रामस्वरूप मीणा के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर राशि वसूल करे। वैसे भी विकास अधिकारी, बामनवास ने अपने पत्रांक/पंचायत/जांच /2000-2001, दिनांक 28-4-2001 के द्वारा अतिरिक्त कलक्टर विकास, प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग, जिला कलक्टर कार्यालय, सवाईमाधोपुर को पत्र लिखकर एफ.आई.आर. दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी। किन्तु जिला कलक्टर द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर राशि वसूल की जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी गरासिया।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति जारी करने विषयक

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन

(श्री मांगीलाल गरासिया)

के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा में निम्न लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान कराने हेतु मेरे द्वारा निरन्तर निवेदन किया गया है परन्तु अब तक कितनी प्रगति की कार्यवाही सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है :—

1. निकोर तालाब, पंचायत दियाण
2. भंवरिया की काटी, पंचायत तिरोल
3. झर का खादरा (चाटीया खेड़ी)
4. कोहिनी का घरा, बरावली के नीचे (चित्रावास)
5. घूघा का नाका (पड़ावली कला)
6. दमदमा तालाब (पाटीया)

उक्त परियोजनाओं का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। यह विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी होने से वर्षा का पानी व्यर्थ बहकर निकल जाता है जिसे रोक कर कृषि उपयोग में लिया जाना आवश्यक है।

कृपया इन लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृतियां तुरन्त प्रदान कराने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी विश्नोई।

फलौदी की पोकरण जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निमार्ण कार्य पूर्ण करने विषयक

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा जून, 1983 में राजस्थान नहर परियोजना, वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके में भूमि सिंचाई हेतु फलौदी, (जोधपुर) व पोकरण, (जैसलमेर) की लिफ्ट योजनाएं अन्य कुछ योजनाओं के साथ स्वीकृत की गयी थीं। बाद में वर्ष 1987 में इन योजनाओं का संशोधित प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग व योजना आयोग से अनुमोदित करवा लिया गया था। फलौदी योजना को वर्ष 2005 तक व पोकरण योजना को वर्ष 2006 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

पिछले करीब तीन साल से इन दोनों योजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति ठप्प है। इस साल कुछ पैसा कार्य को गति देने के लिये खर्च करने का राज्य सरकार ने विचार करके राशि का आबंटन किया है। अभी तक इन दोनों नहर परियोजनाओं से सिंचाई शुरू नहीं हो सकी है क्योंकि आवश्यक पम्पिंग स्टेशनों व [illegible] निरन्तर नहीं किया जा रहा है। दोनों लिफ्टों के लिये अवाप्त की गयी कृषि भूमियों का अभी तक मुआवजा भी सभी प्रभावित काश्तकारों को नहीं दिया गया है। फलौदी लिफ्ट योजनाओं के अन्तर्गत जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के 37 ग्रामों की लगभग तीस हजार जनसंख्या व पोकरण लिफ्ट के अन्तर्गत जोधपुर और जैसलमेर जिले के 18 ग्रामों की लगभग पन्द्रह हजार जनसंख्या को कृषि जल उपलब्ध कराया जायेगा।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

फलौदी योजना में 116 कि.मी. लम्बाई में नहर व वितरण प्रणाली व 5 पम्प स्टेशनों का कार्य व पोकरण योजना में 42 कि.मी. नहर व वितरण प्रणाली व 3 पम्प स्टेशनों का कार्य चल रहा है। इस वर्ष फलौदी लिफ्ट के लिये 8 करोड़ रुपये व पोकरण लिफ्ट के लिये 8 करोड़ रुपये व्यय करने का बजट प्रावधान रखा है। परन्तु अभी ज्ञात हुआ है कि माह सितम्बर, 2001 में इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की डाइरेक्शन कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि फलौदी लिफ्ट के पम्प स्टेशन संख्या-6 व 7 व पोकरण लिफ्ट के पम्प स्टेशन 4,5 व 6 के कार्यो को चालू करने की अभी कोई कार्यवाही शुरू न की जावे। इस समाचार का पता लगने पर पूरी फलौदी तहसील के नागरिकों में भयंकर असंतोष व आक्रोश उत्पन्न हो गया है और लोग प्रदर्शन करने व धरने देने पर उतारू हो गये हैं। इस फलौदी उप खण्ड में कृषि कार्य व पेयजल के लिये यही एक स्रोत था और इस कार्य में अगर शिथिलता आती है तो काश्तकार बर्बाद हो जाएंगे व उपखण्ड का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। उपरोक्त योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाएंगी। इस कारण अब तक दोनों योजनाओं पर खर्च किया गया करीब 85 करोड़ रुपये का समय पर कोई लाभ नहीं मिलेगा।

दोनों योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये व उपयोग में लेने के लिये सभी पम्प स्टेशनों का कार्य साथ-साथ ही चालू करना आवश्यक होता है। वैसे भी ये कार्य धीमी गति से हो रहे हैं। पम्पों के निर्माण के लिये टेण्डर आमंत्रित करने व आवश्यक मशीनों व उपकरणों को मंगाने के कार्य में व निर्माण में काफी समय लग जाता है।

अतः इस विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी व इन्दिरा गांधी नहर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि दोनों लिफ्टों के बचे हुए पम्पिंग स्टेशनों का कार्य भी अविलम्ब चालू कराने की प्रक्रिया लागू कराने की व्यवस्था शीघ्र करावें ताकि गरीब काश्तकारों का भला हो सके व उप खण्ड का विकास हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी चौधरी।

पर्चो के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बाड़मेर में शिक्षकों के साथ की गई कथित मारपीट

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 23 तारीख को बाड़मेर जिले में, जो हमारे पूज्य कहलाते हैं, शिक्षक और शिक्षा सहयोग, उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गयी। उनका आन्दोलन, उनका सत्याग्रह सही उसूलों पर था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, समान कार्य समान वेतन, जिन छात्रों ने माता-पिता के खून-पसीने की कमाई से अध्ययन कर प्रशिक्षण प्राप्त किया उन छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो गया। आज हम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "शिक्षा आपके द्वार पर" की बात कर रहे हैं लेकिन उन

(श्री अमराराम चौधरी)

ग्रामीण अंचल के छात्र अकाल की मार को देखते हुए व सहते हुए बहुत ही मुश्किल से, और खास तौर से बाड़मेर जिला, जो कि पिछड़ा हुआ था, हमेशा अकाल पड़ता है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बी.ए., एम.ए., बी.एससी. और एम.एससी. तथा बी.एड. की डिग्री तक शिक्षा ग्रहण की। उसके साथ रोजगार के सम्पूर्ण साधन अवरुद्ध हो गये। उन छात्रों ने एक मात्र विकल्प शिक्षक बनने का ही चुना। मोल भाव का तरीका शिक्षा में अपनाते हुए मात्र 1200 रुपये मासिक के मानदेय पर उन्हें शिक्षा सहयोगी का कार्य सौंपा गया। आप इसे न्यायसंगत मानते हैं, आप यह सेवा का कार्य मानेंगे; मानते होंगे लेकिन भूखे पेट सेवा नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजीविका निर्वाह के लिए इस महंगाई के युग में उचित वेतन के बिना यह सेवा का कार्य करना संभव नहीं है। बाड़मेर जिले के शिक्षा सहयोगियों को पिछले तीन माह से जो यह 1200 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा था वह भी नहीं मिला। आखिर ऐसे शिक्षा सहयोगी क्या करें? शांतिपूर्ण तरीके से तीन महीने के बकाया वेतन की मांग करते हैं तो पुलिस और प्रशासन द्वारा बेगुनाह शिक्षा सहयोगियों के साथ मारपीट होती है। जितनी बर्बरतापूर्वक उन शिक्षा सहयोगियों के साथ दिनांक 23.1.2001 को अत्याचार किया गया, जो एक दर्दनाक कहानी है।

बाड़मेर जिले में सैंकड़ों स्थान हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी और मिडल स्कूलों में रिक्त पड़े हैं। उनको पिछले दो वर्षों से भरा नहीं जा रहा है। वहां के विषय के अध्यापक नहीं मिल रहे हैं जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है लेकिन राजीव गांधी पाठशालाएं जो हमारी पढ़ाई की प्रारंभिक नींव है, उसके शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों की पढ़ाई चौपट हो रही है जिसकी खानापूर्ति कभी नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मजदूर की मजदूरी कम से कम 60-65 रुपये प्रति दिन है। जहां बी.ए., बी.एड., एम.ए., एम.एड. को चालीस रुपये प्रति दिन उस छोटे पांच साल के बच्चों के लिए मेहनत करके पढ़ाएंगे, यह कैसे संभव हो सकता है? हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारे प्रान्त में बिहार जैसी हालत नहीं हो क्योंकि पढ़े-लिखे प्रशिक्षित बेरोजगार लोगों में भारी असंतोष है। अतः मेरा सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि एक बार सरकार उनकी बातों को थोड़ा गौर से, ठंडे दिमाग से सोचें तथा शिक्षा सहयोगियों के साथ न्याय कराएं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी की अपर्याप्त आपूर्ति

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल से सिंचित क्षेत्र में चाहे वह कोटा, बूंदी का क्षेत्र हो, चाहे बीकानेर डिविजन का हो, चाहे जैसलमेर, बाड़मेर हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डैम्स की स्थिति खराब रहने की वजह से सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध हुआ और किसानों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। यहां तक कि जब पिछले साल ज्यादा पानी की कमी आई तो सिंचाई के लिए पानी

(श्री रामप्रताप)

बंद किया गया और सिर्फ पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया गया तो किसानों ने पूरा सहयोग दिया और उसके लिए कहीं कोई आन्दोलन नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तब खड़ा होता है जब किसी के हिस्से की चीज उससे छीनी जाए। इस बात को लेकर के लगातार आन्दोलन हो रहे हैं और मुझे तो अभी सुनकर यह आश्चर्य हुआ कि सत्तापक्ष की बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने जब अपनी पीड़ा यहां बताई। निश्चित तौर पर इस सर्वोच्च सदन के कुछ प्रक्रिया एवं नियम है लेकिन माननीय सदस्या अपनी पीड़ा को नहीं छिपा सकीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिलकुल ऐसा का ऐसा मामला है और यहां पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अन्तरराज्यीय समझौता हुआ था सन् 1981-82 में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसकी दो-तीन लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, यह समझौता हुआ था 15 जनवरी, 1982 को।

"The Bhakhara areas of Rajasthan now being served by South Ghagar Canal and Jiandwala Distributory should be transferred to Rajasthan Feeder and the water thus saved be diverted to Nohar and Sidhmukh Areas."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, आप एतराज करते हो दूसरों का। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र के सिंचाई सचिव का फ़ैसला है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब सिद्धमुख नोहर को पानी दिया जाएगा भाखड़ा से तो साउथ घग्घर कैनाल को, इसका सिंचित क्षेत्र है वह राजस्थान कैनाल, आई.जी.एन.पी. में ट्रांसफर किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह साउथ घग्घर कैनाल का एरिया पिछले साल 15.10 को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में शामिल तो कर लिया गया लेकिन यह बड़ी अजीब स्थिति है कि प्रथम चरण में पूरे सिस्टम आई.जी.एन.पी. का जो वाटर अलाउंस है वह 5.23 क्यूसेक्स है और इस एरिये को ट्रांसफर करने के बाद में वरीयता क्रम में तो उसको शामिल कर लिया गया लेकिन आज की तारीख में भी उसका वाटर अलाउंस है वह 2.40 क्यूसेक्स है। यहां पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर बात वाजिब होती तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं था लेकिन गैर वाजिब मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय सिंचाई मंत्री महोदया बिराजी हुई हैं, जितना भी क्षेत्र आई.जी.एन.पी. में ट्रांसफर किया गया है, चाहे वह गंग कैनाल का हो या चाहे भाखड़ा का हो, जो एरिया उसमें ट्रांसफर हुआ था, फर्स्ट स्टेट के अन्दर उसका वाटर अलाउंस आई.जी.एन.पी. के समकक्ष दिया गया है। फिर यह साउथ घग्घर कैनाल के साथ अन्याय क्यों किया, यहां के किसानों के साथ अन्याय क्यों? उदाहरण स्वरूप सनेजा सिस्टम को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामप्रताप)

माननीय सिंचाई मंत्री महोदय बिराजी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी बात का जवाब देने के लिए बाध्य तो नहीं हैं लेकिन आप अपने अधिकारियों से इसकी जानकारी अवश्य हासिल करें कि समेजा सिस्टम को पार्टली जब आई.जी.एन.पी. में शामिल किया गया तो उसका वाटर अलाउंस बढ़ाकर 5.23 किया गया। इसी तरीके से नोर्थ घग्घर कैनाल सिस्टम, उसमें पूरे सिस्टम को जब आई.जी.एन.पी. में शामिल किया गया तो उसका भी 5.23 क्यूसेक्स किया गया। इसी तरीके से एक छोटी माइनर है राठी खेड़ा माइनर, उसका जब भाखड़ा से आई.जी.एन.पी. में ट्रांसफर किया गया तो उसका भी 5.23 क्यूसेक्स वाटर अलाउंस किया गया और 40-45 हजार एकड़, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना रकबा सिंचित क्षेत्र भाखड़ा का जब आई.जी.एन.पी. में ट्रांसफर हुआ है, समय-समय पर तो उसको भी वहां वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक्स दिया गया है। इसी तरीके से आई.जी.एन.पी. से जितना भी डाइरेक्ट आउटलेट्स लगाये गये बाद में, वह क्षेत्र सारा सिंचित क्षेत्र भाखड़ा का था और जब वह आई.जी.एन.पी. में ट्रांसफर हुआ तो उसको भी 5.23 क्यूसेक्स वाटर अलाउंस दिया गया। या तो जितना क्षेत्र भाखड़ा या गंग कैनाल का ट्रांसफर हुआ था उसका वाटर अलाउंस औरों में भी उतना ही रखा जाता, जिस सिस्टम से उसको निकाला गया या अन्यथा जब बाकी सिस्टम में एटपार आपने आई.जी.एन.पी. का किया तो साउथ घग्घर कैनाल के किसानों ने ऐसा कौनसा बुरा काम किया गया है कि उसको आज डेढ़ महीने से लगातार वह धरने और प्रदर्शन पर बैठे हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले महीने की दस तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदय बदलते अन्तरराष्ट्रीय हालात की वजह से सीमान्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए पधारे थे। वहां पर जाकर सीमा पार की स्थिति का जायजा लेना और वहां के सीमान्त क्षेत्र के किसानों का हौसला-अफजाई करने का मामला था। वहां पर आज तक पिछले पचास साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां की फसल है नरमे और कपास की 80 से 100 परसेंट खराब हो गई, साथ में उनके हक का पानी जो काट लिया गया था उसके लिए वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, बड़े दुःख की बात है कि उनकी मांग नहीं मानी गई, लगातार बीस दिन तक धरने और प्रदर्शन करने के बाद इनटोटो, जो मांग पत्र हमने दिया था इनटोटो उसी तरीके से भाखड़ा का जो पानी इन्होंने छीना था उसको वापस दिया गया तो फिर उनके लाठियां क्यों मारी गईं ? इसी तरीके से साउथ घग्घर कैनाल का किसान है, टेल एण्ड का एरिया है और पिछले साल जब आपने इसको रेगुलेशन में शामिल किया और शामिल करने के बाद में पीने के पानी की समस्या थी, आपने सात रोज की बजाए साढ़े तीन रोज की बारी की थी, यह विषय सदन के अन्दर आया था कि पीने के पानी को निश्चित तौर पर प्रायोरिटी दी जाए। अब वह जो आई.जी.एन.पी. का क्षेत्र है उसका वाटर अलाउंस है 5.23 और उसमें जो एस.सी.सी. को रेगुलेशन में शामिल किया उसका है 2.4 (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : बार-बार जो 5.23 कह रहे हैं वाटर अलाउंस, वाटर अलाउंस है नहीं। फर्स्ट फेज का वाटर अलाउंस 3.5 है। यह बार-बार जो कोट किये जा रहे है, जब तक सैकण्ड फेज नहीं खुले तब तक इनको 5.23 दिया गया था। सैकण्ड फेज जैसलमेर जिले में खुल चुका है, अब इनका वाटर अलाउंस 3.5 है, हमारा पाइंट थ्री है, यह बार-बार 5.23 कह कर हाउस को मिसलीड कर रहे है।

श्री अमीन ख़ान : सही बात कह रहे है यह। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इतना समय लिया है, माननीय सदस्य का मैं बहुत मान और सम्मान करता हूं। (व्यवधान)

श्री अमीन ख़ान : आप लोग तो लोगों को धोखा देना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : यह किसानों के विरोधी लोग किसानों को पानी नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादातर में तो (व्यवधान) हो रही है।

श्री रामप्रताप : एक मिनट, इनका मैं बहुत मान और सम्मान करता हूं मेरे सामने बैठे माननीय सदस्य हैं, इनका भी मान और सम्मान करता हूं। इस सदन के बाहर बैठकर आप कागज-पन्ने ले आना, एक-एक बात का जवाब दूंगा और जो मेरा मांग-पत्र है, आप उस बात को पूरा ध्यान से नहीं समझ रहे हों। हमारे मांग-पत्र में हमने आई.ज़ी.एन.पी. के प्रथम चरण के वाटर अलाउंस के समकक्ष वाटर अलाउंस मांगा है, श्रीमान् जी, उसमें 5.23 या साढ़े तीन का सवाल नहीं है। लेकिन मैं यहां पर इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि पूर्व में जितना क्षेत्र शामिल किया गया था, उसको 5.23 दिया गया था तो आज की तारीख में फर्स्ट फेज में आप जितना भी दे रहे हो आई.ज़ी.एन.पी. को, उसके समकक्ष ही साउथ घग्घर कैनाल को दिया जाए और उसके पीछे औचित्य है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैंने जितने सारे सिस्टम आपको बताये है इनको पूर्व में शामिल करके उतना ही पानी दिया गया है। दूसरा, जो साउथ घग्घर कैनाल का एरिया है वह टेल एण्ड का एरिया है और जब आपने साढ़े तीन रोजा बारी की, तो इनके यहां पर 2.4 क्यूसेक्स पानी है। एक तो आधे से कम पानी, दूसरा, यहां के चक हैं वह 70-70, 80-80 मुरब्बों के हैं और आई.ज़ी.एन.पी. की चकबन्दी हुई उसमें उनके चक हैं, वह 40-40 मुरब्बों के है। यानि कि वहां से दुगुना क्षेत्र इसमें एक-एक चक के अंदर आता है। जिसकी वजह से एक-एक बीघा की बारी साउथ घग्घर कैनाल के अंदर आती है तीन मिनट से लेकर पांच मिनट और आई.ज़ी.एन.पी. के प्रथम चरण में आती है 13 मिनट से लेकर 16 मिनट तक। यानि जब उसको साढ़े तीन रोजा किया गया था तो उस किसान के खेत में जब उसकी बारी आती थी. आप अधिकारियों से पूछ लें, इमानदारी की बात है, माननीय सदस्य मेरा विरोध कर रहे हैं। इन्होंने मेरी बात का फालो नहीं किया, वहां पर उस किसान के खेत में जब पानी

(श्री रामप्रताप)

पहुंचता था उस वक्त उसकी बारी खत्म हो जाती थी। तो जो उसको हिस्सा मिलना चाहिये था, उस हिस्से से वह महरूम रह रहा था।

अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने मुझे इन्टरवीन किया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं लेकिन एक बात का कभी जवाब दे देना कि 5.23 क्यूसेक्स जब वाटर अलाउंस रखा गया और इतने अरबों रुपये इस पर जाया किये गये, चैनल्स को तैयार किया गया, पक्का किया गया तो क्या यह बच्चों का खिलौना कहें कि उस वक्त तो 5.23 दे दिया और अब उसको साढ़े तीन कर देंगे, इसकी रिमाडलिंग कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम उच्च अधिकारियों से वहां पर मिले थे तो उन्होंने कहा कि आपकी बात तो वाजिब है, आफ दी रिकार्ड हम कह रहे हैं। लेकिन अगर इतना वाटर अलाउंस आपका इन्क्रीज किया जाता है तो इस सिस्टम को रिमाडलिंग किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रिमाडलिंग का पैसा नहीं है तो आप रनिंग डेज को इन्क्रीज कर सकते हैं और रिमाडलिंग अगर आप करना चाहती हैं तो कच्चे सिस्टम को, मुझे पूरा यकीन है कि वहां का किसान पूरा सहयोग करके कच्चे सिस्टम को रिमाडल कर देगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वहां डिस्कशन नहीं हाउस में डिस्कशन हो जाए कि फर्स्ट फेज और सैकण्ड फेज का क्या फैसला है। यह जो बात बार-बार कह रहे हैं हाउस के बाहर करेंगे, हाउस के अंदर फैसला कर लिया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई बात कह रहे हैं इससे फैसला हो रहा है क्या? इनकी बात कह लेने दो इनको। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप बिराजिये प्लीज। इनको सवाल कर लेने दो प्लीज। (व्यवधान) आप अपनी तरफ से ले आना। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मैं आपसे इस बात की जानकारी चाहता हूं कि आई.जी.एन.पी. का सिंचित क्षेत्र आगे बढ़ाया गया तो शुरू में जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी आप कहां थे? कोई एरिया शामिल किया जाता है, कोई हटाया जाता है हमें एतराज नहीं है। दूसरा, अगर आप आई.जी.एन.पी. के फर्स्ट फेज का साढ़े तीन क्यूसेक्स कर रहे हैं तो जो आपका एजेण्डा नोट गया था बीकानेर, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आई.जी.एन.पी. की फर्स्ट स्टेज का हम साढ़े तीन क्यूसेक्स करने जा रहे हैं और उसका आधार यह है कि सेम की समस्या है और जो बचा हुआ पानी होगा, उसको हम सैकिण्ड स्टेज में सिंचित क्षेत्र डवलप करेंगे और फर्स्ट स्टेज का जो बचा हुआ क्षेत्र है या जिसको कम पानी मिल रहा है, उसको भी दिया जाएगा। (व्यवधान) मैं तो आप की बात नहीं कह रहा हूं। जितना आप

(श्री रामप्रताप)

आई.जी.एन.पी. को पानी दे रहे हो.... (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर विस्तृत चर्चा हो जाए। यह बार-बार.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह देना ना.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : आप मेरी बात का समर्थन करेंगे जितना आई.जी.एन.पी. को फर्स्ट फेज में दे रहे हैं, उतना देने के लिये आप तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 19 लाख हैक्टेयर में पानी देंगे तो कहां से पानी लाएंगे? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : श्रीमान् जी तीन दफे इसको चेंज किया गया है उसमें तो मैंने कभी आब्जेक्शन नहीं किया। आपके शुरू में 33.56 लाख एकड़ था, उसके बाद बढ़कर 36.86 लाख एकड़ किया, उसके बाद में 28.4 लाख किया। मैंने विरोध तो नहीं किया। कोई मजबूरियां होंगी, कोई कारण होगा। जो डवलप्ड एरिया है और जिसके अंदर... (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : पानी पाकिस्तान जा रहा है, इसलिए पानी आपको दिया गया।

श्री रामप्रताप : आप मेरी भी सुनिये। मैं मेरा हिस्सा मांग रहा हूं, आप बिना मतलब के उलझ क्यों रहे हैं? आप अपना हिस्सा ले ओ न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया लेकिन मेरी बातें बड़ी स्पष्ट हैं। माननीय मंत्री महोदया बिराजी हुई हैं, यह मेरे इस सवाल के जवाब के लिये बाध्य नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे के लिये आप सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करके वहां का किसान जो डेढ़ महीने से परेशान है....(व्यवधान) अगर आप जवाब दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : किरोड़ीलाल जी, आप बिराजो।

डा. श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह मुद्दा पहली बार ही प्रस्तुत किया है। मेरे सामने पहले कभी इन्होंने यह बात रखी नहीं, न मेरे नोटिस में आई कि यूनिफार्म पैटर्न नहीं है और अलग-अलग ढंग से डील किया जा रहा है तो आपने मुझे जो विवरण बताया है वह थोड़ा लिखकर दे देंगे तो मैं जांच करवा लूंगी।

श्री रामप्रताप : बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया, लेकिन इतना आग्रह करना चाहूंगा कि आपके चीफ इंजीनियर वहां पर बिराजे हुए हैं। यहां पर आपके अधिकारी हैं, लगातार डेढ़ महीने से हमारा मैमोरेण्डम आ रहा है और आपने इस बात को ध्यान से सुना, आपके नोटिस में नहीं आया तो आप जानकारी भी करें और साथ में यह भी जानकारी करें कि डेढ़ महीने से किसान वहां पर आन्दोलित हैं तो क्यों नहीं आपको इसकी जानकारी दी गयी।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न मंत्री महोदया ने। श्री माहिर आजाद।

रूपारेल नदी से भरतपुर को कम पानी दिये जाने विषयक

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : नहीं, यह तो सिंचाई मंत्रीजी से सम्बन्धित है, स्वायत्त शासन से नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में थानागाजी तहसील में रूपारेल नदी पर नटनी का बारा बीर पर एक रियासतकालीन संधि हुई थी और उस संधि के अनुसार भरतपुर को नदी का 55 प्रतिशत और अलवर को 45 प्रतिशत जल का बंटवारा होता था। बारा बीर से भरतपुर की तरफ आजकल बिलकुल भी पानी नहीं आ रहा है जबकि रियासतकालीन जो समझौता हुआ था उस समझौते के मुताबिक यह था कि 55 प्रतिशत पानी भरतपुर को दिया जाएगा और 45 प्रतिशत पानी अलवर उसका यूज करेगा। इस जल का वितरण 10 जून से 10 अक्टूबर के मध्य इस शर्त के आधार पर होगा लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई एक संस्था है तरुण भारत संघ समाज, उसने....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सरकार से भी बड़ी है यह।

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार से भी बड़ी है, ऐसा नहीं है। तरुण भारत संघ द्वारा वहां पर बांध बनाकर नदी के प्रवाह को पूर्ण तरीके से रोक दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे स्थिति यह है कि भरतपुर जिले को जो पानी मिलना चाहिये था, वह पानी बिलकुल नहीं मिल पा रहा है और आज भरतपुर जहां हमेशा बारिश का आधिक्य होता था, भरतपुर नोन फैमिन डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट था, पिछले वर्ष भरतपुर जिले में कुछ क्षेत्रों में अकाल रहा और इस समय भरतपुर पर अकाल की छाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस अकाल की मार तो भरतपुर का काश्तकार झेल ही रहा है और उसको सिंचाई के लिये जो पानी इस रूपारेल नदी का मिलता था, उसको और रोककर उसकी कमर तोड़ने का काम इस संघ द्वारा किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर के किसानों के साथ न्याय होना चाहिये और रूपारेल नदी का पानी, जो हमेशा से भरतपुर को मिलता रहा था, वह पानी मिलता रहना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने भी इसका अवलोकन किया है और एक सर्वदलीय संघर्ष समिति बनी, उसने भी 02 सितम्बर को माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीया सिंचाई मंत्रीजी को एक ज्ञापन दिया था, मैं आपके माध्यम से यहां उसको उद्दृत करना चाहूंगा, "2 सितम्बर, 2001 को सर्वदलीय संघर्ष समिति, भरतपुर के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण दल लावा का बास, थानागाजी, अलवर, जहां पर कि रूपारेल नदी पर तरुण भारत संघ द्वारा बांध बनाकर नदी के प्रवाह को पूर्णतया रोक दिया गया है, की वस्तुस्थिति जानने के लिये गया था। दल ने बड़ौदामेव से लावा का बास तक रूपारेल नदी का निरीक्षण किया। नटनी का बारा बीर का निरीक्षण किया। जहां से भरतपुर और अलवर को रियासतकालीन संधि के अनुसार भरतपुर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को नदी का 55 प्रतिशत और अलवर को 45 प्रतिशत जल का बंटवारा होता है। बारा बीर से भरतपुर की तरफ बिलकुल भी पानी नहीं जा रहा था, थोड़ा बहुत पानी था, वह भी समस्त पानी अलवर की ओर प्रवाहित किया जा रहा है जबकि संधि के अनुसार 10 जून से 10 अक्टूबर तक उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार ही जल का बंटवारा होना चाहिये था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लावा का बास पर रूपारेल नदी पर जो बांध बनाया गया है, वह करीबन 900 फीट लम्बा है, 60 फीट ऊंचा है तथा उसकी पाल की चौड़ाई नीचे से 250 फीट तथा ऊपर चोटी पर 45 फीट है जिसमें आज भी पानी करीबन 30 फीट गहराई में भरा हुआ है। कुछ दिन पूर्व ही लोगों में एक भ्रामक प्रचार हुआ कि बांध में एक कट नक्का बनाकर भरतपुर के पानी को निकाला जा रहा है जो तथ्यों से परे है, क्योंकि जो एक तीन फीट चौड़ी नाली खोदी गयी है, वह नदी के तल से 30 फीट ऊपर है। यही कारण है कि 30 फीट पानी भरा होने के बावजूद भी खोदी गयी नाली में पानी नहीं बह रहा है। इस बांध को बनाने से एक तरफ तो भरतपुर रियासतकालीन संधि का उल्लंघन हुआ है। और दूसरी तरफ भरतपुर जिले के हितों पर भारी के कुठाराघात हुआ है। जिसकी सभी दलों के सदस्यों ने भर्त्सना करते हुए सरकार से मांग की थी कि भरतपुर के हित को ध्यान में रखते हुए तुरन्त कार्यवाही की जाय अन्यथा भरतपुर जिले के वासियों को भारी नुकसान होगा, काश्तकार बरबाद हो जायेगा।

इस निर्णय पर सभी दलों के सदस्य एक मत हैं क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं होकर भरतपुर जिले का हित निहित है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह जो अवगत करा रहे हैं यह तथ्यों के विपरीत है। रियासतकालीन संधि का अब कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि रियासतें भी नहीं रहीं और यह पुराना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात करने दें। सिंचाई मंत्रीजी कोई बात करें तो समझ में आती है, इनको क्या परेशानी हो गयी?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और दूसरा, अलवर जिले में पानी बरसा ही नहीं। जब पानी बरसा ही नहीं, जब नार्मल बरसात ही नहीं हुई, औसत वर्षा नहीं हुई इसलिए वहां पानी ही नहीं गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इनके + + +? डाक्टर साहब, कोई दवा दो। इनके क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जहां भरतपुर जिले में पांच-पांच जगह से पानी आ रहा है...(व्यवधान) अब इस एग्रीमेंट का कोई महत्व नहीं है, इसलिए लावा का बास का.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई चूर्ण वगैरह दवा दो इनको।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर में बांध तो और भी बनने चाहिए, माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। दोबारा से यह रियासतकालीन संधि का है, वहां भरतपुर जिले में पांच-पांच जगह से पानी जा रहा है। अलवर जिले के साथ भारी अन्याय हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह जो तथ्य हैं यह बिलकुल गलत हैं, यह तथ्यों से परे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैग्सेसे पुरस्कार मिला तरुण भारत संघ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बात कौन कह रहा है, यह राज मैं अभी आपको बता दूंगा तो आप खुद शर्मिन्दा हो जाओगे, मूछें नीची कर लोगे। बैठ जाइये, बीच-बीच में खड़े होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए यह बात अवगत कराना, यह तथ्यों से विपरीत है, यह बिलकुल तथ्यों से परे है, असत्य है और भ्रामक प्रचार है। अलवर जिले के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, यह बिलकुल तथ्यों से विपरीत धारणा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज-प्लीज, विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जब कटारियाजी बोलेंगे तब हम डिस्टर्ब करेंगे तब क्या होगा ?...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए सिचाई मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे इसमें मध्यस्थता करें अलवर और भरतपुर में दोबारा रियासतकालीन संधि को लेकर। पांच-पांच जगह से भरतपुर को पानी जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यमुना नहर से, गिर्राज कैनाल से, गोवर्धन कैनाल से, रूपारेल से, बाणगंगा से.......(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी आंखों में से भी पानी आ जायेगा भरतपुर में तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए अलवर भरतपुर को पानी का बंटवारा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, माननीय सिंचाई मंत्रीजी विराजे हैं, दोबारा से इस बारे में पुरानी रियासत का हवाला नहीं दिया जाय क्योंकि रियासतें खतम हो गयीं, रियासत के एग्रीमेंट खतम हो गये। ना वो स्टेट हैं ना स्टेट के उनके कोई राजा हैं जो उनकी रियासत के एग्रीमेंट को माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजो, हो गयी न बात।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं बैठने वाले, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसलिए माननीय सदस्य जो अवगत करा रहे हैं बिलकुल असत्य है, तथ्यों से परे है। अलवर जिले के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

साथ अन्याय है, न्याय दिलाया जाय। यह लावा का बास जो है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जो व्यक्ति है उसका विधान सभा में अवगत कराना और तथ्यों से विपरीत है........(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उस पर बलात्कार का आरोप भी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा क्षेत्र रामगढ़ भी इसी रूपारेल पर आता है इसलिए वहां पर तीन डेम और 8 चैक डेम बनाये जाएं। यह मैंने सिंचाई मंत्री महोदय को लिख कर दिया हुआ है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भारी अन्याय हो रहा है अलवर जिले के साथ में।.......(व्यवधान) इसलिए इसका कोई हवाला न देकर के दोनों जिलों को मध्यस्थता करें, उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी थी, इनकी कार्यवाही को निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनके कहने से न तो पानी छूट रहा है न आ रहा है और ना बांध बन रहा है। इनको अपनी बात कह लेने दो न, आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, उस संधि का हवाला गलत दिया जा रहा है, सदन को भ्रमित किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कह देना, वापस उठा लेना पर्ची के माध्यम से।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गुमराह किया जा रहा है सदन को यह जो माननीय सदस्य ने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात, अब विराजिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां जिस कागज का उद्धरण किया है उसमें किन-किन लोगों के दस्तखत हैं, जब मैं बताऊंगा तो इनकी आंखों में पानी आ जायेगा, भरतपुर को तो आयेगा कि नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप आर्ग्युमेंट मत करो, अपनी बात करो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह रहा था, उनको रोकना चाहिए था जब मैं बोल रहा था उस वक्त।

श्री उपाध्यक्ष : वह रुके तो रोकूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से काश्तकारों के साथ भारी कुठाराघात हो रहा है जिसकी सभी दलों के सदस्यों ने मांग की है कि भरतपुर के हितों को ध्यान में रखते हुए तुरन्त कार्यवाही की जाय अन्यथा भरतपुर जिले के किसानों का बड़ा नुकसान होगा। इस निर्णय पर सभी दलों के सदस्य एकमत हैं क्योंकि इसमें कोई राजनीति नहीं होकर भरतपुर जिले का हित निहित है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर जिले के भी सभी दल, सभी संगठन धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता एकमत हैं। अगर भरतपुर जिले के एकमत हैं तो अलवर जिले के भी एकमत हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रतिनिधि मण्डल में भरतपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डा. गोविंद शर्मा, भरतपुर जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इनके नेता श्री गिरधारी तिवाड़ी और सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष, गिरधारी लाल खण्डेलवाल, पूर्व विधायक, सुरेश शर्मा और तकनीकी विशेषज्ञ श्री शिव रतन सिंह धनखड़ एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र, उर्फ लाला भी सम्मिलित थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिचांई मंत्री महोदय और सदन का ध्यान आकर्षित कर के केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर का हिस्सा अलवर को मिले, हमको इससे भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन भरतपुर के काश्तकारों का जो हिस्सा हमेशा से मिलता आ रहा था रूपारेल नदी से पानी का वह हिस्सा रोका जा रहा है, इससे भरतपुर के अन्दर भारी असंतोष है। भरतपुर का हिस्सा भरतपुर को मिलना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, आपकी यह पर्ची है। इसका मामला हाई कोर्ट में पैंडिंग है और इसलिए इसमें अलाउ करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं कोई लेना-देना नहीं। मैं किसी हाई कोर्ट के मामले पर यहां नहीं हूं। मैं आपको जो विषय रख रहा हूं, जब यह हाई कोर्ट में है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विषय तो है न, यह सामने है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है कि अगर हाई कोर्ट में कोई चीज पैंडिंग थी तो सरकार को भी चाहिए था कि नये चुनाव की नोटिफिकेशन नहीं निकालते। अगर सरकार हाई कोर्ट की अवहेलना करती है....

श्री उपाध्यक्ष : जो भी स्थिति है, आज की तारीख में सरकार ने क्या किया I am not concerned. सरकार ने क्या किया, यह मेरा सब्जेक्ट नहीं है....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार ने हाई कोर्ट की, इतना तो धैर्य रखना चाहिए था हाई कोर्ट का....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब्जैक्ट यह है कि हाई कोर्ट में यह मामला पैंडिंग है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हाई कोर्ट का इतना धैर्य रखना चाहिए था सरकार को....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, 19 तारीख थी राजस्थान उच्च न्यायालय में....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह विषय हाई कोर्ट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में...(व्यवधान) मैं आपको यह प्रार्थना कर रहा हूं कि आप केवल मेरी एक बात सुन लें।

(आसन से हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य, सरकार के पास पैंडिंग था, हाई कोर्ट में पैंडिंग था, सरकार ने क्या किया, वह मेरा कन्सर्न नहीं है। मेरा कन्सर्न यह है कि हाई कोर्ट में पैंडिंग है इसलिए इसको अभी यहां अलाउ नहीं कर रहा।...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हाई कोर्ट एक्शन लेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कैसे, क्या? फिर सब्जेक्ट क्या है? (व्यवधान) हाई कोर्ट में पाबन्दी लगा दो फिर इनको बोलने दें, यह क्या सम्भव है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अगर अवहेलना हुई तो हाई कोर्ट इनके खिलाफ कार्यवाही करेगी न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह हाई कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच की बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज बोल रहे हो अंकित तो हो नहीं रहा है It is not recording. I will not allow you.

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हाई कोर्ट एक्शन लेगा इनके खिलाफ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हो, अंकित हो नहीं रहा है। I am not allowing you.

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

(13.00 बजे)

श्री हरिसिंह (महुवा) : × × ×

श्री ज्ञानदेव आहूजा : × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती कमला।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या प.6(13)राज-6/91/पार्ट-I/15 दिनांक 20.4.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.6(13) राज-6/91/पार्ट-I/28 दिनांक 11.8.2001 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या प.6(6)राज-6/92/17 दिनांक 30.4.2001, अधिसूचना संख्या प.6(3)राज-6/2000/17/29 दिनांक 1.6.2001, अधिसूचना संख्या प. 6(6) राज-6/92/31 दिनांक 1.6.2001, अधिसूचना संख्या प.6 (5)राज-6/2000/27 दिनांक 21.5.2001 एवं अधिसूचना संख्या प6(5)राज-6/2001/33 दिनांक 1.6.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या प6(25)राज-6/99/18 दिनांक 30.4.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र का आबंटन) नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या प6(3)राज-6/2000/19 दिनांक 30.4.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषित्तर भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या प6(4) राज-6/2001/28 दिनांक 21.5.2001 जिसके द्वारा आदेश संख्या-5(109)राज/बी/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या प6(25)राज-6/99/18/30 दिनांक 1.6.2001 एवं अधिसूचना संख्या प.(6) राज-6/92/32 दिनांक 1.6.2001 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या प.6(6)राज-6/99/47 दिनांक 15.9.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

(8) अधिसूचना संख्या प.6(39)राज-6/2001/59 दिनांक 28.9.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तल भूमियों का खेती हेतु आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।

(9) अधिसूचना संख्या प.6(39) राज-6/2001/60 दिनांक 28.9.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में परिवर्तन किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या प.5(1) राज-6/2001/65 दिनांक 16.10.2001 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजकीय) नियम, 1955 में परिवर्तन किया गया है।

परिवहन विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ.6 (116) परि/कर/मु. दिनांक 20.2.2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेखित कालावधि के लिए कतिपय वाहनों को इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन देय शास्ति का परिहार किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या एफ.6(96)परि/कर/मुक्त/मु/पार्ट-III दिनांक 30.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अन्य राज्यों के ऐसे भारी वाहनों को जो राजस्थान राज्य में अकाल राहत कार्य के लिये चारा पहुंचा रहे हैं, उन्हें दिनांक 31.7.2001 तक के लिये करों में परिहार किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 6(96)परि/कर/मुक्त/मु/पार्ट-III दिनांक 30.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में पंजीकृत ऐसे सभी पानी के टैंकरों के लिये जिनका प्रयाग जल वितरण के लिये राज्य में किया जा रहा है, को दिनांक 31.7.2001 तक के लिये कर में परिहार किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 6(96) परि/कर/मु/1 दिनांक 7.4.2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के वाहन संख्या के.एल.-01-जे-193 को उक्त अधिनियम के तहत देय कर का परिहार किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 7(52) परि/रूल्स/एच.क्यू/पार्ट-III दिनांक 29.5.2001 जिसके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1978 की धारा 38 के अन्तर्गत राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 6(96) परि/कर/मु/2001 दिनांक 9 जुलाई 2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

इण्डियन आयल कम्पनी के रिफ्यूलर वाहन संख्या आर.जे.-19, आईजी 1931 को उक्त अधिनियम के तहत देय कर का परिहार किया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या प.7(4) परि/नियम/मु.पार्ट-II दिनांक 12.7.2001 जिसके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1998 की धारा 96 के अन्तर्गत राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 6(260) परि/टैक्स/एच.क्यू.×99 दिनांक 2.8.2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत उक्त अधिनियम के अधीन संदेय विशेष सड़क कर और मोटरयान कर तथा अधिभार पर अधिरोपित शास्ति या ब्याज, जो दिनांक 31.3.2000 तक संदेय हो, उसमें छूट दी गई है।

(9) अधिसूचना संख्या प. 7(94)परि/नियम/मु./94 दिनांक 17.8.2001 जिसके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 28 के अन्तर्गत राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं।

(10) अधिसूचना संख्या प. 6(96)परि/कर/मुक्त/मु/971/पार्ट-II दिनांक 14.9.2001 जिसके द्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्रों पर दिनांक 17.9.2001 से 29.9.01 की अवधि के लिए अजमेर आने जाने वाले यात्री वाहनों पर कतिपय करों का परिहार किया गया है।

(11) अधिसूचना संख्या एफ.7(94)परि/रूल्स/एच.क्यू./94 दिनांक 16.10.2001 जिसके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1998 की धारा 96 के अन्तर्गत राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 6(96) कर/शैक्षणिक/89 दिनांक 23.10.2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विकलांग छात्रों एवं सदस्यों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु अनुबंधित वाहन पर कर का परिहार किया गया है।

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 6(229) परि/कर/मु/1 दिनांक 27.10.2001 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3(1) के अन्तर्गत भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर की बस संख्या आर.जे.-14-पी-9100 को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर का परिहार किया गया है।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल, रख दिया लेखा एवं प्रतिवेदन ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डा. चन्द्रभानजी वाला ?

श्री उपाध्यक्ष : हां।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 48(2) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय,—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवालजी, बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक जानकारी करना चाहता हूं कि वार्ड पंचायत के चुनाव हुए और जिला परिषद के चुनाव हुए उसमें हाई कोर्ट का कोई स्थगन आदेश है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : हाई कोर्ट का स्थगन आदेश है कि नहीं, यह तो गवर्नमेंट बतायेगी लेकिन हाई कोर्ट में यह केस पैंडिंग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इसका स्थगन आदेश है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो गवर्नमेंट बतायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन से कहा है आपने।

श्री सी.पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,—

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए-बिराजिए। इश्यु ही बन्द हो गया न अब तो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब दे रहे हैं न। ऐसे कैसे बन्द हो गया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : प्रतिपक्ष के नेता महोदय बहुत बाद में जागे, अब तो हम बहुत आगे बढ़ गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो नहीं चलेगा ऐसे।

श्री उपाध्यक्ष : इस सब्जेक्ट को अलाउ नहीं कर रहे हैं फिर बहस क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनो तो सही। जवाब मत करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठहर तो जाओ। सब्जेक्ट को अलाउ इसलिए नहीं किया कि मैटर सबजुडिस है, यही है न? सबजुडिस है तो मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि वार्ड पंचायत के चुनाव हुए। नामांकन.....

श्री उपाध्यक्ष : यह जानकारी कौन दे आपको ? इश्यू ही नहीं है सामने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार कहां बीच में आ रही है। पर्ची पर मसला उठाया है। यह आसन और आपके बीच का मामला है। (व्यवधान) सरकार के पास कौनसा नोटिस भेजा है इन्होंने। हाई कोर्ट भी आप ही गये हैं, आपकी जानकारी में है फिर भी आप हाई कोर्ट.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्यों बोल रहे हो फिर? उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा। मुझे तो एक बात आप बता देओ कि यह मामला सबजुडिस है क्या? (व्यवधान) आप तो इतना सा बता देओ कि जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव या पंचायत वार्ड के चुनाव, यह सबजुडिस है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : हाई कोर्ट में है तो सबजुडिस ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सबजुडिस है क्या, यह चुनाव का मामला सबजुडिस है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : जिला प्रमुख का मामला हाई कोर्ट में पैंडिंग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जिला प्रमुख चलता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : व्हाटएवर इश्यू, इश्यू समाप्त होगा जब तक सबजुडिस है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न चल रहा है चुनाव का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रिमूवल का सबजुडिस है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर इलेक्शन स्टे किया है तो भी इलेक्शन कमीशन ने किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसने?

श्री उपाध्यक्ष :.....Which is an independent body.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक काम कर दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने से, इलेक्शन कमीशन ने जो आर्डर इश्यू किया है उसकी कापी सदन की मेज पर रखवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अभी कहां से रखवा दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, रखवा दीजिए। मैं आरोप लगाता हूं कि उस आर्डर में हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख है आबलिग करके। एक तरफ लिखा है "निर्वाचन आयोग" और दूसरी तरफ "हाई कोर्ट" या हाई कोर्ट का आदेश"। किस आधार पर मंत्री महोदय ने अपने आदेश में लिखा है?

श्री सी.पी. जोशी : मंत्री महोदय का कोई आदेश ही नहीं है। मंत्री महोदय को क्या करना है। मेरा तो कोई आदेश ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका आदेश नहीं हो, आपका नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : न इधर का है, न उधर का है। एक मिनट। जुडिशियरी का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इश्यू को ओपन क्यों कर रहे हैं?

श्री सी.पी. जोशी : लेकिन, I want to put....

श्री उपाध्यक्ष : Why do you want to open this issue again? (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल रहे हैं न, सुनो आप। बिराजें।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जो वस्तुस्थिति है उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह रिकार्ड हो रहा है न?

श्री उपाध्यक्ष : होगा ही यह तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, तो बाकी के साथ भी न्याय करिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : बाकी का सोचेंगे। अभी तो इनका होने दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक के साथ करें, दूसरों का रिकार्ड ही नहीं हो।

श्री सी.पी. जोशी : नहीं, आप चाहें तो मुझे रिकार्ड नहीं कराना। मुझे आपने कहा है मुझे कोई रिकार्ड नहीं कराना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी, मैं चाहता हूं कि आप बोलें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न हैं। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि गम्भीरता से इस प्रश्न को उठाया जाना चाहिए और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जो क्वालिफिकेशन चुने हुए प्रतिनिधि के सम्बन्ध में है, सरकार ने जो अमैण्डमेंट किया है हाई कोर्ट ने उस अमैण्डमेंट को अपहैल्ड किया। उस अपहैल्ड के आधार पर जो चित्तौड़ के जिला प्रमुख चुनाव जीते उसके बाद उनकी शिकायत आयी। शिकायत आने के बाद जो धारा है। 19(6)(6)जी.जी. है, उस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही हुई। सरकार की कोई मंशा, कांग्रेस की वहां पर जिला परिषद बनाने की नहीं है। वहां के उप प्रमुख बी.जे.पी. के थे, बी.जे.पी. के उप प्रमुख को उनका चार्ज दिया गया और वहां के जिला प्रमुख जिनको डिसक्वालिफाई किया, वे हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट में इस बात पर गये कि जो डिसक्वालिफिकेशन किया गया है, वह ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मसले पर चर्चा की, चर्चा के सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने बर्बली यह आर्डर दिये कि चूंकि चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है इसलिए इनके फार्म को भी कंसीडर किया जाए। सरकार की यदि नीयत खराब होती, सरकार की यदि पोलिटिकल बेंजिएंस लेने की कोई इच्छा होती तो जो फार्म वहां पर भरा उस फार्म के समय भी वे डिसक्वालिफाई थे। कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि वे क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। कोर्ट ने कहा था कि इनको फर्म भरने की इजाजत दी जाए। मैरिट में नहीं गये, क्वालिफिकेशन में नहीं गये। सरकार ने उसकी क्वालिफेशन के सम्बन्ध में कोई डायरेक्शन नहीं दिये क्योंकि कोर्ट में जो मैटर सब जुडिस था उस कोर्ट ने यह कहा कि इस प्रोसेस के आधार पर इनके फार्म को लिया जाए। आज भी स्थिति माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यही है कि कोर्ट को यह फैसला करना है कि 19 जी.जी. की जो धारा है वह धारा सही है या गलत

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

है। इलेक्शन को प्रभावित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आज भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उप प्रमुख के पास चार्ज है इसलिए कांग्रेस का, उसमें प्रमुख "एक्स" बने या उप प्रमुख, चार्ज वाला बने, उससे कोई राजनीति करने की इच्छा हमारी नहीं है। हम तो यह चाहते हैं और आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार ने इस सारे प्रकरण में अपना कोई भी प्रयास उपयोग में नहीं लिया। आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि कोर्ट के कारण जो स्थिति बनी है, कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, सरकार फेथफुली उसके ऊपर आब्जर्व करेगी, न हमने पहले उसको क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में जो कोर्ट ने कहा उसके डिटर्मिनेशन में भी हमने डायरेक्शन नहीं दिया। यदि हमारी नीयत खराब होती तो हम कहते कि हमने डिसक्वालिफाई किया उस आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि हमारा फैसला था कि डिसक्वालिफाई माना है लेकिन हमने कोर्ट की सेंक्टिटी को मानते हुए उसकी मैरिट में हम नहीं गये। पूरी प्रक्रिया हुई। चुनाव में वे जीते। हमें आज भी उसमें कोई नहीं है और कल जो प्रमुख का निर्णय होगा उसमें जो भी कोर्ट डायरेक्शन देगा, हम उसमें कोई भी, आपको खुद को मालुम था कि वोट पड़ चुके हैं परिणाम जो भी होगा उसको हम प्रभावित नहीं करने वाले हैं। 19 तारीख को कोर्ट के अन्दर पेशी है। मेरा विपक्ष के नेता महोदय से भी निवेदन है कि जब कोर्ट में कोई मामला था तो धरना लगाने की क्या आवश्यकता है? हम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए अपने आपको समर्पित नहीं करना चाहते, सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारा निर्णय गलत था तो कोर्ट उसके ऊपर फैसला कर लेगी उसको हम कोई प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट की प्रक्रिया के अन्तर्गत उनका फार्म लिया गया। वो विजयी हुए, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके कोर्ट के निर्णय के सम्बन्ध में यदि हम अपने आपको जितना दूर रखेंगे उतना जुडिशयरी इंडिपेंडेंट फैसला कर पायेगी और सरकार के ऊपर भी अंकुश रहेगा इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर, इन पंचायत के या किसी भी लोकल बाडी के जो सरकार के निर्णय हैं इनके सम्बन्ध में कोर्ट से जो फैसला हो जाए हमें मानने में कोई तकलीफ नहीं है। आज भी कोर्ट ने इस चयन तक मुझे पता नहीं है कि आज की पेशी थी लेकिन जब मैं असेम्बली में आया तब तक, कोर्ट ने 19 जी.जी. की धारा के अन्तर्गत तत्कालीन प्रमुख को स्टे नहीं दिया है। इसका मतलब कोर्ट ने हमारे निर्णय के ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क नहीं किया। तो आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है, वह आज भी डिसक्वालिफाई हैं इसलिए कानून में यह स्थिति बन जाए। सरकार ने डिसक्वालिफाई किया, कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिया वह फिर प्रमुख बन जाय यह जो स्थितियां बनी हुई हैं कहीं न कहीं निर्णय जुडिशियरी के आधार पर होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी निर्णय

(श्री सी. पी. जोशी)

करें उस निर्णय को, ईमानदारी से निष्ठा से सरकार उसका पालन करेगी। सरकार की न आज नीयत है न भविष्य में नीयत है, हम कभी भी पोलिटिकल आधार पर इन निर्णयों को प्रभावित नहीं करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात उठा रहे थे माननीय मंत्री महोदय के मुंह से निकल गयी। बात यह थी कि जिला परिषद् और जिला परिषद् के प्रमुख, जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उनको फार्म भरने की हाई कोर्ट ने परमिशन दी है। यह तो तथ्य है ना? फार्म भरने की दी। तो आप मुझे बता दीजिए कि हाई कोर्ट ने काउन्टिंग को रोका है क्या?

श्री सी. पी. जोशी : जिस कोर्ट में उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर प्रे करने गये भैरोंसिंह जी, प्रमुख महोदय उस पर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। इसका मतलब कोर्ट आज भी सरकार के निर्णय को जिसमें उसको डिसक्वालिफाई किया 19 जी.जी. को, उसको आज भी आधार मानती है। आज भी उनके खिलाफ जो पेश हुआ उसमें प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश है। उसमें चालान पेश हुआ है। वह स्थिति आज की आज है। आप क्या यह मानते हैं कि आज के दिन उस डिसक्वालिफिकेशन के बाद भी प्रमुख हो जाय वह। यह लोकतंत्र के लिए ठीक है आप फैसला कर लें. We are not intervening in it. वह आज भी पोलिटिकली वहां पर बी.जे.पी. के उप प्रमुख, प्रमुख का चार्ज ले रहा है. What is the political motive? हम क्या इनफरेंस करना चाहते हैं। हमारी यदि नीयत खराब होती तो कोर्ट ने हमको नहीं कहा है, माननीय विपक्ष के नेता जी, हमें कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि उसको क्वालिफाई मानें या नहीं मानें। कोर्ट ने खाली यह कहा है कि फार्म भरने के लिए दिया जाय. They have not gone into the merits.यदि सरकार की नीयत खराब होती तो हमने जो फैसला किया था 19 जी.जी. के अन्दर उसी को डिसक्वालिफाई कर लेते हम और इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देते। लेकिन हमारी मन्शा थी कि कोर्ट इस मैटर को पूरा एक्जमिन कर रहा है इसलिए कोर्ट जो बातें कह रहा है उसको हम फालो करना चाहते हैं। और आज भी स्थिति यह है कि यदि प्रमुख का रिजल्ट निकल जाता है इसका मतलब कोर्ट ने जो अभी तक स्टे नहीं दिया उसका नेगेशन होकर वहां पर बन जाएगा। तो यह जो जुडिशियरी के निर्णय करने के कारण स्थिति बनी है वह जुडिशियरी को ही फैसला करना है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में हम बहस नहीं करें और जुडिशियरी पर छोड़ दें। और बेंच बनी हुई है चीफ जस्टिस राजस्थान के हाई कोर्ट की बैंच बनी हुई है उसके निर्णय को हम प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं, और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि भविष्य में यह प्रैक्टिस नहीं बनेगी। कोर्ट फैसला कर देगी उसको मानेंगे हम और आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि इसको बहस का मुद्दा नहीं बनायें और कोर्ट जो फैसला करेगी इमानदारी से, फेथफुली उसको

आब्जर्व करेंगे, उसमें हम कभी भी टेम्पर करने की कोशिश नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहत हूं कि कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे चाहे जिला परिषद के जिला प्रमुख के खिलाफ हो, चाहे वार्ड के पंचायत से चुना हुआ सदस्य है उनके खिलाफ हो। आप इस बात का मन में संकोच ही मत रखिये कि हम हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं करेंगे। प्रश्न यह आता है कि उसी हाई कोर्ट ने जिसके फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, माननीय जिला प्रमुख के सदस्य भैरोंसिंह को फार्म भरने की इजाजत दी उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि फार्म भरने के बाद का काउन्टिंग नहीं होगी अगर काउन्टिंग के बारे में हाई कोर्ट कह देती तो यहां चर्चा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और न वहां किसी प्रकार का आन्दोलन होता। आप भी इस प्रश्न का मौन हैं कि काउन्टिंग के लिए हाई कोर्ट ने नहीं रोका है तो मुझे बता दीजिए यह कौनसी व्यवस्था है कि आप किसी का फार्म तो भरवा दें, वोट पड़ जाएं और पड़ने के बाद काउन्टिंग नहीं हो, यह कौनसी व्यवस्था है, कौनसा कानून है उसी कानून के अन्तर्गत अगर आप कार्यवाही करते तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। बल्कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा, मैं मंत्री महोदय की जिम्मेदारी पर नहीं कहना चाहता लेकिन जो इलेक्शन कमीशन बना हुआ है पंचायत राज का, उसने काउन्टिंग रोका है। और काउन्टिंग रोका है तो माननीय मंत्री महोदय, मैं जो कह रहा हूं उसका खण्डन कर दें कि काउन्टिंग रोकने का जो आर्डर किया है उस आर्डर में निर्वाचन आयोग/हाई कोर्ट लिखा हुआ है। मुझे तो वह हाई कोर्ट का आदेश बता दें जिसके कारण से काउन्टिंग रोका है। इतना सा मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : हाई कोर्ट ने ऐसा कौनसा डायरेक्शन दिया कि हो जाना चाहिए? हाई कोर्ट ने केवल यह कहा है कि उसके फार्म को........ I am not competent to give judgement on the court. कोर्ट में जो मैटर था उस कोर्ट के मैटर में यह था हमें डिसक्वालिफाई नहीं किया और उसमें प्रक्रिया थी इसलिए कोर्ट ने यह भी नहीं कहा........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कह रहे हैं कि सब मान रहा हूं मैं। मुझे तो आप यह बता दें कि आपने जब चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी, नोमिनेशन कर दिया, जांच हो गयी, वोट पड़ने की बात आ गयी, वोट पड़ गये फिर........ काउन्टिंग कैसे रोकी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : इसका जवाब देने के लिए मैं काम्पीटेंट नहीं हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट........

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, इनका जवाब देने दीजिए। काउन्टिंग न तो गवर्नमेंट ने रोकी है और न गवर्नमेंट ने........(व्यवधान) आर्डर प्लीज, आप बिराजिये, इसका जवाब देने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय में.......

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें पहले इनका जवाब देने दीजिए, आप बोल लेना I will allow you.आपने कहा कि हाई कोर्ट/इलेक्शन कमीशन कोई आर्डर निकला है, How is the government concerned?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसका मतलब यह समझते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : काउन्टिग रोका इलेक्शन कमीशन ने How is the government concerned?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Government is responsible for Panchayati Raj elections.

श्री उपाध्यक्ष : इलेक्शन कमीशन ने, गवर्नमैंट आफ इण्डिया के इलेक्शन कमीशन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक्ट मंगवाकर देख लीजिए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो स्वयं इतने विद्वान हैं, गवर्नमेंट आफ इण्डिया के इलेक्शन कमीशन ने भी कई दफा रिजल्ट रोका है, कई दफा काउन्टिंग रोका है, कोई कारण होता है तो रोकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मेरी बात समझ लीजिए। इलेक्शन कमीशन रोकता कोई आपत्ति नहीं थी....

श्री उपाध्यक्ष : और किसने रोका है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मेरी बात तो सुनिये आप, आब्लिक करके हाई कोर्ट कैसे लिख दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : यह इनसे कैसे पूछ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनसे नहीं तो किससे पूछूंगा ? आपसे पूछगा क्या ? कौन जवाब देगा इस बात का ?

श्री उपाध्यक्ष : पता करके बतायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Who is responsible?

श्री उपाध्यक्ष : आफ हैंड तो मैं जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आफ हैंड तो जवाब नहीं दें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने न तो आर्डर देखा, आफ हैंड कैसे जवाब दे सकता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप आफ हैंड जवाब नहीं दे सकते तो...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा जिससे भ्रम पैदा हो रहा है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई भ्रम नहीं है। कैसा भ्रम है ? बैठिये

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिसके आधार पर इनको अयोग्य घोषित किया, उसका कोर्ट में जाकर के वह केस पैण्डिग था लेकिन जब सरकार ने यह सारी चुनाव की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रक्रिया चुनाव आयोग के माध्यम से निकाल कर इसमें नवां बिन्दु है जिला परिषद की बैठक और जिला प्रमुख का चुनाव, यहां तक यह प्रोसिजर पूरा हो गया। वार्ड जिला परिषद का भारतीय जनता पार्टी जीत गयी अगर वह वार्ड नहीं जीतती मान लो खुदा न खास्ता तो कांग्रेस के 18 हो जाते और हमारे 17 रह जाते। इसीलिए इन्तजार किया और जिला प्रमुख की सीट इनको मिल जाय इसलिए उसको रोकने की कोशिश उस समय तक नहीं की जिस समय इनको जोड़ तोड़ के हिसाब से भी हिसाब नहीं बैठा और फार्म भरा लिया। 10.40 पर फार्म भर दिया, स्क्रूटनी हो गयी, जांच हो गयी, वोट पड़ गया उसके बाद एक आदेश यहां से गया। उसमें वही आदेश का पार्ट है, हाई कोर्ट चुनाव आयोग.........

श्री उपाध्यक्ष : यही तो मैं कह रहा हूं आदेश यहां से नहीं गया....(व्यवधान) यह स्वयं कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह चुनाव की प्रक्रिया हाई कोर्ट ने नहीं करा दी (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कभी नहीं कहा मंत्री महोदय का आदेश है, मैंने कभी नहीं कहा मंत्री महोदय का आदेश है।

श्री उपाध्यक्ष : इलेक्शन कमीशन का आदेश है।

श्री मानिक चन्द सुराना : इलेक्शन कमीशन भी ऐसा आदेश कैसे दे सकता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट का नाम कैसे रखा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यहां जवाब.........(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप वह फरमा रहे हैं ना आब्लिक कैसे किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

श्री उपाध्यक्ष : तो कौन जवाब दे इसका?

श्री मानिक चन्द सुराना : तो जवाब किससे लिया जाय?....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बता दीजिए कि इस पंचायत राज इलेक्शन के बारे में यह हाउस के प्रति रेस्पांसिबल है या नहीं?

श्री हरजीराम बुरड़क : इलेक्शन कमीशन के खिलाफ....(व्यवधान) अगर एतराज है तो हाई कोर्ट में जाइये। राज्य सरकार इसमें क्या करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : अपने कानूनों में यह लिखा हुआ है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया रुक नहीं सकती फिर यह अपने रीप्रजेन्टेशन आफ दी पीपुल्स एक्ट में डाला हुआ है....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सरकार कहां आती है बीच में? हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उस आर्डर के खिलाफ। जाओ न आप। कौन रोकता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : रिज़ल्ट आउट करने की बात को रोकने का अधिकार किसको है....(व्यवधान) एक मिनट रूकिये आप जल्दी न करें। जब यह स्टेच्युटरी प्रावधान है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रुक नहीं सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चुनाव के रिजल्ट कई दफा रुके हैं इसमें कोई नयी बात नहीं हो रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : चुनाव के रिजल्ट रोकने का मुद्दा अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : अब यह है कि इलेक्शन कमीशन ने रोके हैं....(व्यवधान) इनक्वायरी की है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रोके हैं....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : आयोग के फैसले के खिलाफ आपको आपत्ति है तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत : इन्होंने तो कई पार्षदों को एन वक्त पर वोट देते समय डिसक्वालिफाई किया है....(व्यवधान) इनके समय तो संवैधानिक हत्याएं बहुत हुई हैं स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्दर....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बदनीयती से चुनावों को रोका गया है। ऐसे कोई प्रमुख कांग्रेस का....(व्यवधान) यह बदनीयती से.........

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत :....(व्यवधान) बहुत अराजकता की स्थिति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने और वहां ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि वहां दंगे की स्थिति आ सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति आ सकती है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने में लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का सब लोक वहां पर.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत : और यह उप नेता महोदय वहां भड़काऊ भाषण देकर आये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ के अन्दर हालात सामान्य करने के लिए पहल होनी चाहिए न कि वहां की शान्ति और व्यवस्था को खराब करने....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भाषणों पर बैन करोगे आप? प्रतिपक्ष के नेता के बिजिट पर बेन करेंगे, यह लोकतंत्र है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं.........

श्री उपाध्यक्ष : किसको पूछ रहे हैं सवाल?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है.........

श्री उपाध्यक्ष : किसको सवाल पूछ रहे हैं आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं मंत्रीजी से पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसलिये कि मंत्रीजी ने कहा है.........

श्री उपाध्यक्ष : सब्जेक्ट ही नहीं है सामने। जब कोई सब्जेक्ट, इश्यू ही नहीं है सामने यह किसका सवाल पूछ रहे हो आप? कौन जवाब देगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी ने जो कहा है। आप सुनेंगे नहीं कि बात क्या है....

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हो सवाल पूछना चाहता हूं.......

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप डिसअलाउ कर देना। सुन तो लो आप। मंत्रीजी ने यह कहा कि रिमूवल का मैटर सबजुडिस है, रिमूवल के लिये हाई कोर्ट में गये वहां तक ठीक है। बाद में उनको यह इजाजत दी कि फार्म भर दें। मंत्रीजी ने इनएडबरटेंटली यह कहा कि हमारी बदनीयती होती तो हम उस फार्म को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि क्वालिफिकेशन का इश्यु हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया था। हम मतलब, रिटनिंग आफिसर, रिटनिंग आफिसर इनके सब-आर्डिनेट हैं क्या? अगर इलेक्शन कमीशन अलग बाडी है तो मंत्रीजी कौन होते हैं उनको रिजेक्ट कराने वाले? मंत्रीजी ने कहा है....(व्यवधान) नहीं, बिलकुल कहा है यह....(व्यवधान) आप प्रोसिडिंग्स उठाकर देखिये। प्रोसिडिंग्स उठाकर देखिये। प्रोसिडिंग्स उठाकर देखिये आप.....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : नहीं, बिलकुल नहीं कही ऐसी बात। गलत लगा रहे हो आप। असत्य बात....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोसिडिंग्स उठाकर देखिये आप। आप प्रोसिडिंग्स उठाकर देखिये। मंत्रीजी ने यह कहा है। प्रोसिडिंग्स उठाकर देखिये आप। बिलकुल कहा है...... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, कहा है। प्रोसिडिंग्स.....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हम कहा....(व्यवधान) रामस्वरूपजी, बिराजिये। माननीय सदस्य, आप हम से क्या मतलब निकाल रहे हो.....

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने ऐसा कहा ही नहीं, बिलकुल असत्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी.... (व्यवधान) हम से क्या मतलब निकालते हो आप? आप बिराज जाइये। हम से क्या मतलब है? आप सुनिये....(व्यवधान) हम से क्या मतलब निकालते हो आप, वाट डू यू मीन बाई हम?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप प्रोसिडिंग्स उठाकर देखिये। लैट मी कम्पलीट.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लोकतंत्र को भ्रष्ट मत करिये, मंत्री महोदय ने कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी ने कहा हम.... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी को कन्वीनियेंट होता है तब तो इलेक्शन कमीशन को इनडिपेंडेंट बता देते हैं और जब कन्वीनियेंट नहीं होता हैं तो कह देते हैं "हम"।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई इश्यु ही नहीं, आप बोल रहे हो कोई मतलब वाला बात नहीं है....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय ने बोला क्यों इस बात को?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस में कहा है इस बात को।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : गवर्नमेंट बीच में कहां आ रही है.....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी ने जवाब दिया क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवालजी। श्री शांति धारीवालजी, आप शुरू करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गम्भीर मसला है यह....(व्यवधान) लोकतंत्र को भ्रष्ट मत करिये....(व्यवधान) सरकार को कोई अधिकार नहीं है लोकतंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने का.....

समिति का प्रतिवेदन

राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री शांतिकुमार धारीवाल (प्रभारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

राजकीय उपक्रम समिति के सात प्रतिवेदन (42 वां से 48 वां)

श्री हरजीराम बुरड़क (सभापति के स्थान पर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

1. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ (अंकेषण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97) से सम्बन्धित समिति का 42 वां प्रतिवेदन।

2. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98) से सम्बन्धित समिति का 43 वां प्रतिवेदन।

3. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91) से सम्बन्धित समिति का 44 वां प्रतिवेदन।

4. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96) से सम्बन्धित समिति का 45 वां प्रतिवेदन।

5. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001 के 28 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 46 वां प्रतिवेदन।

6. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001 के 29 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 47 वां प्रतिवेदन।

7. राजकीय उपक्रमों के संचालक मण्डल, सेवा नियम तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की समस्यायें आदि पर राजकीय उपक्रम समिति, 1973-74 के 23 वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 48 वां प्रतिवेदन। ....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने का कोई

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अधिकार नहीं है सरकार को। ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विधान सभा परिषद् के लोगों के....(व्यवधान) सदस्यों के निर्वाचन के लिये नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने....(व्यवधान) 2001 नवम्बर....(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये श्री भैरोंसिंह को उक्त निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन में सदस्य होने के लिए सम्मिलित रूप से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(13 . 23 बजे)

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

15.00 बजे

पुनः समवेत होने पर

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय हम लोगों ने उठाया उसका निर्णय क्या हुआ ?

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है कि जो विषय, जिस तरह से बात को घुमाया गया है, उसके बारे में आखिर कोई तो संतुष्ट करेगा कि....(व्यवधान) न्यायालय की इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। न्यायालय के आदेश से उन्होंने चुनाव में भाग लिया। न्यायालय के आधार पर आपने जो कार्यक्रम डिक्लेयर किया उसके आधार पर उनको सर्टिफिकेट दिया कि आप चुने गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसके निर्णय का कोई इश्यू ही नहीं है, किसका निर्णय करा रहे हो आप ? निर्णय काहे का ? निर्णय किसका करा रहे हो ? (व्यवधान) आप पर्ची पर बोलना चाहते थे, डिसअलाउ कर दिया। उसके बाद माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो कुछ कहा उसका जवाब आ गया निर्णय क्या होना है यहां ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय मंत्री महोदय बोल गए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो हम समझना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : What is the resolution? जिसका आप करा रहे हो, कोई प्रस्ताव ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह न्यायालय के कारण से रुका हुआ है या चुनाव आयोग के कारण से रुका हुआ है ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पर माननीय मंत्री महोदय बोल गए हैं, साहब, अब तो सदन को....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : न्यायालय के कारण से रुका हुआ है तो संतुष्ट कर दें, हम उस बात को मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह चैप्टर क्लोज हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर न्यायालय के आदेश से रुका हुआ है तब तो बात समझ में आ सकती है। न्यायालय का हम सम्मान करेंगे। लेकिन न्यायालय की इस पर कोई रोक नहीं होते हुए भी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई इश्यू ही नहीं है तो निर्णय किसका करा रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल इसलिए कि सरकार अपनी मनमर्जी से इस प्रकार के आदेश निकलवाकर जनता के द्वारा....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : साहब, आपने इस विषय पर विधान सभा स्थगित की। मंत्री महोदय बोल गए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह स्थिति अगर रहेगी तो मैं सोचता हूं कि लोकतंत्र का कोई मायने ही नहीं रहेगा। अगर आपको यह लगता था तो न्यायालय के आदेश की पालना 19 तारीख को ही कर लेते तो 20 तारीख को यहां आप अपने अगले कार्यक्रम की घोषणा नहीं करते। और घोषणा नहीं होती तो चुनाव नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसका उत्तर दिया जाए। पहले इसके बारे में....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को चलने नहीं देना चाहते। यह अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक तरफ तो आप स्वयं न्यायालय की धज्जियां उडाओ और दूसरी तरफ न्यायालय का...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी बोल गए हैं, उस विषय पर विधान सभा स्थगित की, चैप्टर क्लोज कैसे हो गया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। आपको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए था, आप चुनाव की प्रक्रिया अगर शुरू नहीं करते तो न्यायालय का सम्मान हो जाता। न्यायालय जो भी फैसला करता, उसका जो भी निर्णय होता सर माथे पर रहता। लेकिन आपने न्यायालय की अवहेलना करके नये चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा करके, न्यायालय की अवमानना तो आपने प्रारंभ की। आपने जब चुनाव का प्रोसिजर शुरू कर दिया तो उसे रोकने के लिए न्यायालय ने कहां रोक लगाई जिसके कारण से आप लगा रहे हो? यह तो आपने अपने पद का दुरुपयोग करके, एक तरह से इस आदेश को रुकवाकर के चुनाव की....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय आपने विधान सभा स्थगित की है। पद का दुरुपयोग हुआ है। मंत्रीजी बोल गए हैं, इसलिए कृपया करके यह चैप्टर क्लोज नहीं करके इसको....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई रूल ही नहीं है इसका कोई अंकित नहीं....(व्यवधान) नो प्लीज, हो गई ना बात। आपका प्रोटेस्ट रजिस्टर हो गया। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। सदन की प्रोपर्टी हो गयी है और इस पर चर्चा होना अति आवश्यक हो गया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा होना जरुरी है। यह चैप्टर क्लोज कैसे हो गया?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कानून की अवहेलना करने वाले, (व्यवधान) सरकार को आपने बाध्य किया, जवाब मंत्रीजी ने दे दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : इस बिल के साथ जिस प्रकार का फाइनेंशियल मैमोरेण्डम होना चाहिए वह नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर कौनसा नियम है? आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कौनसी पर्ची की बात कर रहे हैं? (व्यवधान) मैं रूल्स के तहत पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर कौनसा पाइंट आफ आर्डर है? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कौनसी पर्ची? मैं पर्ची की बात नहीं कर रहा हूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष :You have no issue in the House. कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं चित्तौड़ की बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : साहब, मैं इस बिल की बात कर रहा हूं। आप बिल की बात तो सुनेंगे ना? (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर, आप बिल की बात नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप दिल की बात तो सुनेंगे। (व्यवधान) बिल की बात तो सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का पाइंट आफ आर्डर है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपके दिल ही नहीं है, फिर क्या सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, बिराजिए।

एक माननीय सदस्य : रामस्वरूप मीणा भाई, बी.जे.पी. में आकर बैठ जाइए इसी में आपका भला है।

श्री मानिक चन्द सुराना : फाइनेंशियल मैमोरेण्डम....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिल पर उठा रहे हैं क्या? पाइंट आफ आर्डर? आप बिल पर......

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बिल पर ही तो कह रहा हूं। संवैधानिक आपत्ति कर रहा हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह दिल से बिल पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिल पर उठा रहे हैं पाइंट आफ आर्डर?

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, बिल पर।

श्री उपाध्यक्ष : चलिए, यह ठीक है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी आप चित्तौड़ के हैंग ओवर से माफ करें वापस नहीं आए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बात तो खतम हो गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं इस बिल की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिल पर बोलिए।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 के साथ नियम 61 के तहत वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय गृह मंत्रीजी, रूल 61 देखिए। मैं इस पर आपत्ति कर रहा हूं "A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum...."मैं हिन्दी पढ़ता हूं। ".....जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा, जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जाएगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन किया जाएगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।" मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस रूल 61 की ओर आकर्षित करके निवेदन करूंगा, इसके साथ जो फाइनेंशियल मैमोरेण्डम है, उस बिल के फाइनेशियल मैमोरेण्डम में लिखा है,

" The Bill' seeks to constitute the Rajasthan State Commission for Minorities. The State Government has already constituted a State Commission for Minorities with effect from 23.9.1993 which is functioning in the State. Hence, no fresh recurring or non-recurring expenditure is involved in giving

(श्री मानिक चन्द सुराना)

effect to the provisions incorporated in the Bill, if enacted."

आप तो कह रहे हैं कि इस बिल के प्रावधानों में, चूंकि एक कमीशन काम कर रहा है इसलिए अब कोई आवर्तक और अनावर्तक व्यय होगा ही नहीं, मैं माफी चाहता हूं (व्यवधान), आगे लिखा है वह मैंने देख लिया, 10 लाख रुपये के प्रावधान। माननीय मंत्री जी के लिए यह आवश्यक है कि आप यह बताएं (व्यवधान) हां, देख लिया। आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपये का व्यय होगा, जो स्टेट ग्रान्ट करेगी। (व्यवधान) मैंने पढ़ लिया, क्या आपको भी पढ़कर सुनाना जरूरी है? 10 लाख रुपये की ग्रांट आप 2001-2002 के बजट से करेंगे। आपके लिए जो नियम, प्रक्रिया व कार्य संचालक में लिखा है आप उन प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे जिसमें वह व्यय होगा, और आप आवर्तक और अनावर्तक व्यय दोनों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। कोई कमीशन चल रहा होगा, आज उसको स्टेटस देने से......(व्यवधान) उसके लिए कोई नान रिकरिंग एक्सपैंडीचर भी जरुरी हो सकता है। आपने कोई मेंटल एक्सरसाइज इस बात की नहीं की कि कौनसे नान रिकरिंग एक्सपैंडीचर होगे? आपने तो कह दिया कि 10 लाख का खर्चा होगा। 10 लाख का खर्चा होगा, ग्रांट आप देंगे वह आपका देना ठीक है, उसका कोई पार्ट नान रिकरिंग में जा सकता है, कोई पार्ट रिकरिंग में भी जा सकता है। आपको सदन को वह प्रावधान, बिल के खण्ड, बिल के विधेयक के नम्बर बताना आवश्यक है। डेलीगेशन आफ पावर से नहीं होता मंत्री जी।

उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स 61 की आपत्ति के साथ मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं संविधान की सातवीं सूची की लिस्ट दो है, जो राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, सातवीं सूची अनुसूची लिस्ट दो, लिस्ट तीन कांकरेन्ट है जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने इसी तरह का एक बिल, कानून बना रखा है, सन् 1992 में बना दिया, नेशनल कमीशन फोर माइनोरिटीज एक्ट 1992 एक एक्ट बन चुका है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, वह एक्ट भारत सरकार ने अपनी लिस्ट एक की रेजिड्युअरी पावर में बनाया, आखरी आइटम में। अब लिस्ट एक की रेजिड्युअरी पावर में जब उन्होंने बनाया तो उसका मतलब यह है कि न तो उनको तीसरी सूची से कोई अधिकार प्राप्त होता था। तीसरी सूची से अधिकारी प्राप्त होता तो वह तीसरी सूची के किसी नंबर से बनाते। जब तीसरी सूची में उनको कोई अधिकार नहीं है, पहली सूची के भी रेजिड्युअरी आर्टिकल में बनाया, रेजिड्यूअरी पावर में लिस्ट दो के कौनसे नंबर पर कानून बनाना चाहते हैं?

लिस्ट तीन में पावर नहीं है यह ध्यान करें क्योंकि भारत सरकार ने भी लिस्ट तीन का प्रयोग नहीं किया। आप तो मुझे यह बता दें कि लिस्ट दो के कौनसे क्लाज, कौनसे नंबर के विषय में आप इस कानून को लाना चाहते

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हैं ? यह मेरी संवैधानिक आपत्ति है कि लिस्ट सात की अनुसूची दो के कौनसे नंबर के पावर को आप एक्सरसाइज करके इस विधान सभा में यह कानून पास करवाना चाहते हैं इन दोनों आपत्तियों का माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के समर्थन में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना समर्थन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यही पाइंट उठा रहा हूं, थोड़ा सबसिट करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून बनाने के लिए केन्द्र को और राज्य सरकारों को अधिकार दिया हुआ है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा स्टेट लिस्ट में जो सूची है उस सूची के अन्तर्गत ही हम कानून बना सकते हैं, उस सूची में अभी यह है नहीं। फिर टू फोर्थ जो हमारा आर्टिकल है वह यह कहता है, जो इस सूची में नहीं है, उसको राज्य सरकार वह कानून नहीं बना सकती है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : शर्मा साहब, जो नेता महोदय कह कर गये हैं, वे शायद भूल गये होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपको जो प्रोवोक करके गये हैं, वह आप उनसे वापस पूछ लो कि उन्होंने क्या कहा आपसे।

श्री राजेन्द्र पारीक : सुराना साहब, आप भी थोड़ा सा बता दें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वे अभी आये थे ना, आपके पास कान में कहने के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पता नहीं क्या कहा होगा। उनसे वापस बुलवाकर पूछ लो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो बताकर गये, वे तो ये भूल गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो विधान सभा में एन्जाय करने आते हैं कभी-कभार। काहे को डिस्टर्ब करते हो, जरा बोलने दीजिए। आप तो सिर्फ एन्जाय करने आते है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह ज्ञान की बात है।

श्री रामस्वरूप : आप विधान सभा को मजाक बना रहे हो। एन्जाय क्या होता है। क्या होता है एन्जाय करने के लिये आते हैं। माननीय सदस्य इतने सीरियस हैं जिनके बारे में कह रहे हैं कि एन्जाय करने के लिये आते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कुछ करते हों तो बता दें। अनुपयोगी....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : आप इस तरह के शब्द यूज ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं अगर एन्जाय करने के लिये आता तो आपके नेता महोदय को पूछ लो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, प्लीज, भाटी साहब, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है इतने सीधे व्यक्ति तो....(व्यवधान) सबको सभ्यता चाहिए, माननीय सदस्य, भाटी साहब....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय आहूजा जी।

श्री रामस्वरूप : आप सभ्यता सिखा रहे हैं क्या....(व्यवधान) आप सभ्यता सिखा रहे हैं क्या, आप खुद असभ्य होकर सभ्यता सिखा रहे हो। आपके मुंह से शोभा देता है क्या सभ्य होना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो असभ्य हैं उनको क्या सभ्यता सिखाएंगे। जो असभ्य हैं उनको सभ्यता कौन सिखाएगा। (व्यवधान) हैं ही असभ्य।

श्री उपाध्यक्ष : भंवरलालजी साहब, बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जैसे स्टेट लिस्ट में यह आइटम नहीं है और पार्लियामेंट और स्टेट, दोनों ही पावर में नहीं हैं तो रेजीड्युअरी पावर में ही बनाया जा सकता है।

श्री अमीन खान :पहले बिना एक्ट के बनाया, तब तो आप बोले ही नहीं। बगैर एक्ट के ही आपने माइनोरिटी कमीशन कायम कर दिया था। ये लोग एक्ट तो ला रहे हैं। कानून की मन्शा दे रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट ने बगैर एक्ट के ही एक नोटिफिकेशन जारी करके कमीशन बना दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री संयम लोढ़ा : इन्होंने नहीं बनाया। वह राष्ट्रपति शासन में हुआ था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह हमने कर दिया तो....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपकी गवर्नमेंट ने नहीं, वह भी राष्ट्रपति शासन में हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, बिराजें ना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सही किया था, बुरा क्या किया। हमारी सरकार ने जो किया अच्छा किया आपके लिये बुरा क्या किया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बात क़ानून की है। हम यहां जो कानून बना रहे हैं उसकी बेलेडिटी क्या है, यह विचार का विषय है। यह अब पोलिटिक्स है। कोई सवाल नहीं है। हम एक आगस्ट बोडी में कोई कानून पास कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा तो नहीं हो कि हास्यास्पद कानून बन जाए-जिसकी लीगल सेंक्ट नहीं हो। उस सेंक्टिटी नहीं हो। उस परिप्रेक्ष्य में विचार कीजिए। इस पर 248.....

श्री राजेन्द्र पारीक : अभी तो आप 246 बोले थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दोनों ही बोलूंगा। दोनो ही बोल दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : सुराना साहब, थोड़ा सा आप इनको बता दें कि कौनसा बोलना है। माननीय सुराना साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ा सा अगर आप बता दें कि क्या बोलना है।

श्री मानिक चन्द सुराना : ये मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप भी इस बात से भिज्ञ हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, जानते तो हैं। लेकिन उम्र के हिसाब से कुछ याददाश्त कम हो गयी ना। इसलिये आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सांवरलाल : आपको जानकारी ही नहीं है, आप क्यों बोलते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 248 (1)." Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List."

तो दोनों लिस्टों में यह आइटम नहीं आता था और इसलिये जो कानून बनाया दिल्ली में, पार्लियामेंट में बनाया वह इसके अन्तर्गत बनाया। यह कानून जब बन गया तो पार्लियामेंट में तो पावर है यह। रेजीड्युअरी पावर्स के अन्तर्गत बाकी स्टेट्स को नहीं है। इसलिये यह क्लीयर करना होगा आपको कि यह जो कानून ला रहे हैं आप, सेण्ट्रल कानून बना हुआ है, सेण्टर का कानून भी, वह पूरे हिन्दुस्तान में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू है। राजस्थान में भी लागू है। सेण्टर का जो एक्ट है, यह पूरे देश के अन्दर लागू है। केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो आज हमारे पर भी लागू है। यह कानून बनाने का अधिकार तब मिलेगा जब स्टेट लिस्ट में इसका उल्लेख होता। स्टेट लिस्ट में इसका कहीं नाम नहीं है। इसका मतलब है कि कानून बनाने का पावर इस विधान सभा को नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप इस विधान सभा में यह कानून बनाना चाहते हैं तो इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या होगी। और यदि आपने इस पर विचार किये बिना बना भी लिया तो इसकी हास्यास्पद स्थिति बनेगी। इसलिये बहुत सोच-समझकर इस कानून को लाइये। ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। आप फिर विचार कर लीजिए, नहीं तो कोर्टों में जाएंगे।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्य विधान सभाओं में भी, अन्य राज्यों में भी यह कानून बना है। कर्नाटक में, आन्ध्र में और मध्य प्रदेश में, तो यहां क्यों नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रपोजल दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह कानून की बात देख लीजिए, इसमें क्या है। अगर हो सकता है तो कर लीजिए, और नहीं हो सकता है, तब ?

सूचना

श्रीमती कलावती सूवा, अध्यक्ष, सिक्किम विधान सभा द्वारा सदन की कार्यवाही का अवलोकन

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि श्रीमती कलावती सुवा माननीय अध्यक्षा, सिक्किम विधान सभा, राजस्थान राज्यपाल दीर्घा में सदन की कार्यवाही का अवलोकन कर रही हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनका स्वागत है, वेलकम।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 के साथ नियम 61 के तहत वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल के साथ जो वित्तीय स्टेटमेंट लगाया गया है उस सम्बन्ध में आपत्ति पेश की है। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि 2000-2001 के लिये हमने 10 लाख रुपये का इसमें प्रोविजन किया है और किन उद्देश्यों के लिये इसको खर्च करेंगे वह इस बिल के खण्ड 4 में, अध्यक्ष सदस्यों, सचिव और कर्मचारियों, आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के संदेय वेतन भत्ते और उनकी सेवाओं के अन्य निबन्धन और शर्तें, ऐसी होंगी जो विहित किये जाएं, वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदत किया जाना।

ये सारी-सारी इसमें निश्चित रूप से लिखा गया है कि हम किस काम के लिये इस पैसे का उपयोग करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। सारा इसमें लिखा गया है और इसके साथ-साथ हमने जैसा कि इसके साथ, अनुच्छेद 207, खण्ड 3 के अधीन, राज्यपाल महोदय से भी अनुमति प्राप्त की है जिसकी सिफारिश इसके साथ-साथ लागू कर रखी है। वह भी इसके साथ-साथ लगा दिया है। उसको भी आप देख लें।

और राज्य सरकार को यह अधिकार है कि इस प्रकार का कानून बना सकती है। अन्य राज्यों ने, मध्य प्रदेश ने भी इस तरह का कानून बनाया है, आन्ध्र ने भी इस तरह का कानून बनाया है। कर्नाटक में भी इस तरह का कानून बनाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह 1993 में, इस आयोग का गठन किया गया था। वह राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन के बाद, तुरन्त, सरकार आयी। एक्जीक्यूटिव पावर्स के तहत इस आयोग का बराबर चलन रहा और राष्ट्रपति शासन के तहत एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी थी जिसको आने वाली सरकार ने हटा दिया। हटाने के बाद वह जुडिशियल आर्डर के तहत बराबर कंटीन्यू करते रहे और अब तक भी वह फंक्शन करते रहे। वह हट गये, उसके बाद सरकारी अधिकारी इस काम को निपटाते रहे। नयी सरकार आयी, उन्होंने इस कमीशन का फिर गठन किया। लेकिन हम चाहते थे कि कमीशन को जो हमने इसमें शक्तियां दी थीं उसका वैधानिक ढंग से उपयोग हो और सही मायने में उसका उपयोग हो तो हम स्टेच्यूटरी पावर्स देना चाहते थे। एक्जीक्यूटिव पावर्स के तहत उन शक्तियों का ठीक ढंग से संचालन नहीं हो सकता है। जो हमने उसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स रखे हैं और जिसमें हमने सोशल, इकोनोमिकल, एजुकेशनल, उन माइनोरिटी कम्युनिटीज, जिसके विकास की कल्पना हमने की है, वह जब तक हम स्टेच्यूटरी पावर्स नहीं देंगे तब तक सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिये हमने इसमें इनकारपोरेट किया है और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस कानून को बनाने में सक्षम है और इसी वजह से हमने यह बिल आपके सामने प्रस्तुत किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने अन्य राज्यों का उदाहरण दे दिया कि अन्य राज्यों में यह कानून बना है। प्रश्न यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो फाइनेंशियल आस्पेक्ट था। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरी दो आपत्तियां हैं, एक तो फाइनेंशियल है।

आपने जो कुछ पढ़ा है। फाइनेंशियल आवश्यकता के बारे में, फाइनेंशियल मेमोरेण्डम, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी 7-8 लाइन में है, उन 7-8 लाइनों के लिये ही रूल 61 में कहा है कि उसमें यह बताना पड़ेगा कि कौन से क्लाजेज में वह फाइनेंशियल एक्सपेंडीचर होगा। आपने तो जो डेलीगेटेड पावर्स, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाएंगे और उसमें जिन धाराओं का जिक्र किया है, धारा 4 की ब्रेक्रेट 5 और 5 की दो, उनके लिये आपने पढ़कर कह दिया कि इनमें खर्च होगा। रेकरिंग खर्च होगा, नान रेकरिंग होगा, यह एक्सरसाइज सरकार ने क्यों नहीं की। जब रूल 61 आपको यह पाबन्द करता है, जो आप सदन को बताएंगे, नान रेकरिंग क्या होगा, रेकरिंग क्या होगा। तो क्या सरकार इतनी अक्षम है कि यह एक्सरसाइज गृह मंत्रालय का पूरा सैक्रेटेरियेट है, वह नहीं कर सकता? क्या आप हमको यह बताएंगे कि 10 लाख में 2 लाख रुपये नान रेकरिंग में होंगे, 8 लाख रेकरिंग में होंगे? यह आपका लैप्स है और इस लैप्स को मैं चाहता हूं कि इस तरह का लैप्स भविष्य में नहीं हो। इसलिये यह आपत्तियां मैंने उठाई हैं कि इस लैप्स को भी आप पूरा करें। और माननीय मंत्रीजी, आपसे बिलकुल स्पेसिफिक सवाल पूछा है, सातवीं सूची की लिस्ट दो उसमें जो जिन 66 मुद्दों का जिक्र किया गया है, उसके कौनसे नम्बर में आप आते हैं। किसी एक नम्बर में, दो में, पांच में, दस में या एक में नहीं दो में, खाली यह कहना कि विशफुल है कि हम तो अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप निश्चित रूप से बढ़ाइये। और जो पीछे की सरकारें थीं उन्होंने यदि एग्जिक्यूटिव आर्डर, वह राज्यपाल के शासन में निकला, आपने सही कहा कि राज्यपाल के शासन में एग्जिक्यूटिव आर्डर निकला और उसको स्टेच्युटरी पावर इसलिए नहीं दी गई क्योंकि भारत सरकार ने जो एक्ट बनाया है, वह एक्ट पूरे देश में लागू है। और सन् 1997 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इस पर हो चुकी है कि स्टेट के लिए कोई, स्टेट का मतलब जैसे अपना यह प्रोविंशियल स्टेट है कि स्टेट में कोई स्टेच्युटरी कम्पल्शन नहीं है जिसके आधार पर यह एक्ट बनाया जाए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कम्पल्शन तो नहीं है लेकिन यह मना नहीं है कि नहीं बना सकती स्टेट गवर्नमेंट।

एक माननीय सदस्य : मनाही नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, मना है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कौनसा स्पेसिफिक प्रोविजन है, जिसमें मनाही है, वह बता दीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आपको बताना यह है कि आप लिस्ट एक में आ रहे हैं क्या, जो पब्लिक आर्डर का है, नवम्बर- दो पुलिस से सम्बन्धित है, कोई एग्रीकल्चर से सम्बन्धित है, कोई इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है, 66 आइटम्स में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपको अपने आपको लाना पड़ेगा या लिस्ट तीन के जो आइटम्स बताये हैं उसमें लाना पड़ेगा। आज विधि मंत्रीजी नहीं है पर विधि विभाग के लोग तो यहां पर होंगे, उनसे आप यह पाइटेंडली क्यों नहीं पूछ रहे।

श्री सी. पी. जोशी : हां, मैं बता रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : हम लिस्ट दो और लिस्ट तीन के कौनसे नम्बर से पावर डिराइव करके इस सदन में यह कानून ला रहे हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी लिस्ट में नहीं है। न तो यह लिस्ट दो के किसी नम्बर में है और न लिस्ट तीन के किसी नम्बर में और है तो राज्य सरकार बताये कि हम फलां-फलां नम्बर के, लिस्ट दो और लिस्ट तीन की फलां एंट्री से, जिसको अंग्रेजी में एंट्री कहते हैं, हिन्दी में अलग से कुछ कहते होंगे कि उस पावर से हम इस कानून को ला रहे हैं और यह जब तक लिस्ट दो और लिस्ट तीन की परव्यू में नहीं आते हैं, मेरा नम्र निवेदन होगा कि विधान सभा में जब तक वह किसी पाइंटेडली लिस्ट दो और तीन के किसी भाग में नहीं आ जाए, किसी नम्बर में तब तक विधान सभा में कोई पावर, गुड विशेज रखते हुए भी, मेरी बहुत गुड विशेज हैं लेकिन गुड रखते हुए भी संविधान या विधान बनाने का जो अधिकार है वह नहीं आ जाता है इसलिए आप सिर्फ दूसरे प्रान्तों ने बना दिया, इस पर न जाएं और इस बात का पाइंटेडली जवाब दें कि कौनसी एंट्री से आप इस कानून को बना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक का जवाब आ जाने दो फिर बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित है, इसी से सम्बन्धित है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा तो थोड़ा ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सभी का सुन लो न आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ to supplement my friend Shri Manak Surana, यह जो फाइनेंशियल मैमोरेंडम है, इसके अन्दर लिखा है :— "Hence, no fresh recurring or non-recurring expenditure is involved in giving effect to the provisions incorporated in the Bill, if enacted.

"In the Budget Estimates for the Year 2001-2002, there is a provision of Rs.10.00 lacks as grant in aid for the Commission."

मंत्रीजी, मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एग्जिक्यूटिव आर्डर से कमीशन काम कर रहा है, इसको जो आप ग्रांट इन एड दे रहे हैं, बेशक पैसा उतने का उतना ही रहेगा लेकिन जब आप स्टेच्युटरी स्टेटस उसको दे दोगे तो यह ग्रांट इन एड की शक्ल में नहीं होगा। इसका नामिनक्लेचर चेंज हो जाएगा, यह चार्जेबल नहीं होगा। यह आपने इसमें बहुत गलत लिखा है और इसलिए आपको अलग से लिखना चाहिए

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

The same amount may be there but it will not be called as "Grant in aid."

यह बिलकुल एरोनियस आपका ड्राफ्टिंग है। यह कोई ग्रांट इन एड दे दोगे आप, एक स्टेच्युटरी कमीशन को आप ग्रांट इन एड दोगे? यह बिलकुल बेजा बात है इसको आप करेक्ट करें और सैकण्डली यह कहना कि कर्नाटक ने कर दिया, उसने कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी इंडिपेंडेंट और सोवरीन स्टेट है। और आप होम मिनिस्टर हैं, आप अपने खुद की अक्ल से और खुद की जानकारी से खुद की आपकी जो एक्सपटाइज हैं, रेसिस्टेंस है.... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : क्यों किया उसका बता देता हूं मैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने किया होगा, आप कर रहे हैं वह बताइये कि कौनसे कानून में पावर्स हैं आपको?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बता देता हूं मैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि वह कानून के विज्ञ हैं और उन्होंने यह बात कही कि कौनसी लिस्ट में से आपने इसको लिया और इसमें इंक्लूड किया। मैं समझता हूं कि उनका ध्यान लिस्ट थर्ड की जो 20 है, उसको देखें। इकानोमिक्स एण्ड सोशल प्लानिंग, "Economic and Social Planning "This is one. 23 में लिखा हुआ है-सोशल सिक्योरिटी एण्ड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लायमेंट एण्ड अनएम्प्लायमेंट, यह कंकरेंट लिस्ट के तीसरे, एक जो लिस्ट है इसके दो जो मैंने यह पाइंट किये हैं आपको उसके अन्तर्गत The State Government is competent to have this Bill. जहां तक आपने वह रेजीड्यूरी का बताया है उसमें यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऊपर है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, रेजीड्यूरी के अन्दर लाये हैं पर गवर्नमेंट आफ इंडिया को शिड्यूल थर्ड के अन्दर यह 20 और 23 में लाने के लिए भी कोई नहीं रोक रहा है तो रेजीड्यूअरी के अन्दर गवर्नमेंट आफ इंडिया लायी जिसका मुझे पता नहीं, आप कह रहे हैं लायी या नहीं लायी तो रेजीड्यूरी पावर में प्रोविजो होने के कारण लिस्ट थर्ड में जो 20 और 23 पाइंट मैंने बताये हैं वह स्टेट गवर्नमेंट को डिप्राइव नहीं करता है इसलिए यह जो हम बिल लाये हैं वह कंकरेंट लिस्ट के अन्दर सब सब्जेक्ट है और 20 और 23 के अन्दर गवर्नमेंट काम्पीटेंट है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट काम्पीटेंट होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट ने, यह एक्ट ला रहे हैं और जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि दूसरी स्टेट्स में भी फालो किया है वह फॉलो करने का बताने के पीछे आपका उद्देश्य यह है कि not only the Rajasthan State, अदर स्टेट भी कानून के इस प्रोविजन के अन्तर्गत कंकरेंट लिस्ट की थर्ड शिड्यूल में 20 और 23 नम्बर के जो पाइंट हैं उसके अन्दर राजस्थान सरकार अल्पसंख्यकों के लिए और दूसरों के लिए इस तरह के नियम बनाने के लिए काम्पीटेंट है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपकी जो आपत्ति है वह कानून सम्मत आपत्ति नहीं है,

(श्री सी. पी. जोशी)

वह एकेडेमिक एक्सरसाइज की आपत्ति हो सकती है कि अच्छा होता कि भारत सरकार रेजीड्यूअरी पावर एक में लाई इसलिए राजस्थान सरकार नहीं लाये। This is an accdmic stage. बट हमको डिप्राइव नहीं करती इस बिल को, इस एक्ट को लाने के अन्तर्गत इसलिए हमने इस बिल को कंकरेंट लिस्ट के थर्ड शिड्यूल में 20 और 23 के अन्दर जो मेंशन है, उसके अन्तर्गत इसको लेकर आये हैं नम्बर एक।

जहां तक लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, फाइनेंस के सम्बन्ध में 61 के प्रोविजन को देख लें, हमने इसमें सैकिण्ड पेज में मेंशन किया है कि जो ग्रांट इन एड के माध्यम से हम इसको जो पावर दे रहे हैं, उसके अन्दर इस तरह का एक्सपेंडिचर होगा, उसमें नान-रेकरिंग भी होगा और रेकरिंग भी होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि.........

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दोनों होगी।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों आपत्ति जो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एकेडेमिक एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी है लेकिन कानून के अन्तर्गत स्टेट गवर्नमैंट को कानून बनाने के लिए कोई डिप्राइव नहीं करता है इसलिए इनकी जो आपत्ति है इसको रिजेक्ट किया जाए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी शिक्षा मंत्रीजी ने जिक्र किया और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य की आपत्ति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये आप इस बात को तो मानते हैं कि यह कंकरेंट लिस्ट में है या नहीं मानते ?

एक माननीय सदस्य : हम नहीं मानते।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप नहीं मानते, नहीं मानते ?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं पूछता हूं, शिक्षा मंत्रीजी ने जो बात कही है, आप इस बात को.......(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उसी बात को क्लियर करके आगे आ रहा हूं, मेरी बात को सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : शिक्षा मंत्रीजी की बात से आप सहमत हैं न ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मेरी बात को सुन लीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : 20 और 23 में आप यह कानून ला रहे हैं, इस बात पर आप सहमत हैं न ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी बात सुन लीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं-नहीं, 20 और 23 में यह कानून आप थर्ड लिस्ट में ला रहे हैं, आप इस बात से सहमत हैं न ? (व्यवधान) हां, पूरी बात सुन लेता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप यह कहते हैं कि भारत सरकार ने जो कानून बनाया वह पूरे देश में लागू है। एक स्टेट को छोड़कर के। भारत सरकार का एक पत्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह लैटर है, चीफ सैक्रेटरी,

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

गवर्नमैंट आफ राजस्थान और यह लिखा गया है गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से नेशनल कमीशन फार माइनोरिटीज, नई दिल्ली की तरफ से, डेट है 25.4.2000 "I am directed to refer to the Commission's letter of even No dated 24.4.2000 on the subject as mentioned above and to state that the action taken in this regard by the State Government is still awaited, The Commission, while reviewing the proper implementation of the P.M.'s 15 Point Programme by the different State Governments, feels that the establishment of State Minority Commission with the statutory status is essential for proper implementation of the safegurds available in the Constitution-laws for the protection of the minorities."

This is a clear cut direction from the Government of India that State Government should have a commission with the statutory powers.

जब गवर्नमैंट आफ इंडिया स्वयं स्वीकार करती है उसके तहत हमने स्टेच्युटरी पावर्स के तहत कमीशन बनाने का प्रस्ताव और बिल आपके सामने पेश किया है जो माइनोरिटी कमेटी के....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : तो यह आपने पहले क्यों नहीं बता दिया कि आप तो भारत सरकार के निर्देश से ही कर रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने कहा भारत सरकार (व्यवधान) आपने जब आपत्ति की तो मैंने इसलिए उत्तर देना ठीक समझा। इसलिये मैं समझता हूं कि आपत्ति केवल आपत्ति के लिये है और जो कुछ हमने किया है वह कानून सम्मत किया है और माइनोरिटीज कम्युनिटी के शैक्षणिक के लिये, उनके आर्थिक उत्थान के लिये, उनके सामाजिक बदलाव के लिये हमने कानून आपके सामने पेश किया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इसको विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। उपाध्यक्षजी, यह कानून जो हम ला रहे हैं, इसको कानूनी जामा पहनाने के लिये यहां पेश किया गया है। हमारे यहां अल्पसंख्यक आयोग काम कर रहा है। एम्स और आब्जेक्ट्स इसके दिये गये हैं। मैं दो-तीन लाइनें पढ़ना चाहूंगा। इसमें इन्होंने दिया है :—

(श्री शिवनाथ सिंह)

"Apart from this, it had also been the objects, to observe that the legal rights provided under the Constitution of India to the Minorities should not be violated by any one, to take suitable action in the matters of complaints for safegurding the interests of the minorities, to trace out the hurdles in the course of development of the Minorities and remove them, to suggest schemes for social, economic and educational development of Minorities."

आगे चलकर यह कहते हैं —रिटन कम्प्लेंट्स, जो भी पास होंगी, मिलेंगी, उनके आधार पर यह कमीशन सरकार को भी सिफारिश करेगा, गाइड करेगा। उपाध्यक्ष जी, मेरी बात के सिलसिले में, कुछ दूसरी बातें आ सकती हैं, लेकिन मैं अपने आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी गलतफहमी मेरे कथन के सम्बन्ध में नहीं होनी चाहिये। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माइनोरिटीज को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये और यह थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन इस बिल के माध्यम से हम दे पाते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं दूसरी बात कहूंगा उसका अर्थ कोई माननीय सदस्य यह नहीं निकाल ले कि मैं इस बिल के खिलाफ हूं या माइनोरिटीज के खिलाफ हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज एक परिपाटी चल पड़ी और इस भारतीय समाज को अलग-अलग टुकड़ों में बांटने की एक राजनैतिक प्रवृत्ति शुरू हो गयी है और यह प्रवृत्ति काफी खतरनाक भी हो सकती है। इसमें जो उद्देश्य दिये गये हैं, वह माइनोरिटीज की कुछ समस्याओं की तरफ दिये गये हैं। मेरा कथन यह है कि पूरे समाज में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं उनके लिये समुचित उपाय हमको करने चाहिये। सिर्फ माइनोरिटीज के इंटरेस्ट को हम सेफ गार्ड करें। माइनोरिटीज की जो आज स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति समाज के अन्य वर्गों की है। इसलिए जाति, धर्म के आधार पर कोई आयोग बने, वह हमारी......(व्यवधान) गलती नहीं कहता हूं, गलती नहीं कहता हूं। उसके आधार पर हम भारतीय समाज का हित कर पाएंगे, नहीं। हमें भारतीय समाज के समूचे अंग को देखना चाहिये और इस प्रकार एक शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उन सबके लिये, जिसमें माइनोरिटीज भी आते हैं, उनके लिये आयोग बनना चाहिये। आज हमारे भारतीय समाज का बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित है। (व्यवधान) आप बिराजें थोड़ा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर है और एक तरह से वह घृणास्पद दृष्टि से देखा जाता है, उस दृष्टि से हमको देखना चाहिये। उसके हिसाब से देखकर हमको यह कानून बनाना चाहिये। यह समर्थन तो ठीक है लेकिन यह उन समस्याओं के निराकरण का सिर्फ एक मात्र एक अंश है। पूरे समाज के लिये हमें करना चाहिये।

(श्री शिवनाथ सिंह)

आज शिक्षा का मामला है। शिक्षा के मामले में माइनोरिटीज के लिये वह सुविधाएं जो होनी चाहिये, वह वर्ग महसूस करता है हमारे लिये नहीं है। यह किसी अंश में सही भी हो सकता है लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा है जिनको कहीं भी शिक्षा का आधार नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा के मामलें में, साक्षरता के मामले में हमारे आंकड़े प्रस्तुत होते हैं। उपाध्यक्षजी, मैं निःसंकोच यह कहता हूं सब आंकड़े फर्जी हैं। आप फील्ड में जाकर देखें तो वह आंकड़े सही साबित नहीं हो सकते। राजनैतिक दृष्टि से हमें किस देश से क्या मदद लेनी है, उसके हिसाब से वह आंकड़े सहायक हो सकते हैं। लेकिन हमारे समाज के उत्थान के लिये वह आंकड़े सहायक हो सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरे समाज को साथ लेकर चलें।

हमने देखा है ओ.बी.सी. के मामले में कितने लोगों ने प्राण दिये। वह किसी एक वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिये किया गया था। इस प्रकार के और भी कई उपाय वर्गों में बांटकर नहीं करना चाहिये और समुचित समाज के लिये हमको उपाय करना चाहिये। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे गलत सुना जा सकता है। यह बिल तो आप बनाइये लेकिन समाज के समूचे वर्ग को, समूची संख्या को ध्यान में रखकर करना चाहिये। इस बिल के लिये मैं जनमत जानने के लिये यह जो प्रस्ताव रखा है उसका मकसद मेरा यह है कि इसमें कुछ प्रोविजन्स ऐसे हैं, जो एक आभास देते हैं कि माइनोरिटीज के प्रोटेक्शन के लिये सिर्फ माइनोरिटीज का व्यक्ति ही कारगर कदम उठा सकता है। इसका जो कांस्टीट्यूशन बनाया गया है चेयरमैन और तीन अन्य सदस्य, कुल पांच सदस्य होंगे। इसमें तीन माइनोरिटी के होने चाहिये। मैं माइनोरिटीज के भाइयों का समर्थक हूं और उनकी योग्यता का भी समर्थक हूं लेकिन इस प्रकार का बिल जो समाज के एक वर्ग के लिये बनाया जा रहा है, उसमें हम सबकी भागीदारी हो। समाज के दूसरे वर्ग भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं जो इसमें बहुत कारगर कदम उठा सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए चेयरमैन की बात मैं मानता हूं लेकिन जो सदस्य हैं, मैंने इस पर अलग-अलग क्लाज पर अलग-अलग अमेंडमेंट दिये हैं, अमेंडमेंट के समय मैं अपनी बात कहूंगा। इस वक्त इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि पूरे समाज का इसमें व्यू लिया जाये, जानकारी ली जाये और माइनोरिटीज के भाई भी, जो माननीय सदस्य हैं, मैं सोचता हूं वह भी इस पक्ष में होंगे कि इस बिल को इस रूप में पास नहीं करके सलेक्ट कमेटी में भेजा जाये, जनमत जानने के लिये भेजा जाये और उसको उसी हिसाब से अच्छे रूप में हमारे सामने पेश किया जाये।

उपाध्यक्षजी, यह काम तो अब चल रहा है, कोई जल्दी भी नहीं है और दूसरे प्रान्तों में क्या हुआ है, दो-तीन प्रान्तों का माननीय गृह मंत्री महोदय ने जिक्र किया। वहां के कानून

(श्री शिवनाथ सिंह)

में क्या प्रावधान हैं, लोगों की क्या धारणाएं हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और माइनोरिटीज के लोगों की क्या अपेक्षा इससे हो सकती है, इन सब बातों का हमारे सामने एक चित्र आ जाए उसके आधार पर यह कानून बने तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक-दो बातें और कहना चाहता हूं आपने कहा स्टेट्यूटरी पावर हम देना चाहते हैं। इस बिल के अंदर एक भी क्लाज ऐसा नहीं है, जो इस आयोग की स्थिति को मजबूत करता है, एक भी नहीं है। आपने अधिक से अधिक दिया है कि हम सी.पी.सी. के पावर्स इस आयोग को देना चाहते हैं। सी.पी.सी. में पावर्स क्या दिये हैं—सम्मन कर लो गवाह को, सम्मन करने के पावर आपको हैं। उसके बयान दर्ज करने के हैं। लेकिन जब तक इन आयोगों का, चाहे यह माइनोरिटी का आयोग हो, चाहे दूसरे आयोग हो, जब तक हम इनको अधिकार नहीं देंगे, इनकी राय को सरकार के लिये मानना बाध्य नहीं हो तो भी कंडीडरेशन के लिये आवश्यक हो, इस प्रकार की बात हो। पिछली बार हमने महिला आयोग बनाया। महिला आयोग बनने के बाद कितने मामले ऐसे हैं जो महिला आयोग ने सरकार को समर्थन के लिए, कार्य करने के लिए भेजे और उनमें कितने में कार्यवाही की?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे लोकायुक्त की एक बाडी है, वह तो सर्वोपरी है, बहुत बड़ी है लेकिन उसकी सिफारिशें भी सरकार नहीं मानती है। मानने को बाध्य भी नहीं है। तो यह जो आयोग है इसको गवाह को तलब करने का, सम्मन करने का सी.पी.सी का प्रोविजन देना चाहते हैं, इससे कुछ होना नहीं है। या तो हम आयोग बनाये नहीं, बनायें तो उसको कुछ अधिकार देने चाहिए, उसकी राय सरकार को माननी चाहिए। इसलिए यह सब लैकुनाज इसमें हैं इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए कि और क्या सुधार इसमें किया जा सकता है, उन बातों को लेने के लिए इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। यदि मेरा यह सुझाव अमान्य हो माननीय मंत्री महोदय को तो दूसरा जो प्रस्ताव है कि सलैक्ट कमेटी को भेजा जाय, मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और यदि यहां जनमत जानने के लिए नहीं भेजें तो कम से कम सलैक्ट कमेटी को भेजिये। कोई जल्दी नहीं है, आयोग अपना काम कर रहा है, आज पास हो या दो महीने बाद यह कानून पास हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो संशोधन मैंने पेश किया है उस पर स्टिक करता हूं और बाकी क्लाजेज में मैं अपनी बात आगे कहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, विधेयक 2001 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव मैंने निवेदन किया है।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह, विधेयक सरकार को काफी पहले ले देना चाहिए था लेकिन देर से ही आये दुरुस्त आये। चाहे देश के 6 राज्यों के बाद ही सही, आपने इस दिशा में यह कदम उठाया है, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और हमारे माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से ही लगातार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई तरीके की बातें की जाती रही, कई तरीके के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जमीनी सच्चाई यही है कि अल्पसंख्यकों का उत्थान समाज के दूसरे समाज के साथ जिस रूप में होना चाहिए था वह हम उस दिशा में कोई सकारात्मक लक्ष्य और परिणाम हासिल नहीं कर सके।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार इन 50 वर्षों में पिछड़ते रहे हैं और उनकी जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो प्रगति होनी चाहिए थी और समाज में प्रत्येक क्षेत्र में जो स्थान उनको हासिल होना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं कमजोरी रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम भी बनाया गया लेकिन व्यवहार में हम लोग देखते हैं कि आर.एफ.सी. जैसी संस्था, जिनको लोन के लक्ष्य दिये जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे जिले का उदाहरण दूं....

श्री मदन दिलावर : आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां देने से यह राजस्थान बर्बाद हो जायेगा और जो बदमाश लोग हैं, आतंकवादी हैं उनको उससे संरक्षण मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके की भाषा कोई भी बोले बीच में खड़े हो करके, यह कोई तरीका थोड़ी होता है। (व्यवधान) इनका नम्बर आयेगा तब बोल लेंगे यह।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में.....

श्री मदन दिलावर : अभी भी तालीबान से आकर के ओसामा बिन लादेन के आदमी भरतपुर में चंदा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : + + +, आप बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम उसकी समीक्षा कर रहे थे तो तीन करोड़ रुपये के लोन उस जिले में बांटने थे एक

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री संयम लोढ़ा)

साल के अन्दर और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के मात्र एक व्यक्ति को लाभांवित किया गया और उसमें भी मात्र दो लाख रुपये का लोन दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसको जनमत जानने के लिए प्रचालित करने के लिए बोल रहे हो या इस बिल का समर्थन कर रहे हो ? क्या कर रहे हो ?

श्री संयम लोढ़ा : हां, मैं उसी की भूमिका रख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, मैं आपके संरक्षण चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : मेरी सार्थक टिप्पणी है।

श्री संयम लोढ़ा : जो अनर्गल + + + कर रहे हैं उनको तो आप कुछ कह नहीं रहे और मैं अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति सामने रख रहा हूं तो वह भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है।.....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरी भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता। (व्यवधान).....

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कितना ही आयोग बना दो, कुछ भी कर लो मगर उनका जब तक परिवार नियोजन नहीं अपनाया जायेगा तब तक इनका इस आयोग से कोई भला होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री केसाराम चौधरी : आप इसके ऊपर तो कभी विचार करते नहीं।

श्री मदन दिलावर : जिस आयोग के अध्यक्ष के ऊपर तस्करी के मामले हों, वो क्या किसी के साथ न्याय करेगा।...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मतलब दस बच्चे पैदा करो, पचास बच्चे पैदा करो यह तो ठीक है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री केसाराम चौधरी : उनके उत्थान के लिए बात कर रहा हूं। यह उत्थान तब तक नहीं होगा जब तक परिवार नियोजन उन पर लागू नहीं किया जाय।

श्री मदन दिलावर : जिसके ऊपर अफीम के डोडा तस्करी करने के मामले में न्यायालय में विचाराधीन हों और उस आयोग को हम सिविल कोर्ट के अधिकार देना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सचेतक महोदय, माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, कृपया हाउस को आर्डर में करने की कोशिश कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ उन परिस्थितियों को निवेदन करना चाहता हूं जो इस विधेयक को लाने के पीछे की मूल भावना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से आजादी के बाद के 50 वर्षों के बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति शासन की सोच जो सकारात्मक होनी चाहिए वह नहीं हो सकी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो एक प्रावधान किया है कि आयोग में विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, अब यह विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ का निर्धारण कैसे किया जाय? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी गम्भीरता के साथ गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बात की पूरी व्याख्या आप इस विधेयक में करें कि कौन-कौन, किस श्रेणी के लोग इसमें पात्र होंगे। चाहे आप पूर्व न्यायाधीश रख दें, पूर्व मंत्री रख दें, अधिवक्ता रख दें, पूर्व विधायक रख दें, कुछ भी रख दें। आज तो परिस्थितियां ठीक हैं, उपाध्यक्ष महोदय कि, राजस्थान में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार काम कर रही है। आज के 10 साल के बाद कभी अगर इनको मौका मिल गया तो इनके लिए तो एक योग्यता है कि नेकर होनी चाहिए तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस नेकर का जो संकट है वह प्रदेशवासियों के लिए बहुत भारी संकट होगा इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का पूरा खुलासा इस विधेयक में किया जाना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारी तरफ इंगित कर रहे हैं, हमारे आठ साल में क्या तकलीफ पड़ी? नहीं, ऐसे कोई सुन सकते हैं क्या? हमने कोई अन्याय किया क्या माइनोरिटी के साथ?.....(व्यवधान)..... कल्याण ही कल्याण किया।

एक माननीय सदस्य : काहे का संकट है?.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने अपने आठ साल के राज में....(व्यवधान)....आपने आयोग को शक्तियां नहीं दीं....व्यवधान) आपने आयोग को कभी काम करने नहीं दिया।

श्री सांवरलाल : यह कानून भारत सरकार के डाइरेक्शन से बन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....(भारी व्यवधान)....

श्री संयम लोढ़ा : आपने उसको नाकारा बना कर रखा.....(व्यवधान).....

श्री सांवरलाल : यह केवल भारत सरकार के निर्देश से बनाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री सांवरलाल : भारत सरकार को चिंता है अल्पसंख्यकों के हितों की, राजस्थान सरकार को क्या चिंता है?

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है, कौन डिनाई कर रहा है?

श्री सांवरलाल : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार के.....(व्यवधान) इसलिए हम कानून बना रहे हैं। (भारी व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप दिलावरजी को रोकिये न। जो साम्प्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं, उनको रोकिये।.....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भारत माता की जय बोलना साम्प्रदायिकता है तो हजार बार बोलूंगा.....(व्यवधान) यदि वंदेमातरम् बोलना साम्प्रदायिकता है तो लाखों बार वंदेमातरम् बोलूंगा।.....(भारी व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कहते हो न साम्प्रदायिक हैं......(व्यवधान)......एक भी उदाहरण बता दो।

श्री मदन दिलावर : यदि भगवान राम का मंदिर बनाना साम्प्रदायिकता है तो हजार बार बनाऊंगा चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां भगवान राम के मंदिर की बात हो रही है......

श्री मदन दिलावर : भारत में रहना होगा तो वंदेमातरम् कहना होगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप बनाइये न, कौन रोक रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। एक मिनट, माननीय सदस्य। आपको अवसर मिलेगा बोलने का, जब बीच-बीच में आप बोलते रहोगे....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : + + +, आपको सुनना पड़ेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : कैसे सुना जाय, उपाध्यक्ष महोदय। कब अन्याय किया? (व्यवधान) एक उदाहरण बता दो हमने अन्याय किया हो तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो। आप बोलो जब आप डिनाई कर देना।

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री हरिसिंह (महुवा) : + + +

श्री रामस्वरूप : + + + वो क्या नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : आज सद्भावना रैली निकाली जा रही है। इसी चक्कर में आपने सारे हिन्दुस्तान की एक बहुत बुरी भावना पैदा कर रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजें।

श्री रामस्वरूप : साम्प्रदायिक दंगे करा रखे हैं आप लोगों ने। सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे कराते हैं। मंदिर, मस्जिद की बात करते हैं। कभी राम मंदिर की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बैठिये, आसन पैरों पर।

श्री रामस्वरूप : यह कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते...(व्यवधान) इसीलिए हमने आज रैली निकाली। आज लाखों व्यक्ति रैली के अन्दर आये हैं।

श्री मदन दिलावर : राम मंदिर की बात होगी, राम मंदिर बनेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : लाखों व्यक्ति रैली के अन्दर आये हैं और वे सद्भावना पैदा कर रहे हैं। यह सद्भावना बिगाड़ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मंदिर बनने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती।

श्री रामस्वरूप : यह सारे को गुमराह करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तत्वों को आप विधान सभा से बाहर निकालिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये एक मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह उनमें से ही हैं जिनको बाहर निकाला जाय। यह ऐसे तत्व उनमें से ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस डिबेट को मेहरबानी करके चलने दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप बोल लेना। आप बीच में इन्टरेप्ट करेंगे, आप बोलेंगे। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आप जवाब दे देना वापस। आप बोलेंगे वे इन्टरेप्ट करेंगे तो काम कैसे चलेगा। (व्यवधान) आप समझिए वो तो समझे हुए हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हाउस को चलने दीजिए प्लीज। (व्यवधान) आप एलीगेशन काउन्टर, एलीगेशन लगाते रहेंगे तो डिबेट चलेगी नहीं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई काउन्टर एलीगेशन नहीं है। माननीय मुख्य से सचेतक महोदय ने कहा कि + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर से प्रोवोक करेंगे तो ये बोलेंगे। आप इनको सुन लीजिए न। आपका टाइम आये जब मर्जी आये जो बोल लेना, कौन रोकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कुछ भी बोल लेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब दे देना।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : नहीं-नहीं, क्या जवाब दे देना ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपके मैम्बर्स को भी कन्ट्रोल करो साहब। ये क्या बोल रहे हैं यह तो देखो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां करेंगे। I agree with you.

श्री संयम लोढ़ा : ....(व्यवधान) हत्या कर दी आप रोक नहीं पाये उनको।

श्री रामस्वरूप : ये लोग सारे देश में साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। आप इनको रोकिए पहले तो। सारे हिन्दुस्तान का क्या हाल कर दिया इन्होंने। भाई-भाई को लड़ा दिया। हिन्दु-मुसलमानों को लड़ा दिया इन लोगों ने। अब सदन को लड़ाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : .... (व्यवधान) यह इसमें से निकालिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। ये बोल रहे हैं तब तो बैठो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : + + + यह मामला कोर्टस में गया। कोर्ट ने निर्णय किया कि + + + कोई लेना देना नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : + + + पूरा देश जानता है कि गौ हत्यारे आप ही हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गौ हत्यारे आप ही हो। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आप निकलवा दीजिए इसमें से यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री रामस्वरूप : सारे हिन्दुस्तान को पता है इस बात का, कि हत्या कैसे हुई थी। आपको क्यों दुख हो रहा है? आपका जरा सा नाम लो उसी में दुख हुआ। (व्यवधान) निश्चित रूप से आप लोगों ने कुछ न कुछ किया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जिम्मेदारी है सदन चलाने की। ये गौ हत्यारे बीच में बोलकर क्या चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रोवोकेटिक भाषा का उपयोग मत कीजिए। आप अपनी बात कहिए। जब आप बोलेंगे, आप जो कुछ कहना चाहे जवाब दे दीजिए। Why do you interrupt?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसको एक्सपंज करवाओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो दोनों तरफ से हो रहा है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमने कभी नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं न।

श्री रामस्वरूप : हम तो सद्भावना पैदा कर रहे हैं। आज हमने सद्भावना रैली निकाली है। सारे हिन्दुस्तान में सद्भावना पैदा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक्सपंज करवाइये इसको। वापिस लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन चले लेकिन जो शब्द सरकारी मुख्य सचेतकजी ने कहें हैं वे रिकार्ड पर आये हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा आसन से आग्रह है कि इनको एक्सपंज करने के आदेश प्रदान करें। इनको एक्सपंज करवाइये जो रिकार्ड पर जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर तो चार्ज लगाया नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : आपको थोड़े ही कहा इन्होंने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमको सबको कहा है इसको एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक्सपंज नहीं किया जाएगा। कोई गलत शब्द इन्होंने यूज नहीं किया है। अब ये कैसे एक्सपंज करेंगे। सदन में कहा गया है उस पूरे को एक्सपंज करिए फिर तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + + मेरी प्रार्थना है कि इन शब्दों को रिकार्ड से एक्सपंज करिए।

श्री संयम लोढ़ा : किसी ने नहीं कहा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामस्वरूप : यह किसी ने नहीं कहा। (व्यवधान) ऐसा उसमें लिखा हुआ है ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने यही कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हम पूरे बिल पर बहस करना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने यही कहा है। आप मंगवा लीजिए, दिखवा लीजिए। अगर आप ऐसा मानते हैं, यहां से रिकार्ड निकलवा लीजिए और अगर यही बात कही है तो आप उसको एक्सपंज करवाइये।

श्री रामस्वरूप : हां, मालूम कर लें आप रिकार्ड निकलवाकर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए रामस्वरूपजी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें। बैठो तो सही।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या हुआ?

श्री रामस्वरूप : हम तो बैठ गये। इनको बैठाओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठोगे तब ही देखूंगा न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बार-बार सत्ता में आने के लिए + + + बार-बार सत्ता में आने के लिए + + +

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुख्य सचेतकजी ने जो बात कही उस रिकार्ड को आप अपने पास मंगवा लीजिए और जैसा हम कह रहे हैं कि उन्होंने + + + हम पर आरोप लगाया, अगर ऐसा वर्सन है तो आप उसे एक्सपंज करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही कह रहा हूं आप बिराजो तो मैं एक्जामिन करुं। यही तो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, ठीक है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जो हिस्टोरिकली फैक्ट है उसको आप कैसे एक्सपंज करेंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई हिस्टोरिकली फैक्ट नहीं है। (व्यवधान) पूरे पचास वर्ष में, चालीस पैंतालीस साल राज करने के बाद भी आप इस बात को साबित नहीं कर सके और कोर्ट ने निर्दोष साबित किया। केवल आपके द्वारा प्रपंच करने से कोई + + + नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कटारिया साहब, आप बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय कटारियाजी, आप बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + में आने के लिए सारे कांग्रेसियों ने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप यह कह दें कि + + +

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई लेना देना नहीं था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह वर्सन तो कोर्ट के फैसले में आ चुका है। + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन दुर्भाग्य है कि पचास साल तक राज करने के बाद.....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप इतने बड़े सच को भी अगर असत्य मानते हो तो कह दें कि + + + । आप कह दें, ये एक्सपंज करवा देंगे । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह फैसला कोर्ट का है आपका और हमारा नहीं है ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : श्रीमती रमा पायलट ने आरोप लगाया है कि + + + यह रमा पायलट ने नारा लगाया है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : न्यायालय के इस फैसले से निर्दोष साबित हुआ । यह फैसला रिकार्ड में है । उसके बाद भी पचास साल से उस टेप को बजा-बजाकर केवल अपने वोटों को पक्का करने का धंधा करते हो । इतना घृणित काम करते हो ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वोटों का धंधा हम नहीं करते हैं इस ढंग से । (व्यवधान) यह इतिहास का अंग है, अभिन्न अंग है । राष्ट्र की मूल धारा में समाहित है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बात कहते कहते थक गये होंगे । (व्यवधान) भाषण की दुकानदारी आपने चलायी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए ।

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह भ्रामक आरोप है ।

श्री धर्मपाल चौधरी : सोनिया गांधी जो प्रधान मंत्री बनना चाहती हैं उसके लिए सबने किया....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सोनिया गांधी ने प्रधान मंत्री बनने के लिए क्या-क्या नहीं किया ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर सर ।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोल लो ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : श्रीमती रमा पायलट का आरोप है । + + +

श्री मदन दिलावर : + + + अब सोनियाजी पार्टी का सफाया करने पर तुली हुई हैं और प्रधान मंत्री बनना चाहती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : श्रीमती रमा पायलट का आरोप है कि + + + मैं दुखी हूं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती । यह रमा पायलट का आरोप है । + + + इतने सत्ता के भूखे हो, इतने स्वार्थी हो । सत्ता में आने के लिए + + +

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप क्या कह रहे हैं ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + +

श्री हरिसिंह (महुवा) : कटारियाजी की बात इन्हीं के ऊपर छोड़ दी। + + +

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जानबूझकर प्रोवोक करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सत्ता के भूखे हो। सत्ता में आने के लिए + + +। पाइन्ट आफ आर्डर की बात वह करे जो नियम जानता हो। नियम जानते नहीं हैं, पाइन्ट आफ आर्डर। क्या बात कह रहे हैं? 15 दिन में एक बार विधान सभा में आ जाते हैं + + +। यह कोई + + + है क्या विधान सभा?

श्री उपाध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आ जाते हैं + + + पाइन्ट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ये गलत शब्द यूज कर रहे हैं माननीय सदस्य के खिलाफ।

बाहर निकाला जाए ऐसे माननीय सदस्य को, जो सीनियर सदस्य को इस तरह की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो ना।

श्री रामस्वरूप : सीनियर सदस्य के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही।

श्री रामस्वरूप : ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं माननीय सदस्य के लिए और आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो ना, बोल रहे हैं भाटी साहब।

श्री रामस्वरूप : इस पर कोई कार्यवाही तो करे इनके खिलाफ। कैसे शब्द यूज किये है इन्होंने। यह कोई + + + है क्या विधान सभा (व्यवधान) विधान सभा + + + है क्या।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं ना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं भी यही कह रहा हूं कि + + + नहीं हैं यह।

श्री रामस्वरूप : कोई गरिमा होती है विधान सभा की.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं जो कह रहा हूं मैं भी यही कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + का नहीं है (व्यवधान) आ जाते हैं + + +

श्री रामस्वरूप : + + + बता रहे हैं विधान सभा को.....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आ जाते हैं + + + करने भाटी साहब, मैं भी यही कह रहा हूं, यह + + + का नहीं हैं। आ जाते हैं घूमते फिरते, पान चबाते (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने + + + कैसे कह दिया (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे नहीं चलेगी विधान सभा।

श्री रामस्वरूप : यह है विधान सभा जिसमें माननीय सदस्य बैठते हैं, राजस्थान के भाग्य का फैसला होता है जहां।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, उनको बोलने दीजिए, आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : + + + बता रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, बिराजिये आप। बैठिये। उनको रोको तो सही। मैं एक्सपंज करा रहा हूं। उनको रोको तो सही।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री देवीलाल बैरवा : इनका तो काम ही ये ही है + + + बात कहने का।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। भाटी साहब, बोलिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : What is your point of order?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन के विपक्ष के उप नेता ने फरमाया है कि चालीस साल में जजमैंट हुआ है कि नाथूराम जी गोडसे न तो + + + के मैम्बर थे, कभी भी नहीं थे, अगर वह इस सदन में यह पेश कर दें तो मैं इस सदन का इस्तीफा देता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य वह हिन्दू महासभा के सदस्य थे + + +

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : + + +

श्री हरिसिंह (महुवा) : आज भी भ्रामक है यह बात (व्यवधान) हिन्दू महासभा + + + हो, हिन्दू महासभा हो, विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो सब उसी की ब्रांचेज हैं....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप कौनसी ब्रांच के हो, + + + ? + + + (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। यह क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं, एक सैकिण्ड आप सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहे हो, यह क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर क्यों नहीं है, साहब, रूल बताओ कौनसा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप इसको ओवर रूल कर सकते हैं लेकिन आप यह नहीं फरमा सकते कि यह क्या पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ये आपका ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप रिजेक्ट कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : रिजेक्ट कर दिया। बिराजो। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब एक और चीज अर्ज करना चाहता हूं जैसे मैंने इनके नेता को.....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह धनुरधारा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो जैसे मैंने इनके नेता को नोटिस दिया 119 में, यह मुझे नोटिस दे दें और मेरे पर आरोप लगाएं तब मैं मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, ठीक समझेंगे दे देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई बोफोर्स की तोप है क्या ?

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने.....

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री हफीज मोहम्मद : मैं इसी कमीशन के बारे में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं आपका नम्बर आये तब आप बोल लेना।

श्री संयम लोढ़ा : लैट मी कम्प्लीट।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें + + + का जो शब्द आया है उसको एक्सपंज करता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यहां से तो एक्सपंज करवा दिया लेकिन भारत की एक अरब की आबादी के जन मानस के हृदय में तो अंकित हो गया कि + + + कितने लोगों के दिमाग से आप यह बात निकाल देंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : वह जाति से पारीक था। वह आपका ही वंशज था।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्र पारीक भी शाखा में थे, बचपन में शाखा में थे राजेन्द्र पारीक। इन्होंने माना है राजेन्द्र पारीक भी शाखा में गये हैं यह भी + + + के सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो। आप शुरू करो।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के चालीस वर्षों के बाद यह सब जरूरत किसलिए महसूस हुई ? वह इसलिए महसूस हुई प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने विगत वर्षों के अन्दर, विगत दशकों में लगातार देश के वातावरण को अजीब तरीके से अजीब सोच के आधार पर गुमराह करने की कोशिश की।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक छोटी सी बात मैं निवेदन करूं, देश की आजादी के लिए अशफाक उल्ला खान शहीद हुए और देश के निर्माण में मौलाना आजाद ने बहुत बड़ा योगदान दिया लेकिन इसके बावजूद.....

श्री धर्मपाल चौधरी : यह देश के लिए शहीद हो रहे हैं जब ही लादेन के नारे लग रहे हैं जयपुर में। यह कौनसे सैक्शन में बहस हो रही है, लादेन के नारे जब ही जयपुर में लग रहे हैं। भाषण देने की जरूरत नहीं है..... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप देते ना मोशन। खुद तो मोशन देते नहीं हो, पढ़कर आते नहीं हो फिर बीच में खड़े हो जाते हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको तो बिन लादेन पर भी गर्व है, आपको तो तालिबान पर भी गर्व है.....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : क्या बोल रहे हैं इनको ये ही पता नहीं है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : .....(व्यवधान) यह पेड़ पर लटकाकर मारेंगे + + + यह बिन लादेन आ गया.....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप इस तरह की भाषा यूज करेंगे, क्या मतलब हुआ, आपने कह दिया को मारेंगे, + + + शब्द यूज किया है इन्होंने सदन के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : आप माननीय सदस्य होकर इस तरह की भाषा यूज करेंगे, + + + कैसे बोला इन्होंने.....(व्यवधान) अप इनसे क्षमा मंगवाइये इस बात के लिए, यह माननीय सदस्य को + + + नहीं कह सकते..... (व्यवधान) यह सदस्य हैं तो गाली देने के लिए हैं क्या ?

श्री देवीलाल बैरवा : यहां लड़ाई झगड़ा हो जाए, (व्यवधान) इनको बोलने की सुविधा दो (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गालियां यूज करते हैं सदन के अन्दर + + + बोलने के लिए माफी मांगें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य के बारे में + + + कह रहे हैं वह।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कर रहे हो ?

श्री रामस्वरूप : क्षमा मांगें इस बात के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये ना। देवीलालजी, बैठिये।

श्री देवीलाल बैरवा : इनकी बुद्धि काम नहीं करती बिलकुल गलत बात कह देते हैं किसी आदमी को। बोलने का होश नहीं है, गलत-गलत कह देते हैं मारा कूटा, बिलकुल होश नहीं रखते, बहुत ही निराधार गलत बात कह देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलालजी, हो गया बहुत बिराजें।

श्री देवीलाल बैरवा : थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं रखते हैं। बड़े-बड़े आदमी हुए, बुद्धिमान हुए, पढ़े लिखे हुए___

श्री रामस्वरूप : आज करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है सदन की कार्यवाही के लिए। आज दूसरे लोग यहां देख रहे हैं, खबर जा रही है और इस प्रकार के शब्द यूज हो रहे हैं। + + + कह कर सम्बोधित करें किसी को, इससे बड़ी बात और क्या होगी ? गालियां यूज की जा रही हैं सदन के अन्दर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप देशभक्तों को मुसलमान, ईसाई करके नहीं मानें, देशभक्त अशफाक उल्ला खान हिन्दू है या मुसलमान सब देशभक्त हैं उनका नाम लेकर + + + कार्यवाही न करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री देवीलाल बैरवा : रमा पायलट को कल विधान सभा में लाकर कहलवा देना यह शब्द कहें हो तो, वो कह देंगी कि यह कह दें जो सही है तो हम पर जुर्माना करना और वह कह दें कि यह गलत है तो इन पर जुर्माना कर देना___

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बहस को यदि सीरियसली लेना चाहते हैं तो आर्डर से चलिये और नहीं तो मैं बिल पास करवा देता हूं और हाउस एडजार्न करवा देता हूं। ऐसे बहस नहीं हो सकती। कतई नहीं हो सकती। No, I will not tolerate.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। अभी आप बोलेंगे तो वह इंटरवीन करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सत्तारूढ़ दल से कहिये ज्यादा___

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं। आप बोलेंगे वह इंटरप्ट करेंगे, वह बोलेंगे आप इंटरप्ट करेंगे How can this House function?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम नहीं करेंगे।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : करेंगे, अभी खड़े हो जायेंगे पीछे से। ऐसे नहीं हो सकता Every member has a right to give vent to his expressions freely. आप खड़े हो आप बोलेंगे फिर वो खड़े हो जायेंगे यह आब्जक्शनेबल है What is the end to it?

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं जयपुर शहर, जोधपुर शहर, उदयपुर शहर, कोटा शहर, बीकानेर शहर क्या एक भी शहर में शहीद अशफाक उल्ला खां की प्रतिमा लगी नहीं लगी। उपाध्यक्ष महोदय, सोच को साफ करके और इस समुदाय के योगदान को पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने की आवश्यकता है और आज यह बिल लाने के पीछे मंशा भी यही है कि हमारी जो विगत 50 वर्षों में कमजोरी रही है उस कमजोरी को दूर करके इस समुदाय के योगदान का, उनकी भूमिका का पूरा मूल्यांकन करते हुए उस समुदाय के कल्याण के लिये हम काम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस बिल में अध्यक्ष समेत जो पांच सदस्यों का प्रावधान रखा है जिसमें अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का और तीन सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस संख्या को बढ़ाकर आप सात करें जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिये पूरी तरह से मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ योगदान किया जा सके। भारत सरकार का जो आयोग है उसमें भी सात ही सदस्यों का प्रावधान है अध्यक्ष समेत। इसलिए राजस्थान में भी अगर आप यह प्रावधान कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस बिल के अंदर इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है कि आयोग की बैठक की सीमा क्या होगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक के अंदर ही माननीय मंत्री महोदय यह प्रावधान करें कि आयोग की हर महीनें में एक बैठक होगी जिससे यह मात्र एक सजावटी आयोग बनकर नहीं रह जाये बल्कि इसके माध्यम से वाकई काम हो सके और लोगों का कल्याण हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बिल को पारित करना चाहती है, वैसे भी विलम्ब काफी हो चुका है लेकिन यह बिल एक सिफारिशी संस्था बनकर रह जायेगा। इस विधेयक को और मजबूत करने की आवश्यकता है, और ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय करने पर, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों में, उनकी योजनाओं में, उनके हित की योजनाओं में प्रभावी क्रियान्वयन नहीं करने पर इस आयोग को दंडित करने का अधिकार भी प्रदान करना चाहिये। यह अगर ताकत इसको प्रदान की जायेगी तो मैं समझता हूं आने वाले वक्त में यह आयोग राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय के हित में प्रभावी ढंग से काम कर

(श्री संयम लोढ़ा)

पायेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कहो, यह तो कहो जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। आपने जो प्रस्ताव किया है, उसका समर्थन तो करो।

श्री संयम लोढ़ा : यह तो मैंने पहले निवेदन कर दिया। फिर भी आपका आदेश है, मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग, विधेयक, 2001 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

जब से यह सरकार आयी है, सरकार ने अगर कीर्तिमान स्थापित किया है तो एक मामले में, कागजों में आयोगों का गठन करना, राजीव गांधी के नाम पर मिशंस स्थापित करना और टास्क फोर्स गठित करना। यह आयोग जिस मंसूबे को लेकर रखा गया है उसमें सरकार की नीयत साफ झलकती है और यह इस बात से भी साफ झलकती है, इस सरकार ने 12 मई, 99 को अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पर डा. निजाम को मनोनीत किया। सरकारी गाड़ी का इंतजाम कर दिया और ढाई साल बाद अचानक सरकार के ध्यान में आया कि जिनको हमने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है, जिस अल्पसंख्यक का हमने गठन किया है उसको वैधानिक अधिकार कोई मालूम नहीं है। मैं इस बात के लिये मंत्री महोदय आपकी बड़ाई करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कम से कम इस सदन के अन्दर एक बात साफ कही। आपने साफ कहा है और आपने उस पत्र को उद्धृत करके कहा कि भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही आप इस अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक मान्यता देने के लिये इस विधेयक को लेकर आये हैं। अगर भारत सरकार स्पष्ट निर्देश नहीं देती तो शायद आप अब भी इस बिल को लेकर नहीं आते और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपने बड़ी लम्बी चौड़ी बातें इस बिल में कही हैं। आपने इस विधेयक के पृष्ठ 9 पर उन उद्देश्यों, कारणों और कथनों का उल्लेख किया है जिन उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति के लिये आप यह विधेयक लेकर आये हैं। अब आपके उद्देश्य और कारण क्या हैं? उद्देश्य हैं, अल्पसंख्यकों का सर्वांगीण विकास करना, अल्पसंख्यकों के विकास की बाधा दूर करना, अल्पसख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना बनाना, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्था व भाषा को बढ़ावा देना, वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और उसमें अगर कोई अतिक्रमण हो तो उसको रोकना। लम्बे चौड़े उद्देश्य बताये हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ज्ञापन, आपने इस विधेयक के पृष्ठ 11 में लगा रखा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है उसके बारे में संवैधानिक आपत्तियां कीं, मैं उन आपत्तियों की ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस आयोग के लिये बजट का प्रावधान किया है 2001-2002 में दस लाख रुपये और आपके उद्देश्य इतने लम्बे चौड़े, तो इन दस लाख रुपये में तो जिन अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है उनकी तनख्वाह और उनके सदस्य और दूसरे जो सचिव हैं इनकी तनख्वाह की पूर्ति भी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि आपकी मंशा इस विधेयक के पीछे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये नहीं है।

आपने जो थोथी घोषणाएं घोषणा पत्र में कर दीं, उन घोषणा पत्र की थोथी घोषणा को झूठा अमली जामा पहनाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इस विधेयक की धारा 9 में आयोग के कृत्यों का उल्लेख किया है.....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कभी कभी तो आप सही कहते हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : और यह कहते तभी हैं जब इनको कोई दे देता है लिखकर और यह इसको पढ़ देते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह आपने ही दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो मैं निवेदन कर रहा हूं विधेयक की धारा 9 में इन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। इसमें आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। संविधान प्रदत्त अधिकारियों को संरक्षण देने की बात कही है और आर्थिक शैक्षणिक विकास के सम्बन्ध में अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण की बात कही है।

अब, मंत्री महोदय, आपने विधेयक की धारा 9 (क) में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति के मूल्यांकन की तो बात कह दी, परन्तु आप मुझे बात दें क्या वर्तमान में सरकार का कोई ऐसा विभाग है जो अल्पसंख्यकों के विकास के कार्यों का अलग से लेखा जोखा रखता है? कहीं लेखा जोखा नहीं हैं। किस चीज का मूल्यांकन करेंगे? कैसे मूल्यांकन करेंगे? यह कैसे संभव होगा? आप उत्तर दें, जरा इस बात को स्पष्ट करें।

इसके अलवा, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने सैक्शन 10 में आयोग को सिविल कोर्ट के अधिकार तो दे दिये। आई.पी.सी. की धारा 193 और 228, सी.आर.पी.सी. की 95 के तहत आयोग की सारी कार्यवाही सिविल कोर्ट की परिधि में तो आप ले आये परन्तु आपने उसको अधिकार क्या दिये हैं? किसी व्यक्ति को बुला लेना, किसी व्यक्ति का सम्मन कर लेना, किसी का शपथ-पत्र लेकर किसी दस्तावेज को मंगा लेना, परन्तु अगर मान लो आयोग किसी प्रकरण में जांच पड़ताल करता है और यह आयोग इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस प्रकरण के अन्दर निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर कोई खामी, गलती रही है, आयोग क्या किसी को दंडित कर सकेगा? मतलब आप इसमें सिविल कोर्ट के अधिकारों की थोथी बातें क्यों करना चाहते हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने इस बिल के सैक्शन 3 में आयोग के गठन आप विख्यात, योग्य, सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। अब आपने कैसे-कैसे व्यक्तियों को आयोग के अध्यक्ष पर नवाजा है, मैं दो मिनट में आपको निवेदन करना चाहता हूं। 12 मई, 99 को जिन डाक्टर निजाम को अध्यक्ष पद की कुर्सी दी है उनके कारनामे कैसे हैं, 11/11/2000 को....

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसका विधेयक से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है—

श्री ज्ञानदेव आहूजा : है, इसका ताल्लुक है। अपराधियों को कोई नहीं बचा सकता है, अपराधी है यह....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, 11.11.2000 को नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा भवानी मंडी, सूलिया चौकी पर मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त भादरा निवासी देवीलाल और हंसराज को गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास 124 बोरी डोडा पोस्त जो 4630 किलो के थे, वह बरामद होते हैं। अब मुलजिम देवीलाल जो बयान देता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जो उनके बयान देवीलाल, पुत्र धनराज, उम्र 35 वर्ष, जाति जाट, निवासी भादरा तहसील, यह लिखते हैं। यह डोडा चूरा इस बार जो आपके विभाग ने दिनांक 11.11.2000 को जब्त किया है, वह मैं नारायण सिंह, उमराव सिंह से खरीद कर डोडा चूरा ग्रुप जिसमें गफूर खां है, पवन कुमार है, मदन लाल है, डाक्टर निजाम मोहम्मद शामिल हैं, के वास्ते ले जा रहा हूं। गफूर कहता है पवन कुमार के गोदाम में खाली करता हूं लेकिन रास्ते में पकड़ा गया हूं, आगे पूछने पर बताता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिनके फोन नम्बर निम्न प्रकार हैं गफूर खां के घर का नम्बर 23793, पवन कुमार के घर का नम्बर.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसका इससे क्या लिंक है....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : कोई भी अभियुक्त अपने को बचाने के लिए किसी का भी नाम ले सकता है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो...., (व्यवधान) आप बिल पर बोल रहे हैं, बिल पर ही बोलें....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : × × ×

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं ना...... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मुझे मालूम है क्या करना हैं बिराजिये.....(व्यवधान)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, Please, don't quote anybody without giving notice. बिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आप बिल पर बोलें, I will not allow.

श्री मदन दिलावर : यह इनकी तरफ से आरोप नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तरफ से नहीं आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी तरफ से.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहां कह रहा हूं कि आपकी तरफ से है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आरोप नहीं हैं.... (व्यवधान) बयानों को पढ़ रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिल पर बोलें।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी मुलजिम के....(व्यवधान) मुलजिम के बयान काउंट नहीं होते हैं वह अटलबिहारी वाजपेयी का नाम भी ले सकता है..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : आप कैसे पढ़वा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री श्रवण कुमार : आप पढ़वा ही कैसे रहे हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुलजिम के बयान....(व्यवधान) मैं उसको स्वीकार करता हूं, मैं आपको विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने संशोधन पर बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस चीज को उन्होंने....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनको बैठाओ ना....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उस पर इस तरह के आरोप उसकी एब्सेंट में लगाना गैरकानूनी है। यह जो कुछ भी आरोप इन्होंने लगाये हैं आप उन्हें एक्सपंज करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजे, बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : यह सदन की कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : सदन की कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री मदन दिलावर : जो अदालत के रिकार्ड की बात है उसको कह रहे हैं, आरोप है माननीय सदस्य का.....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह आरोप कैसे मान रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज आपने जो संशोधन मूव किया है उस पर बोलिये इंडिविजुवअल आप पास मत कीजिये। इस बिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई सम्बन्ध नहीं है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, इस पर बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने दीजिये, बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें प्रावधान यह है कि इस मद पर बहुत योग्य लोग, समझदार लोग रखे जायेंगे......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फैसला अपन नहीं कर सकते हैं....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : देश का रक्षा मंत्री योग्य है क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह इनकी साधारण सी चेतावनी है कि इसमें नियुक्ति के समय आपके जो अधिकार हैं....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : वाजपेयी जी को सलाह दो कि फर्नाण्डीज जैसे को मंत्रिमंडल में नहीं रखें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये.... (व्यवधान) हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य....(व्यवधान) आर्डर, आर्डर, यहां कोई चेयरमैन अपाइन्ट करने का प्रश्न तो है नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : है ना।

श्री उपाध्यक्ष : कहां है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : है।

श्री उपाध्यक्ष : आलरेडी अपाइन्टेड है.....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): उसकी योजनाएं हैं.....(व्यवधान) उसमें लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ही नहीं है.....(व्यवधान) बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के सैक्शन 3 की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, सैक्शन 3 है आयोग का गठन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काहे पर बोल रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 3 के 2 में है कि आयोग में विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे। मैं इसलिए ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और अभी यह बात चली कि मुलजिम के बयानों की कोई अहमियत नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण झालावाड़ द्वारा की गयी टिप्पणी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घटना दिनांक........ (व्यवधान) 2000 की बतायी गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अंकित ही नहीं होगा, प्लीज....(व्यवधान) Please, don't go into this.

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow.

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप जनरल बात कुछ भी कह दीजिये....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आई डोंट से, मैं कब कह रहा हूं कि आपकी तरफ से कह रहे हैं....(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि जो कुछ न्यायालय ने कहा वह भी मत कहो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आप कहोगे तो नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप मत कहो, प्लीज।

श्री मदन दिलावर : यह तो जबरदस्त अन्याय हो जायेगा। लोगों के कारनामे यहां नहीं बतायेंगे तो इस देश का क्या होगा? तस्करों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो यह राजस्थान बर्बाद हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप जनरल बालिये ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे तो मैं न्यायाधीश द्वारा की गयी टिप्पणी को उद्धृत नहीं करूंगा, परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मंशा से जिस तरह के लोगों को इस अल्पसंख्यक आयोग में, अल्पसंख्यक समुदाय की उन्नति के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जिन लोगों को यहां मनोनीत करने का सरकार अधिकार ले रही है, मैं आगाह करना चाहता हूं कि उन लोगों के आचरण के बारे में न्यायाधीश इस तरह की टिप्पणी करें और आज भी वह लोग इस तरह के कार्य में लिप्त हों, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय इस पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, प्रकरण आया था दर्शन डेंटल कालेज, उदयपुर का, राजस्थान के अल्पसंख्यक आयोग ने इस कालेज को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण-पत्र दे दिया। उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं था, जबरदस्ती प्रमाण-पत्र कैसे मैनुपेलेशन से ले लिया। बाद में यह अखबार में आया, वापस लिया और यह सिंगल बैंच में मामला आया, हाई कोर्ट की डबल बैंच में मामला आया और हाई कोर्ट की डबल बैंच ने आज जो अल्पसंख्यक आयोग, मौजूदा चल रहा है उसके बारे में जो टिप्पणी की वह यह थी कि आयोग ने अपने वैधानिक अधिकारों से आगे जाकर, किसी भी शिक्षण संस्था को अल्प-

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संख्यक होने का प्रमाण-पत्र देने का अधिकार उनको नहीं था, जो उन्होंने दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए है तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार को साफ मन से आगे आना चाहिए। आज मात्र वोटों को लेने के लिए और अल्प-संख्यक समुदाय को हम इन्सान नहीं उन्हें वोट बैंक समझकर, हम थोथी घोषणाएं करते रहें इससे कोई भला होने वाला नहीं है। मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की भावना के साथ अपनी भावना सम्मिलित करता हूं कि निश्चित रूप से 50 साल की आजादी के पश्चात् इस चीज का मूल्यांकन होना चाहिए कि आज प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की किस तरह की आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति किस तरह की है और शैक्षणिक स्थिति किस तरह की है। आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यह समुदाय इसलिए पिछड़ गया कि इस समुदाय को लोगों ने जो भी सत्ता में आया, खास तौर पर वर्तमान में सत्ता में बैठे लोग, इस पार्टी ने इन लोगों को इंसान नहीं समझा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जिस आधे-अधूरे मन से यह बिल लेकर सरकार आयी है उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जाने के लिए प्रचारित किया जाये। पहला तो इस बिल का आब्जेक्ट क्या है और कारपोरेशन बनाने के लिए या कमीशन बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य तत्कालीन सरकार का अपने लोगों को, अपने राजनीतिक लोगों को जो विधान सभा में या लोक सभा में प्रवेश नहीं पा सकते हैं उनको री-ओर्डिनेट करने का होता है और वह आब्जेक्ट तो अचीव कर लिया क्योंकि एक्जिक्यूटिव आर्डर आपने कमीशन बना दिया और जो योग्य, अयोग्य जो भी हैं उनको आपने अध्यक्ष भी बना दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह जो आपके खास हैं.....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बीच में डिस्टर्ब मत करो यह बहुत गलत बात है.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आज कोई नया तो हुआ नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बहुत गलत बात है, बैठिये आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : नाथूराम गोड़से के रिश्तेदार हैं.....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कभी कुछ गंभीरता से बात सुनना सीखो जी पारीक साहब, तीसरी टर्म आपकी चल रही है। पूरी जिन्दगी ऐसे ही खराब कर देंगे असेम्बली में रहकर के।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि गंभीर ही होते तो आज आपका यह हाल नहीं होता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई बात नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक्जिक्यूटिव आर्डर से कमीशन कांस्टीट्यूट है, राष्ट्रपति शासन में कांस्टीट्यूट था, चेयरमैन भी अपाइन्ट होकर के फंक्शन कर रहा था, आफिशियल भी फंक्शन किया है और वर्तमान में भी पब्लिक के आदमी को आपने नामिनेट किया हुआ है और काम चल रहा है। अब इसके अन्दर सीपीसी की पावर आपने दी है और तो कुछ दिया नहीं है। लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आरोप और प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है। यह हर गवर्नमेंट करती है, मैं माननीय पारीक साहब से असहमत नहीं हूं। तत्कालीन संरकार अपने आदमियों को....(व्यवधान) आप बैठ जायें। प्लीज, आपसे सहमत हूं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आपका वर्जन यह था कि तत्कालीन सरकार ने अपने चहेते लोगों को आब्लाइज करने के लिए किया....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपकी बात से सहमत हूं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : तत्कालीन सरकार ने तो इनके आजकल जो खास बने हुए हैं, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने 1993 में यह किया और तत्कालीन सरकार होने के नाते उन्होंने नर हरि साहब को विराजमान किया।

मैं तो आपको सलाह देता हूं कि आप थोड़ा गम्भीर बनें ताकि इश्यू पर सारगर्भित चर्चा की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपकी बात को ही सपोर्ट कर रहे हैं और आप बोले जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे सपोर्ट करें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में आया लेकिन यह कह कर कि आप गम्भीर नहीं हो, फिर आप मेरे वर्जन को सही ठहरा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभी सरकारें अपने डिस्टिन्वश्ड पर्सनेलेटीज को डिफाइन करती हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की विचाराधारा के लोग भी, कई डिस्टिंग्विस लोग हैं, लर्नेड लोग हैं, योग्य लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हैं, बी.जे.पी. की विचाराधारा में भी कई लोग डिस्टिंग्विश हैं, योग्य लोग हैं और सरकार अपनी विचाराधारा वाले लोगों को या अपने आदमियों को अगर कहीं पर चेयरमैन बनाती है, इसमें कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह चेयरमैन बनने के बाद पब्लिक आफिस होल्ड करता है और पब्लिक आफिस होल्ड करता है तो उसका कण्डक्ट भी स्प्रिटिचुअस होगा, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो ऑटोनोमी का प्रश्न आएगा। मैं फिर यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप नहीं लगाना चाहता हूं पर किसी सरकार ने किसी कारपोरेशन की ऑटोनोमी के कंसेप्ट को यथावत नहीं रखा,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

जहां पर ब्यूरोक्रेट है, अधिकांश कारपोरेशनों में ब्यूरोक्रेट को बैठाया हुआ है, उनको साधन मुहैया होते हैं और वह बिल्कुल विभाग की तरह से कार्य करते हैं और यह बाकी के जो कारपोरेशन होते हैं वह भी ऐसे ही काम करते हैं।

एक बात मैं इसके परिचालन के लिए जो कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात के लिए आपत्ति की है, वह बात मैं आरोप नहीं लगाता लेकिन विशिष्ट न्यायाधीश ने, मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं कि एक एक्यूज्ड का बयान इनएडमिसेबल है, as against another person. अगर कोई ड्राइवर पकड़ा गया और उसने यह कह दिया कि यह अफीम-डोडा मैं डाक्टर निजाम के लिए ले जा रहा था तो उससे कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह बात मैं मानता हूं लेकिन विशिष्ट न्यायाधीश का निर्देश क्या कहता है? एक क्लू मिलता है इन्वेस्टीगेशन में, गृह मंत्रीजी, आप तो बहुत अनुभवी हैं कि पुलिस के अंदर जितनी भी थ्योरीज हो सकती हैं उन सबको इन्वेस्टीगेट करके और प्रोसेस ऑफ एलीमिनेशन में, एलीमिनेट करना पड़ता है, नैरो डाउन करके फिर जाकर एक जगह टिकना पड़ता है। आप सिर्फ सदन की जानकारी के लिए बता दीजिए, हो सकता है यह बिलकुल मिथ्या हो, असत्य हो लेकिन आपकी पुलिस ने नारकोटिक्स ने, इस बात को इन्वेस्टीगेट किया क्या कि जो सामान जब्त हुआ है वह डाक्टर निजाम और संजीव बेनीवाल, माननीय सदस्य, इनके लिए खरीदा गया था और इनका उसके अंदर हाथ था। नहीं था तो आप कह दीजिए खड़े होकर कि हमने इन्वेस्टीगेट कर लिया। मैं सिर्फ इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी आपने इन्वेस्टीगेट ही नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर चर्चा का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं, इस बिल से सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन कन्सेप्ट कारपोरेशन का और कमीशन का है। राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन राजीव अरोड़ा, मुख्य मंत्रीजी के निकटस्थ मित्र, मंत्री बीना काक.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या रेलेवेंसी है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, इसकी रेलेवेंसी ही बता रहा हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : Please, don't go after it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं मैं कोई आरोप लगा ही नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, और क्या कर रहे हो? आप और क्या कर रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कोई आरोप लगा ही नहीं रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिना सुने ही कहें......

श्री उपाध्यक्ष : क्या रेलेवेंसी है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : रेलेवेंसी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : रेलेवेंसी क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : This has got no relevnce with this Bill.

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : यह तो सरकार की जन्मकुण्डली पढ़ रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको कोई कुण्ठा हो तो आप दूसरे किसी माध्यम से आ जाइए, प्रस्ताव लेकर के आ जाइए। इसकी रेलेवेंसी को स्थापित करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं लगा ही नहीं रहा हूं, मैं लगा ही नहीं रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप लर्नेड एडवोकेट हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं लगा ही नहीं रहा हूं (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह आरोप नहीं है, सरकार की जन्मकुण्डली खुलवाई है। सरकार की जन्मकुण्डली है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने राजेन्द्रजी राठौड़ को डिसअलाउ किया है, जो बोल रहे थे, इसी बिल में अध्यक्ष पर बोल रहे थे उनको डिसअलाउ किया है और आप बोल रहे हैं जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर मैं कोई आरोप लगाऊं तो उसको मैं विथड्रा कर लूंगा। नाम तो मैं ले ही नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष : नाम में क्या है, इश्यू क्या है यहां पर ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनेंगे उसके बाद अगर आप डिसअलाउ करेंगे उसको मैं विथड्रा कर लूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय; कितनी खूबसूरती से इन्होंने आरोप लगाया कि माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि डाक्टर निजाम और संजीव बेनीवाल, जिनके लिए ड्राइवर यह माल लेकर आया है, इससे ज्यादा खूबसूरत आरोप आप किस पर लगा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इससे खूबसूरत और बिलकुल आरोप लगा रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्र पारीक साहब सही कह रहे हैं। इससे ज्यादा खूबसूरत आरोप नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसा खूबसूरत आरोप लगाया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा खूबसूरत आरोप इन्होंने लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कन्टीन्यू करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : इन्होंने आरोप लगा दिया, डाक्टर निजाम जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके खिलाफ आपने आरोप लगा दिया, उससे ज्यादा खूबसूरत आरोप लगाने का कौनसा तरीका है आप यह फरमायें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह वैसा ही खूबसूरत आरोप है राजेन्द्रजी पारीक साहब, जैसे खूबसूरत आप हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, corporation vis-a-vis the government गवर्नमेंट के, कारपोरेशन के inter-se रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं समझा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो यह कारपोरेशन माइनोरिटी कमीशन...... माइनोरिटी कमीशन, पार्ट आफ द गवर्नमेंट, कन्सेप्ट तो वही रहेगा न, चेंज नहीं होगा। Relationship of a Commission vis-a-vis the government. माइनोरिटी कमीशन गवर्नमेंट के सबोर्डिनेशन में काम नहीं करेगा यदि इसको आप स्टेट्यूटरी स्टेटस दे देंगे तो राजस्थान स्टेट ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन को आलरेडी स्टूट्यूटरी स्टेट्स दिया हुआ है, उसको आपने सबजूकेट करके एक ऐसे मिनिस्टर जिसके डबल पेमेंट के प्रमाण यहां पर प्रस्तुत किए जाएं, उसके लिए राजीव अरोड़ा को आपने सेक्रीफाइस कर दिया, अपने मित्र को सेक्रीफाइस कर दिया, + + + सेक्रीफाइस कर दिया कि यह राजस्थान के मुख्य मंत्री पर + + + अपने पर्सनल फ्रेंड को बिना किसी कारण के सेक्रीफाइस कर दिया। यहां पर विशिष्ट न्यायालय का निर्देश है, उन निर्देश की पालना नहीं की, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह टोटल बिल, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं हैं। सरकार की मन्शा इससे साफ जाहिर है कि फाइनेंशिल मेमोरेण्डम के अंदर 10 लाख रुपए ग्राण्ट इन एड प्रोवाइड किया है, इन्होंने अलग से रेकरिंग और नोन रेकरिंग एक्सपेंडीचर को क्रोस वाइज कोई डिस्कस नहीं किया है। इसलिए इसकी भावना मूल यही है कि इनकी दया का पात्र है, इनके जो मर्जीदान हैं, वे इसके चेयरमैन रहेंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे, गाड़ी-झण्डी-घोड़े मिल जाएंगे। मैं तो यह समझता हूं कि इस वक्त इन्टर सेशन बुलाकर, प्राइवेट मैम्बर्स डे आप रखना नहीं चाहते इसलिए फालतू के लेजिस्लेचर को लाकर के आप विवाद खड़ा कर रहे हैं। असली मुद्दा तो यह है कि आप इसको परिचालित करे और यह मालूम करें कि जिस आयोग का अध्यक्ष डाक्टर निजाम जैसे चरित्र वाला व्यक्ति है।

उसको एक स्टेट्यूटरी स्टेट्स दिया जाए या नहीं दिया जाए और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि राजस्थान में अगर आप परिचालन करेंगे तो राजस्थान की जनता इसको रिजेक्ट करेगी, एक एन.डी.पी.एस. के अभियुक्त को इस प्रकार का स्टेट्यूटरी स्टेट्स नहीं दिया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी शर्मा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है इस पर विचार करते समय कई लोगों की मानसिकता यह है कि यदि आप इस पर विचार रखेंगे तो हमारा एक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। माननीय शिवनाथसिंहजी जैसे बुजुर्ग आदमी ने भी दो-तीन बार कहा कि मैं इस बिल के बारे में बोल तो रहा हूं, इसमें कमियां हैं जरूर लेकिन कोई यह न समझे कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। यह कहने की क्या जरूरत है? जब बिल डिस्कस होगा तो इसके बारे में जो भी कानून की राय होगी, दी जाएगी, खुलकर बोला जाएगा, उसमें नाराज होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। यदि कोई यहां बोलता है बिल के बारे में, बिल के खिलाफ तो यह माना जाए कि वह किसी वर्ग के खिलाफ हैं, यह भी सोच ठीक नहीं है, यह स्वस्थ चर्चा नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जिस मानसिकता से आप लाए हैं, वह मानसिकता आपकी ठीक नहीं हैं, क्यों लाए हैं आप इसको, बड़ी चिंता हो गयी आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्यों नहीं लाएं इसको?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जवाब दो कि क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, यह तो आप बताएं कि क्यों नहीं लाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप यह डिफाइन करें कि हम इसको क्यों नहीं लाएं, आप फरमाएं? आप यह फरमाइये। हम इसको क्यों नहीं लाएं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही बात रहा हूं कि क्यों नहीं लाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप फरमाएं इसको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बता रहा हूं अभी आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक : हां, बताइए। आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय पारीक साहब, अगर इस तरह से आप बार-बार बोलेंगे तो डी.पी. हमारे बार-बार कहेंगे, आपका रिश्ता बताएंगे किसी से, क्या मतलब है इन बातों का? **(व्यवधान)** खैर, इससे कोई मतलब नहीं है, आप तसल्ली से सुनिए। यदि बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो मुझे इन्टरप्ट करके बोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? Please, keep sitting.

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इन्टरप्ट कर ही नहीं सकता। आप चूंकि पेशे से वकील है इसलिए आप कृपया कोर्ट का सारा ध्यान रखते हुए लीडिंग क्वेश्चन न पूछें कि क्यों लेकर आए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्यों लेकर आये। आप यह पूछो हम क्यों नहीं लेकर आये? हम तो ले आए, सरकार का काम है बिल लाना। सरकार बिल ले आयी। प्रतिपक्ष का

(श्री राजेन्द्र पारीक)

काम है + + + करना, आप + + + करिए। हम बिल पास करके जाएंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह + + + क्या है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + असंसदीय है।

डा. किरोड़ी लाल : यह + + + है ?

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी, यह क्या है ? (व्यवधान) यह + + + है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : जो अच्छा सुझाव नहीं दे सके यह + + + है, और क्या है ?

डा. किरोड़ी लाल : ये + + + बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी : इस + + + को तो निकालिए। यह असंसदीय भाषा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

श्री रामस्वरूप : आप कह रहे हो यही + + + है। अब जो कुछ आप कर रहे हो यही + + + है। इसी को + + + बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : जो माननीय सदस्य कह रहे हैं + + + उसको तो निकलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पर मैं आपसे स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि जो माइनोरिटीज हैं, अल्पसंख्यक.....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ये ट्रिओ एंटी उप नेता हैं या प्रो-नेता हैं ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप ऐसा करना, आप चेम्बर में पधार जाना। चेम्बर में बता देंगे। (व्यवधन) आप चेम्बर में आ जाना, वहां बता देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके चेम्बर में ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसी के भी आ जाइए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनके चेम्बर में तो नहीं जाऊंगा मैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं किसी के भी आ जाओ। जिससे डरते हो वहां मत जाओ, बाकी हमारे पास आ जाओ। अब आप कृपया बोलने दीजिए, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं, फिर अभी ये खड़े हो जाएंगे, अभी कोई बातें करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आपसे छोटा-सा निवेदन है कि माइनोरिटीज को कहीं डिफाइन नहीं किया है। संविधान में माइनोरिटी की कहीं डेफिनेशन नहीं है। तो क्या आप कृपया बताएंगे कि माइनोरिटीज में कौन-कौनसे समाज गिने जाएंगे ? अभी तक जो कल्पना है वह शायद यह है कि अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम सम्प्रदाय है। तो यह थोड़ा स्पष्ट कर देंगे तो बहुत कुछ क्लीयर हो जाएगा।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आप जवाब में बता देना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले ही बताओ आप तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य पेशे से एडवोकेट हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। "इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "अल्पसंख्यक" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित कोई सम्प्रदाय अभिप्रेत है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह कौन-कौनसे हैं यही जानना चाहता हूं मैं। वह बता दीजिए आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह बता देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह बताओ ना आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसमें मुसलमान आता है, इसाई आता है, सिक्ख आता है, बौद्ध आता है।

डा. किरोड़ी लाल : जैन ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जैन नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : जाट आता है ?

श्री धर्मपाल चौधरी : जाट आता है या नहीं आता ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जाट ओ.बी.सी. में आता है। (व्यवधान) यह इसमें बहुत स्पष्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं, यह भ्रांति है कि अल्पसंख्यक आयोग जो बन रहा है यह केवल एक सम्प्रदाय के लिए बन रहा है, एक समाज के लिए बन रहा है, ऐसा नहीं है। माइनोरिटीज का मतलब वह है जो अभी आपने परिभाषा की है। इस वर्ग के सब लोग मिलाकर माइनोरिटीज में आते हैं। तो भ्रम तो इससे ही निकल जाएगा। अब सवाल यह है कि आपने कुछ गलतियां इसमें ऐसी रख दी हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ पैदा करेंगी। आपने इसकी कालावधि का समय रखा है तीन वर्ष। इसकी कालावधि तीन वर्ष रहेगी। कब से रहेगी ? जब से इसका चार्ज कोई लेगा तब से। आपने चेयरमैन का नोमिनेशन अपाइंट कर दिया, नोमिनेट कर दिया और मेम्बर भी नोमिनेट कर दिये। दोनों ने, तीनों ने जितने भी माननीय सदस्य हैं या चेयरमैन हैं उन्होंने एक दिन जोइन नहीं किया। मान लीजिए चेयरमैन ने दो महीने बाद जोइन किया, मेम्बर ने पहले कर लिया या पहले चेयरमैन ने कर लिया, मेम्बर्स ने छह महीने बाद किया। तो वो कालावधि सब खतम होगी। तो वह तीन वर्ष बाद होगी। सम्भव कैसे होगा यह ? डेट आफ जोइनिंग से तो हो सकता है। आपने इसे डेट आफ अपाइंटमेंट से कर दिया। तो सब एक दिन जोइन करते नहीं हैं। यदि आगे-पीछे होंगे तो फिर तो तीन साल कब से गिना जाएगा। तो एक बड़ी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विडम्बना खड़ी होगी। इस पर आपने कुछ विचार नहीं किया। यह करना चाहिए था आपको। फिर आपने इसमें लिखा है कि कोई सदस्य अगर लगातार गैर हाजिर रहेगा बिना आयोग की परमिशन से, तीन बार रहेगा ना बिना आयोग की अनुमति के, "Aayog" means what? Chairman and the members.

आयोग का मतलब यह होगा तो उनकी कहां अनुमति लेगा वो? तो आप यदि आयोग के जो अध्यक्ष हैं आप उनसे कहें वह तो ठीक हो सकता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस सम्बन्ध में खण्डशः जब विचार करेंगे तब मैं अप्रोप्रियेट उत्तर दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपके ध्यान में ला रहा हूं और इसीलिए ला रहा हूं.....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे ध्यान में है इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया खण्डशः जब विचार करेंगे तब मैं इस पर उत्तर दे दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपके ध्यान में क्या-क्या हैं मुझे बता दीजिए जिससे आगे नहीं बोलूं मैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपका मंतव्य तो इतना है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करें। उसके लिए जो भी आपको कहना है वह कह दीजिए। मुझे जो अपनी बात कहनी है वह मैं कह दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए और हम सुनेंगे आराम से आपकी बात को। तो मैं यह कह रहा हूं इसको जल्दबाजी में लाये हैं। तो ये ऐसी विसंगतियां हैं, इसको यदि आप जनमत जानने के लिए भेजे देंगे तो यह ठीक होकर, बनकर आ जाएगा, वरना आपको पालना में दिक्कत होगी और सबसे बड़ी बात जो सबको आपत्ति है और आपने लिखा है हम इसमें बड़े योग्य, समझदार, समाज में प्रतिष्ठित ऐसे लोग रखेंगे, इसका चेयरमेन बनाएंगे। उसकी आप नियुक्ति कैसे करेंगे? यह कोई लिस्ट है क्या आपके पास? अगर आपने इसका कोई मार्गदर्शन नहीं रखा, कोई नियंत्रण नहीं रखा तो जैसे माननीय सदस्यों को शंका है कि आप जिनको आब्लाइज करना चाहेंगे, आपके दफ्तर में या आपके घर में कोई हाजिरी दे देगा, अच्छा आपको गद्दी दे दी जाती है, वह इसमें हो जाएगा। तो इसलिए to be on the safer side, और यह ठीक से चल सके, किसी पर आरोप नहीं लगे, ऐसी कोई व्यवस्था आप इसमें करिए। इतनी बात तो जरूर कहता हूं कि आप भी राजनीति में कई वर्षों से हैं और इस सम्प्रदाय के बारे में, खासकर अपना जो मुस्लिम सम्प्रदाय है, कभी इनके मोहल्लों में गये होंगे, खैर अब तो नहीं जाते होंगे, लेकिन बहुत पहले कभी गये होंगे, 10-20 साल पहले। आज भी आप जाएंगे तो इनके घर में कोई बहबूदी नहीं है। वही टाट का पर्दा, वही बकरी और एक छोटा-सा बर्तन एल्युमीनियम का। इससे ऊपर उभारा नहीं कभी आपने इनको। आपकी सरकार इनके पीछे बनती है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यदि ये एक बार आपके हाथ खींच लें, एक बार इनको रेफरी बना दो तो आपको भी नहीं दें, हमको भी नहीं दें। तो आप कहां जाओगे? तो जो व्यक्ति आपको यहां इतनी सुविधा देकर बैठाता है, आपका वर्चस्व बढ़ाता है उस समाज की चिन्ता कभी आपने की है? आज सबसे कम एजुकेशन अगर है तो इनमें है। बच्चों की शिक्षा का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता।

श्री हीरासिंह चौहान : परिवार नियोजन की बोलो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वहां तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो इनके बलबूते पर आपकी सरकार आती है, कोई लाभ इनको पहुंचाया हो, आगे बढ़ाया हो तो एकाध उदाहरण आप दे दीजिए। अपने बलबूते जो बढ़े हैं तो बढ़े हैं, लेकिन आपकी कृपा पर, आपके सहयोग से, आपके प्रयत्नों से इनका कोई उद्धार नहीं हुआ है। अपने बलबुते पर जो किया होगा वह किया होगा, लेकिन आज बड़ी संख्या में ये लोग उसी स्थिति में हैं। इनके घर के बाहर गंदगी फैलती रहती है।

श्री अमराराम (धोद) : आपने जो आठ साल में किया वह आप बता दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बहुत लम्बे समय तक ये ही रहे ना। (व्यवधान) हम तो बता देंगे हमसे कोई पूछेगा तो बता देंगे। अभी तो ये बताने वाले हैं। आप आ जाना, आपको बता देंगे। (व्यवधान) चलना मेरे मोहल्लों में, बता दूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धोद से आने वाले माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि हमारे बाद आप आये तो आपने क्या उसमें विशेष प्रगति की?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमने बहुत बड़े काम किये। बहुत तगड़े काम किये, लेकिन आपने इतने काम छोड़े थे कि करते-करते थक गये, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। जब खड्ढा होता है तो सड़क बनाने से पहले उसको भरना पड़ता है और फिर सड़क बनती है। तो खड्ढे कितने छोड़े थे आपने?

श्री अमराराम (धोद) : शास्त्री नगर में किया आपने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किये ना। तो मेरा आपने निवेदन यह है कि आपने इनको कभी भी कोई शिक्षा नहीं दी, न कोई समाज सुधार की दी, न वित्तीय सुधार की दी। यह परिवार नियोजन, इनका सबसे बड़ा संकट यही है। इनके एक-एक गरीब आदमी के पांच-पांच, छह-छह बच्चे हो जाते हैं, उनका पालन नहीं कर सकता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 29-29.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पढ़ा नहीं सकता उनको। कोई साइकिल की दुकान पर पम्प चलाता है, कहीं रिक्शा खींचता है, कहीं क्या करता है। तो आपने उनको कभी यह शिक्षा नहीं दी कि परिवार नियोजन यह तो सबके लिए उपयोगी है......

श्रीमती जकिया : माननीय सदस्य, आप पूरे मुस्लिम समाज के लिए यह शब्द नहीं कह सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौनसा ?

श्रीमती जकिया : जो आप बोल रहे हैं कि उनके घर के सामने बकरी बंधी रहती है और टीन के पीपे लगे रहते हैं। आपने यहां हरीजी खुर्रेवाले का नाम सुना है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां।

श्रीमती जकिया : उनको भी कभी डिस्क्राइव करके देखें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देखा है ना।

श्रीमती जकिया : तो फिर उल्टी बात क्यों कहते हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई एकाध हो गया हो तो......

श्रीमती जकिया : पूरे समाज को आप नहीं कह सकते ऐसा। हर समाज के एकाध......

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने यह नहीं कहा।

श्रीमती जकिया : हर समाज का एक तबका हो सकता है......

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तबके की क्या बात करती हो आप।

श्रीमती जकिया : सुनें आप। तो फिर आप यह कहें कि मुस्लिम का एक तबका है जिसको आपकी सहायता की जरूरत है। पूरे मुस्लिम समाज को सहायता की जरूरत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिलकुल ठीक है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको तो है नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठहरो। देखिए, मैंने यह पहले कहा कि ऐसा नहीं है जो......

श्रीमती जकिया : कैसे नहीं है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने उनका कुछ भी नहीं किया तो आगे नहीं बढ़े, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन अगर बढ़े हैं तो अपने पुरुषार्थ से बढ़े हैं, अपने बलबूते पर बढ़े हैं। आपने कोई मदद नहीं की उनकी। वो जिसका आप नाम ले रही हो......

श्रीमती जकिया : आपके जो वोटर हैं तो क्या आपके जिम्मे से बने हैं ? वे भी अपने पुरुषार्थ से बने हैं। जो कुछ एक तबका होता है, जो डिपार्टमेंट भी खुलते हैं तो वे उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो सहायता के लायक होते हैं। आप पूरे समाज को एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। आप एक लाइन में खड़ा करके पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आपका पोलिटिकल स्टेटमेंट है।

श्रीमती जकिया : नहीं, यह मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, बिलकुल पर्सनल स्टेटमेंट हैं।

श्री रमजान खान : अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति क्या है, यह सदन को अवगत करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती जकिया : आप उस श्रेणी में आते हो क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती जकिया : आप उस श्रेणी में आते हो क्या जिस श्रेणी की वह चर्चा कर रहे हैं ? आपके पास माइंस हैं, आपका बेटा गाड़ी में मेरे घर आता है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बारे में कह रहे हैं।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय सदस्य ने जो यह फरमाया उसी को ठीक करने के लिए बिल ला रहे हैं, उसको दूर करने के लिए ला रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह बात कहिये।

श्री हफीज मोहम्मद : आपकी बात जो है उसको ठीक करने के लिए ला रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देखिये, ऐसे लोग भी हैं आपके यहां। ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोग भी है, आप भी हैं, यह भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती जकिया : आपकी गलती में वह हां में हां मिला दे तो वह आपके लिए अच्छे हैं ? अब यह आपके यहां माइनोरिटी कमीशन का बिल आ रहा है, डाक्टर निजाम का नाम लेकर उसके चरित्र हनन करने की यहां जिम्मेदारी आपके ऊपर थी ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने कहां नाम लिया ?

श्रीमती जकिया : आपने नहीं लिया होगा, आपके साथियों ने लिया होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने किसी डाक्टर का नाम नहीं लिखा है।

श्रीमती जकिया : उसके बिजनैस के लिए कहा गया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : बहुत लम्बा इतिहास है आपका भी, आपके बारे में भी कोई बोल देगा।

श्रीमती जकिया : क्योंकि वह मुसलमान है इसलिए कहा है, दूसरों के लिए क्यों नहीं कहा आपने ?

श्री धर्मपाल चौधरी : आपका जब नम्बर आये तब बोलना।

श्रीमती जकिया : नहीं, मेरा नम्बर नहीं आएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय मंत्री जी, कोई आपका भी चिट्ठा खोल देगा पुराना, बैठ जाओ।

श्रीमती जकिया : मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, वह बोल रहे हैं तो उनका जवाब दे रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

(श्री हरिसिंह)

हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया गया।

भंवरलाल जी साहब।

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय रामस्वरूप जी बात करते हैं तो आप उनको डांट देते हो, पारीक साहब को डांट देते हो, इन मंत्री महोदय को भी थोड़ा मैं बोलूं जब तक बैठा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों बराबर के हो इसलिए मैंने कहा ही नहीं।

श्री रामस्वरूप : हमको तो आज तक नहीं डांटा कभी उपाध्यक्ष महोदय ने, हमेशा प्यार से बात करते हैं, सम्मान करते हैं सब माननीय सदस्यों का, हमको तो आज तक नहीं डांटा और डांटा होगा तो आपको डांटा होगा, जो गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं सदन में उनको डांटा जाता है, हम तो नियम के अनुसार बोलने वाले हैं, हमको कभी नहीं डांटा जाता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आपका बड़प्पन है कि आप डांट को भी प्यार मानते हो, यह बड़प्पन है आपका।

श्री रामस्वरूप : बड़प्पन तो आपका भी है जो आप इतने सीनियर होते हुए भी आपसे जो छोटे हैं उनके बारे में यह बात कह रहे हो, मुझे तो आशा नहीं थी आपसे कि आप ऐसी बातें कहोगे हमारे बारे में, डांटने के बारे में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप : तारीफ कहां कर रहे हो, आप तो डांटने की बात कह रहे हो ? आज तक नहीं डांटा मुझे तो आपने कभी। मैं तो नियम से बोलता हूं, जनता की बात रखता हूं, अपने टोडाभीम नादौती की बात रखता हूं, राजस्थान की बात रखता हूं, मुझे क्यों डाटेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा बैठिये।

श्री रामस्वरूप : हमेशा जनहित की बात करता रहता हूं, मुझे डांटने का सवाल ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका यह कहना है कि मुझे आज तक नहीं डांटा, उनकी इच्छा पूरी कर दीजिए कभी पर मैं जो कहना चाहता हूं, देखिये, इसको कोई पोलिटिकल मत लीजिए और आपने कहा कि मैं एक समाज का अपमान कर रहा हूं, समाज का अपमान हो गया ? जो आज उनकी स्थिति है मैं व्यक्तिगत जानता हूं, मेरे बहुत से मित्र भी हैं, आपने जिनका नाम लिखा है वह अपने बलबूते पर बढ़े हैं। ऐसा थोड़े ही है कि मुस्लिम समाज बिलकुल ही कोई ऐसे पड़ा हुआ है, अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लोग हैं पर उनके विकास में आपका कोई योगदान नहीं हैं, सरकार की कोई सहायता नहीं है उनको। अपना पुरुषार्थ है, उनकी अकल है उनके सब धंधे हैं उससे बढ़े हैं वह आगे। वह आपके खाते में नहीं जा सकता, जो दलित रह गये वह आपके खाते में हैं, इनका विकास नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी है और आपने यह ठीक कहा कि यह 50 साल में आपने नहीं किया, अब करना चाहते हैं लेकिन अगर इसमें इमानदारी होगी तो ठीक होगा। यह भी क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हवा आपको दिख रही है क्या होने वाला है उस हिसाब से अगर यह लाएंगे तो आप न्याय नहीं करेंगे इसलिए हमारा विनम्र निवेदन यह है आपको कि इसको उस सद्‌भावना से लाइये, उनके विकास की बात करिये और माइनोरिटी, माइनोरिटी करके लोगों को भ्रमित मत करिये यह तो आपका जो भी कानून बनेगा तो वह इसीलिए बनेगा, उसका लाभ तभी मिलेगा जब लाने वाले में इमानदारी और नीयत में है इसलिए में यह कहता हूं कि जो कुछ कमियां रह गयी हैं इन कमियों के लिए फिर से यह ठीक होकर आ जाय, कोई कमी न रहे और मेरा जहां तक ख्याल है, आपने इस वर्ग के लोगों से सलाह नहीं की होगी, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं जिनको आप प्रतिभावान मानते हैं उनसे भी नहीं पूछा होगा कि कानून लाने के लिए क्या योगदान करना चाहिए। वह कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जकिया जी से भी नहीं पूछा। आप बता दें माननीय मंत्री महोदया, यह कानून जब लेकर आये तब आपसे पूछा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं पूछा न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो माननीय मंत्री महोदय, यह जो वर्ग है जो अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है और इसमें शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है और सब कुछ है और इनको जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, स्कूल जाना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करते, इनके मोडर्न स्कूल नहीं खोलते यानी इनको तो इग्नोर करके चल रहे हैं कि यह हमारा वोट बैंक है और यह तो सीधा समाज है जो सब कुछ बरदाश्त करने के बाद भी आपकी सेवा करता रहता है लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब आप धोखे में मत रहना, अब यह समाज जाग्रत हो गया है, वह पीढ़ी चली गयी है। (व्यवधान) वोट से क्या सम्बन्ध है इसका, उनका भला तो करो, वोट तो आप खूब ले जाओ पर उनका भला तो करो इसलिए माननीय मंत्री महोदय मेरा यह निवेदन है कि इस पर फिर से पुनर्विचार करके जो इसमें कमियां रह गयी हैं उसको एक बार जनमत जानने के लिए भेज दीजिए। अच्छा प्रस्ताव बनकर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में इतने माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं सब खामोशी से सुन रहा था तो मैं अपनी बात कहूं तो कृपया हाउस को आर्डर में रखें, मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करें, न मैं किसी का विरोध करता हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता, यह आप पर निर्भर करता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 53 साल बाद भी राजस्थान ही नहीं पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें न सिर्फ मुसलमान, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, सिंघी और पंजाबी समुदाय के लोग भी आते हैं इन अल्पसंख्यकों की आज शैक्षणिक स्थिति क्या है? आज राजस्थान में जैसा अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य यहां बात कह रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी तोपखाना हजूरी में रहता हूं। यह एक हकीकत है कि शैक्षणिक दृष्टि से इतने पिछड़े हुए हैं, जितने आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए नहीं हैं और गरीबी और अनपढ़पन दोनों जुड़वां बहनों की जैसे अशिक्षित है तो गरीब भी हैं, काम धंधा भी उनका ठीक तरीके से नहीं होता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, सिंधी, पंजाबी यह सब अल्पसंख्यकों में नहीं आते, गलत बयानी सदन में नहीं हो। सिंधी, पंजाबी, हम लोग अल्पसंख्यकों में नहीं हैं, यहां बहुसंख्यकों में हैं, हम सम्पूर्ण भारत के सृष्टि के दृष्टिगत रहते हैं। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा, सिक्ख आते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सिक्खों को भी संविधान में हिन्दुओं में गिना जाता है, उनका भी एस.सी. है मजहबी सिख, चूड़ा सिख हैं उनको एस.सी. का पावर मिलता है और राज सिखों को ओ.बी.सी. का मिला है इसलिए गलत बयानी नहीं हो, सिंधी और पंजाबी हिन्दुओं में हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, आप अपने स्थान से तो बोलें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपना स्थान है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यही स्थान है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह कर रहा था कि आज अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, शैक्षणिक दृष्टि से वाकई में पिछड़े हुए हैं, अगर आप उसकी जो सैंसस हुई है लेटेस्ट उसके आंकड़े हालांकि अधिकृत तौर पर नहीं आये, देखें, तो उनका शिक्षा का प्रतिशत क्या है और उसमें महिलाओं का शिक्षा का प्रतिशत क्या है। आज राजस्थान में इस समुदाय के कितने लोग आई.ए.एस. हैं, कितने आई.पी.एस. हैं, कितने प्रशासनिक सेवाओं में है? आज चाहे आप व्यापार की दृष्टि से देखें, ट्रांसपोर्टेशन का काम किसी के पास, सराफे का और जवाहरात का काम किसी के पास

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लेकिन पूरे राजस्थान में जाकर देख लें पंचर जोड़ने की दुकान, डेंटिंग पेंटिंग की दुकान, बेकरी की दुकान, आपका जो भी शारीरिक श्रम करने का काम है वह इस अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते हैं, आजादी के 53 साल बाद भी आज इनकी आर्थिक दशा सुधारना, इनकी शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थिति सुधारने के लिए जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। जिसने भी दिया वह अल्पसंख्यकों को जुबान से दिया, कलम से देने का काम इमानदारी से किसी ने नहीं किया, ज्यादातर समय कांग्रेस प्रदेश में राज में रही, कुछ समय हमारे दाई तरफ बैठने वाले लोग जिसमें हम भी उस समय शामिल थे, यह भी सरकार में थे लेकिन प्रयास नहीं किया गया। आज राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 इस सदन में माननीय गृह मंत्रीजी ने रखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसकी मांग भी की थी, 25 फरवरी को मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट के जरिये जयपुर के रामलीला मैदान में पूरे राजस्थान भर के अल्पसंख्यक जमा हुए, हमने उस समय भी सरकार से मांग की थी कि राजस्थान में जो अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए उसी के अनुरूप आप यह प्रस्ताव लाये, देर आयद दुरुस्त आयद, मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा था यह सही है कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है वहां भी इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग बना रखा है और बड़ौदा के इनके गनी भाई कुरेशी उसके अध्यक्ष हैं। आज आंध्रप्रदेश में जहां राजद के एक अंग की सरकार है, वहां भी अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है।

(17.00 बजे)

मध्य प्रदेश और कनार्टक के अन्दर भी अल्पसंख्यक आयोग बने हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन यह है कि आपकी भावना सही है, आप अगर वास्तव में अल्पसंख्यकों को कुछ देना चाहते हो, अल्पसंख्यकों का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास करना चाहते हो तो आपको इसको प्रभावी ढंग से बनाना चाहिए था। आपके इस विधेयक में बहुत सारी कमियां रह गयीं। इसमें आयोग के गठन में आपने कहा है कि इसके पांच सदस्य होंगे और उन पांच सदस्यों में चेयरमैन और तीन सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय के होंगें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिख भी अल्पसंख्यक में आ रहा है, बौद्ध भी आ रहा है, इसाई भी आ रहे हैं, इनके कितने मैम्बर होंगे इसके बारे में कहीं आपने क्लासिफिकेशन किया है? अगर इन तीनों के भी एक-एक हुए तो फिर दूसरा कैसे होगा? इसलिए बाद में इसमें विवाद खड़े होंगे। आपने इसके कार्यकलापों के लिए कहा कि आज तक केवल अल्पसंख्यक आयोग सिफारिशें करता था और रद्दी की टोकरी में डल जाती थी। खुद सरकार को उसने जितनी सिफारिश की उसमें शायद 4 या 5 पर अमल हुआ है। आप चाहते हैं कि इसको आप

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दीवानी अधिकार और संवैधानिक दर्जा दें। आपने 10 लाख रुपये का इसमें प्रावधान किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में भी तो अध्यक्ष और उसके पांच सदस्य और सैक्रेटरी एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लगे हुए हैं, उनके वेतन और भत्ते आज भी तो उठ रहे हैं। वे किस मद से उठ रहे थे? आखिर इस 10 लाख रुपये से केवल उनके वेतन, इससे अल्पसंख्यकों का क्या भला होने वाला है? इससे कौनसा काम आप अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर रहे हैं? केवल अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते देने के लिए आप 10 लाख रुपये ग्रांट दे रहे हैं इससे क्या काम होगा? आपने इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं रखा कि उसका फालो-अप एक्शन क्या होगा। उसने बुला भी लिया, सुनवाई भी कर ली, सम्मन भी कर लिया, लोग आ भी गये और उसने अपनी सिफारिश भी दे दी और उस पर फालो-अप, एक्शन नहीं हुआ तो उसका क्या होगा? जो काम, उसने सिफारिश कर दी उस सिफारिश पर अमल भी नहीं हुआ तो उसको उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का क्या अधिकार होगा? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप यह ला रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसको आप जल्दबाजी में ला रहे हैं। अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। 23 सितम्बर, 1993 के अन्दर इस आयोग का गठन राजस्थान में हुआ तब से यह काम कर रहा है। आज तीन साल से आपका शासन भी है। तीन साल के आपके शासन में भी आपके यह बात समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी आप इसको संवैधानिक दर्जा देना चाहते हैं उसका मैं और मेरा दल समर्थन करते हैं लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपके एक अल्पसंख्यक मंत्रीजी आपसे कह रहे थे कि मुझे अल्पसंख्यक विधेयक की कापी तो उपलब्ध करा दो, मेरे पास आयी नहीं, मैं देखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति सही है। न किसी माइनोरिटी के एम.एल.ए. से डिस्कस किया गया, न माइनोरिटी के आर्गेनाइजेशन से डिस्कस किया गया, न उनकी सोसाइटी से किया गया, न समाज से किया गया। आपने कहीं भी उनको विश्वास में नहीं लिया। जिनके लिए आप बनाना चाहते हैं, जिनका उद्धार करना चाहते हैं, जिनका कल्याण करना चाहते हैं, जिनकी तरक्की करना चाहते हैं उनको ही विश्वास में नहीं लिया, उनसे ही आपने सलाह-मशविरा नहीं किया इसलिए इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइये। मैं खुद यह चाहता हूं कि कर्नाटक में जिस तरीके का काम अल्पसंख्यक आयोग कर रहा है, आपके अभी मध्यप्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जयपुर में आये थे, उनसे भी बातचीत हुई थी, गुजरात के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गनी भाई कुरैशी से भी मेरी बातचीत हुई है। उसमें जो प्रावधान रखे गये हैं, उनका कामकाज, रोजी-रोटी का क्या होगा? उनको आप लोनिंग की सुविधाएं किस हिसाब से दिलायेंगे, उनके लिए क्या विशेष योजनाएं बनेंगी, उनकी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए क्या करेंगे, इन सारे कामों के लिए संजीदगी से गहन विचार-विमर्श करके अगर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप इसको लायें और प्रभावी और कारगर तरीके से अगर अल्पसंख्यकों का भला करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन सदन के आगामी सत्र में प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं। माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जब माननीय लूणकरणसर और हवामहल से आने वाले सदस्य ने एक आपत्ति की थी तब आपने उसके उत्तर में एक कागज को यहां पर उद्धत किया और उससे मेरे दायीं तरफ बैठे हुए सदस्य इस खुशफहमी में हो गये कि भारत सरकार के निर्देश पर यह आयोग बन रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कागज पढ़ा वह भारत सरकार के किसी कैबिनेट सचिव या किसी शासन सचिव या समाज कल्याण सचिव का नहीं है बल्कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का है। वह चाहता था कि राजस्थान में भी अल्पसंख्यक आयोग बने। भारत सरकार के दिशा-निर्देश नहीं हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : मैंने यह कहा था कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक आयोग ने कहा था। कहीं सुनने में गलती हो गयी या समझने में गलती हो गयी। मैं फिर क्लियर कर दूं कि वह चिट्ठी भारत सरकार की न होकर भारत सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से आयी थी और उन्होंने भी यह कहा है कि इसको स्टेट्यूटरी दर्जा दिया जाना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : यही मैं कह रहा था। अभी भिनाय से आने वाले, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप केन्द्र सरकार के निर्देश पर बना रहे हैं ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार अपनी मनः स्थिति और अल्पसंख्यक आयोग के निर्देश से यह बात लायी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। इस सदन के करीब 81 माननीय सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया था कि इस सदन में एक अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण की समिति सदन की बननी चाहिए और एक अल्पसंख्यक भी पहली बार 18-19 की संख्या में इस सदन में आये हैं, उनकी भी विधान सभा की एक समिति बननी चाहिए जिसे माननीय अध्यक्ष ने नियम समिति को भेज दिया था। आपने अन्य पिछड़ा वर्ग की समिति का गठन उसकी सिफारिश पर कर दिया है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के लिए इस सदन की भी एक समिति बनायें और इस विधेयक को खूब अच्छे, प्रभावी तरीके से अगर आप लायेंगे तो अल्पसंख्यकों का हित होगा। आज तक स्थिति यह रही है, चाहे इनका शासन हो, चाहे इनका हो, मुझे एक शायर का एक शेर याद आ रहा है —

खुदा महफूज रखे, बड़ा जालिम जमाना है।

दिलों में बुग्ज रखते हैं और बजाहिर दोस्ताना है॥

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले, चूरू से, हवामहल से, नगर से, सिरोही से और अन्य क्षेत्रों से आये हुए माननीय सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने एवं एक सलैक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए अपने सुझाव दिये हैं। मुझे ऐसी कोई नयी बात इनके तर्क में नजर नहीं आयी जिससे कि इनके सुझावों को स्वीकार किया जाए। मुझे उनके तर्कों में ऐसी कोई बात नजर नहीं आयी जिससे कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए या सलैक्ट कमेटी को रेफर किया जाए।

महोदय, आपको अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान इस अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। 1993 से लेकर अब तक यह आयोग राजस्थान में काम कर रहा है। इसमें पहले अध्यक्ष नॉन आफिशियल रहे, बाद में सरकारी अधिकारी इसका काम कर रहे थे। इस सरकार के गठन के बाद इसमें फिर आयोग का गठन किया गया और आयोग ने भी इस बात की सिफारिश की थी, जो वर्तमान आयोग है, कि इसको वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और वैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक इसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में हम सफल नहीं हो सकते। कोई शिकायत आती है, कोई जांच करनी हो, साक्ष्य लेना हो, उसमें अगर सिविल न्यायालय के अधिकार उनको नहीं दिये जाते तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने उन चीजों का समावेश करने की कोशिश की है और चाहते हैं कि आयोग का काम सुचारु रूप से चले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कुछ कमियां रह भी जाती हैं, आप जानते हैं कि भारत का संविधान बना था उस संविधान में भी जब-जब यह महसूस किया गया कि आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन किया जाए तो संशोधन किया गया है और मेरा ख्याल है, अगर ठीक है तो 93 वां संशोधन हमारे संविधान में किया जा रहा है। आज लाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको संवैधानिक दर्जा देने के बाद आयोग और अन्य लोग यह महसूस करते हैं कि इसमें और कुछ कठिनाइयां हैं तो उसको उस रूप में और संशोधित करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पर विचार करेगी। बहुत लम्बा समय निकल चुका, आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। अभी आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में 1996 में ही उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। अन्य राज्यों में भी संवैधानिक दर्जा दे दिया। हमारे यहां केवल एक एग्जीक्यूटिव आर्डर से ही यह चल रहा है जिसकी सैंक्टिटी नहीं है। यद्यपि राजस्थान सरकार ने जो आयोग है उसकी कुछ सिफारिश स्वीकार की है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको मान्यता नहीं दी है। अभी आप कह रहे थे कि सब केवल एक्ट बन जाने से नहीं होगा, राजस्थान सरकार ने माइनोरिटी के लिए आर्थिक सुधार की दृष्टि से भी अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की है जिसका काम राजस्थान में शुरू होने वाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो बिना एक्ट के ही हो गया था। यह एक्ट पास कराये बिना ही हो गया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक्ट कब पास हो गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आज जो पास करवा रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, वह फाइनेंशियल कार्पोरेशन है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फाइनेंशियल कार्पोरेशन की बात कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले ही हो गया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फाइनेंशल कारपोरेशन की जो बात कर रहा हूं, अभी स्थापना की गई है। इनकी आर्थिक दशा को सुधारने की दृष्टि से इसमें आर्थिक कदम उठाने की बात जो आपने कही थी......

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी तो केवल अध्यक्ष बनाया है, मेम्बर थोड़े ही बनाये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : केवल अध्यक्ष बनाया है अभी तो, काम तो पूरा बन जायेगा तब चालू होगा या एक अध्यक्ष कर लेगा ? ऐसा है, नगर से आने वाले माननीय विधायक, किसी शुरूआत को अच्छी शुरूआत तो कहो।

मोहम्मद माहिर आजाद : कह रहा हूं ना, कब मना कर रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फिर क्या बात है। हर बात पर नुकताचीनी करने के अलावा ठीक बात को भी तो थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि बहुत लम्बा समय गुजर गया, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिल सका, इसकी वजह से कई काम जो महत्वपूर्ण हो सकते थे, वह नहीं हो पाये और अब आज इसको संवैधानिक दर्जा देने का जो बिल आपके सामने प्रस्तुत किया है......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसे काम ? वह कौनसे काम हैं जो इस बिल के पास हुए बिना नहीं हो पाये ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सिविल न्यायालय से रिकार्ड वगैरह प्राप्त नहीं होते हैं तो न तो गवाह को बुला सकते हैं, न सम्मन कर सकते हैं, न गवाह की टिप्पणी को रिकार्ड कर सकते हैं और जब कोई शिकायत आती है तो खाली बैठे रहे और वह काम नहीं करे तो कोई मतलब नहीं निकलता है इसलिए हमने सिविल न्यायालय के सारे अधिकार भी दिये हैं उसमें और हम उम्मीद करके चलते हैं कि जो शिकायत आती है उनका ठीक ढंग से निवारण हो सकेगा, उस पर कार्यवाही हो सकेगी इसलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनके जो सुझाव हैं, वह वापस लें और इस बिल को आगे, क्लाज बाई क्लाज डिस्कस करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं एक ही मिनट में। इस आयोग ने या जो अध्यक्ष बने हुए हैं, इन्होंने कभी कोई वार्षिक रिपोर्ट दी है क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सर ऐसा है, कानूनी दर्जा इसको मिला नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं दी ना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं फिर भी निवेदन करना चाहता हूं, अभी इस आयोग ने कुछ बैठकों की हैं, उनकी सिफारिशें राज्य सरकार को प्राप्त हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट, रिपोर्ट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रिपोर्ट नहीं आई हैं, सिफारिश आई हैं। अब रिपोर्ट तो पीरियोडिकली और वार्षिक इस एक्ट के बन जाने के बाद कम्पल्सरी हो जायेगा, इनको देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना, और जो कारपोरेशंस बने हुए हैं, जिनका कोई संवैधानिक ढांचा नहीं है, वह वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, इस आयोग ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी।

अनेक माननीय सदस्य : सिफारिश है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस आयोग ने नहीं पहले, जो आयोग बना था, उसने एक रिपोर्ट दी थी 1993-96, अल्पसंख्यक आयोग राजस्थान 1993-96 की रिपोर्ट है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इसकी बात कह रहा हूं। वह तो ठीक है। आपकी सरकार ने जिन माननीय सदस्य को अध्यक्ष बना रखा है...वह तो गुलाम मुस्तुफा की रिपोर्ट है। आप मुझे यह बता दें, आपने जिन माननीय सदस्य को अध्यक्ष बना रखा है, उन्होंने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल की कोई रिपोर्ट दी है क्या?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उनकी रिपोर्ट नहीं है, उनकी सिफारिशें हमारे पास है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की आपने अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री संजीव बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री संजीव बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अनुपस्थिति में अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री उपाध्यक्ष : इसको रिकार्ड ही नहीं किया है। आप बिराजिये। बिराजिये बिराजिये। (व्यवधान) आप बोल क्यों रहे हो।

श्री संजीव बेनीवाल :...उससे मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की, मैं इसका पुरजोर शब्दों में खण्डन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को कि इस तरह से व्यक्तिगत मेरा इस प्रकरण में नाम जोड़ने की इस हाउस में इन्होंने कोशिश की, मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं और चैलेंज करता हूं और उसका खण्डन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। उसका रिकार्ड ही नहीं हुआ, आप काहे को बोल रहे हैं। सुनते ही नहीं हो, आप यों ही बोले जा रहे हो।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इतने गम्भीर तर्क पूर्ण सुझावों में माननीय मंत्री महोदय को कोई भी तर्क नहीं मिला तो हमारे पास, मेरे पास कम से कम, मेरे संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं है इसलिए सदन से अनुमति चाहता हूं कि मुझे अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) माहिर आजाद, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी वापस लेता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : संयम लोढ़ा तो हैं ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हैं तो रिजेक्ट हो जायेगा, और क्या होगा। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंह और मोहम्मद माहिर आजाद ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रवर समिति के लिए जो अपना संशोधन दिया था, उसे वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड (2) कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) स्वीकार किया गया।

खण्ड (3) श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, इसमें जो पांच सदस्य होंगे आयोग में, उनमें एक अध्यक्ष होगा और तीन सदस्य अल्पसंख्यक आयोग में से होंगे। मैं निवेदन करना चाहता

(श्री शिवनाथ सिंह)

हूं कि इस आयोग को हम सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रखना चाहते, पूरे समाज का इसमें सहयोग होना चाहिए और जब पूरे समाज का सहयोग होगा तभी, जो इस आयोग के सदस्य हैं उनमें माइनोरिटी के मेम्बर्स भी हों और दूसरे सदस्य भी हों और माइनोरिटीज के सदस्यों का बहुमत हो, यह वाजिब भी है इसलिए मैंने अपना संशोधन प्रस्ताव पेश किया है पर तीन सदस्यों के स्थान पर दो सदस्य माइनोरिटी के हों, एक अध्यक्ष माइनोरिटी का हो तो तीन तो माइनोरिटीज के हो जायेंगे और दो अन्य हो सकते हैं। जरूरी नहीं है दूसरे सरकार अन्य को ले ही ले, तीन उनके लिए अल्पसंख्यक समुदाय में से लेना जरूरी है, बाकी दो के लिए यह छूट होनी चाहिए कि सरकार दूसरे समुदाय में से भी, यदि ऐसे लोग मिलें जो इस आयोग के काम को ठीक करने में, अच्छा काम करने में और माइनोरिटीज की देख-भाल के लिए, इसके लिए अच्छा काम करने के लिए सहयोग दे सके, उसकी सरकार को छूट होनी चाहिए। इसको सीमित नहीं करना चाहिए, सरकार के हाथ बांधने नहीं चाहिए कि तीन ही इनको करने पड़ेंगे इसलिए मेरा संशोधन यह है कि यह तीन सदस्य की जगह दो सदस्य माइनोरिटीज के हों, यह जरूरी हो लेकिन दो को सरकार अन्य को भी कर सकती है, माइनोरिटीज से भी कर सकती है, यह मेरा संशोधन था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नेशनल कमीशन फोर माइनोरिटीज 1992 में भी इसी प्रकार का प्रोविजन रखा गया है, अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का प्रोविजन रखा गया है, उसी को आधार मानते हुए इसमें हमने माइनोरिटीज में जिनको हमने माना है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो एक्ट है, उसमें संख्या ज्यादा है। हां, समकक्ष नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसमें संख्या सात है, हमने पांच रखा है। हमने इसको पांच तक सीमित किया है लेकिन जो इसके पीछे मन्तव्य और मंशा रही है नेशनल कमीशन की और राज्यों के जो कमीशन हैं उनकी माइनोरिटीज से सम्बन्धित लोगों को ही इसमें मेम्बर बनाने का रखा गया है, उसी...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मान लो, इसमें क्या है, इसमें बुरी बात क्या है। अगर संख्या बढ़ती है तो क्या बुरी बात हो सकती है। आपने जब कहा माइनोरिटी का...

श्री उपाध्यक्ष : आगे विचार कर लेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : संख्या के बारे में विचार किया जा सकता है लेकिन जो शिवनाथ सिंह जी का संशोधन है, उसमें तो यह है कि अन्य जातियों को इसमें मेम्बर बनाया जाना चाहिए, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इसके पीछे मंशा यह है कि माइनोरिटी कम्युनिटी के लोगों को इसमें मेम्बर बनाया जाना चाहिए ताकि वे उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में बदलाव लाने के सम्बन्ध में कार्य करें, उसकी दृष्टि से मेम्बर रखे गये हैं। नेशनल कमीशन में भी इसी प्रकार का विचार है, अन्य राज्यों के कमीशन को भी मैंने देखा है, उनमें भी

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

इसी तरह की स्थिति है इसलिए मैं शिवनाथ सिंह जी से कहना चाहूंगा कि वर्तमान जो व्यवस्था है, उसको स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब प्रस्ताव आपके वापस लोगे तो इसको पास करो न, कोई बोल ही नहीं रहा इस पर।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, मेरा निवेदन यह है, एक सैकण्ड साहब, सब संशोधन प्रस्ताव जो मेरे हैं उन पर एक साथ मैं बोल दूं, बात कह दूं अपनी।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कर देते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, ऐसा कर दीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : इसको निबट लें पहले, एक मिनट बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, ठीक है साहब, निबटा दो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, जो अलग-अलग खण्डों में मैंने संशोधन दिये हैं उन पर सब पर एक साथ बात कह देता हूं मैं। इजाजत हैं?

श्री उपाध्यक्ष : यह अभी है 3 का, अब आगे अपन बात करेंगे, बैठो।

श्री शिवनाथ सिंह : क्या साहब?

श्री उपाध्यक्ष : आगे वाले की अभी चर्चा करते हैं, इसको पास कर लें पहले।

श्री शिवनाथ सिंह : इसको तो पास कर दीजिये, इसको वापस ले लिया न मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : 3 वाला तो वापस ले लें।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, ले लिया न वापिस।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4

अब आपके जितने खण्डों में संशोधन है उन पर एक साथ बोल लें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : 4, 9 और 10 में है, जो कर देता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड 4 में मैंने संशोधन दिया है। एक क्लाज तीन के सब क्लाज "ण" में आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिये बिना आयोग की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो डिस्क्वालिफाई हो जाता है। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा इसमें निवेदन यह है कि

(श्री शिवनाथ सिंह)

आयोग शब्द बहुत बड़ा है। आयोग से इजाजत ली जाय, किस से ली जाय, तो यहां मैंने यह चाहा है कि आय़ोग के स्थान पर अध्यक्ष प्रतिस्थापित किया जाय। आयोग से मतलब पांचों सदस्यों से है? किस से है? और यह इसलिए भी आवश्यक हो गया कि आपने जो डेलिगेटेड लेजिस्लेशन लिया है अपने हाथ में, यदि रूल्स में इस प्रकार का प्रोविजन कोई करने की आप में इच्छा होती तो इसमें रूल्स बनाने में आपको पावर लेनी चाहिए थीं कि सरकार इसके लिए रूल्स बनायेगी और इजाजत किससे ली जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि कमीशन की बजाय अध्यक्ष रखा जाय ताकि अध्यक्ष से इजाजत ली जाय। यदि आप रूल्स में इसका प्रोवीजन ले लेते कि इस आयोग से छुट्टी लेने के लिए किसकी परमिशन जरूरी होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं था लेकिन डेलिगेटेड लेजिस्लेशन में आपने जो लिया है इसमें भी आपने यह पावर ली नहीं है इसलिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जायेगा। पांचों सदस्य बैठकर, कमीशन का मतलब हो गया पांचों सदस्य बैठेंगे और इजाजत लेने वाला भी बैठेगा और वह पांचों सदस्य एक राय से उसको अनुपस्थित रहने की इजाजत देंगे इसलिए मेरा सबमिशन इसमें है कि इसमें कमीशन के स्थान पर अध्यक्ष प्रतिस्थापित किया जाय। मेरे ख्याल से यह तो बहुत ही तर्कसंगत है मेरा संशोधन और माननीय मंत्रीजी को इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुविधा ही होगी इससे।

श्री शिवनाथ सिंह : अपने डिपार्टमेंट से भी पूछ लीजिये, ला डिपार्टमेंट से भी पूछ लीजिये कि कमीशन वेग शब्द आ गया, इसकी जगह अध्यक्ष होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, क्लाज, 9 में एक शब्द आया है कालिक, "ज" में। राज्य सरकार को कालिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मेरा इसमें सबमिशन है कि यह कालिक की जगह एनुअल, सालाना रिपोर्ट कमीशन दे। कालिक के स्थान पर सालाना रिपोर्ट कमीशन सरकार को दे, यह मैं चाहता हूं और इसीलिए कालिक के स्थान पर मैंने यह शब्द रखने का संशोधन पेश किया है इसमें सालाना रिपोर्ट की जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, आगे 10 क्लाज है, उसमें क्लाज 10 में ग में आपने कहा है कि शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में आपने लिखा है कि बिना सी.पी.सी. के पावर्स दिये, आयोग किसी व्यक्ति का बुलाकर साक्ष्य नहीं ले सकता और यहां कलाज में आपने यह लिख दिया कि शपथ पत्र पर साक्ष्य, इसलिए मैंने यह कहा कि शपथ पत्रों के आगे तथा साक्ष्यें के बयान लेकर, शपथ पत्र भी हो लेकिन जो पर्सनल जिसकी एवीडेंस आवश्यकता हो, उसको भी इसमें जोड़ा जाय ताकि कमीशन को यह अधिकार हो कि किसी का, यदि जरूरी समझता हो कमीशन कि उसका पर्सनल बयान उससे लिया जाय तो यह भी इसमें अधिकार कमीशन को होना चाहिए।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्षजी, इसी प्रकार से खण्ड 17 है। खण्ड 17 में एक प्रोवीजो आपने दिया कि कहीं भी कोई कठिनाई इस कानून बनने के बाद आयेगी उसको रिमूव करने के लिए आदेश जारी हो जायेंगे। लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ दो साल तक ही रहेगी। मेरा इसमें सबमिशन यह है कि दो साल का समय निर्धारित नहीं हो सकता। कभी भी कोई समस्था आ सकती है तो जब कभी भी इस प्रकार की समस्या उठे उस वक्त सरकार को इस समस्या का निराकरण करने के लिए अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार को दो साल तक सीमित नहीं रखा जाय, इसलिए मैंने इसको विलोपित करने के लिए निवेदन किया है।

अब गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो दोनों मेरे पहले प्रस्ताव हैं कि कमीशन की जगह अध्यक्ष लिखा जाय और दूसरा शपथ पत्रों के आगे बयान लेकर लिखा जाय, यह दोनों सुझाव, संशोधन प्रस्ताव मेरे ख्याल से मानने लायक हैं और तर्कसंगत भी हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : परीक्षण करने का लिखा हुआ है पहले ही।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आलरेडी। मेरा यह निवेदन था, उस वक्त भी किया था, इसमें जो आपने कालावधि रखी है इनकी, वह आपने नोमिनेशन से रखी है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, अच्छा वह नोमिनेट बोर्ड।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, बोर्ड जब आप बनायेंगे तो मेम्बर्स की जो अवधि है वह आपने उससे रखी है जिस दिन से वह चार्ज लेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नोटिफिकेशन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो चार्ज एक दिन में नहीं ले सकते, तो इसे डेट आफ जोइनिंग से कर दीजिये, नहीं तो दिक्कतें खड़ी हो जायेंगी आपको ही। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : एक सैकण्ड साहब। अभी जो कहा गया कि साक्ष्य आगे लिखा हुआ है, मतलब क्लाज स्पष्ट है कि शपथ पत्रों के आधार पर ही वह लेगे तो आगे वाला क्लाज इससे इनइफेक्टिव हो जाता है, आप इस क्लाज में क्या-क्या कैसे बयान लेंगे, शपथ पत्रों पर ही लेंगे, ऐसा इस क्लाज में है, इसलिए इसके साथ में जहां आपने आगे लिखा है, उसको इसी के साथ में जोड़ दिया जाय कि ओरल एवीडेंस भी वह ले सकता है, यह ऐसा प्रोवीजो इसमें कर दिया जाय, यह मेरा संशोधन है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खण्ड 4 (ण) में माननीय सदस्य का जो संशोधन है आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिये बिना, उसके बजाय अध्यक्ष शब्द लिखा जाना चाहिए, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान विधान सभा के सदस्य अगर हाउस से एबसेंट रहना चाहते हैं तो वह सैक्रेटरी को चिट्ठी लिखते हैं और वह कन्सेंट के लिए हाउस के सामने पेश की जाती है और हाउस से उसकी परमिशन मिलती है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत बड़ी ऊंची, जगह ले गये इस कमीशन को आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसलिए चला गया कि एक तर्क तो मैं आपको देना ही चाहता था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मेम्बर किसी मीटिंग में नहीं उपस्थित होना चाहता है तो मीटिंग का नोटिस तो उसको 15 दिन पहले मिलता है, वह चिट्ठी लिखकर के कमीशन को सैक्रेटरी को भेजेगा और जो मीटिंग है बोर्ड की उसमें पेश हो जायेगी और यह लिखा है कि कंटीनुअस तीन मीटिंगों में अनुस्थिति रहेगा तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं माना जायेगा, कोई एक मीटिंग की वजह से उसकी मेम्बरशिप समाप्त नहीं हो जायेगी।

श्री शिवनाथ सिंह : वह नहीं कह रहा हूं मैं। मैं तो कहता हूं परमिशन किस से...

श्री सांवरलाल : सबने छुट्टी मांग ली तो क्या करेंगे फिर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वही कमीशन के...

श्री सांवरलाल : नहीं, विचार कौन करेगा। आपके अगर सभी सदस्य एक साथ लगातार तीन बार अनुपस्थित रहने के लिए...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तो बोर्ड आटोमेटिकली खतम हो जायेगा वह तो।

श्री सांवरलाल : तो फिर बोर्ड भंग हो जायेगा आपका।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हो जायेगा वह तो।

श्री सांवरलाल : क्या बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, प्रेक्टिल प्रोब्लम है, आप केवल उधर से स्लिप आ जाती है वह मत बोलो। हाउस की तुलना आप आयोग से कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी, 4 का संशोधन वापस लीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं-नहीं, वह दो और हैं इनके, बताता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : सभी आ जायेंगे, मानोगे तो किसी को है नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सब वापस ले लिये ?

श्री शिवनाथ सिंह : आप मानोगे तो किसी को हो नहीं, इसलिए सभी वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक बात बहुत क्लियर कर दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बोलोगे न आप। थर्ड रीडिंग पर बुलवा देंगे आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं-नहीं, यह पास कर दोगे फिर क्या बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह समाप्त ही हो रहा है न, फिर आप ही आप हो। दो मिनट में खतम कर रहा हूं इसको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड साहब, बोलने का शौक नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि टर्म जैसा मैंने कहा था न कि टर्म आपने तय कर दी डेट आफ जोइनिंग से, तो प्रोब्लम पैदा करेगा न वह आपको, The Chairperson and every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes charge. तो आगे पीछे होगा यह। कोई आज चार्ज ले लेगा, कोई छह महीने बाद ले लेगा, तो वह फिर आगे तीन साल तक उसकी टर्म उस दिन तक तो रहेगी और बोर्ड पहले खतम हो जायेगा आपका। तो यह करिये डेट आफ अपाइंटमेंट से, नोमिनेशन से करिये। सैक्शन-4 का सब क्लाज-1 है साहब।

The Chairperson and every Member shall hold office for a team of three years from the date he assumes charge.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होगी तो विचार किया जायेगा, अभी तो मेरे को लगता नहीं है, कोई अमेंडमेंट भी मेरे सामने आया नहीं है इसलिए मैंने विचार नहीं किया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक दिन में कोई चार्ज ले लेगा क्या। यह आपकी मर्जी है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। यह जब जवाब देंगे तब दे देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चलो, यह मर्जी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-5 से 8 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 से 8 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 से 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड-9

प्रश्न यह है कि श्री शिवनाथ सिंह जी ने जो संशोधन खण्ड-9 में प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-9 को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-9 स्वीकार किया गया।

खण्ड-10

प्रश्न यह है कि खण्ड-10 में जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-10 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-10 स्वीकार किया गया।

खण्ड-11 से 16 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 से 16 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-11 से 16 स्वीकार किये गये।

खण्ड-17

प्रश्न यह है कि खण्ड-17 में श्री शिवनाथ सिंहजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-17 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-17 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गुलाब सिंह जी शक्तावत।

विधेयक का पारण

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2000 को पारित किया जाय।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आप में से तय करें कौन बोलना चाहता है।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : पहले मैं बोल हूं, साहब।

(श्री सांवरलाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी चर्चा हो गयी है और कोई भी कानून चाहे अल्पसंख्यकों के लिए बने, चाहे जनता के लिए बने उसकी जानकारी जनता को या जिसके लिए कानून बने उन सबको होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, 4 अप्रैल, 2000 को भारत के अल्पसंख्यक आयोग की चिट्ठी आपको प्राप्त हुई कि राजस्थान में भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4 अप्रैल, 2000 के बाद में अब जब इनके चुनाव का समय पास में आ रहा है, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है। मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि अगर अल्पसंख्यकों की चिन्ता होती तो 4 अप्रैल, 2000 के बाद तत्काल आप हरकत में आ जाते। इनके समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करते, जो इनके समाज के प्रभावी लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी करते कि हम यह कानून बनाना चाहते हैं इसमें किस-किस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए। किस प्रकार से इन लोगों का उत्थान हो सकता है। किस प्रकार ये शैक्षिक दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी कैसे ठीक हो सकती है ये सारी चर्चाएं इसमें आ चुकी हैं कि आज सबसे बुरी हालत अगर है तो यह अल्पसंख्यक वर्ग की है और इनका क्या-क्या आप भला कर सकते हैं इसमें कहीं पर कोई भी एक ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी केवल 10 लाख की व्यवस्था की है वो 10 लाख की व्यवस्था आपने इसलिए की कि इनकी गाड़ी-घोड़ों की व्यवस्था हो जाए जिनको आपने मैम्बर बनाया, चेयरमैन बनाया तो ये केवल आप इन लोगों को ओब्लाइज कर रहे हैं। समाज के इन लोगों के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है आप क्या बजट प्रावधान रखना चाहते हैं। केवल आपने कई चीजें इसमें लिखी हैं कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अनुसंधान, अध्ययन और विश्लेषण, अब 40 वर्ष के बाद में अब क्या अनुसंधान, क्या विश्लेषण करेंगे। इनकी हालत के जिम्मेदार तो आप खुद हैं। जब लगातार आप शासन में रहे उस समय आपने कुछ किया नहीं और अब आप अनुसंधान किससे करवायेंगे, कैसे करवायेंगे आपने यह भी स्पष्ट नहीं किया। इसमें मेम्बर कौन से होंगे। आयोग के सदस्यों की क्या क्वालिफिकेशन होगी, आयोग अगर खुद अनुसंधान करेंगे तो उसमें ऐसे लोग होंगे जो इस समाज के बारे में इन मुद्दों के बारे में जानकारी रखेंगे, तब यह सम्भव हो सकेगा। अब आपको जब एक सवाल हमने खड़ा किया कि आपने लिखा कि कोई सदस्य अगर अनुपस्थित रहेगा और लगातार तीन बार बैठक से अनुपस्थित रहेगा तो आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको चिट पकड़ा दी कि साहब माननीय सदस्य विधान सभा के अनुपस्थित रहते हैं तो सदन से अनुमति लेते हैं। सदन के दो-सौ के दो-सौ सदस्य तो अनुपस्थिति नहीं रहेंगे पर पांच में से पांचों के पांचों ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि वो

(श्री सांवरलाल)

सारे अनुपस्थित रहे। लगातार तीन बार प्रार्थना पत्र देंगे उस समय आप क्या करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वो हट जाएंगे।

श्री सांवरलाल : आपको हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए मंत्री महोदय। अपना खुद का दिमाग भी इस्तेमाल करो। प्रजातंत्र है आप राज कर रहे हो। आज एक भी कोई बता दें मुझे कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट के अलावा किसी से अनुपस्थित रहने की परमीशन देता हो किसी जगह विधान सभा के, लोक सभा के और राज्य सभा के माननीय सदस्यों के अलावा बता दें आप तो कहें जो करने के लिए हम तैयार हैं। उधर उनको कुछ मिला नहीं जवाब फटाफट चिट पकड़ा दी कि साहब विधायक वहां से अनुमति लेते हैं इसलिए आयोग का सदस्य भी यहां से लेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई चिट नहीं आयी मेरे पास।

श्री सांवरलाल : आपके ऐसे कितने आयोग जिसमें आयोग से अनुमति लेते हैं आप यह बता दीजिये मुझे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है उन्होंने इनसे पहले यह विधेयक पास कर दिया, बना दिया है और उसको आपने पढ़ा नहीं। वहां पर हर प्रकार से स्पष्ट रूप से स्पेसिफिक रूप से दिया हुआ है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए क्या करेंगे।

अल्पसंख्यकों में केवल मुसलमान भाई नहीं होते हैं, कई हैं। सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं। इनका भला किस प्रकार से करेंगे। आप इस कानून में अगर एक भी जगह हमें समझा दें कि आपने यह योजना इनके भला करने करने के लिए ली है तो हम आपकी इस बात से सहमत हो जाएं पर आपको तो केवल कानून पास करना है इसमें एक भी जगह आपने यह स्पष्ट नहीं दिया कि आप इनकी शिक्षा के लिए कोई अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है उसके नियंत्रण के लिए आप इनको किस प्रकार से प्रेरित करने जा रहे हैं। इनको उद्योग-धंधों के लिए आप किस प्रकार से सहायता करने जा रहे हैं। आप तो यह कह रहे हैं कि हम इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। क्यों आपस में ही कुश्ती लड़वायेंगे क्या इनको और यही धंधा अगर आपने बना लिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हिन्दुस्तान में रहने वाले किसी के साथ अगर अहित होता है तो उसको न्यायालय जाने में किसी की परमीशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आयोग को आप कौनसी शक्ति देकर वहां पर आपस में लोग आएंगे और क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे मेरी समझ से बाहर की बात है। अगर उनको पढ़ाना-लिखना, ऐसे प्रकरण निपटाने के लिए वहां पर बुलायेंगे क्या ? आप कौन से मामले ऐसे न्यायालय के पावर देकर करवाना चाहते हैं ?

(श्री सांवरलाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भला अगर करना हो और भला करने की मंशा अगर हमारी होती तो 40 साल पहले जब से वोट देते आ रहे हैं, वोट बैंक बना हुआ है इनको इंसान कभी समझा नहीं, इंसान समझ करके अगर भला करते तो आज ये बहुत बहबूदी की हालत में होते और यह भी किया अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि ये सांवर लाल जी और राजेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि भारत सरकार की चिट्ठी, भारत सरकार की हम नहीं कह रहे हैं। माइनोरिटी आयोग जो भारत सरकार का है उन्होंने लिखा तब जाकर आप यह बना रहे हैं और इसमें आपने कुछ भी किसी से कंसल्ट नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष के बारे में बहुत चर्चाएं हो गयीं, सदस्य कैसे होंगे सारी चर्चाएं हो गयीं। आप जल्दबाजी में केवल कानून पास करके और चाहें कि दो साल बाद फिर हमारे साथ लग जाएंगे और वोट मिल जाएंगे। पीछे वाली माननीय मंत्री महोदया को बड़ी चिन्ता होगी आप भी अब की बार नहीं आने वाली हैं। इन्होंने देख लिया आपने तीन साल में क्या किया अल्पसंख्यकों के लिए। तीन साल से असेसमेंट कर रहे हैं ये लोग इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, केवल इस कानून को पास करके आप वोट नहीं ले पाएंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर असल में, वास्तव में आपका इरादा आपकी नीयत इनका भला करने की है तो आप प्रवर समिति को भेज दीजिये। प्रवर समिति उस पर विचार करें। सहकारिता मंत्री जी कितने अच्छे भले आदमी हैं इनको हमने कहा था साहब अगर आप वास्तव में कानून लाना चाहते हैं तो प्रवर समिति को सहकारिता का यह भेज दीजिये। खेतसिंह जी ने यहां पर खड़े होकर घोषणा कर मंत्री महोदय आपने प्रवर समिति को सुपुर्द किया कि नहीं? क्यों किया कि इसमें अच्छे-अच्छे लोगों की राय आ जाए जो आपकी मंशा है वो समावेश हो जाए। लोगों का भला हो पर पता नहीं माननीय गृह मंत्री जी आप क्यों अड़े हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रेरणा ले लो आप भी।

श्री सांवरलाल : आप भी प्रेरणा ले लो प्रवर समिति को भेज दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं सहकारिता मंत्री, ये गृह मंत्री। गृह मंत्री तो गृह ही होते हैं।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : हम यही कह रहे हैं इसी वजह से करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मेरा निवेदन है कि यह कानून वास्तव में प्रभावी बने और जिस वर्ग के लिये लाया जा रहा है इस वर्ग के लोगों का भला हो तो इसमें कोई ऐसा स्पष्ट मुद्दा नहीं है, प्रवर समिति को भेजिए और स्पेसिफिक रूप से ऐसा एक्ट आप लाइए जिससे इन लोगों का वास्तव में भला हो सके, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

वह राजस्थान का माइनोरिटी का जिला है। भारतवर्ष में 40 जिले माइनोरिटी के हैं और राजस्थान में केवल जैसलमेर जिला है जो माइनोरिटीज जिला कहलाता है और है भी। सरकार जो बिल लाई है, जो संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। अभी कुछ सदस्य कह रहे थे आर्थिक दृष्टि से हमारे यहां सैल बना हुआ है। बैंकर्स जब बैठते हैं तो अल्पसंख्यकों को कितना लोन दिया जाता है उसका अलग विश्लेषण किया जाता है और निश्चित अल्पसंख्यकों को बहुत बड़ा लोनिंग देकर उनको आर्थिक स्तर सुधारा जाता है। एजूकेशन के बारे में चर्चा की। गत वर्ष तीन मिडल स्कूल केवल माइनोरिटीज के लिये स्पेशली राज्य सरकार ने खोले, सैकण्डरी स्कूल की भले ही कम संख्या है, अनार्थिक दृष्टि से भी वह स्कूल बंद होने के योग्य हैं फिर भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिये हम कार्य कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि माइनोरिटी जिले के नाते खण्ड 3 के (2) में जो 5 सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा कर माइनोरिटी जिले का प्रतिनिधि दिया जाये, एक सदस्य सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर से इस आयोग में रखा जाये, ऐसा मेरा सुझाव है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अधिनियम के बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों की भलाई के लिये सबसे प्रोग्रेसिव कदम यह होगा कि एक तो अंगूठा और एक घूंघट, घूंघटा और अंगूठा प्रथा जब तक वहां रहेगी तब तक इस समाज का विकास होना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा है परिवार नियोजन। जब अंगूठा हट जायेगा, शिक्षा आ जायेगी और खास तौर से महिलाओं में, जब तक महिलाओं के लिये आप इसमें कुछ प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जो लड़की होती है वह दो घर में उजाला करती है ससुराल पक्ष में भी करती है और पीहर पक्ष में भी करती है। पढ़ी-लिखी लड़की होगी, डाक्टर होगी, अच्छी पढ़ी लिखी होगी वह दूसरे घर में जायेगी वहां अपने आप परिवार कल्याण होगा। ऐसा भी समाज है, आगे बढ़ा हुआ है। जो शिक्षित लोग हैं वह तो बढ़े ही हैं लेकिन हम गांवों में क्या देख रहे हैं बुर्का प्रथा देख रहे हैं, आज तक घूंघट की प्रथा वो की वो है। लड़कियों को बिलकुल पढ़ा नहीं रहे है। अगर इनमें जल्दी से जल्दी जागृति लानी है तो लड़कियों की शिक्षा को कम्पलसरी किया जाये और उनको खास तौर से अलग स्कूलें कर के उनको पढ़ाई कराई जाये। वह पढ़ेंगी तो अपने आप ज्यादा बच्चों से भी नफरत करेंगी। घर की सफाई भी अच्छी तरह से रखेंगी। आज बोहरा परिवार है बांसवाड़ा में, आप देख रहे हैं इतना बढ़िया परिवार है, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए हैं लेकिन कुछ एरिये में जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं उसका कारण तो पावर्टी है। अकाल पर अकाल पड़ते हैं, उसी का कारण है लेकिन उनको एजूकेटेड करेंगे तो एक तो उनका अंगूठा हटेगा, दूसरा उनका घूंघट हटेगा और परिवार कल्याण होगा तभी इस समाज की

(श्री अमराराम चौधरी)

भलाई होगी और इसमें स्त्री शिक्षा के बारे में आप प्रावधान करो जब स्त्री शिक्षा में यह जाग्रति आयेगी तो अपने आप घूंघट भी हटेगा और बच्चे भी कम होंगे। मुझे टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद में हिन्दुस्तान के कानून कायदे जितने भी बने हुए हैं शासन चलाने के लिये उसमें किसी भी जात और धर्म वाले के लिये कोई कानून नुकसान देता हो, ऐसी परिस्थिति नहीं है। परन्तु देश की आजादी के बाद जन कल्याण की जो सरकारें बनती हैं और वह सरकारें निगाह रखती है देश में, प्रदेश में कमजोर और पिछड़े हुए, दबे हुए गुलामी की प्रथा से जीने का जिन पर महसूस करता है वह शासन दूसरों के बराबर लाने का अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी समझता है। मेरा जहां तक अनुभव है शासन ने आज तक इस कमजोर तबके को सम्मान रूप से कार्य करने का कभी भी नहीं सोचा। शासन ने हमेशा यही सोचा कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं इन पर और इनकी गतिविधियों पर भरोसा करना भी अनुचित है, यह गुप्त रूप से हमेशा लोगों ने इस वर्ग को शक की निगाह से देखा है। इस बारे में मुझे निवेदन करना है, देश की बी.एस.एफ. में प्रदेश की पुलिस में, आर्मी में जहां भी इस वर्ग के लोग रहे हैं उन्होंने मुस्तैदी से देश की वफादारी में अपनी जान तक कुर्बान कर सबूत दे दिया, इससे ज्यादा इन पर शक करने की गुजाइंश नहीं होती है। सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को आज जब देश की 50 साल की आबादी है हरिजन सबसे ज्यादा गुलामी की जिंदगी जीते थे और सबसे ज्यादा उनकी हालत नाजुक थी। पर सरकार ने संविधान में उनके रिजर्वेशन की, उनकी पढ़ाई-लिखाई की, उनकी स्कोलरशिप का इंतजाम किया तो वह लोग 50 साल में अपने दूसरे सबल लोगों के बराबर आने के लिये निगाह में आये, यह खुशी की बात है। इस वर्ग की हालत जैसा अभी अमराराम जी ने कहा कि घूंघट छोड़ दो, फला ना छोड़ दो जिससे सुधर जायेगी, यह गलत है। जोधपुर शहर में जो मुसलमान धंधा करते हैं वह करोड़पति और अरबपति हैं और वह सिंधी मुसलमान हैं। लेकिन आप उनके घरों में देखो कि तालीम की यह हालत है कि बाड़मेर से भी ज्यादा बदतर है। जोधपुर में फिरोज नाम का कोई आदमी आर.पी.एस. से प्रमोट होकर आई.पी.एस. बना और उसका भाई एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है लेकिन जोधपुर में इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी, फलौदी में इतनी बड़ी आबादी सिंधी मुसलमानों की होते हुए भी कौनसा आदमी पढ़कर आ गया और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरा यह अनुभव कहता है जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं इनमें शिक्षा के प्रति न तो मुसलमान अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों का प्रचार और अभियान रहा और न शासन ने भी कभी इन लोगों को आगे बढ़ाने का कोई कार्य विशेष रूप से किया। इसलिए गृह मंत्री जी मेरा यह सुझाव है कि वास्तव में ईमानदारी से हम इस बात का विरोध करते हैं कि

(श्री अमीन खान)

अल्पसंख्यक कमीशन बना दिया, चेयरमैन बना दिया, फलाना साहब को उसका चेयरमैन बना दिया, गाड़ी की और स्टेट मिनिस्टर की सुविधा दे दी, यह तो गवर्नमेंट के खजाने की ख्वाह ख्वाह बरबादी है, इससे अल्पसंख्यकों को कोई फायदा नहीं है और न हम इससे खुश है। अगर अल्पसंख्यकों को आप वास्तव में कमजोर समझकर के दूसरे लोगों के बराबर की हैसियत में लाना चाहते हो तो मेहरबानी कर के आप इस तरह की सुविधा करो जिसमें सबसे ज्यादा तालीम की फ्री सुविधा इनको मिले। लड़कियों को फ्री शिक्षा की सुविधा मिले, यह आप शासन की तरफ से और इस आयोग की व्यवस्था में इंतजाम करो तो आगे बढ़ेंगे। जैसे परिवार नियोजन की बात कहते थे, ऐसी बात नहीं है हमारे बाड़मेर सीमावर्ती जिले में ज्यादातर लोग सिंधी मुसलमान अनपढ़ है और उनमें काफी गांवों में परिवार नियोजन का कार्य हमने अपनाया है और उनके मुखिया आदमियों ने भी अपनाया है। हां, इसमें जो कुछ लोग धार्मिक कट्टर हैं, वह विरोध करके लोगों को बहकाते हैं और एक धर्म को ही नहीं दूसरे धर्म को भी इस तरह से करते हैं। लेकिन उनके कहे में आने में आम लोगों की कोई सहमति नहीं है। गृह मंत्री जी जो बिल लाए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। साथ में यह जरूर कहता हूं कि इसमें अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिए विशेष तालीम लड़कियों और लड़कों को कम्पलसरी कर दिया जाए तो उचित होगा। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है और इसके सम्बन्ध में जो चर्चा यहां पर हो रही है निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोग शिक्षा की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ गए हैं। होना तो यह चाहिए था कि सभी समाज के लोग समानान्तर विकास करते, समानान्तर रूप से शिक्षा बंटती। समानान्तर रूप से आर्थिक दृष्टि से उनका सुधार होता लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके कारण क्या रहे। इसके कारण रहे कि जिस-जिस समाज ने सोचा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस-जिस समाज ने अपनी पुरानी परम्पराओं को छोड़कर, जिस तरह से देश और प्रांत में विकास हो रहा है उस धारणा को अपनाते हुए आगे बढ़े और जिनकी इच्छा शक्ति थी निश्चित रूप से उनका विकास हुआ। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ कुछ यह तो रहा कि उनका शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं रहा। कुछ सरकार का ध्यान यह रहा कि केवल इनके वोट लेने हैं, केवल वोट लेने के हथकण्डे के रूप में ही इनका उपयोग करते हैं। यह हमारे वोट बैंक है इसलिए इनका चुनाव ज्यों ही नजदीक आएगा, इनको बहला-फुसलाकर इनकी भावनाओं का शोषण करके हम इनका उपयोग कर लेंगे।

श्रीमान्, इनके पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण है, वह है जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होना। यदि पिछले 10 सालों के हम आंकड़े उठाएंगे तो अल्पसंख्यकों की संख्या किस कदर बढ़ी है और बहुसंख्यकों की

(श्री मदन दिलावर)

संख्या कितनी बढ़ी है दोनों का अनुपात यदि हम प्रतिशत में निकालें तो रात-दिन का अंतर है। इस समाज के लोगों को और इस आयोग को इसमें यह प्रावधान करना चाहिए कि जो भी दो बच्चों से ज्यादा पैदा करेगा उसको दण्ड दिया जाएगा और सिविल शक्तियों का जो उपयोग कर रहे हैं, हम सिविल कोर्ट की शक्तियां देने जा रहे हैं उसका उपयोग होगा।

दूसरा बहुत बड़ा कारण बहु-पत्नियां रखने का भी है। 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां रखने के कारण एक व्यक्ति के 25-25 बच्चे। शिक्षा नहीं हो पाती और अगर शिक्षा नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा, आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? मुझे ध्यान आता है, मेरे गांव में बाबू खां नाम के मेरे मित्र हैं जो मेरे से 10-15 साल बड़े होंगे, उनके 21 बच्चे हैं। उनको यह ध्यान नहीं है कि किसका क्या नाम है। नम्बर से बुलाते हैं। 12 वें नम्बर का, आठवें नम्बर का, तेरहवें नम्बर का। मैं समझता हूं कि परिवार नियोजन पर कठोरता से यदि कानून बन जाए और सब समाज के लिए बन जाए, मेरा यह कहना नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज ही इसकी परिधि में हो। मैं कहना चाहता हूं, कि इस सारे राजस्थान में जो भी रहता है चाहे किसी भी जाति का, किसी समुदाय का, किसी भी धर्म को मानने वाला होगा, सख्ती के साथ जनसंख्या का नियंत्रण करें, यदि व्यवधान पैदा करता है, इसको भंग करता है तो दण्डित किया जाना चाहिए।

श्रीमान्, मैं पत्नियों की भी बात कर रहा हूं। वैसे तो बहु-पत्नियां रखना महिला अत्याचार की श्रेणी में आता है। मैं जानता हूं कि कोई भी पुरुष दो पत्नियां रखेगा तो दोनों को समान रूप से प्यार नहीं दे पाएंगा। उनका समान रूप से पोषण नहीं कर पाएंगा, और फिर अनेक-अनेक प्रकार से परिवार टूटेंगे। बच्चे तो पैदा हो जाएंगे लेकिन जब परिवार टूटेंगे तो छिन्न-भिन्न स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर वहीं पंचर सुधारने वाली बात। वह ही फिर असामाजिक तत्व उनका उपयोग करने के लिए तरसते रहते हैं, अराष्ट्रीय कामों में लगाने के लिए तरसते रहते हैं। वह लोग उन भोले-भाले लोगों का, उन भोले-भाले बच्चों का शोषण करेंगे। उनको अराष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल करेंगे।

मैं यह भी जानता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग बुरे नहीं है। अशफाक उल्ला खान की हम पूजा करते हैं। डा. अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। एम.सी. छागला के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। हमारे रमजान खान भाई यहां पर बैठे हुए है। रफी अहमद किदवई ऐसे अनेक-अनेक उदाहरण हैं अगर यहां पर दिए जाए तो। सिकन्दर बख्त, शाहनवाज हुसैन, अब्दुल वकार नकवी। जकियाजी यहां पर बैठी हुई हैं, आदि-आदि अनेक प्रकार से हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, परन्तु जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य अमीन खान जी ने कहा कि लोग हमको शक की निगाह से देखते हैं, आखिर में शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, इस पर हमने कभी विचार किया? हमें

(श्री मदन दिलावर)

इस पर विचार करना होगा। शिक्षा नहीं होने से, आर्थिकता का अभाव होने के कारण से इस समाज के अधिकतर लोग भटक गए हैं।

कुछ लोग दूसरे देशों से आते हैं। सीमाओं में घुसते हैं। भूखे, गरीब, अशिक्षित आदमियों को प्रलोभन देते हैं। हमारे देश, हमारे समाज के खिलाफ हथियार उठाने की बात कहते हैं। भूखा और अनपढ़ आदमी उनके छलावे में आ जाता है और हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाने के लिए बंदूक उठा लेता है। आर.डी.एक्स. को किराए से ढूंढने का काम करने लग जाता है। बम और गोले आपनी जान हथेली पर लेकर घूमता है। यानि जो अनपढ़ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, कई लोगों के ऐसे उदाहरण है जो ऐसी अराष्ट्रीय गतिविधियों में पकड़े गए। क्या हम कोर्ट की शक्तियां देकर उनका संरक्षण करना चाहेंगे, क्या हम सिविल कोर्ट की शक्तियां देकर ऐसे लोगों का संरक्षण करना चाहेंगे? मैं कहता हूं कि किसी के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम समान रूप से बढ़े, यहां किसी आयोग की भी जरूरत नहीं है। आयोग बना होगा, किन कारणों से बना, उसमें नहीं जाना चाहता। पूरा देश एक है, इस भारत माता के पुत्र हैं, यहां का समान रूप से अन्न-जल खाते पीते हैं, वायु का सेवन करते हैं फिर इस प्रकार की चर्चा क्यों?

जब हमने यह तय कर लिया कि इस धरती माता के पुत्र हैं, समान रूप से सबका विकास हो, समान रूप से इस धरती माता के बारे में सोचें। आपको ध्यान होगा कि इस धरती पर आजम खान भारत माता को डायन कहने वाले भी पैदा हुए हैं, क्या ऐसे अल्पसंख्यकों को हम संरक्षण देंगे। यही डा. निजाम के बारे में चर्चा आई थी। आयोग के ऐसे अध्यक्ष बनकर दूसरों का क्या संरक्षण करेंगे? आयोग के ऐसे अध्यक्ष बन जाएंगे वह ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे जो तस्करी करेंगे। अगर तस्करी करेंगे तो मेरे देश, मेरे प्रान्त का क्या होगा? मेरे प्रांत का ही नहीं अल्पसख्यक समुदाय के जो अच्छे लोग हैं उनको भी शक की निगाह से देखा जाने लगेगा। सबको शक की निगाह से देखा जाने लगेगा तो इस राजस्थान में साम्प्रदायिक उन्माद बढ़ेगा। इसलिए हम यह जो सिविल कोर्ट की शक्तियां दे रहे हैं, इसको सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ यह धोखा है, अन्याय है।

यहां पर शिक्षा की बात भी आती है। मदरसे खोलने चाहिए। शिक्षा को सुदृढ़ करना चाहिए। मैं पक्षधर हूं। उनको उच्च शिक्षा देनी चाहिए, बहुत अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत, देश भक्ति से ओत-प्रोत जो हमारे सामान्य विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों में समुदाय के लोगों को भेजा जाना चाहिए। मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह धार्मिक शिक्षा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सामान्य विद्यालयों में जाना चाहिए। अन्य विद्यालय खोलने की आवश्यकता कहां पड़ती है? क्या हम अलग-अलग है, क्या हममें भेदभाव है? यदि भेदभाव है तो फिर हम यह गलत काम कर रहे हैं। भेदभाव को मिटाने के लिए हमको

(श्री मदन दिलावर)

सामूहिक रूप से और अच्छे विद्यालय यदि नैतिक शिक्षा देने के खोलने हो, राष्ट्रीय शिक्षा देने की बात करनी हो और हमको यदि यही बात कहनी हो कि कुछ लोग ओसामा बिन लादेन का चित्र लगाकर पूजा न करें, हमको यह भी कहना है कि आतंकवादियों का समर्थन न करें। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का दायित्व बन जाता है कि आतंकवादियों को ढूंढकर सरकार के सामने पेश करें कि यह लोग देशद्रोही हैं, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि ऐसे कई लोग उनके पक्षधर बन जाते हैं, उनको संरक्षण देने लग जाते हैं। मैंने भरतपुर में देखा है। भरतपुर में एक आदमी ओसामा बिन लादेन के लिए चंदा कर रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

(18.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : मैं कोई किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं बिल पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री मदन दिलावर : आखिर इस राजस्थान की सीमाएं असुरक्षित क्यों हो गयी हैं। इस राजस्थान की सीमाओं से तस्करी क्यों होने लग गयी है। हमें लोगों को इस बात की शिक्षा देनी होगी कि यह देश हमारा है, यह मातृ भूमि हमारी है। अशफाक उल्ला खां की तरह इस देश की रक्षा के लिये हम प्राण दे सकते हैं, न्यौछावर हो सकते हैं, फांसी के फंदे पर झूल सकते हैं। लेकिन इस देश का बाल बाका नहीं होने देंगे। लेकिन देखने में यह आ रहा है जैसे अमीन खान, माननीय सदस्य कह रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा, प्लीज।

श्री रामस्वरूप : आपके किसी ने कुर्बानी दी है क्या आज तक। कोई कुर्बानी दी है क्या आपकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने आज तक नाम मुझे गिना दो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : शक की निगाह से देखा जाता है। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने लोगों को सम्भालें।

श्री रामस्वरूप : हमारे इंदिरा गांधीजी कुर्बान हुई, राजीव गांधीजी कुर्बान हुए..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + आप क्या नाम लेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : महात्मा गांधीजी कुर्बान हुए, इंदिरा गांधीजी कुर्बान हुई, लेकिन आप एक ही व्यक्ति का नाम बता दो जो कुर्बान हुआ हो। एक का भी नाम गिना दो..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो साम्प्रादायिक सद्भाव की बात करो, साम्प्रदायिक भड़काव की बात मत करो।

श्री मदन दिलावर : इसलिये मेरा निवेदन है..(व्यवधान) हम सब लोग सामूहिक रूप से

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मदन दिलावर)

सामान्य विद्यालयों में पढ़कर के अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इस प्रकार की आवश्यकता है। यदि अलग-अलग शिक्षा देंगे हम लोग तो पता नहीं कुल्हड़ी में गुड़ फोड़कर क्या सिखाएंगे। आतंकवादी इनकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर इनको क्या सिखा ले जाएंगे। आज आपको ध्यान है, उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और जैसलमेर में आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं, शिविर चल रहे हैं, प्रशिक्षण चल रहे हैं, मदरसे आतंकवाद के अड्डे हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : अल्प शिक्षा को देने के नाम पर यह देश, यह प्रांत टूटने की कगार पर जा रहा है और हम फिर इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस बिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, बिराजिये। माननीय ज्ञानदेवजी, बोलिये, बोलिये।

श्री मदन दिलावर : मदरसे बन्द होने चाहिए। ये मदरसे आतंकवाद के अड्डे बन रहे हैं। मस्जिदों में बाहर के लोग, बिहार के, कश्मीर के, अफगानिस्तान के लोग आकर के साम्प्रदायिकता भड़काव का षड़यंत्र कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, आप बोलेंगे। बोलिये फिर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोल रहा हूं, बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो बोलिये।

श्री मदन दिलावर : इसलिये इस अल्पसंख्यक आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको नष्ट कर देना चाहिए और इस तरह की शक्तियां देने जा रहे हैं हम यह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ धोखा कर रहे हैं। फिर इनको शक की निगाह से दिखाने का षड़यंत्र सरकार कर रही है। इसलिये इस बिल की जितनी निन्दा की जाए, वह कम है। उपाध्यक्ष महोदय, यही मेरा निवेदन है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मदन दिलावरजी को, उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह जो अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिये जो बिल लाया गया है, मैं इसको जनमत को भेजने के लिये निवेदन करता हूं। राजस्थान में बहुत सारे आयोग बने हैं। अब उनमें से एक प्रशासनिक आयोग भी है, महिला आयोग भी है। अब क्या वैल्यू है उन आयोगों की, बताइये। प्रशासनिक आयोग के वरिष्ठ माननीय सदस्य शिचरणजी माथुर साहब, जो मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी कोई बात मानी ही नहीं जाती। प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट को कूड़े में पटक दिया जाता है। महिला आयोग की अपने आप में कोई...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह नितान्त असत्य है कि रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

पर विचार-विमर्श करके काफी सिफारिशें उसकी स्वीकार की गयी हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो माथुर साहब के समाचार पत्रों में स्टेटमेंट हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : शिवचरणजी खुद ही कहते हैं। यह शिवचरणजी खुद ही कहते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माथुर साहब, माननीय मंत्री महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शिवचरणजी माथुर साहब के अखबारों में स्टेटमेंट हैं। मेरा कहना नहीं है, उनका खुद का कहना है।

यह जो आयोग बने हैं, इस आयोग के 10 लाख के लिये माननीय सुराना साहब ने कहा। इस सम्बन्ध में 10 लाख की क्या वैल्यू है। पहले आप एक नाटक कर चुके हैं। सिंधी समाज का एक सम्मेलन बुलाया गया। मैं इस आयोग की मूल जो आपकी बेईमानी है, इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपकी नीयत ही ठीक नहीं है, और जिनकी नीयत ठीक नहीं है, नीयत वद तो रोटी रद्द, नीयत साफ तो रोटी माफ। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले आपने एक सिंधी नाटक किया। आपके एक राज्य सभा सदस्य, श्री सुरेश केसवानी आये, माननीय सदस्य, और मेडम सोनिया गांधीजी आयी। उसमें कहा गया कि सिंधी अकादमी के लिये 7 लाख के बजाय 25 लाख करेंगे। आज तक वह पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। यह स्वीकृत होगा कि नहीं होगा, मुझे इसमें सन्देह है।

अल्पसंख्यक आयोग को आप बना रहे हैं। यह सरकार जो बना रही है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक क्या हुआ। अल्पसंख्यकों ने तो रो-रोकर आसुओं से टब भर दिये आपने विकास के लिये, अल्पसंख्यकों ने अपने विकास के लिये रो-रोकर आंसुओं से टब भर दिये और ये सत्तारुढ़ पार्टी के लोग इतने बेशर्म निकले कि उसमें नहा कर चल दिये। अब भी सत्ता के 3 साल बाद तो इनको होश आया कि कोई संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने आयोग में रखा है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से_ आपने इनको सामाजिक दृष्टि से तो पिछड़ा रखा ही है। और पिछड़ा रखा है तो मैं आपको अपने बनाये हुए स्वयं के छन्द और निवेदन करना चाहता हूं।

बड़े शर्म की बात है कि इतनी देर से आप अल्पसंख्यक आयोग का कानून लाये हैं आपको सिर्फ अल्पसंख्यकों को भ्रम में रखकर बेवकूफ बनाने का जुनून और आप छाये हैं।

आप यह कानून बनाकर आखिर क्या करना चाहते हैं। क्यों अल्पसंख्यकों पर नये-नये प्रयोग करना चाहते हैं।

मेरे स्वयं के द्वारा निर्मित हैं, अभी-अभी। अब ये आपके चक्कर में, अल्पसंख्यक, आने वाले नहीं है, अब इन्होंने अपने दिमाग बना लिये हैं।

अब चाहे आयोग बनाओ या करो नये-नये प्रयोग, अब ये आपको देंगे धत्ता,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सरकार से कट जाएगा आपका अगली बार पत्ता।

मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक रूप से ये क्यों पिछड़े हुए हैं। मैं मेवात क्षेत्र का हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आगे बोलेंगे, तो यह जो कहा है, सब समाप्त हो जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक मंत्री महोदय यहां मेवात क्षेत्र के बैठे हुए हैं। मेवात क्षेत्र में क्या है। पहले जो, जो अभी माननीय दिलावरजी बोल रहे थे, पहले जो हमारे यहां जरायम पेशा जातियां थीं, सांसी, कंजर, नट और यहां एक माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, उनके बारे में भी, लेकिन 5-7 जातियां थीं, मैं सम्मान करता हूं, अब बहुत उनमें सुधार आ गया है। गूजरों में, मीणों में, सबमें बहुत सुधार आ गया है। ईमानदार और अच्छे हो गये हैं, चरित्रवान हो गये हैं। लेकिन सांसी, कंजर, नट, गूजर, मीणा, और बाबरी, इन 6 जातियों का और हमारे बीच में पंजाबियों में है एक रायसिख। इन 7 जातियों में जो जरायम पेशा का काम था, वहां अल्पसंख्यक बंधुओं ने ले लिया है। यह क्यों ले लिया है।

अवैध सिंथेटिक दूध।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसको सदन की कार्यवाही से निकलवा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या अवैध बोला है मैंने ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये जो बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहा ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हट गयी, ईमानदार हो गये, अच्छे हो गये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी तारीफ की है।

श्री रामस्वरूप : आप मीणाओं के बारे में इस तरह से शब्द उपयोग नहीं कर सकते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब नहीं है।

श्री रामस्वरूप : मीणा जाति के बारे में अब नहीं है और जब नहीं है, हमेशा ही अच्छी थी, मीणा जाति तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब ईमानदार है, अब ईमानदार है।

श्री रामस्वरूप : हमेशा ईमानदार थी, कब बेईमान थी मीणा जाति, बताइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब ईमानदार है।

श्री रामस्वरूप : अब नहीं है, पीछे की बात क्यों कर रहे हो और अब की बातें कर रहे हो। मीणा जाति एक आदर्श जाति है। यहां जयपुर में राज किया है जिस जाति ने और जयपुर के खजाने की मालिक रही है जो मीणा जाति। और आप उसकी बुराई कर रहे हो। आपके सोचने की बात है कम से कम, आप किसी जाति विशेष को सम्बोधित कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय रामस्वरूजी, मैंने तो सारे मीणाओं की तारीफ की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी, समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : मीणा जाति पहले यह थी, अब जाति यह है। मीणा जाति तो हमेशा से अच्छी ही जाति थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छी है।

श्री रामस्वरूप : आमेर के ऊपर राज किया है। यहां के खजाने की मालिक रही है मीणा। (व्यवधान) मीणा जाति हमेशा अच्छी जाति थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमेशा से अच्छी थी। (व्यवधान) मीणा जाति हमेशा से अच्छी थी।

श्री मदन दिलावर : पर ये खराब हो गये रामस्वरूपजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब ऐसा है कि अब वहां मेवात क्षेत्र में सिंथेटिक दूध बन रहा है। मेवातक्षेत्र में अवैध नोटों की गडिड्यों की गडिड्यां चल रही है। पकड़े गये हैं। वहां मेवात क्षेत्र में आर.डी.एक्स. का ट्रक अलवर जिले का रजिस्टर्ड, वहां आई.एस.आई. का एजेंट पकड़े गये हैं। मेवात क्षेत्र में वहां पर आज जो अवैध हथियारों के कारखाने, खुद मैंने 2 पकड़वाये, वहां चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा उनको नहीं दी गयी। उनको शिक्षा नहीं दी गयी, उनको आर्थिक रूप से पिछड़ा रखा गया। उनको भ्रमित रखा गया। आज स्थिति यह है कि विस्फोटक स्थिति है। अलवर जिले को देखें या थानों के रिकार्ड को देखें।

श्रीमती जकिया : इससे बिल का क्या ताल्लुक है ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा का, आर्थिक पिछड़ापन।

श्रीमती जकिया : नहीं, यह अलग करने का बिल से क्या ताल्लुक है ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, पढ़ाई-लिखाई नहीं होने के कारण परिवार नियोजन नहीं हो रहा है। परिवार नियोजन नहीं होने के कारण से जमीन का बंटवारा होता है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए जिससे कि यह ठीक हो सके। खाली इस तरह की बात मत करिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब वही निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें शिक्षा दी जाए राष्ट्रीयता और देशभक्ति की। आयोग अगर यह काम करे तो सही मायने में देश का विकास होगा। उस एरिये का हमारा खुशहाल एरिया, वह हरा-भरा एरिया है, 52 बांधों का एरिया, आज की स्थिति अलवर में बड़ी विस्फोटक है। अभी-अभी एक गौ-हत्या हो गयी। बड़ौदा-मेव में बड़ा दंगा हो गया। 20 क्विंटल पत्थर पुलिस चौकी में जनता ने, हजारों लोगों ने पटका। क्यों, क्योंकि गौ की हत्या करने वाले भी उन्हीं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हमारे अल्पसंख्यक बंधु पांचों थे।

मेरा निवेदन है, आयोग बन रहा है, अच्छी बात है। मैं आयोग का विरोध नहीं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कर रहा हूं। इसको अभी विचार के लिये, और इसके बिहंगम विचार के लिये जनमत को भेजा जाए, मैं यह निवेदन कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आयोग में जो मेम्बर बनाने के लिये हैं, 5 बनाने या 7 बनाये, वह तो आप निश्चित करेंगे। लेकिन एक सिक्ख हो, एक ईसाई हो राजस्थान में रहते हैं, एक मुसलमान हो और एक बौद्ध हो और एक हिन्दू भी उसमें हो। ताकि उनको ठीक ढंग से राष्ट्रीयता की धारा के साथ में जोड़ने के लिये हम लोग करें। ये 5 सदस्य बनाये जाएं, अध्यक्ष आप किसी को भी बनायें। आपकी इच्छा पर है, आपकी मर्सी पर है। क्योंकि सत्ता, सरकार आपकी है। आप जिसको बनाएंगे, कोई आपका लोयल होगा, कोई आपका चाहने वाला होगा। कोई आपका चाहने वाला विशेष होगा। उसको बनाएंगे लेकिन मेरा निवेदन है आपको कि वास्तव में यह देश भक्ति का पाठ, राष्ट्रीयता का पाठ सबको पढ़ाया जाए। हम कोई शक पैदा नहीं कर रहे हैं। शक पैदा करके चल भी नहीं सकते। क्योंकि सियासत में, राजनीति में काम करने वाले लोग शकों के हिसाब से चल नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण वहां जमीनों का बंटवारा हुआ है। एक हमारे बंधु थे हाजी चाप खा जो हमारे माननीय तैय्यब हुसैन साहब के क्षेत्र के हैं। एक्स एम.एल.ए. रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 29 बच्चे हैं। 29 बच्चे हैं और जमीन है उनके पास 40 बीघा, 29 बच्चों के पास कितनी है, डेढ़-डेढ़, एक-एक बीघा, 29 बच्चे हैं। छह बीवियां, और आप बताइये, मैं ओथेंटिकली विधान सभा में बोल रहा हूं, 29 बच्चे और छह बीवियां। 40 बीघा जमीन में से एक-एक बीघा आएगा या डेढ़-डेढ़ आएगा, सवा आएगा, माननीय महुवा साहब आप ही बात दीजिए। इस आयोग का महत्व क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस आयोग के द्वारा उनके पिछड़ेपन, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, इस दृष्टि से उनको पाठ पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए, हम लोग जिनको कहते हैं, हम तो उनको अपना भाई मानते हैं, हम कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नारा नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि वह हमारे भाई हैं, छोटे और बड़े भाई, इस नाते से राजनीति से बांटिये मत, राजनीति में दिलों को मत बांटिये, इस ढंग के आयोग बनाकर यह अल्पसंख्यक और यह बहुसंख्यक कहकर गांव-गांव में झगड़े पैदा मत करिए, साम्प्रदायिक दंगे मत करिए और न कराइये, जितने दंगे इस बार हुए हैं, कभी नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यही मेरा निवेदन है कि इस आयोग का जो महत्व है इन दंगों को रुकवाने के लिए हो, उनकी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए हो (व्यवधान) आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 जो विधान सभा में लाया गया है, इसका तो समर्थन करता हूं लेकिन निश्चित

(श्री अमराराम)

रूप से इस अल्पसंख्यक वर्ग की राजस्थान में जो दयनीय हालत 53 साल की आजादी के साथ बाद शैक्षिक, सामाजिक दृष्टि से जो रही है, निश्चित रूप से आज राजस्थान में जो 54 साल में शासन में रहे हैं अगर उनके प्रति उनकी सच्ची निगाहें होती, समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल करने की, उनको ऊपर उठाने की रहती तो बहुत कुछ किया जा सकता था और केवल यह आयोग को संवैधानिक स्थिति देकर करने से नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी आज सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी और प्रतिपक्ष में बैठी हुई पार्टी ने राजस्थान में शासन चलाया है लेकिन एक भी निश्चित रूप से, प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको तो इनसे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह की घृणा पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और देश में किया है (व्यवधान) कहीं भी नहीं किया। अल्पसंख्यकों के रहमोकर्म बनने वाले जो आज तक उस समय से, बीच में जिस तरह का माहौल...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको अल्पसंख्यक...(व्यवधान)... कितना गिनते हैं किसी का...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : समाज से ऊपर आगे उठाने में शिक्षा की दृष्टि से जिस तरह से पार्टी को करना चाहिए था न आज किया और केवल अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर केवल मात्र हम समझ लें कि वह समाज की मुख्य धारा में बराबर आ जाएंगे, नहीं आ सकते। जब तक राजनीतिक इच्छा-शक्ति नहीं होगी, उस समाज में जिन पर विश्वास है वह केवल चाहे शिक्षा के प्रति जाग्रति पैदा कर दें, चाहे वह परिवार नियोजन के बारे में कर दें और निश्चित रूप से जब अगर शिक्षा में वह बराबरी पर आएंगे तो परिवार नियोजन की कहीं समस्या नहीं आती। जो भी शिक्षित है चाहे वह अल्पसंख्यक है, चाहे बहुसंख्यक है जहां तक शिक्षा का प्रवेश है निश्चित रूप से वहां समाज में परिवार नियोजन अपने आप में अपनाया है। जब शिक्षित है तो समाज में बराबरी का काम किया है लेकिन जो भावनाएं अल्पसंख्यकों के विरोध में, चाहे वह माइनोरिटी है, मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे वह ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनके साथ जिस तरह का व्यवहार प्रदेश में हो रहा है वह केवल इससे नहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति से और वह भी राजनीतिक इच्छा शक्ति केवल विधान सभा के फ्लोर पर नहीं, जहां समाज में उनके साथ अत्याचार है, ना बराबरी है वहां शारीरिक दृष्टि से खड़े होकर उनका नहीं करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि केवल इनको संवैधानिक यह आयोग को अधिकार देकर हम नहीं कर पाएंगे और जिस तरह के प्रोविजन किये हैं केवल 10 लाख रुपये से हम अल्पसंख्यक वर्ग, पूरे समाज को ऊपर उठाने का काम कर लेंगे, मैं नहीं समझता कि जितने आयोग में सदस्य हैं, सैक्रेटरी है उनकी तनख्वाह ही नहीं होगी तो जब तक हम आर्थिक प्रोविजन नहीं करेंगे, जब तक समाज को जगाने का काम नहीं करेंगे तो केवल कानून बनाने से नहीं, कानून राजस्थान में और

(श्री अमराराम)

देश में शारदा एक्ट बना हुआ है, कानूनी अधिकार है लेकिन आज भी राजस्थान के उन ग्रामीण इलाकों में जहां अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक लोग जहां शिक्षित नहीं है, उनमें बाल विवाह की बाढ़ रहती है। राजस्थान में केवल कानून बनाने से समाज बराबरी में नहीं आएगा। जब तक हम समाज में जाग्रति पैदा करके समाज को आगे लाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व जो राजस्थान में बैठा हुआ है, उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि उन वर्गों के बीच जाकर उनकी इस बराबरी के लिए कार्य करें, उनके लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगायें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के 54 साल में जिन पर अल्पसंख्यकों ने विश्वास किया है, यह काम करने में असफल रहे हैं और आगे भी असफल रहेंगे। खुद समाज को आगे आने के लिए, इसके लिए उठना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर रहे हैं, इस भावना का तो मैं आपके साथ समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह बात नहीं समझ पाया हूं कि आप इस इतनी बड़ी जनसंख्या को जिन उद्देश्यों को लेकर आपने इसकी रचना की है उन उद्देश्यों को जब पढ़ते हैं तो क्या हमारा मन इस बात के लिए संतुष्ट है कि हम जिस आयोग को इतना वैधानिक दर्जा दे रहे हैं जिससे हम इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा-ऐसा चमत्कार होगा, क्या यह चमत्कार इससे सम्भव है। मैं यह सोचता हूं कि हम केवल एक तरह से भ्रम डालने वाला और केवल एक आडम्बर का काम करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों के मन सही दिशा में सही काम के लिए जिस प्रकार से तैयार होना चाहिए वह तैयार नहीं है। इसका तो समर्थन है कि अल्पसंख्यक लोगों की जो भी विशेष कर कम से कम दो-तीन काम अगर कर लिये जाए, उनकी शिक्षा ठीक हो जाए, आर्थिक दृष्टि से उनको अपने पैरों पर खड़ा कर लिया जाए और उनमें जिस प्रकार की आपराधिक वृत्ति है उसको कैसे बदल कर सही किया जाए अगर इन तीन बातों पर भी हम केन्द्रित करें तो क्या यह एक तरह से छलावा नहीं होगा कि हम दस लाख रुपये रखकर इतनी बड़ी उपलब्धि का ढोंग रचें और उसके कारण से हम कोई उपलब्धि ले सकेंगे? यह केवल अपने मन के संतोष के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए तो काम हो जाएगा कि हमने आपका आयोग बना दिया, फलां कर दिया, इतने उद्देश्य यह उद्देश्य प्राप्त होने का कोई इसमें लक्षण नहीं दिखता है। इसके साथ अगर यह भावना होती कि अगर इतनी बड़ी आबादी को अगर हम इस ओर विकसित करना चाहते हैं, उनकी तरक्की करना चाहते हैं और मन से तरक्की के प्रति अगर हमारी हमदर्दी है तो हम निश्चित रूप से इस प्रोविजन में पैसे को बढ़ाएं, यह तो तनखाह में ही खतम हो जाएगा केवल एक तामझाम में खतम हो जाएगा। इस प्रकार का बजट रखकर और आपने जिस प्रकार से प्रोविजन किया है उन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रोविजन से तो लगता है कि आप क्या करेंगे, मुझे तो यह समझ में नहीं आया। आपने इसमें दिया है— "वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदत्त किया जाना।

अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का और प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अन्तर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते हैं, धारा 12 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान में से संदाय किया जायेगा।" और धारा 12 आपकी क्या कहती है, हम क्या करना चाहते हैं। मतलब जनता के सामने केवल छलावा ही करने की अगर मंशा है तब तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जाए। धारा 12 यह कहती है कि— "राज्य सरकार द्वारा अनुदान (1) राज्य सरकार द्वारा, विधान मण्डल के द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिये जाने के लिये आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धन राशियों का संदाय करेंगी जो राज्य सरकार उचित समझे।" और राज्य सरकार ने उचित समझा कि इस आयोग के लिए दस लाख रुपये रखा जाए। इस दस लाख रुपये में यह क्या कीर्तिमान स्थापित करेगा? क्यों हम हमारी समय, शक्ति खतम करते हैं अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो तहेदिल से करें और तहेदिल से करके उस समस्या का निदान करें। जिस समस्या को आप हम सब लोग जानते हैं, दुर्भाग्य यह है कि हम उस समस्या को नहीं छेड़ना चाहते केवल हम उस पर एक आवरण डालना चाहते हैं कि हमने तो आपके भले के लिए यह काम कर लिया लेकिन भले से नहीं है, इसी तरह से यह जो सैक्शन सात है—"रिक्तियों से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना" में इस बात को नहीं समझ पाया कि इससे आपका क्या अभिप्राय है।

"आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।" मतलब भले ही उसमें खाली जगह रहे, भले ही उसमें त्रुटि हुई हो फिर भी उसका निर्णय है, इस लाइन को डालने से क्या अर्थ निकलेगा? क्या एक ही आदमी को आप लगाकर चाहे जो निर्णय कराएंगे, बोर्ड का गठन भी पूरा नहीं है, उसमें जो मिनिमम संख्या है वह पूरी नहीं है और उसके बाद ही वह फैसला लेगा तो उसको आप कानूनी जामा पहनाने के लिए, इस धारा को डालने के पीछे आपका अभिप्राय क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि हम वास्तव में समस्या का समाधान चाहते हैं तो दो ही बातें हैं जो शिक्षा की दृष्टि से हम यदि शिक्षा की दृष्टि से सबको अपनी-अपनी स्वतंत्रता दे रहे हैं न, यह शिक्षा कई बार आपके लिए घातक होगी। आज नहीं होगी, बीस साल बाद अगर हम जिन्दा रहे तो आपको मैं बताऊंगा कि इसका परिणाम क्या निकलता है। शिक्षा का मतलब सबके लिये शिक्षा है। उसी आधार पर उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिये प्रयास करो तब तो वह सबकी धारा के साथ जुडेंगे। और अगर आपने सबको अपनी अपनी मर्जी चाहे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जैसे शिक्षा चलाने की कोशिश की ना तो यह बहुत बड़े संकट में फंसेगा, जिसका अनुमान आज नहीं हो रहा है, फिर लम्बे समय में जाकर होगा। आज हम उनकी बस्तियों का सुधार नहीं कर सकते। आप इस दस लाख के बजट से किसी एक शहर की बस्ती की गंदगी को नहीं हटा सकते। फिर हम काहें को यह सब्ज-बाग दिखाने की कोशिश करते हैं? कम से कम उनके रहने-सोने के स्थान को ठीक कर लें, क्या हम इसमें यह नहीं डाल सकते कि यह आयोग इस बात की भी कोशिश करे कि जनसंख्या के नियंत्रंण का भी काम करे। आखिर उनको समझाइश करे, किसी तरह भी उनको इस रास्ते पर लाने का प्रयास करे। उनकी जो बुराइयां हैं, उनको कम करने के लिये क्या प्रयास करेगा, कुछ भी नहीं। केवल हमने एक तरह से लोगों को बताया कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो बात रखी थी, उसकी प्रति कर दी। चाहे वह खड्ढ़े में पड़े, चाहे कुछ हो या मत हो। हमारी तरफ से बला टली और हमने डाल दिया। हमने सोचा कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। दुर्भाग्य से इस बड़े सदन का उपयोग इस मंशा से करने से कभी भी किसी भी समाज का, किसी भी जाति का भला नहीं होगा। अल्पसंख्यकों में चाहे आप क्रिश्चियन को लें, चाहे आप सिक्खों को लें, उनकी फिर भी पढ़ाई-लिखाई और बाकी दृष्टि से वह काफी आगे ठीक स्थिति में है आज भी, लेकिन यह जो अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम समुदाय है, यह मुस्लिम समुदाय चाहे किसी गांव में रहता हो, चाहे किसी शहर की बस्ती में रहता हो, अगर आपको वास्तव में सबसे ज्यादा कोई खराब जगह किसी शहर में मिल जाये, घूमते-घूमते तो आप कह देना कि यह कोई न कोई मुस्लिम मौहल्ला होगा। इतने वर्षों के बाद, पचास साल के प्रयास के बाद भी, हमारी सब मेहनत करने के बाद भी उनकी जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, हम उनको उपलब्ध नहीं करा सके और हम केवल अध्यक्ष बिठाकर उसके हाथ में एक झुनझुना दे देंगे कि बजाना, आयोग का बजाना, इससे भला हो जाएगा। अगर इस मंशा से काम कर रहे हैं तो शायद मैं सोचता नहीं और सरकार इतनी दिवालिया भी नहीं कि इतने बड़े आयोग की और इतनी उपलब्धियों की मंशा रखकर, इतनी लम्बी फेहरिस्त बनाने के बाद उसके लिये पर्याप्त बजट नहीं देकर केवल उसके हाथ बांधने का काम किया है, इससे कोई भला नहीं होगा। और दूसरा जिनको भी आप नियुक्त करते हो, वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो, इसको तो कम से कम टैस्ट करो। वह कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन जिसका पुराना चरित्र चाहे वह कहीं भी आपराधिक प्रवृत्ति में रहा हो, वह कम से कम आयोग का सदस्य नहीं बनना चाहिये, इसके लिये तो कम से कम हमें पाबन्दी निश्चित रूप से करनी चाहिये। अगर आपकी मंशा है तो निश्चित रूप से इस आयोग के आधार पर आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन को मनाओ और इसको ठीक प्रकार से सशक्त करने के लिये आप प्रयास करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयोग के सम्बन्ध में जिस तरह के विचार यहां प्रकट किये गये हैं, मैं उनको राजस्थान सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है। हम जिस उद्देश्य से इस विधेयक को लेकर आये हैं, उसकी मंशा को पूरा करने का राज्य सरकार का इरादा है। आर्थिक दृष्टि से इस समुदाय के लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिये जैसाकि मैंने कहा है अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना की है और उसके जरिये उनको आवश्यक धन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, यह हमारी मंशा है। (व्यवधान) डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। शिक्षा की दृष्टि से भी हमने करीब बीस लाख रुपये की पुस्तकें मुफ्त में वितरित की हैं इस समुदाय के लोगों के बीच में, ताकि उनके बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके। मदरसों में भी हमने इस बात की व्यवस्था की है कि केवल उर्दू की ही पढ़ाई नहीं की जाये बल्कि उर्दू की पढ़ाई के साथ-साथ दूसरे विषय भी उसके साथ पढ़ाने का फैसला इस सरकार ने किया है। हम चाहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से ही श्रीमान्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आलोचनाएं तो बहुत आवश्यक हैं, थोड़ा आपके समय का भी ध्यान दिला दूं, इस आयोग को आपने क्या दिया था। 1997-98 में केवल आपने 2.86 लाख रुपये दिये थे। आपके पांच साल के पीरियड की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शुरूआत आपने की, इससे तो हम आगे बढ़े हैं। आप तो दो-तीन लाख से कभी ऊपर बढ़े ही नहीं। 1998-99 का भी मैं आपको बताना चाहता हूं तीन लाख रुपये आपने दिये। आपकी मंशा क्या थी? इसको वही रखने की थी या इसको आगे बढ़ाने की थी? मैं तो आपको 1997-98-99 का चित्रण प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें आपने इस व्यवस्था पर क्या खर्चा किया। हमारी तो नीयत है। (व्यवधान) हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी नीयत, मंशा, नीति में कोई फर्क नहीं है। हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई मदरसे खोले। अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। शिक्षा की दृष्टि से कई राजीव गांधी पाठशालाएं शुरू की गयी हैं, उनमें हमने काम शुरू किया है। हम चाहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से वे आगे आयें। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो बुराइयां हैं, वह भी मिटेंगी। यह आर्थिक सम्पन्नता की ओर बढ़ सकेंगे यह हमारा निश्चित विश्वास है।

अभी कहा गया कि यह बिल हम राजनैतिक लाभ उठाने के लिये लाये हैं। यह बहुत गलत बात है। यह बिल राजस्थान विधान सभा में हमने एक साल पहले प्रस्तुत कर दिया था। एक साल पहले प्रस्तुत कर दिया था मदन जी दिलावर, आपका दिमाग तो अटरू में ही लगा रहता है, यहां विधान सभा में नहीं। आप तो वहीं लगे रहो और वहीं करते रहो उखाड़-पछाड़। आपका ध्यान रहे तो समझ में आये। आप विधान सभा

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सचिवालय में जाकर देखो, हमने एक साल पहले इस बिल को प्रस्तुत किया था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस बार इस बिल को लिया है और मैं तो चाहता हूं, हमारी तो इच्छा थी कि पहले से ही इस बिल को पास करायें। हमने दस लाख रुपये का प्रोविजन इस बात के लिये नहीं किया कि इससे शिक्षा चलाएंगे, उनका सामाजिक या आर्थिक उत्थान करेंगे, उनकी व्यवस्था के लिये हमने जो व्यवस्था की है, उसके लिये प्रोविजन किया है। शिक्षा के बजट से शिक्षा का काम करेंगे और आयोग देखेगा कि जो संवैधानिक दर्जा उनको दिया था, कांस्टीट्यूशन में जो गारंटी दी थी, कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन को लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इस बात को आयोग देखेगा और मैं आपसे कह सकता हूं यह तो हमारी इस वर्ष की है, आयोग के गठन के बाद हम यह महसूस करेंगे कि उनकी एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार उस पर विचार करेगी और आयोग को अधिक धन देगी और इसको सक्षम बनाने का काम भी पूरा करेगी। यह मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 पारित किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

शासकीय संकल्प

संविधान (91 वां संशोधन) विधेयक, 2000 का अनुसमर्थन

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं "कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 368 के खण्ड-2 के परन्तुक के खण्ड (क) और (घ) के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भारत के संविधान के संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।" अंग्रेजी अनुवाद भी सुना देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवनाथसिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, सदन के सामने संविधान 91 संशोधन विधेयक, 2000 को अनुसमर्थन करने हेतु माननीय विधि मंत्रीजी ने प्रस्ताव पेश किया है। उपाध्यक्षजी, इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस कानून में जो संविधान का संशोधन किया गया है, उसमें विधान सभा, लोक सभा की सीटों की संख्या को, जो 2000 तक सीमित किया गया था, पहले उनको 2026 तक उसी संख्या में सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है। उपाध्यक्षजी,

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह बात तो ठीक है। जनसंख्या के आधार पर हर साल, हर पांच साल बाद सीटों की बढ़ोत्तरी होती रहे, इसका कोई अन्त नहीं होगा। इसलिए किसी न किसी स्टेज पर जाकर हमें विधान सभाओं या लोक सभा की सीटों की संख्या को सीमित स्थायी, रखना होगा। लेकिन इसमें जो कारण दिये गये हैं, वह विचारणीय विषय हैं। माननीय विधि मंत्री, भारत सरकार ने यह विधेयक पेश करते हुए एक विचार व्यक्त किया कि सीटों का जो सीमांकन है, बंधन है वह इस दृष्टि से किया जा रहा है, इस बंधन से हमारी जो जनसख्या की वृद्धि हो रहा है, उस पर अकुंश लगेगा।

अब ऐसा नहीं है कि हवामहल वालों ने बड़ा भारी फेमिली प्लानिंग कर दिया हो। वह सब बाहर का इन्फ्लक्स है। बनीपार्क एरिया बड़ा है लोग सैटल हुए हैं नये मकानात बने हैं, गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन एक्टीविटीज को आपने एनकरेज किया है। तो वह बैंलेस होना जरुरी है। उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही वह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसका बहुत पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। यदि विधि मंत्रीजी उचित समझे तो इस संकल्प में यह समाहित होना चाहिए कि कांस्टीट्यूएंसीज का जो रिजर्वेशन है, रोटेशन होना चाहिए। वैसे उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बता दूं इस बिल में जो अमेंडमेंट हो जाएगा कांस्टीट्यूशन, तो उसमें ऐसा प्रोविजन नहीं होने की बात भी बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन डि-लिमिटेशन कमीशन को इस बात की पावर्स हैं। मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी इसलिए है कि 1976 में जब ड़ि-लिमिटेशन कमीशन की बैठक कोटा में हुई थी तो मैंने उस कमीशन के सामने उपस्थित होकर टोंक को डी-रिजर्व कराने की कोशिश की थी लोक सभा के लिए। और चूंकि कोटा से भी डी-रिजर्व कराने के लिए भी प्रार्थना की गयी थी। फाइनली उन्होंने मेरे आर्गूमेंट को तो एग्री किया कि जोधपुर डिवीजन के अन्दर कोई भी शिड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व नहीं है और यहां पर कंट्यूवियस एरिया कोटा, टोंक, सवाइमाधोपुर और बयाना लगातार रिजर्वेशन में हैं लेकिन उन्होंने कोटा और टोंक को वे किया और फिर शिड्यूलडकास्ट की पापूलेशन टोंक में ज्यादा मिली तो टोंक को नहीं किया और कोटा को कर दिया लेकिन अब गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया वही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह सदन उचित समझे तो इस अनुसमर्थन के साथ हम संकल्प में यह बात समाहित कर दें, यह अनुरोध कर दें कि ऐसे मार्ग निर्देश उस कमीशन को दे दिए जाएं भारत सरकार की तरफ से कि जो कांस्टीट्यूएंसीज लगातार रिजर्वेशन में चली आ रही हैं, इससे बड़ा अनर्थ हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को मानेंगे, तो उनका रोटेशन डेफिनेटली होना चाहिए। अब टोंक लोक सभा सीट 1952 से रिजर्वेशन में चली आ रही है। मेरे जैसे आदमी को कोई जगह नहीं है कि लोक सभा में जा सके।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरी जैसी तो नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी तो ओपन है। आप अलवर में जाओ नहीं तो उसका क्या है। आप इंडिविजुअल की बात छोड़िए। यह मजाक की बात नहीं है यह सीरियस बात है। (व्यवधान) हां, आपकी बात मान लो, किसी गुर्जर को मौका नहीं है, यह मान लो चलो। तो उपाध्यक्ष महोदय, रोटेशन के लिए अगर आप विधि मंत्रीजी उचित समझें तो इसमें आप जरूर इनकोरपोरेट कीजिए। एक इसमें शिड्यूल कास्ट की सीढ़ें बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया है कि शिड्यूल कास्ट की अगर पापूलेशन बढ़ गयी है तो कोरेस्पोण्डिगली उन सीटों को बढ़ा दिया जाए मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उसका भी नेशनलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली दूसरी बात अन्त में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार या लोक सभा के अन्दर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यह रहा है कि डि-लिमिटेशन का मतलब यह है कि सीटें बढ़ाना, क्योंकि 1976 तक डि-लिमिटेशन हुआ है तो सीटें बढ़ी हैं और सीट नहीं बढ़ाने का जो उनका अन्दाज था कि 2000 तक नहीं बढ़ायेंगे तो डि-लिमिटेशन बढ़ाया नहीं। 2000 के अन्दर जाकर बिल पास हुआ है 1976 के बाद में। पच्चीस साल का अन्तराल बहुत ज्यादा होता है जबकि कांस्टीट्यूशन में यह प्रोवाइडेड है कि एवरी टैन ईयर्स डि-लिमिटेशन कमीशन बैठना चाहिए तो उसकी भी पालना होनी चाहिए। मैं इस प्रकार का निवेदन करता हूं। अगर आप संकल्प में यह कर लें कि दस साल के अन्दर डि-लिमिटेशन करें।

अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, सुमित्राजी मुझसे सुबह से ही पूछ रही हैं कि इससे फायदा क्या है अपने यहां चुनाव 2003 में ऐसे ही होगा, डि-लिमिटेशन हो जाएगा। यह इनकी ही शंका नहीं है, यह सभी माननीय सदस्यों की शंका है, मुझे भी शंका है। यह हम रेटिफाई भी कर देंगे लेकिन वाकई में डि-लिमिटेशन 2003 के पहले हो जाएगा क्या? हो सकता है। (व्यवधान) नहीं, वित्त मंत्रीजी, मैं आपको निवेदन करूं, आप इस बात को थोड़ा सा एप्रिसिएट करेंगे कि इसके अन्दर ज्योग्रोफिकल एरियाज को बहुत ज्यादा आल्टर नहीं करना पड़ेगा। जहां इफेक्टेड हैं जैसे टोंक जिला है, टोंक जिले के अन्दर पांचों विधान सभा क्षेत्र की पापूलेशन करीब-करीब एक लाख पचास हजार...

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : टाइम के हिसाब से कह रहा था कि अरली सम्भव शायद नहीं हो पाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि एक्सरसाइज इतनी लम्बी नहीं लेनी है जितनी एक्सरसाइज पहले वाले कमीशंस ने ली है। आपको ज्यादा टाइम अगर लगेगा तो जयपुर में लगेगा और फिर रोटेशन करना है। सीटें बढ़ानी नहीं हैं। आप यह समझ लीजिए कि जो पहले वाले कमीशंस ने काम किया है, एक्सरसाइज आधी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रह गयी है। इसका भी अगर आप कोशिश करें, यह संकल्प में लेने वाली बात नहीं है अनुरोध करें, हमारे विधि मंत्रीजी गुड आफिसेज यूज करें, वहां के विधि मंत्रीजी से बात करें लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, रोटेशन वाली बात, मेरी विनम्र प्रार्थना है विधि मंत्रीजी से कि संकल्प में एक लाइन और जोड़कर समाहित कर लें तो यह काफी लाभदायक होगा और जनहित में होगा।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, जो कास्ट राजनीतिक तौर से कमजोर थी या कमजोर की जानी थी वहां पर इस तरीके से हुआ है हमारे गुर्जर समुदाय के साथ टोंक रिजर्वेशन, बयाना रिजर्वेशन, सवाइमाधोपुर रिजर्वेशन, इस तरीके से बैकवर्ड जो हैं उनको और जानबूझकर किया गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जातिवाद से ऊंचे उठोगे या नहीं ?

श्री जगत सिंह दायमा : किससे? आप उठो तो मैं उठूं। मैं तो आपका चेला हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मानव जाति है हमारी परन्तु इस बात की तरफ तो ध्यान रखना चाहिए। अब मैं एक-एक बात कहूंगा तो यहां पर धज्जियां उखड़ जाएंगी, ठीक नहीं रहेगा वह बात कहना। मेरे बानसूर में क्या जरूरत थी बहरोड़ की बारह पंचायत लगाने की, विराटनगर को तीन जगह बांट दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रेटिफिकेशन का प्रस्ताव है इस पर बोलो न। अभी इसका कहां प्रश्न आ रहा है। इसको अपन डिनाई कर सकते हैं क्या ?

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि डि-लिमिटेशन होना चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : वह डि-लिमिटेशन में आ जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री मानिक चन्द सुराना : आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तरफ से ही रेटिफिकेशन है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हमारी तरफ से तो है ही। हमारी तरफ से सरकार ने ही मूव कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार क्या कर सकती है इसमें ?

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, इस संविधान 91 संशोधन विधेयक पर सदन के दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस बिल के द्वारा सन् 1976 में जो सीलिंग सीटों पर 2000 तक के लिए निर्धारित की गई थी कि लोक सभा की 1976 में जो भी सीमा थी वही रहेगी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

2000 तक और सभी विधान सभाओं की भी वह सीमा रहेगी और वह सीमा 2000 में खुलेगी। सन् 1976 में जो 42 वां संशोधन आया उसकी कुल मंशा यह थी कि 25 साल बाद सीटों की संख्या खुलेगी और उस पर विचार होगा और उस पर डि-लिमिटेशन होगा परन्तु अब 2000 में देश की परिस्थिति यह बनी कि हमें दुबारा संविधान संशोधन लाना पड़ रहा है, 2026 तक लोक सभा और विधान सभा की सीटें वही रहेंगी जो 1976 में तय हुई थी। इस बात का मूल कारण यह है कि आज कोई मापदण्ड लोक सभा तय करने में सक्षम नहीं है कि हमारा लोक सभा का प्रतिनिधि दस लाख की आबादी पर होगा, पन्द्रह लाख की आबादी पर होगा जो पापूलेशन पालिसी देश में चली उसमें जहां बहुत शिक्षित और समझदार स्टेट थे, नौ स्टेट जो दक्षिण के हैं उनकी पापूलेशन ग्रोथ रुक गयी। वहां पर पापूलेशन ग्रोथ जो 1971 में 5.4 थी वह वहां आज 2.1 हो गयी है वहां जनसंख्या कम हो रही है, जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ और चौदह स्टेट ऐसे हैं हिन्दुस्तान के, कि जहां पर 3.3 जनसंख्या का विकास है दक्षिण के नौ राज्य ऐसे हैं जहां 2.1 का विकास है। आज यदि जनसंख्या के आधार पर लोक सभा की सीटें तय की जाएं तो दक्षिण को करीब बारह सीटें खोनी पड़ती और वह बारह सीटें किसको मिलती है। जिन राज्यों ने जनसंख्या बढ़ायी और जिसमें राजस्थान का नाम है बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उडीसा है, मध्य प्रदेश है ये पांच बीमारू प्रदेश हैं जो कि जनसंख्या कन्ट्रोल नहीं कर पाये और इस कारण से इम्बैलेंस बन रहा है उस कारण से भारत सरकार को, भारत में जो भी लोक सभा है उसको यह निर्णय लेना पड़ा है, इस बिल के आब्जेक्टिव में लिखा है कि हम वह पापूलेशन नियंत्रण 2026 तक प्राप्त कर लेंगे। 2026 तक कोई पापूलेशन नियंत्रण प्राप्त नहीं होगा। और 2026 तक हम उस स्टेज पर आ जायेंगे कि जहां जनसंख्या की बढ़ोतरी रुक जायेगी और हम एक जीरो स्टेज पर आ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका बहुत हम विश्लेषण करें तो पिछले पचास साल में इस जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये हैं लेकिन जनसंख्या वृद्धि आज भी वैसे ही हो रही है और एक अरब के ऊपर हम चले गये हैं। इन सब प्रयत्नों का कोई असर हमारे समाज पर हुआ नहीं है। जनसंख्या की नीति निर्धारित की गयी उसका भी कोई कारगर परिणाम हमारे सामने नहीं आया। जब तक हम इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए खास और प्रभावी कदम नहीं उठायेंगे तब तक जनसंख्या वृद्धि 2026 में ठीक स्तर पर आ जायेगी, यह सोचना गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे समाज के वो वर्ग हैं जहां कुछ लोग इस परिवार नियंत्रण प्रोग्राम के प्रति बहुत ही पोजेटिव रेस्पोंस कर रहे हैं। जहां शिक्षा है वहां लोग बाग एक या दो सन्तान के ऊपर मान कर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चल रहे हैं चाहे फौज में कोई काम कर रहा हो, स्कूल में अध्यापक हो, पढ़ी-लिखी लड़कियां हों। उन वर्गों में इसको बहुत अपनाया गया है लेकिन वह वर्ग जो चाहे तो धार्मिक कारण से कहो, अन्य राजनीतिक मंशाओं से कहो, इस जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका मानना है, जैसे अभी लोक सभा में भी चर्चा में आया था कि हम जनसंख्या वृद्धि करेंगे तो करते-करते एक स्टेज पर हम पहुंच जायेंगे कि पूरे राजनीतिक वातावरण पर हम हावी हो जायेंगे। यह जो प्रवृत्ति हमारे देश में चल रही है, उस प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी और वह रोक तभी लग सकती है जब हम कोई प्रभावी कानून इस दिशा में बनाएं। जब तक प्रभावी कानून नहीं बनेगा कुछ नहीं होगा। हमने यहां पंचायत राज संस्थाओं में, लोकल बॉडीज की संस्थाओं में एक नियम बनाया था कि जिसके भी इस डेट के बाद में, पहले दो सन्तान है और वह बढ़ गयी तो उसको डिसक्वालिफाई किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कितनी जनसंख्या वृद्धि पर इससे रोक लगी? चुन कर आने वाले सदस्य सीमित हैं। एक ग्राम पंचायत में 20 हजार की आबादी है, एक ग्राम पंचायत में 15 हजार की आबादी है उसमें पन्द्रह, बीस यही तो संख्या आती है पंचों और सरपंचों की। उनसे क्या हम जनंसख्या वृद्धि को रोक पायेंगे? नहीं रोक पा सकते। इसलिए यह कानून बने हैं और जिनका ढिंढ़ोरा इंडिया में पीटा जा रहा है राजस्थान अग्रणी है, यह अग्रणी है वह अग्रणी है, इनका कोई प्रभाव आने वाला नहीं है। इसके लिए हमें ठोस नीति अपनानी पड़ेगी और चाहे धार्मिक प्रतिबंध आगे जाएं, सामाजिक प्रतिबंध आगे जाएं, एक रूप में जनसंख्या वृद्धि पर हम को रोक लगानी पड़ेगी। इसलिए यह जो माना गया है कि 2026 में हमारी जनसंख्या वृद्धि है वह नियंत्रण आ जायेगी, सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डी-लिमिटेशन कमीशन ने 1976 में अपना काम किया था, उसके बाद कोई डी-लिमिटेशन कमीशन नहीं बना है। आज जनसंख्या का जो बहाव है वह शहरों की तरफ बढ़ रहा है। गांव खाली हो रहे हैं और कई कारणों से एक कांस्टीट्यूएंसी में जो 1976 में जनसंख्या थी उससे तीन-चार गुनी हो गयी है। आज ऐसे भी हमारे विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें अनियंत्रित जनसंख्या आज के दिन है और और उसका नुकसान क्या होता है, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को अपनाया, जिन कांस्टीट्यूशन के लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया वो और जो लोग बाग दूसरे हैं उनमें फर्क आ गया और हमारे यहां तीन-चार लाख की कांस्टीटयूएंसी है लोक सभा की सीटों का देखें तो वहां कोई कांस्टीट्यूएंसी 30 लाख की है, कोई कांस्टीट्यूएंसी तीन साल की है। इसका भी समाधान होना चाहिए और जनसंख्या के हिसाब से इनका री-डी-लिमिटेशन होना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चाहिए। यह इस बिल में कोई प्रावधान आज के दिन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा। हमने 1952 से कांस्टीट्यूएंसी रिजर्व की है शिड्यूल्ड के लिए की, शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए की और आज उन कांस्टीट्यूएंसी के लोग जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका क्या हाल है। 1952 से लगा कर और आज तक उनका कोई प्रतिनिधि विधान सभा या लोक सभा में नहीं जा पाया है। उनको पीड़ा है। इसलिए प्रावधान यह होना चाहिए कि जैसे हमने पंचायत राज संस्थाओं में किया है, एक टर्म के लिए रिजर्व कर दिया दूसरे टर्म के लिए उसको दूसरी जगह किया जाय। ऐसी ही प्रावधान यहां भी होना चाहिए कि जो कांस्टीट्यूएंसी इतने लम्बे समय से रिजर्वेशन में आ रही है उसके बाद जब दूसरा हो तो दूसरी कांस्टीट्यूएंसी में उसको सेकण्ड नम्बर पर जनसंख्या के हिसाब से शिड्युल्ड कास्ट की या शिड्यूल्ड ट्राइब की आती है, उसको रिजर्व किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ समस्याएं हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो केन्द्र सरकार ने यह बिल पास करवाया, कानून बनाया है यह आधा अधूरा है और हमारी सदन की भावना जानी चाहिए कि इसका डी-लिमिटेशन होना चाहिए। जो केन्द्र सरकार के मंत्री महोदय हैं उन्होंने कहा है कि यह कानून बन जायेगा उसके बाद हम डी-लिमिटेशन की सोचेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जनरल इलैक्शन दो साल के बाद होने हैं, इस दो साल के अन्दर यह डी-लिमिटेशन कमीशन चाहे कभी भी आप कांस्टीट्यूट कर दो, अपना काम पूरा नहीं कर जायेगा इसलिए फिर भी वही अनोमोली रहेंगे इसलिए हमारी, सदन की यह भावना जानी चाहिए कि डी-लिमिटेशन की जल्दी कार्यवाही की जाये और रिजर्वेशन की कांस्टीट्यूएंसी है उनको दूसरे हिसाब से शिफ्ट किया जाये और जो लम्बे समय से रिजर्वेशन में होती आयी हैं उस कांस्टीट्यूएंसी को छोड़ कर दूसरी कांस्टीट्यूएंसी में आल्टरनेट तरीके से किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यासजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 91 अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने पास किया है इसमें ने तो कोई अमेंडमेंट देने वाली बात है, it is to be ratified by half the legislatures. रेटिफाई हमको करना है and it is a welcome legislation.

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम को असेम्बली सेक्रेटेरियेट से जो लोक सभा की डिबेट्स है वह प्रोवाइड की गयी है। इसको हमने पढ़ा है। वहां भी लोगों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। जो एक स्टेटमेंट ऑफ आब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स में सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने जो लिखा है उसको लोगों ने वहां पर नकारा है और सही नकारा है कि

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पापुलेशन का कोई सीधा सम्बन्ध इससे हो, यह सम्भव नहीं है। पापुलेशन जो इन्क्रीज होती है, उपाध्यक्ष महोदय, आप एक बात को गौर करेंगे, यह खाली फैमिली प्लानिंग से ही ताल्लुक नहीं रखता है, रूरल पापुलेशन गांव से शहरों के अन्दर माइग्रेट करती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अन्दर माइग्रेट करती है तो यह जो पैरा थर्ड के अन्दर लिखा है कि—

"The government has also decided to undertake readjustment and rationalisation of territorial constituencies in the State without altering the number..." नम्बर आल्टर नहीं करने वाली बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कितनी भी आबादी आ जाए, इंग्लैंड के अन्दर 70 हजार पर एक एम.पी. होता है अगर हम उस तरीके से चलेंगे तो 3000 एम.पी. हो जायेंगे और यहां 2000 एम.एल.ए. हो जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 200 आपके काबू में नहीं आते हैं, 2000 को आप कैसे काबू में करोगे? रामस्वरूपजी जैसे बीस-पच्चीस आ जायेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जायेगी।

खैर, मेरा जो अभिप्राय निवेदन करने का यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो फैडरल करेक्टर है कांस्टीट्यूशन का, अल्टीमेटली सूनर और लेटर हमको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अन्दर 542 से आप बढ़ा दीजिये, कभी 600 हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा 700 हो जाएं लेकिन इससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती और सेंट्रल सब्जैक्ट्स भी कम हों, वहां पर एकेडमिक डिबेट हो। डिबेट का स्टेंडर्ड भी ऊंचा हो बाकी स्टेट सब्जैक्ट लेजिस्लेचर में रहे जहां तक यह इम्बैलेंस दूर करने का सवाल है, आउटर देहली में 29 लाख वोटर हैं और चांदनी चौक में 3 लाख वोटर हैं। हवामहल में एक लाख तेइस हजार वोटर हैं और बनीपार्क में तीन लाख अठहत्तर हजार वोटर हैं। वह संभव नहीं है। हमारी जनसंख्या जो 1971 में 54 करोड़ थी...

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाह रहे हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको आप थोड़ा सुनें। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमारे स्टेट्स को, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह को इनको जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, एक एक मिनट में आप बीच में इंटरविन करेंगे तो फिर कुछ कहा नहीं जा पाएगा। मैं निवेदन करता हूं कि यह नियंत्रण आज भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी यहां थे, उनसे पूछिये तीन साल में...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य यह बात आपके बहुत देर से समझ में आयी तब तो सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला आपने मचाया

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कि इस पर आबादी पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। चाहे संजय गांधी को अपनी जान ही देनी पड़े, आबादी पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आज आपके समझ में आयी यह बात कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य क्या बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपकी पार्टी के विषय में बात कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : इन्दिरा गांधीजी ने नसंबदी को पूरा वो किया था जिसका विरोध हुआ और विरोध होने के बाद उस समय आपकी सरकार बैठी और आपने भी उस समय साथ दिया था और आज आप कर रहे हो नसबंदी की बात।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं...

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सुराना साहब ने कभी ऐसी बात नहीं कही। यह तो मजबूरी में बी.जे.पी. में है।.

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरी कोई मजबूरी नहीं है। चोरी छिपे कभी आपकी मजबूरी हो जाएगी। उन मजबूरियों की बात मत करिये। वह हाउस के बाहर बात करेंगे अभी अन्दर बात न करिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए इस संविधान संशोधन में विशेष प्रावधान है। उनकी जनसंख्या जो बढ़ेगी उस बढ़ी हुई जनसंख्या पर उनकी सीटें बढ़ेंगी, मैं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से इस बात का समर्थन करता हूं। आज शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब की सीटें सन् 1971 के मुकाबले जहां आठ करोड़ थी शिड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या सन् 1971 में वह आज 13.8 करोड़ हो गयी है। जो आठ करोड़ थी वह 13.8 करोड़ हो गयी है जो 14.50 पर थे अट्ठारह पाइंट पर आ गये हैं और इसी तरह शिड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या भी बढ़ी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि जब 200 सीटें राजस्थान की विधान सभा की रहेंगी और आप सिर्फ देश के पैमाने पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की सीटें जो जनसंख्या बढ़ी है उसके आधार पर उनकी सीटें बढ़ायेंगे और अन्य सारे समाजों की सीटें नहीं बढ़ेंगी तो मैं चाहता हूं कि इसमें भी बैलेंस लाया जाए, संतुलन लाया जाए। उनकी सीटें भी बढ़ें और राजस्थान में क्या फर्क पड़ता है 200 सीट की जगह 250 सीट भी विधान सभा की हो जाए तो हमारी आठ सीटों के बजाय दस सीटों पर एक लोक सभा का मैम्बर जीते, कहां परेशानी है दूसरों को इसमें। दूसरों को कहां परेशानी हो सकती है। आखिर आपको चार करोड़ पर दो करोड़ वोटर होंगे और दो करोड़ वोटर पर 200 सीटें दो लाख पर एक प्रतिनिधि यदि राजस्थान में आता है तो निश्चित रूप से वह सही और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जो इम्बैलेंस है, हवामहल की बात कही गयी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं लूणकरणसर से आता हूं। मेरे यहां तीन लाख पन्द्रह हजार वोट हैं, बीकानेर शहर में डेढ़ लाख वोट हैं। यदि मतदाताओं का या जनसंख्या का समानीकरण किया जाए और वह 200 सीटों में जो राजस्थान की सन् 1991 की जनसंख्या, 1993 की जनसंख्या है 4.14 लाख उसका समानीकरण किया जाए तो यह बहुत आवश्यक है और मैं इस निवेदन के साथ कि यह काम 2003 से पहले भारत सरकार प्रत्येक राज्य में पूरा करे और जिन राज्यों में...

श्री सुरेन्द्र व्यास : समानीकरण विदिन डिस्ट्रिक्ट होगा Assembly constituencies cannot go beyond the district.

श्री मानिक चन्द सुराना : समानीकरण विदिन स्टेट होना चाहिए, स्टेट के समानीकरण की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो कहां रहा है समानीकरण ?

श्री मानिक चन्द सुराना : अब कैसे होगा इसको देखें।

श्री उपाध्यक्ष : इस संकल्प में होगा क्या ?

श्री मानिक चन्द सुराना : उसको देखने का मुद्दा इस सदन का भी है। वह मुद्दा डी-लिमिटेशन का आगे आएगा और मैं इस बात का बिलकुल हामी हूं कि जो सीटें अभी अनुसूचित जाति की हैं वह तो बदले लेकिन सीट का रोटेशन पांच-पांच साल से नहीं हो सकता, सीटों का रोटेशन 15-20 साल से ही होना चाहिए। जो सीट आज अनुसूचित जाति की है वह तो बदलें पर दूसरी सीट बीस साल, दस साल, पन्द्रह साल जब तक दूसरा सीमांकन नहीं हो, वह रहें क्योंकि यदि रोज सीटें आप बदलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो मैम्बर आफ पार्लियामेंट जो है शिड्यूल्ड कास्ट के वह विचारेंगे तब होगा लेकिन उनकी नीयत नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : उनकी नीयत नहीं है तो कोई बात नहीं है वह जो चाहेंगे वही कानून बनेगा और उसी को आपको हमको देखना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब हो गया ना अब तो पारित करवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं इसी निवेदन के साथ कि यह सीटों का रोटेशन अनुसूचित जाति और शिड्यूल्ड ट्राइब्स...

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में पारित करवा दें।

श्री मानिक चन्द सुराना : सीटों का रोटेशन 15-20 साल में बने। संशोधन विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। हमारी पार्टी द्वारा लाया गया है और इसमें कांग्रेस का भी पूरा समर्थन है और इस मोशन को जो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय विधि मंत्रीजी ने पेश किया है उसको तुरन्त पास किया जाए और एक मत से पास किया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधि मंत्री द्वारा सदन में प्रयुक्त संकल्प के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय संकल्प के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

शासकीय संकल्प

संविधान (91 वां संशोधन) विधेयक, 2000 का अनुसमर्थन

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के मैम्बर्स को सन् 1974 और 1975-76 के उस समय पर ले जाना चाहता हूं जिन दिनों में मैं राजस्थान के अन्दर शिक्षा मंत्री था एक अभियान चला था और राजस्थान की गवर्नमैंट ने बड़ी भारी रिस्क ले करके उस अभियान को चलाया था यह सोच करके कि राजस्थान की आबादी, जो बेतहाशा बढ़ रही है उस पर कुछ अंकुश लगाया जाए और उसके लिए बड़े प्रयत्न किये गये। हर जिले के अन्दर कैम्प लगाये गये, गांव गांव में कैम्प लगे, मिनिस्टर्स को इन्चार्ज बनाया गया। हम लोग जगह जगह गये और यह प्रयत्न किया गया आपरेशन कराये जाएं, आबादी रोकी जाए और इस तरह से आबादी बढ़ती गयी तो राजस्थान की और आर्थिक दृष्टि से दुर्गति हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी, सब बातें कही और सब बातें हुई लेकिन जो मेरे विरोधी पक्ष में में विराजे हुए हैं उस वक्त में भी यह विरोधी पक्ष में ही थे और इन्होंने घोर हमारा इसके अन्दर विरोध किया। इतना विरोध किया और इतनी गलत और असत्य बातें कही...

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या बात कही यह बताओ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने यह बातें कही कि यह तो काट करके चीलों को फेंक रहे हैं। कोई ऐसी बातें कहते हैं। मैं ऐसी घटिया बातें क्या बताऊं आपको जो इन्होंने कही। खैर, छोड़िये इन बातों को आप जानते हैं अच्छी तरह से। उसी का नतीजा यह हुआ कि पापुलेशन बढ़ती गयी। तो ऐसा प्रचार किया गया था...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक्सपंज करवा दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं गलत कोई बयानी नहीं कर रहा हूं जो प्रचार किया गया वह तो होना चाहिए।

श्री रामस्वरूप : जो यहां सदन में पहले कह चुके उसको कहा है आपने तो। उनके शब्दों को आपने दोहराया है। आपने कुछ नहीं कहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके नेतागण, आपके ही लोग ऐसी बातें करते थे। मैं तो उस वक्त मंत्री था। मैं ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकता था। मैं तो इसी प्रयत्न में लगा हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा आपरेशन किये जाएं ताकि अपनी आबादी कंट्रोल में रहे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Reproduction of a defamatory statement is equally defamatory. आप, गन्दी बात कही भी है तो आप उसको रिपीट क्यों करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह शोभनीय बात नहीं है जो इन्होंने बात कही है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : तो जुगताराम के साथ क्या हुआ था, क्या वह शोभनीय था जो जुगताराम के साथ हुआ था (व्यवधान) जो जुगताराम के साथ हुआ था वह शोभनीय था क्या? वह भी चर्चा इसी सदन में हुई है। जुगताराम की चर्चा भी इसी सदन में हुई थी वह भी शोभनीय नहीं थी। आपने कह दिया कि क्या फर्क पड़ा, जुगताराम की चर्चा हो चुकी है पहले।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह विपक्ष के माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहते हैं तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रस्ताव को इस संकल्प को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : "कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 368 के खण्ड-2 के परन्तुक के खण्ड (क) और (घ) के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भारत के संविधान के संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।"

(स्वीकृत)

संविधान संशोधन का अनुसमर्थन किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.58 बजे मंगलवार दिनांक 20.11.2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-97 का विवरण)

बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूची

कृषि भूमि/निर्मित भवनों के नियमन का विवरण 17.11.2001 तक

क्र.सं.	नाम नगर निकाय	कृषि भूमि पर भू-खण्ड नियमन की संख्या	निर्मित भवनों का नियमन की संख्या
1.	भरतपुर	135	168
2.	बयाना	58	8
3.	डीग	0	8
4.	कामां	37	5
5.	नदबई	1	58
6.	बैर	शून्य	शून्य
7.	कुम्हेर	3	—
8.	भुसावर	4	24
9.	नगर	शून्य	46
10.	सवाईमाधोपुर	96	40
11.	गंगापुरसिटी	34	25

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए ज़ा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

तहसील वैर (भरतपुर) की प्रस्तावित पेयजल योजना

101. श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में पानी की कमी लगातार होती जा रही है? क्या इसके लिये चम्बल नदी से लिफ्ट योजना के ज़रिये पानी सप्लाई की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इसमें तहसील वैर को पानी सप्लाई की योजना भी शामिल है? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक पूरी हो जायेगी।

उत्तर

(1) जी हां। गत 3 वर्षों से भरतपुर जिलें में कम वर्षा होने के कारण भू-जल स्तर में लगातार गिरावट होने से पेयजल दोहन में कमी आई है। सरकार द्वारा इस जिले की पेयजल की कमी कों दूर करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। तात्कालिक उपायों के अन्तर्गत ग्रीष्म 2001 की गर्मियों में पेयजल समस्या के निदान के लिए भरतपुर जिले के ग्रामीणं क्षेत्र में 90 योजनाओं के प्रस्तावों की स्वीकृति अनुमानित लागत 190.00 लाख रुपये की जारी हुई जिसके तहत 10 नलकूप, 36 डी.सी.बी. (डग कम बोर) के निर्माण एवं 14 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने के कार्य पूर्ण किये जाकर पेयजल व्यवस्था सुचारू रखी गई।

इसी प्रकार जिले के शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रीष्म 2001 में संवर्द्धन प्रस्ताव राशि रुपये 70.25 लाख के स्वीकृत किये जाकर 12 नलकूप, 2 डी.सी.बी. 10 हैण्ड पम्प एवं पाइप लाइन बिछाने व जोड़ने के कार्य पूर्ण कराये जाकर समुचित पेयजल व्यवस्था बनाई रखी गई।

दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत भरतपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चम्बल नदी से एक वृहद् पेयजल परियोजना (फेज प्रथम-भाग प्रथम) राशि रुपये 166.50 करोड़ की स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत भरतपुर शहर तथा इस जिले के 143 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृत योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत सर्वेक्षण व अन्य परीक्षण सम्बन्धी कार्य तकनीकी पैकेज बनाने इत्यादि के कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं, ज़िन पर माह अक्टूबर, 2001 तक 15.47 लाख रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इस योजना में प्रस्तावित कार्यों के लिए पूर्व योग्यता हेतु निविदाएं भी प्राप्त कर ली गई है। स्वीकृत परियोजना के मुख्य अंश का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रश्न के बिन्दु सं. 1 के उत्तर के अनुसार स्वीकृत चम्बल परियोजना के फेज प्रथम-भाग प्रथम के अन्तर्गत तहसील वैर सम्मिलित नहीं है।

परियोजना के मुख्य अंश

परिशिष्ट "अ"

चम्बल नदी से धौलपुर एवं भरतपुर जिले की शहरी एवं ग्रामीण आबादी हेतु सन् 2016 की पेयजल मांग के अनुरूप प्रथम चरण की यह परियोजना बनाई गई है। योजना के प्रथम चरण के भाग प्रथम के मुख्य अंश इस प्रकार है :—

भरतपुर जिले के ग्रामों की संख्या	:	930
धौलपुर जिले के ग्रामों की संख्या	:	69
भरतपुर जिले के कस्बों की संख्या	:	5
भरतपुर जिले के सम्मिलित गांवों की अभिकल्पित जनसंख्या	:	15, 88, 044
धौलपुर जिले के सम्मिलित गांवों की अभिकल्पित जनसंख्या	:	1, 66, 824
भरतपुर जिले के सम्मिलित कस्बों की अभिकल्पित जनसंख्या	:	5,68,512
ग्रामीण पेयजल मांग	:	793.15 लाख लीटर प्रतिदिन
शहरी पेयजल मांग	:	572.27 लाख लीटर प्रतिदिन
कुल पेयजल मांग	:	1365.42 लाख लीटर प्रतिदिन
भरतपुर शहर को प्रस्तावित पेयजल वितरण स्तर	:	150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
भरतपुर जिले के कस्बों में प्रस्तावित पेयजल वितरण स्तर	:	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
ग्रामीण आबादी में प्रस्तावित पेयजल वितरण स्तर	:	40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

प्रथम चरण प्रथम भाग में प्रस्तावित लाभान्वित ग्रामों की तहसीलवार संख्या

धौलपुर तहसील	:	47
सैपऊ तहसील	:	22
रूपवास तहसील	:	28
भरतपुर तहसील	:	75
कुम्हेर तहसील	:	40
कुल	:	212

प्रथम चरण—प्रथम भाग में प्रस्तावित लाभान्वित शहरों की संख्या-1 भरतपुर शहर

चम्बल नदी में पानी का न्यूनतम बहाव (माह-जून)-27.00 मी/सैकण्ड

चम्बल नदी में न्यूनतम जल स्तर-116 मीटर (सर्वेक्षणानुसार)

चम्बल नदी में पानी का अधिकतम बहाव लगभग-54499 मी/सैकण्ड

चम्बल नदी में अधिकतम जल स्तर-142 मीटर (सर्वेक्षणानुसार)

चम्बल नदी से भरतपुर तक पाइप लाइन की प्रस्तावित लम्बाई 86 कि.मी. (सर्वेक्षणानुसार)

जल शोधन संयंत्र का स्थान-मलाह हैड वर्क्स, भरतपुर

प्रस्तावित पाइप लाइन का व्यास तथा लम्बाई

क्र.सं.	विवरण	लम्बाई	व्यास
1.	चम्बल नदी से साग पाडा हैड वर्क्स धौलपुर तक	3.0 कि.मी.	1200 एमएम
2.	सागरपाडा हैड वर्क्स, धौलपुर से सैपऊ तक	22.0 कि.मी.	1300 एमएम
3.	सैपऊ से रूपवास तक	28.0 कि.मी.	1300 एमएम
4.	रूपवास से मलाह हैड वर्क्स भरतपुर तक	33.0 कि.मी	1300 एमएम

भरतपुर में प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र की क्षमता-1170 लाख लीटर प्रतिदिन

पम्पों का विवरण

चम्बल नदी पर इनटेक पम्पों का विवरण

प्रकार	—	विद्युत चालित पम्पिंग सैट
क्षमता	—	7590 एच.पी.
विद्युत वोल्टेज	—	33/6.6 किलो वोल्ट

सागरपाडा हैड वर्क्स धौलपुर पर पम्पों का विवरण

प्रकार	—	सैन्ट्रीफ्यूगल पम्प
क्षमता	—	6078 एच.पी.

अनुमानित व्यय :

प्रथम चरण—प्रथम भाग की स्वीकृति योजना के मुख्य कार्यों पर व्यय का अनुमान इस प्रकार है :—

ट्रांसमिशन सिस्टम	—	126.73 करोड़

212 ग्रामों की ट्रांसफर एवं वितरण सिस्टम	—	27.36 करोड़
भरतपुर शहर की ट्रांसफर एवं वितरण सिस्टम	—	12.41 करोड़
कुल लागत	—	166.50 करोड़

वित्तीय संसाधन

इस परियोजना हेतु प्रस्तावित वित्तीय संसाधन निम्न प्रकार है :—

ग्रामीण (एम.एन.पी.)	25.24 करोड़ रुपये
ग्रामीण (ए.आर.पी.)	75.73 करोड़ रुपये
शहरी (एम.एन.पी.)	21.84 करोड़ रुपये
शहरी (एल.आई.सी./हुडको ऋण)	43.69 करोड़ रुपये
योग	166.50 करोड़ रुपये

चम्बल नदी से भरतपुर तक पाइप लाइन की प्रस्तावित लम्बाई 86 कि.मी. (सर्वेक्षणानुसार)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अकाल राहत के तहत स्वीकृत कार्य

102. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभाग द्वारा सम्वत् 2055 से 2057 में अकाल राहत एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कौन-कौन से कार्य सम्पादित कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में क्षेत्र में किस-किस योजना में कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत किये गये एवं कितने कार्य प्रारम्भ कर उन पर कितनी राशि व्यय कर दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सम्वत् 2055 से 2057 की अवधि में स्वीकृत तथा सम्पादित कराये गये अकाल राहत कार्य तथा अन्य योजनाओं में वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2000-01 की अवधि में स्वीकृत राशि एवं सम्पादित कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष 2001-02 में विधान सभा क्षेत्र सिवाना के लिये कोई नवीन स्वीकृति जारी नहीं हुई है। गत दो वर्षों में कोम्बटिंग डेजरटिफिकेशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृति उपरांत सिवाना विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भ किये गये कार्यों पर चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, 2001 तक हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट "ख" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अकाल राहत तथा अन्य योजनाओं में स्वीकृत राशि एवं सम्पादित कार्यों की सूची

क्र.सं.	नाम योजना	अवधि	स्वीकृत राशि (लाखों में)	सम्पादित कराये गये कार्य
(अ)	अकाल राहत	सम्वत् 2055 से 2057	5.43	कुण्डल वन क्षेत्र में लूज स्टोन वाल फैंसिंग तथा भू एवं जल संरक्षण कार्य
(ब)	आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत जल ग्रहण विकास योजना कार्य	98-99 से 99-2000 तक	49.46	वाटर शैड मैली 10/7, वाटर शैड थान 17/02, वाटर शैड मैली 10/24 वाटर शैड मैली 10/23
(स)	डी.डी.पी. योजनान्तर्गत जलग्रहण विकास योजना कार्य	98-99 से 99-2000 तक	12.09	कलस्टर सिंणधरी बैड, कलस्टर मंडावला
(द)	डी.डी.पी. योजनान्तर्गत कोम्बटिंग डेजरटिफिकेशन	99-2000 से 2000-01 तक	155.24	कूसीप 20 हैक्टेयर वनीकरण, कुण्डल 15 हैक्टेयर वनीकरण, राखी 15 हैक्टेयर वनीकरण, हिंगलाज 20 हैक्टेयर वनीकरण, समदडी 20 हैक्टेयर वनीकरण लालाना 25 हैक्टेयर वनीकरण, सिणधरी बैड 30 हैक्टेयर वनीकरण भूंका 25 हैक्टेयर वनीकरण, मंडावला 25 हैक्टेयर वनीकरण, कुण्डल 50 है. एस.डी.एस., थापन 50 हैक्टेयर एस.डी.एस. हिंगलाज 50 हैक्टेयर एस.डी.एस., समदडी 10 हैक्टेयर (एस.बी.पी.) गांगली 20 हैक्टेयर (एस.वी.पी., पौध वितरण, हिंगलाज-I-25 हैक्टेयर वनीकरण, थापन 25 हैक्टेयर वनीकरण, हिंगलाज-II-30 हैक्टेयर वनीकरण, पादरडी 20 हैक्टेयर वनीकरण, फूलन 15 हैक्टेयर वनीकरण, कुण्डल 20 हैक्टेयर वनीकरण अवाडी मानजी 20 हैक्टेयर वनीकरण, भूका 30 हैक्टेयर वनीकरण, मंडावला 25 हैक्टेयर वनीकरण, सिणधरी बैड 35 हैक्टेयर वनीकरण, कुण्डल 50 हैक्टेयर एस.डी.एस., समदड़ी 30 हैक्टेयर एस.वी.पी.-II, गांगली 20 हैक्टेयर एस.वी.पी.-II

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्ष 2001-2002 के दौरान सम्पादित किये जा रहे कार्यों एवं उस पर हुए व्यय की सूची

नाम योजना : मरु नियंत्रण योजना (डी.डी.पी.)

क्र.सं.	नाम कार्य	वर्ष 2001-2002 में 1.4.2001 से 31.10.2001 तक व्यय की गई राशि (लाखों में)
(अ)	**वर्ष 2000 के वृक्षारोपण कार्य स्थलों पर संधारण पर हुआ व्यय**	
1.	कुसीप 20 हैक्टेयर वनीकरण	0.61
2.	कुण्डल 15 हैक्टेयर वनीकरण	0.31
3.	राखी 15 हैक्टेयर वनीकरण	0.43
4.	हिंगलाज 20 हैक्टेयर वनीकरण	0.71
5.	समदड़ी 20 हैक्टेयर वनीकरण	0.42
6.	लालाबा 25 हैक्टेयर वनीकरण	0.65
7.	कुण्डल 50 हैक्टेयर टिब्बा स्थरीकरण	0.93
8.	थापन 50 हैक्टेयर टिब्बा स्थरीकरण	0.86
9.	हिंगलाज 50 हैक्टेयर टिब्बा स्थरीकरण	1.18
10.	समदड़ी 10 हैक्टेयर एस.बी.पी.	0.36
11.	सिणघटी बैड 30 हैक्टेयर वनीकरण	0.84
12.	भूंका 25 हैक्टेयर वनीकरण	0.76
13.	मुंडावला 25 हैक्टेयर वनीकरण	0.73
14.	मांगली 20 हैक्टेयर एस.बी.पी.	0.70
		9.49
(ब)	**वर्ष 2001 में कराये गये वृक्षारोपण कार्य स्थलों पर व्यय**	
1.	हिंगलाज-I 25 हैक्टेयर वनीकरण	1.75
2.	हिंगलाज-II 30 हैक्टेयर वनीकरण	1.80
3.	थापन 25 हैक्टेयर वनीकरण	1.81
4.	पादरडी 20 हैक्टेयर बनीकरण	1.40
5.	फुलव 15 हैक्टेयर वनीकरण	1.26
6.	कुण्डल 20 हैक्टेयर वनीकरण	1.54
7.	कुण्डल 50 हैक्टेयर एस.डी.एस.	3.06
8.	समदड़ी 30 हैक्टेयर एस.बी.पी.	2.00
9.	सिणधरी बैड 35 हैक्टेयर वनीकरण	1.59
10.	भूंका 30 हैक्टेयर वनीकरण	1.03
11.	मुंडावला 25 हैक्टेयर वनीकरण	0.72
12.	अवांडी भावजी 20 हैक्टेयर वनीकरण	1.50
13.	मांगली 20 हैक्टेयर एस.बी.पी.	0.90
		20.36

सादुल शहर (श्रीगंगानगर) में अतिरिक्त जिला न्यायालय की स्थापना

103. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक राज्य में कितने सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय खोले गये ?

(2) क्या उक्त अवधि में खोले गये सभी न्यायालयों में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पदस्थापन किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो अब तक कितने पद रिक्त हैं ?

(3) वर्ष 2001 व 2002 में सरकार सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय किन-किन स्थानों पर आरम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर में अतिरिक्त जिला न्यायालय आरम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान खोले गये सिविल न्यायाधीश (क, ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों का विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	खोले गये सिविल न्यायाधीश (क, ख) न्यायालयों की संख्या
1.	1998-1999	12
2.	1999-2000	शून्य
3.	2000-2001	7

(2) उक्त अवधि में खोले गये 19 सिविल न्यायाधीश (क, ख) न्यायालयों में से 9 न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी पदस्थापित हैं तथा 10 न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त हैं, क्योंकि राजस्थान न्यायिक सेवा के 116 पद रिक्त हैं तथा चयन प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग में लम्बित है।

(3) आलोच्य वर्ष में विभिन्न बार संघों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों पर राज्य सरकार को प्राप्त कुल 32 प्रस्तावों का उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक बिंदुओं पर रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। सिविल न्यायाधीश (क, ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के सृजन के विचाराधीन मामलों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। न्यायालयों के सृजन हेतु निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लम्बित मुकदमों की संख्या, भवन उपलब्धता आदि पर परीक्षण किया जाकर उच्च न्यायालय द्वारा परामर्श दिया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2001-2002 की समाप्ति से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(4) राज्य सरकार द्वारा सादूल शहर जिला श्रीगंगानगर में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय सृजन के प्रस्ताव पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मुकदमों का अनुपात, भवन की उपलब्धता आदि पर परीक्षण किया जाकर उच्च न्यायालय द्वारा परामर्श दिया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उच्च न्यायालय उक्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का विचार रखता है।

परिशिष्ट "क"

माननीय उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष सिविल न्यायाधीश (क. ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के सृजन के विचाराधीन प्रस्ताव की सूची

क्र.सं.	नाम न्याय क्षेत्र	स्थान का नाम जहां न्यायालय सृजित होना है
1.	अजमेर	भिनाय, केकड़ी, रूपनगढ़, पीसांगन
2.	अलवर	तिजारा
3.	भीलवाड़ा	रायपुर, बनेड़ा
4.	बालोतरा	चौहटन
5.	भरतपुर	कुम्हेर
6.	धौलपुर	बसेड़ी, सेपऊ
7.	डूंगरपुर	बिच्छीवाड़ा
8.	झुंझुनूं	बुहाना, मंडावा, सूरजगढ़
9.	झालावाड़	झालरापाटन, मनोहरथाना
10.	जयपुर जिला	चाकसू, पावटा, रैनवाल, फागी, जमवारामगढ़
11.	जोधपुर	लोहावट, भोपालगढ़.
12.	करौली	सपोटरा
13.	कोटा	चेचट
14.	मेड़ता	खींवसर
15.	पाली	सादड़ी
16.	प्रतापगढ़	भदेसर
17.	सीकर	नीमकाथाना, रामगढ़ शेखावाटी, खण्डेला

सुजस संचय पत्रिका का प्रकाशन

104. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने सुजस संचय नाम का प्रकाशन प्रकाशित किया या कराया है? यदि हां, तो कब-कब किस उद्देश्य से तथा इसकी कितनी-कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई? प्रकाशित कराये गये प्रकाशन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकाशन की पृष्ठ संख्या कितनी हैं तथा उक्त के प्रकाशन पर कितना व्यय हुआ?

(3) उक्त के प्रकाशन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई? राजकीय प्रेस में छपवाया गया या निजी प्रकाशक से छपाई कराई गई?

(4) क्या उक्त प्रकाशन को निजी प्रकाशक को छाप कर बेचने की भी सरकार

(श्री हरजीराम बुरड़क)

द्वारा इजाजत दी गई ? यदि हां, तो किस-किस शर्त पर तथा प्रकाशक ने उक्त की कितनी प्रतियां बाजार में किस मूल्य पर बेची ?

(5) क्या सरकार ने जिस प्रकाशक को उक्त प्रकाशन को प्रकाशित कर बेचने के लिये कोपीराइट दिया उससे कोई रायल्टी वसूल की गई ? यदि हां, तो कितनी किस हिसाब से और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1998 एवं 2000 में प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से "सुजस संचय" की निजी प्रकाशक की सूचनानुसार 1100-1100 प्रतियां प्रकाशित कराई गई। दोनों प्रकाशनों की प्रति संलग्न है।

(2) "सुजय संचय" वर्ष 1998 के प्रकाशन की पृष्ठ संख्या 1276 एवं वर्ष 2000 के प्रकाशन की पृष्ठ संख्या 1280 है। विभाग द्वारा इसके प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं किया गया।

(3) उक्त प्रकाशन निजी प्रकाशकों से निविदाएं ली जाकर सामान्य वित्त पक्ष लेखा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निजी प्रकाशक से छपवाई गई।

(4) जी हां। निविदा शर्तों के आधार पर प्रकाशक को अधिकतम मूल्य रुपये 300/- प्रति कापी के हिसाब से बेचने के लिए अधिकृत किया गया। विभाग को रुपये 267/- प्रति कापी के हिसाब से सप्लाई करने की शर्त रखी गई थी। निजी प्रकाशक की सूचना के अनुसार वर्ष 1998 में बाजार में 500 प्रतियां 300 रुपये प्रति कापी मूल्य पर बेची गई है। वर्ष 2000 में 338 प्रतियां 300 रुपये प्रति कार्य मूल्य पर बेची गई।

(5) जी नहीं। प्रकाशन का कार्य विभाग की पूर्व से सार्वजनिक सुजस पत्रिका की सामग्री को पुस्ताकार रूप में प्रकाशन करने के लिये सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकृत किया गया था। ऐसे मामलों में कापी राइट अथवा रायल्टी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि विभाग द्वारा प्रकाशन निःशुल्क प्रचार प्रसार के लिए था जिस पर रायल्टी लेने का कोई प्रावधान नहीं था।

(सुजस की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखवाई गई)

बाजरे की खरीद में विलम्ब

105. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बाजरे को समर्थन मूल्य पर खरीदने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि बाजरे की खरीद दो माह पूर्व चालू की जानी चाहिये थी ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) भारतीय खाद्य निगम व उसकी सहयोगी एजेन्सी राजफैड व राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम दिनांक 1.11.2001 से समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद कर रही है।

(खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति मंत्री)

(2) जी नहीं। खरीफ के अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीद 1, अक्टूबर से प्रारम्भ होती है। बाजरे की खरीद में विलम्ब का कारण भारत सरकार द्वारा निर्णय देरी से लेना है।

विधान सभा क्षेत्र खारची में अपूर्ण कार्य

106. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष सितम्बर, 2001 तक विधान सभा क्षेत्र खारची में विभिन्न विभागों के माध्यम से कितने-कितने कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भारी मात्रा में स्वीकृतियां जारी की गई एवं लक्ष्य के विरुद्ध न तो व्यय हुआ एवं न ही श्रमिक नियोजित किये गये? लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति में अन्तर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य अपूर्ण रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में इस वर्ष सितम्बर, 2001 तक विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वीकृत कार्यो का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत कार्यो पर स्वीकृत श्रमिक नियोजित किये गये। लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति का अन्तर अभिकरणवार संलग्न है।

(3) स्वीकृत कार्यों में से अपूर्ण रहे कार्यो का विवरण संलग्न है।

(4) जी हां। स्वीकृत कार्यों में से अपूर्ण रहे कार्यो को विभिन्न चल रही योजनाओं के तहत पूरा कराये जाने के निर्देश जिला कलक्टर्स को अकाल राहत कार्यों की समाप्ति के उपरान्त भेजे जा चुके हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा शहर में तलवंडी स्थित भूखण्ड का निरस्ती प्रकरण

107. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा शहर में तलवंडी में स्थित भूखण्ड संख्या 280-बी का आबंटन नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा क्यों निरस्त कर दिया गया था? उक्त सम्बन्ध में उक्त भूखण्ड आबंटी को दिनांक 24 जनवरी, 1975 के माध्यम से क्या और क्यों सूचित किया गया था?

(2) क्या आबंटी नगर विकास न्यास के विरुद्ध किसी न्यायालय में भी गये थे? यदि हां, तो माननीय न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(74) नविवि/3/2000 दिनांक 27-11-2000 द्वारा भूखण्ड सं. 280-बी तलवंडी कोटा को वर्तमान आरक्षित दर पर आबंटित करने की

(श्री मदन दिलावर)

स्वीकृति क्यों दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) आरक्षित दर पर भूखण्ड आबंटन करने की स्वीकृति के बाद कोटा नगर विकास न्यास द्वारा राज्य सरकार को क्या निवेदन किया गया ? राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प. 3(74)नविवि/3/2000 जयपुर, दिनांक 13-12-2000 को उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में क्या आदेश दिये गये तथा इनके पीछे क्या कारण था ?

(5) क्या उक्त आदेश नियमानुसार विधि सम्मत थे ? यदि हां, तो कैसे यदि नहीं, तो इस प्रकार के आदेश जारी करने में कौन दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) कोटा शहर में तलवंडी में स्थित भूखण्ड संख्या 280 बी का आबंटन लाटरी द्वारा श्री बी.के. बगडा के नाम हुआ था, लेकिन श्री बगडा के संयुक्त परिवार के नाम जयपुर में लगभग 4000 वर्गफुट का आवास गृह होने के कारण इसे न्यास द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसकी सूचना श्री बगडा को पत्र दिनांक 16.5.1974 को दी गई। श्री बगडा ने आबंटन निरस्ती के आदेश पर न्यास को निवेदन किया था, जिस पर पत्र दिनांक 24.01.1975 द्वारा उन्हें सूचित किया गया की उक्त भूखण्ड उन्हें आबंटित किया जाना संभव नहीं है।

(2) यह सही है कि आबंटी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं. 1 कोटा (उत्तर) में वाद दायर किया व इसके निर्णय के विरुद्ध जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा में अपील प्रस्तुत की गई। इसके निर्णय की पालना में पारित न्यास के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्र.सं. 1 (दक्षिण) में वाद दायर किया इसके निर्णय के विरुद्ध अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं. 1 कोटा में अपील की गई। अपील न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नगर विकास न्यास के आबंटन आदेश दिनांक 29.12.2000 को मध्यनजर रखे बिना पूर्व निर्णय से प्रभावित हुये वाद को पुनः निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा वापस लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वाद दि. 5.3.2001 को खारिज किया गया।

(3) नगर विकास न्यास, कोटा ने प्रार्थी का आवेदन महज इस आधार पर निरस्त किया था कि उसके संयुक्त परिवार के नाम जयपुर में 4000 वर्गफुट का आवास गृह विद्यमान है, वस्तुतः निरस्तीकरण का उक्त कारण उचित नहीं था। इस प्रकार गलत तरीके से आबंटन निरस्त किये जाने का कारण न्यायहित एवं न्यासहित में आवेदक को उक्त भूखण्ड वर्तमान आरक्षित दर पर आबंटित किया गया है।

(4) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 3(74)नविवि/3/2000 दि. 20.10.2000 पास को भूखण्ड संख्या 280-बी, तलवंडी श्री बी.के. बगडा को विक्रय दर पर ब्याज व

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

शास्ति वसूल कर नियमन कर स्वीकृति दी गई। इस पर न्यास ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा कि आबंटी से किस तिथि व किस दर से ब्याज व शास्ति वसूल की जावे। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प. 3(74)नविवि/3/2000 दि. 13.12.2000 के द्वारा वर्तमान आरक्षित दर पर भूखण्ड आबंटन की स्वीकृति प्रदान की इसके पीछे कारण न्यासहित व न्यायहित था।

(5) जी हां। उक्त आदेश विधि सम्मत है। चूंकि उक्त आदेश नियमानुसार किया गया है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान राज्य खनिज विकास कारपोरेशन व राज्य माइन्स एवं मिनरल्स का विलीनीकरण

108. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास कारपोरेशन तथा राज्य माइन्स एवं मिनरल्स के विलीनीकरण का निर्णय सरकार ने लिया था तथा समयबद्ध कार्यक्रम भी बनाया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों राजकीय उपक्रम सोनूलाइम स्टोन का खनन करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि दोनों उपक्रमों के विलीनीकरण में अधिकारी/कर्मचारी बाधक बने हुए हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त दोनों उपक्रमों के विलीनीकरण की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

शराबी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही

109. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में मोटर वाहन दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मृतकों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मोटर वाहन चालकों द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति बढ़ने से तथा गम्भीर दुर्घटना के बाद भी वाहन चालकों को गिरफ्तारी का कोई भय न होने से ऐसी दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि हो रही है ?

(3) क्या ऐसी गम्भीर दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए सरकार यह उचित समझती है कि शराब पीकर मोटर वाहन चलाने पर होने

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

वाली दुर्घटनाओं में मानव मृत्यु हो जाने पर चालक का अपराध अजमानतीय होना चाहिए?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त हेतु मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में धारा 304 ए में कोई परन्तुक जोड़ कर अपराध को अजमानतीय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत तीन वर्षों में मोटर वाहन दुर्घटनाओं में वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 1999 में सिर्फ 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि वर्ष 1999 की तुलना में वर्ष 2000 में 5.67 प्रतिशत दुर्घटनाओं में कमी आई है। सितम्बर, 2000 तक की तुलना में सितम्बर, 2001 तक की अवधि में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दुर्घटनाओं से सम्बन्धित तुलनात्मक विवरण निम्नप्रकार है :—

वर्ष	कुल सड़क दुर्घटनाएं	प्रतिशत		मृतकों की संख्या	प्रतिशत	
		कमी	वृद्धि		कमी	वृद्धि
1998	28798			5622		
1999	21132		1.8(+)	6810		6.90(+)
2000	19932	5.67(-)		5388	10.34(-)	
2001 (सितम्बर तक)	15284			3956		

(2) यह सही है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना होने की सम्भावना अधिक होती है, लेकिन यह सही नहीं है कि केवल इसी प्रवृत्ति के कारण दुर्घटना होती है। दुर्घटना के इसके अतिरिक्त जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि, ओवर लोडिंग की वजह, आपसी प्रतिस्पर्धा, वाहन चालकों का अप्रशिक्षित होना, लाइसेंस देने की प्रकिया में योग्यता का मापदण्ड कठोर नहीं होना कतिपय कारण भी है। चूंकि दुर्घटना के अपराध जमानतीय होते हैं अतः गिरफ्तारी के उपरान्त जमानत लेने का प्रावधान है। उपरोक्त समस्त कारणों से वाहन दुर्घटनाओं में आंशिक वृद्धि वर्ष 1999, 2001 में दर्ज हुई है।

(3) वाहन दुर्घटना में मानव मृत्यु "अटैम्प्ट टू मर्डर" की परिभाषा में नहीं आती अतः अजमानतीय है।

(4) बिन्दु संख्या "3" में निहित है।.

राजकॉम्प द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब

110. श्री उदय सिंह राठौड़ (वनीपार्क) : क्या सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री उदय सिंह राठौड़)

(1) . राजकॉम्प द्वारा किन-किन परियोजनाओं को कब-कब प्रारम्भ किया गया था व उक्त परियोजनाएं कब-कब पूरी की गई ?

(2) क्या उक्त परियोजनाओं को पूरा करने में निर्धारित समय से अधिक समय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकॉम्प द्वारा समय-समय पर प्रारम्भ व पूर्ण, की गयी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी संलग्न सूची "अ" के अनुसार है।

(2) राजकॉम्प द्वारा समस्त परियोजनाओं को समय सीमा में ही पूर्ण किया गया है। केवल एक ही परियोजना में सम्बन्धित विभाग द्वारा समय पर दिशा निर्देश न दिये जाने के कारण विलम्ब हुआ था जिसका विस्तृत विवरण संलग्न सूची "ब" के अनुसार है। अब इन परियोजना को समयबद्ध करने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) राजकॉम्प द्वारा अधिकतर सभी परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किया गया है। कुछ परियोजनाएं जिनमें विलम्ब हुआ है उसका मुख्य कारण सम्बन्धित विभाग से समय पर स्पष्ट दिशा बिंदु प्राप्त नहीं होना रहा है। अब नयी आने वाली एवं पूर्व की सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस कारण किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र भादरा में क्षतिग्रस्त डिग्गियों की मरम्मत

111. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—.

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में विभाग की अनेक डिग्गियां क्षतिग्रस्त एवं बेकार पड़ी हैं ? क्या उक्त में पानी नहीं ठहरने की वजह से उपयोग में नहीं आ रही हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डिग्गियों का निर्माण कब करवाया गया था तथा कितने समय से उक्त उपयोग नहीं किया जा रहा है ? उक्त के खराब होने के क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त डिग्गियों की शीघ्र मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में कुल 66 विभागीय डिग्गियां निर्मित हैं, जिन पर विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजनाएं आधारित हैं। इन 66 डिग्गियों में से 6 डिग्गियों की लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान में अनुपयोगी है। क्षतिग्रस्त डिग्गियों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उक्त 6 डिग्गियों का निर्माण वर्ष 1982 से 1991 की अवधि में करवाया गया है एवं इनका पेयजल हेतु उपयोग गत 2-3 वर्षों से नहीं हो रहा है। इन डिग्गियों का क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण लगातार उपयोग में आने से इनकी लाइनिंग का क्षतिग्रस्त होना रहा है।

(3) जी हीं। एक डिग्गी की मरम्मत की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हनुमानगढ़ के द्वारा की जा चुकी है। शेष पांच डिग्गियों की मरम्मत के प्रस्ताव स्वीकृत पूर्व जांच की प्रक्रिया में हैं। स्वीकृति उपरान्त एवं बजट उपलब्धता के अनुसार इनकी मरम्मत करवाई जानी सम्भव होगी।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	जल योजना का नाम	जल योजना से जुड़े गांव का नाम	कुल लाभांवित जन संख्या 1991	वर्तमान जन संख्या	प्रतिदिन वर्तमान मांग (केएल डी)	निर्मित डिग्गियों की संख्या	डिग्गियों की वर्तमान स्थिति	क्षमता (केएल डी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नीठराना	1. 6 एन.टी.आर. 2. 7 एन.टी.आर. 3. 5 एन.टी.आर 4. 4 एन.टी.आर. 5. 3 एन.टी.आर. 6. 5 बी.आर.डब्ल्यू.	7257	9440	660	3	2 डिग्गियां सही 1 डिग्गी क्षतिग्रस्त	18500 6500
2.	भरवाना	1. 8 डी.पी.एन. 2. 1 जी.जी.एम.	2460	3200	224	2	1 डिग्गी सही 1 डिग्गी क्षतिग्रस्त	5000 5000
3.	खचवाना	1. 7 डी.पी.एन. 2. 1 एल.टी.आर. 3. 6 डी.पी.एन.	2352	3060	215	2	1 डिग्गी सही 1 डिग्गी क्षतिग्रस्त	6000 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	जोगीवाला	1. 11 जे.पी.डब्ल्यू 2. 14 जे.पी. डब्ल्यू.	3799	4900	343	2	1 डिग्गी सही 1 डिग्गी क्षतिग्रस्त	4000 14000
5.	गांधी बड़ी	1. 6 एस.डी.आर 2. 7 एस.डी.आर. 3. 8 एस.डी.आर. 4. 9 एस.डी.आर. 5. 10 एस.डी.आर. 6. 2 एस.डी.आर. 7. 3 एस.डी.आर. 8. 4 एस.डी.आर.	9079	11800	826	3	2 डिग्गी सही 1 डिग्गी क्षतिग्रस्त	7900 3400
6.	मलखेड़ा	1. 1 एस.डी.आर. 2. 15 ए.एम.एस. 3. 14 ए.एम.एस 4. 16 ए.एम.एस. 5. 10 जे.पी.डब्ल्यू 6. 9 जे.पी.डब्ल्यू	6710	8700	609	3	2 डिग्गी सही 1 डिग्गी क्षतिग्रस्त	8000 3000

भारत सरकार की सहायता से संचालित योजनाओं के मानदण्ड

112. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत सरकार की सहायता से राज्य में आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. योजनाएं, बनास, चम्बल, माही कडाना, एवं दांतीवाड़ा वन विभाग के माध्यम से संचालित हैं ?

(2) क्या उक्त योजनाओं के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन जारी है जिनके अन्तर्गत कार्य सम्पादन किया जाना अनिवार्य है ?

(3) भारत सरकार की गाइड लाइन के अतिरिक्त गत दो वर्षों से विभाग द्वारा ऐसे कितने आदेश जारी किये जा रहे हैं जो योजना की गाइड लाइन से मेल नहीं खाते एवं जिससे योजनाओं के संचालन एवं डब्ल्यू.पी.आर. को भारत सरकार से स्वीकृत करवाने में जटिलताएं बढ़ गई हैं ?

(4) उक्त प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) गाइड लाइन के अतिरिक्त पिछले दो वर्षों से विभाग द्वारा कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है जो योजना की गाइड लाइन से मेल न खाता हो अथवा जिससे योजनाओं के संचालन एवं डब्ल्यू.पी.आर. को भारत सरकार से स्वीकृत करवाने में जटिलताएं बढ़ी हों।

(4) जटिलताएं नहीं बढ़ी हैं इसलिये सरलीकरण की आवश्यकता नहीं है।

अरबन का-आपरेटिव बैंक श्रीगंगानगर द्वारा वितरित ऋणों की वसूली

113. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष अरबन का-आपरेटिव बैंक श्री गंगानगर द्वारा किस-किस योजना के अन्तर्गत किस-किस व्यक्ति को ऋण दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया वे मानदण्ड के अनुसार सही थे? यदि हां, तो क्या दिए गए ऋण का सही उपयोग किया गया है। यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) अब तक दिए गए ऋण की किस-किस व्यक्ति से कितनी-कितनी वसूली की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत वर्ष श्रीगंगानगर अरबन काआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा किसी भी योजना में ऋण वितरण नहीं किया गया है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 12.8.1998 से बैंक के बैंकिंग कारोबार पर रोक लगा दी गई थी।

(2) गत वर्ष बैंक द्वारा कोई ऋण वितरण नहीं किया गया है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 12.8.1998 को बैंक के बैंकिंग कारोबार पर रोक लगाने से दिनांक 12.8.1998 को शेष ऋणी 584 सदस्य के विरुद्ध बकाया राशि 737.42 लाख रुपये में से 520.74 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला कलक्टर व जिला रसद अधिकारी अलवर को प्राप्त शिकायतों की जांच

114. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बी.पी.एल. से चयनित व अन्य व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितना गेहूं वर्ष 2000-2001 से सितम्बर, 2001 तक केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किया गया तथा राज्य सरकार ने कितना गेहूं उठाया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(2) जिला रसद अधिकारी व जिला कलक्टर अलवर को सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शिकायतों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को बी.पी.एल. से चयनित व अन्य व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 से सितम्बर, 2001 तक आबंटित व उठाये गेहूं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला रसद अधिकारी व जिला कलक्टर, अलवर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं के विरुद्ध कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच करायी गई। प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उत्तर प्रश्न के भाग दो में समाहित है।

पी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत राज्य में खाद्यान्न की स्थिति

(मै. टन) में

वर्ष	बी.पी.एल. (अन्त्योदय परिवारों सहित)		ए.पी.एल.	
	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
2000-2001	533260	329689	392160	1424
2001-2002 अप्रैल से सितम्बर	310716	192426	196080	3973
कुल अप्रैल 2000 से सितम्बर, 2001 तक	843976	522115	588240	5397

ह०
सहायक निदेशक (सांख्यिकी)

दिनांक 1.4.2000 से सिमत्बर, 2001 तक प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्रमांक	दिनांक प्राप्त शिकायत	नाम जिसके द्वारा शिकायत की गई	नाम जिसके विरुद्ध शिकायत पता मय तहसील	प्राप्त हुई शिकायत विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	2000	उपभोक्ता शहर अलवर	एफ.पी.एस.37 सी की शिकायत शहर अलवर कैरोसीन न उठाने बाबत	केरोसीन न उठाने बाबत	दिनांक 26.6.2000 को जांच कर प्रवर्तन अधिकारी ने रिपोर्ट की जिसका प्राधिकारपत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त की गई ।
2.	प.स.86 दि. 8.6.02 के	अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर	उपभोक्तागण बडोदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़	श्री रामबाबू चौधरी डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता बरतने	प्रवर्तन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जांच की गई विभागीय कार्यवाही जारी है । कार्यवाही जेरतजवीज है ।
3.	13.7.02के	उपभोक्तागण ग्राम पंचायत साडोली तहसील रामगढ़	असरफ खां एफ.पी.एस. डीलर साहडोली के विरुद्ध शिकायत	राशन वितरण कार्य करने में शिकायत	प्रवर्तन निरीक्षक रामगढ़ से जांच कराई गई । अनियमितता पाने जाने पर विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है ।
4.	31.7.2000	छेरीलाल सैनी बुद्ध बिहार विकास मंच अलवर	श्री ओमप्रकाश शर्मा एफ.पी.एस. 7डी की शिकायत	राशन सामग्री सही न तोलने बाबत	50/- जुर्माने कार्यवाही ड्राप की गई ।
5.	10.2.2001	छात्र शोभाराम आर्टस कालेज अलवर	शिकायत डीलर श्रीनारायण	कैरोसीन तेल के वितरण बाबत	वाद जांच कार्यवाही विचाराधीन है ।

1	2	3	4	5	6
6.	3.3.2001	ज्ञानदेव आहूजा विधायक रामगढ़	ग्राम पंचायत दोगडी के उपभोक्ताओं द्वारा ईसाक मोहम्मद डीलर दोगडी में अनियमितता की शिकायत	राशन वितरण में अनियमितता राशन वितरण में अनियमितता बाबत	प्रवर्तन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ से जांच कराई गई जिसमें विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।
7.	31.3.2001	ग्रामवासी बड़ीका	श्री प्रकाश चौधरी अधिकृत विक्रेता इसके विरुद्ध शिकायत वासीयान बड़ीका	राशन वितरण में अनियमितता	जांच रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी से प्राप्त हुई जिस पर विभागीय कार्यवाही की गई। प्राधिकार पत्र डीलर का निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई।
8.	1/स्पेशन दिनांक 23.5.01	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर	निम्न के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्राप्त हुए 1. मै. श्रसिंह उपभोक्ता भण्डार 2. बजरंग गुप्ता केडलगंज, अलवर 3. मै. सी ब्रादर्स, अलवर	बाबत केरोसीन वितरण में अनियमितता	1. वाद जांच रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारी शहर अलवर निम्न कार्यवाही की गई। 1. श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार अलवर की जांच पर विभागीय कार्यवाही में प्रधिकारपत्र निरस्त किया गया। प्रतिभूति जब्त सरकार की गई। 2. ब्रजरंग प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध 6ए की कार्यवाही की जाकर सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। F.I.R. दर्ज कराई गई। 3. मै. झालानी विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी है विचाराधीन है।

जिला रसद अधिकारी,
अलवर

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में चारा डिपो खोलने के प्रस्ताव

115. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 2000 से सितम्बर, 2001 तक चारा डिपो कहां-कहां खोले गये तथा उक्त में कितनी राशि व्यय हुई? उक्त चारा डिपो से कितना-कितना चारा क्रय किया गया? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू व स्थानीय विधायक द्वारा जनवरी, 2001 से सितम्बर, 2001 तक कितने अकाल राहत कार्य खोले जाने के प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्राप्त हुए और उक्त में से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति कब-कब जारी की गई? प्रस्तावों एवं स्वीकृतियों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला जयपुर की अकाल राहत परामर्शदात्री समिति में कौन-कौन सी स्वयं सेवी संस्थाओं के किन-किन प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया है? स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नामांकित व्यक्तियों के प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 2000 में कृषि उपज मण्डी बस्सी में एक चारा डिपो खोला गया था, जिस पर 62957/- रुपये व्यय किये गये। इस डिपो से 13990.05 क्विंटल चारा क्रय किया गया एवं 1398.85 क्विंटल चारा विक्रय किया गया। ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के प्रस्ताव विधान सभा क्षेत्र के अनुसार प्रेषित नहीं किये गये, विधायक द्वारा जनवरी, 2001 से सितम्बर, 2001 तक कुल 57 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिनकी स्वीकृति जारी कर दी गई थी। विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कुल 117 अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये, सूची संलग्न है।

(3) जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समिति में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किये गये हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर शहर में जनहित प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन के नियमों में परिवर्तन

116. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999 से सितम्बर, 2001 तक जयपुर शहर में किन-किन संस्थाओं/व्यक्तियों को व्यावसायिक/आवासीय/ जनहित प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित की गई है? वर्षवार/प्रयोजनवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में कितनी-कितनी भूमि कितनी राशि पर आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(3) क्या वर्ष 1998 के बाद आबंटन नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.1999 से 30.9.2001 तक जयपुर शहर में जिन संस्थाओं/व्यक्तियों को व्यवसायिक/आवसीय/जनहित प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित की गई है, की वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त सूची में ही बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध है।

(3) वर्ष 1998 के बाद राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियमों, में किये गये परिवर्तन की अधिसूचनाओं की प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अलवर में अवैध खनन पर रोक

117. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में कुल कितने लाइसेंस शुदा खाने हैं? उक्त पट्टे किस-किस किस्म की खानों के हैं? खान के ठेकेदारों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंजीकृत खानों के पट्टों के अलावा भी अवैध रूप से चलने वाली खानों की सूचना सरकार के पास है?

(3) क्या वन विभाग की आरक्षित भूमि पर भी पट्टे दिये हुए हैं?

(4) क्या सरकार उक्त अवैध रूप से चलने वाली खानों की रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में कुल 377 खाने स्वीकृत हैं। इन खानों के खनन पट्टाधारकों एवं खनिज का विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। स्वीकृत पट्टों के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के खनन कार्य हेतु डाइवर्शन के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) वन भूमि में खनन कार्य भारत सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है, जिस हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कृषि विपणन बोर्ड की पदोन्नति का आधार

118. श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

(श्री कालूलाल खोईवाल)

के पद पर पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर दिये जाने का उप नियमों में प्रावधान है ?

(2) क्या अभी कुछ दिन पूर्व श्री मेहता एवं श्री विजय की पदोन्नति योग्यता के आधार पर दी गई ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये उक्त व्यक्तियों को पदोन्नति किस प्रकार दे दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। श्री मेहता एवं श्री विजय को पदोन्नति वरिष्ठता योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी गई है। श्री मेहता को विभागीय जांच में तो दोषी पाया गया था, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करने का निर्णय पारित किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र दूदू में बीसलपुर बांध से पेयजल व्यवस्था

119. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कितने गांव ऐसे हैं जिनमें मीठा पानी स्थानीय रूप से वहां के कुओं में उपलब्ध नहीं है एवं क्षारयुक्त पानी ही उपलब्ध है, जो पीने के योग्य नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के पेयजल संकट से ग्रसित गांवों के लिए क्या सरकार मीठा पानी बीसलपुर बांध से उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्बन्ध में कोई योजना बन चुकी है या विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार किस स्थान से योजना प्रारम्भ कर सम्पूर्ण क्षेत्र के ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

(4) क्या सरकार ने उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने की विशेष योजना हेतु आकलन करवाया है ? यदि हां, तो तथ्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में 110 गांव ऐसे हैं जिनमें स्थानीय उपलब्ध पानी की गुणवत्ता निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुरूप नहीं है। इन गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में विचाराधीन योजना का विवरण परिशिष्ट-"ब" के अनुसार है।

(3) 110 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु बीसलपुर थाडोली से पानी उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) जी हां। प्रारम्भिक आकलन परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड नं.	जन संख्या 1999	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	दूदू	छिर	1	542	
2.	दूदू	सूरी	5	283	
3.	दूदू	पंवारकला	6	697	
4.	दूदू	मोरडा	9	1101	
5.	दूदू	मोरडीकलां	10	113	
6.	दूदू	ममाना	11	1820	
7.	दूदू	नीमली	12	859	
8.	दूदू	डेल्टा	13	452	
9.	दूदू	जयकोंलर	14	271	
10.	दूदू	पंववालिया	15	324	
11.	दूदू	बिगोलाव	16	513	
12.	दूदू	भोकावास	17	485	
13.	दूदू	जिरावता	18	249	
14.	दूदू	तेजपुरा	20	219	
15.	दूदू	हटूपुरा	22	1790	
16.	दूदू	साखून	23	3807	
17.	दूदू	योपुरा	24	370	
18.	दूदू	जसुपुरा	25	458	
19.	दूदू	नयागांव	26	595	
20.	दूदू	पाथुरी	28	466	
21.	दूदू	दातरी	29	1013	
22.	दूदू	किला	30	504	
23.	दूदू	माधोपुरा	31	613	
24.	दूदू	महन्तगांव	32	523	
25.	दूदू	बेनीखेडा	33	346	
26.	दूदू	केरिया बुर्जग	35	646	
27.	दूदू	धेधा	36	127	
28.	दूदू	गब्जी	38	1238	
29.	दूदू	उदयपुरिया	39	891	
30.	दूदू	ननण	40	477	
31.	दूदू	जयखेमपुरा	41	426	
32.	दूदू	मालेरा	42	891	
33.	दूदू	सावरदा	44	4904	
34.	दूदू	बीनजोव	45	771	
35.	दूदू	दूदू	46	8650	
36.	दूदू	भोजपुरा	48	559	
37.	दूदू	श्रीरामनगर	49	386	
38.	दूदू	गोपीपुरा	50	358	
39.	दूदू	वारसड़ा	51	478	
40.	दूदू	छाया	52	906	
41.	दूदू	हरसोली	53	2836	
42.	दूदू	मारहू	54	1013	
43.	दूदू	लापोरियां	55	995	
44.	दूदू	सिनोदिया	56	563	
45.	दूदू	इटाखोई	58	1034	
46.	दूदू	नागोरी	60	374	
47.	दूदू	कचकनार	61	1060	
48.	दूदू	केरिया खुर्द	62	330	
49.	दूदू	उरसेवा	63	1200	
50.	दूदू	खेड़ी चारण	64	175	
51.	दूदू	मोरगपुरा	65	596	
52.	दूदू	सुनारिया	66	1486	
53.	दूदू	छापरवाडा	68	1134	
54.	दूदू	खुंडियाला	69	1562	

1	2	3	4	5	6
55.	दूदू	बागोती	70	674	
56.	दूदू	गेदी	73	884	
57.	दूदू	पालुखुर्द	74	1064	
58.	दूदू	पालू कलाम	76	523	
59.	दूदू	केरिया	95	1009	
60.	दूदू	नासनोता	93	156	
61.	दूदू	कल्याणसर	100	147	
62.	दूदू	श्योसिंहपुरा	102	305	
63.	दूदू	गाहोती	103	220	
64.	दूदू	सीतारामपुरा	104	602	
65.	दूदू	गाहोता	107	960	
66.	दूदू	गाबरतीकलाम	110	387	
67.	दूदू	मानपुरा	111	473	
68.	दूदू	महेशपुरा	112	292	
69.	दूदू	चान्दमाकला	113	749	
70.	दूदू	गुढ़ा श्यामपुरा	116	273	
71.	दूदू	काकरला	115	6992	
72.	दूदू	माजमाबाद	125	480	
73.	दूदू	रेठी	126	572	
74.	दूदू	फरियादपुरा	127	297	
75.	दूदू	श्रीरामपुरा	128	286	
76.	दूदू	डोगरा	129	670	
77.	दूदू	खेडी सुआ	130	742	
78.	दूदू	मीरापुरा	131	276	
79.	दूदू	डूगरी	139	485	
80.	दूदू	डेडा	142	1030	
81.	दूदू	किशनपुरा	146	197	
82.	दूदू	श्री निवासपुरा	147	3426	
83.	दूदू	झाग	U	12231	
84.	दूदू	नरेना	158	423	
85.	दूदू	माजीपुरा	159	697	
86.	दूदू	सुरसिंहपुरा	172	727	
87.	दूदू	मोरूदा	173	226	
88.	दूदू	मिडक्या	174	1	
89.	दूदू	पवान	175	1795	
90.	दूदू	श्याम की ढाणी	176	676	
91.	दूदू	काचोकी ढाणी	177	923	
92.	दूदू	गोपालपुरा	178	905	
93.	दूदू	हबसपुरा	179	496	
94.	दूदू	भारियावाला	180	467	
95.	दूदू	रिगरी	181	1188	
96.	दूदू	कोरसिना	182	170	
97.	दूदू	डडवाडा	183	517	
98.	दूदू	सायवला	184	556	
99.	दूदू	छापरी	185	251	
100.	दूदू	गोविन्दपुरा	186	537	
101.	दूदू	जावली	187	390	
102.	दूदू	सीतारामपुरा	188	295	
103.	दूदू	मोरडीखुर्द	189	15	
104.	दूदू	सीखापुरा	190	494	
105.	दूदू	नांगल	191	355	
106.	दूदू	कोल्या	192	597	
107.	दूदू	डाबरी	193	299	
108.	दूदू	सिंगला	194	762	
109.	दूदू	हथुकडा	195	627	
110.	दूदू	सोलावटा	196	692	

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र दूदू के लिए बीसलपुर बांध का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी

दूदू विधान सभा क्षेत्र के 110 गांवों में या तो पानी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और यदि है, तो पानी पीने योग्य नहीं है। यद्यपि इन योजनाओं में हैण्डपम्प व नलकूप इत्यादि से पेयजल उपलब्ध कराया जाता रहा है, किन्तु ग्रीष्मकाल में पेयजल की व्यवस्था में कठिनाइयां अनुभव की जाती रही है। उक्त कारणों से यह अनुभव किया गया कि किसी सुदृढ़ व विश्वसनीय स्रोत को आधार मानकर एक वृहत् योजना बनाई जावे, जिससे इस क्षेत्र की जनता को पेयजल समस्या सम्बन्धी स्थाई समाधान मिल सके। जिला टोंक के बांध बीसलपुर का पानी अजमेर जिले के लिए जाता है, जिसका एक पम्पिग स्टेशन ग्राम थाडोली में है। प्रस्तावित योजनां में ग्राम थाडोली में स्वच्छ जलाशय बनाया जाकर फिल्टर्ड पानी को मुख्य पाइप लाइन द्वारा माधोलाई और पचेवर होते हुए दूदू, साम्भर और आगे नावां क्षेत्र तक ले जाने का प्रस्ताव है। इस मुख्य पाइप लाइन से दूदू विधान सभा क्षेत्र के 110 गांवों के अतिरिक्त और भी 399 गांव लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है, जो कि मालपुरा, टोडारायसिंह, से फुलेरा और नावां तहसीलों के हैं। इस मुख्य पाइप लाइन (ट्रंकमेन) को स्वीकृति देने के प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है। इस पाइप लाइन की स्वीकृति के पश्चात् विभिन्न गांवों की अलग-अलग योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। जिससे इस पाइप लाइन को आधार मानकर तकनीकी रूप से विचार कर विभिन्न समूहों को भूतल जलाशयों के माध्यम से लाभान्वित करने का प्रावधान रखा जाएगा। वर्तमान में पाइप लाइन की अनुमानित लागत करीब 80-90 करोड़ के बीच आने का अनुमान है।

इस योजना की स्वीकृति का प्रावधान करने के पूर्व सभी प्रकार से आकलन करवाने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि बीसलपुर के अतिरिक्त शुद्ध पेयजल का कोई भी दीर्घकालीन विश्वसनीय स्रोत इससे निकट में उपलब्ध नहीं है।

जिला सवाईमाधोपुर के वन क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक

120. श्री अशोक (खण्डार) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर के वन क्षेत्र एवं उसके आस-पास कुल कितने खनन क्षेत्र हैं? एरियावार मय खसरा नम्बर एवं रकबा की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में वन क्षेत्र अथवा उसके आसपास खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो अवैध खनन कार्यों को रोकने के लिये किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या अब तक कार्यवाही की गई?

(3) क्या वन क्षेत्र सवाईमाधोपुर, खण्डार, नीमली, खाजना, डूंगर, बोंली आदि में अवैध खनन कार्य वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की मिलीभगत से कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? उक्त अवैध खनन

(श्री अशोक)

को बन्द कराने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में स्वीकृत खनन पट्टों का खसरावार, रकबावार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वन क्षेत्र मौजा सवाईमाधोपुर के खसरा नम्बर 921 में 5 खाने एवं खसरा नम्बर 927 में 2 खाने विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुसार चल रही हैं। वन क्षेत्रों से सटे हुए ग्रामों में ग्रामवासी नदी नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों से सतही पत्थरों को चोरी छिपे ले जाते हैं जिन्हें रोकने के लिये वन विभाग द्वारा नियमित रूप से गश्त कराई जाकर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किये जाते हैं। उप वन संरक्षक एवं उप निदेशक (कोर एरिया) बाघ परियोजना, रणथम्भौर के अधीनस्थ क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 व 2000-01 में अवैध खनन के 176 प्रकरण दर्ज किये जाकर 143 प्रकरण फैसल किये गये जिनमें 1,73473/- रुपये की मुआवजा राशि वसूल की गई। 32 प्रकरणों में जांच की जा रही है तथा 1 मामले में न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। उप वन संरक्षक सवाईमाधोपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में इसी अवधि के दौरान अवैध खनन के 99 प्रकरण दर्ज किये जाकर 61460/- रुपये की मुआवजा राशि वसूल की गई।

(3) जी नहीं। उल्लेखित क्षेत्रों में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से अवैध खनन कराये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अवैध खनन को रोकने हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से वन क्षेत्रों की गश्त कराई जाती है। अवैध खनन की घटना प्रकाश में आते ही अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "क"

जिला सवाईमाधोपुर में खान विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये खनन पट्टों की सूची

क्र.सं.	नाम क्षेत्र	क्षेत्रफल	खसरा नम्बर
1	2	3	4
1.	विचपुरी	0.56 हैक्टेयर	157
2.	विचपुरी	1.00 हैक्टेयर	157
3.	छावा	1.00 हैक्टेयर	786
4.	छावा	1.00 हैक्टेयर	255, 256, 372, 786, 669
5.	छावा	0.39 हैक्टेयर	342
6.	छावा	0.95 हैक्टेयर	786

1	2	3	4
7.	छावा	0.70 हैक्टेयर	255, 256, 372, 786, 669
8.	छकड़ा	1.00 हैक्टेयर	3244
9.	छकड़ा	1.00 हैक्टेयर	346
10.	ताजपुर	0.96 हैक्टेयर	342
11.	रेवाली	162.10 हैक्टेयर	1, 5, 13
12.	रामद्वारा	0.54 हैक्टेयर	921
13.	रामद्वारा	1.1368 हैक्टेयर	921
14.	रामद्वारा	0.6240 हैक्टेयर	921
15.	रामद्वारा	0.3250 हैक्टेयर	921
16.	रामद्वारा	0.910 हैक्टेयर	921
17.	रामद्वारा	0.8964 हैक्टेयर	921
18.	रामद्वारा	0.3819 हैक्टेयर	921
19.	रामद्वारा	1.50 हैक्टेयर	921
20.	रामद्वारा	0.7630 हैक्टेयर	921
21.	रामद्वारा	0.360 हैक्टेयर	921
22.	रामद्वारा	0.366 हैक्टेयर	921
23.	रामद्वारा	0.6480 हैक्टेयर	921
24.	रामद्वारा	1.4873 हैक्टेयर	921
25.	रसूलपुरा	1.0 हैक्टेयर	921
26.	बडागांव सखर	1.0 हैक्टेयर	921
27.	सारसोप	0.36 हैक्टेयर	1311
28.	खेड़ला	1.0 हैक्टेयर	—
29.	खेडला	0.625 हैक्टेयर	29/2
30.	कोठी (पांचोलास)	1.0 हैक्टेयर	1377
31.	कोठी (पांचोलास)	1.0 हैक्टेयर	—
32.	कोठी (पांचोलास)	1.0 हैक्टेयर	1377
33.	कोठी (पांचोलास)	1.0 हैक्टेयर	1377
34.	कोठी (पांचोलास)	1.0 हैक्टेयर	1377
35.	कोठी (पांचोलास)	1.0 हैक्टेयर	1377
36.	गलता मन्दिर	0.927 हैक्टेयर	108
37.	रावण डूंगरी	0.375 हैक्टेयर	105
38.	रावण डूंगरी	0.45 हैक्टेयर	105

1	2	3	4
39.	गलता मन्दिर	0.4257 हैक्टेयर	4/1, 109
40.	हनुमान डूंगरी	0.65 हैक्टेयर	
41.	गलता मन्दिर	0.393 हैक्टेयर	105
42.	गलता मन्दिर	0.861 हैक्टेयर	60, 61
43.	भदलाव	1.0 हैक्टेयर	
44.	भदलाव	1.0 हैक्टेयर	539/1, 528, 550
45.	जखाड़ा कलां	1.0 हैक्टेयर	4.11
46.	जखाड़ा कलां	1.0 हैक्टेयर	471.
47.	गंगवाड़ा	1.0 हैक्टेयर	615
48.	गंगवाड़ा	1.0 हैक्टेयर	615
49.	गंगवाड़ा	1.0 हैक्टेयर	615
50.	गंगवाड़ा	1.0 हैक्टेयर	615
51.	गंगवाड़ा	1.0 हैक्टेयर	615
52.	आन्दोली	1.0 हैक्टेयर	114
53.	आन्दोली	1.0 हैक्टेयर	114
54.	सारसोप	5.52 हैक्टेयर	1311
55.	सारसोप	1.0 हैक्टेयर	
56.	आन्दोली	1.0 हैक्टेयर	114
57.	बलरिया	1.0 हैक्टेयर	511
58.	बलरिया	1.0 हैक्टेयर	511
59.	चौथ का बरवाड़ा	0.72 हैक्टेयर	1185
60.	आन्दोली	1.0 हैक्टेयर	114
61.	चौथ का बखाड़ा	1.0 हैक्टेयर	1185
62.	चौथ का बखाड़ा	1.0 हैक्टेयर	1185
63.	चौथ का बखाड़ा	1.0 हैक्टेयर	1182, 1183, 1184
64.	चौथ का बखाड़ा	1.0 हैक्टेयर	1182
65.	चौथ का बखाड़ा	1.0 हैक्टेयर	1185
66.	चौथ का बखाड़ा	1.0 हैक्टेयर	1185
67.	चौथ का बखाड़ा	1.0 हैक्टेयर	511
68.	धौली डूंगरी	0.72 हैक्टेयर	563
69.	भौमियाजी की डूंगरी	1.02 हैक्टेयर	1311
70.	कोलाड़ा	1.0 हैक्टेयर	828

1	2	3	4
71.	कोलाड़ा	1.0 हैक्टेयर	828
72.	बौली	518 हैक्टेयर	
73.	बागडोली	5.0 हैक्टेयर	
74.	पखाला सारसोप	99.45 हैक्टेयर	
75.	दालेर	38.43 हैक्टेयर	
76.	बडागांव सरवर	5 हैक्टेयर	
77.	फलौदी	600 हैक्टेयर	
78.	सारसोप	42.25 हैक्टेयर	
79.	घुपाघाटी	1.11 हैक्टेयर	589
80.	शंकर चौधरी की बावड़ी	230 हैक्टेयर	374
81.	शंकर चौधरी की बावड़ी	0.72 हैक्टेयर	374
82.	नीमली खुर्द	10.80 हैक्टेयर	146, 147, 149
83.	रावण डूंगरी	0.72 हैक्टेयर	102
84.	जीवराजजी की बावड़ी	0.87 हैक्टेयर	110
85.	जीवराजजी की बावड़ी	0.744 हैक्टेयर	928/1
86.	आलनपुर	2 हैक्टेयर	589
87.	सारसोप	6.60 हैक्टेयर	441, 441/2
88.	सारसोप	6.60 हैक्टेयर	441, 441/2
89.	सारसोप	1.26 हैक्टेयर	455
90.	रामद्वारा	1.0 हैक्टेयर	921
91.	जन्ती की बावड़ी	1.08 हैक्टेयर	198/1, 927
92.	जन्ती की बावड़ी	0.72 हैक्टेयर	198/1
93.	रामद्वारा	2.404 हैक्टेयर	921
94.	रामद्वारा	2.225 हैक्टेयर	921
95.	रामद्वारा	1.10 हैक्टेयर	921
96.	नीमली खुर्द	0.72 हैक्टेयर	
97.	धौली डूंगरी	0.72 हैक्टेयर	563

ग्राम दीपावास (पाली) की कृषि सहकारी समिति का अवसायन प्रकरण

121. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील रायपुर (पाली) के दीपावास ग्राम में किसी कृषि सहकारी समिति का गठन हुआ था ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त गठन के बाद उक्त कृषि सहकारी समिति ने कब तक उप नियमानुसार कार्य किया और उसे अवसायन में कब और किन-किन कारणों से लाया गया ?

(3) क्या उक्त समिति को सरकार द्वारा कृषि भूमि आबंटित की गई थी ? यदि हां, तो किन आदेशों से एवं कितने वर्ष की अवधि के लिये ? आबंटन अवधि समाप्त होने पर क्या उक्त भूमि को राज्य सरकार को सौंपी गई ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ?

(4) क्या उक्त कृषि सहकारी समिति अस्तित्व में है ? यदि हां, तो उक्त समिति की क्या स्थिति है ?

(5) क्या किसी सहकारी समिति के अवसायन में आने के बाद उक्त संस्था के सदस्य संस्था के नाम का क्लेम किसी अन्य विभाग अथवा संस्थान से सीधे प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील रायपुर (पाली) के दीपावास ग्राम में दीपावास सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड का गठन हुआ था। इस समिति का पंजीयन दिनांक 29.6.1960 को हुआ था।

(2) गठन के बाद उक्त कृषि सहकारी समिति से वर्ष 86-87 तक कार्य किया। समिति के निष्क्रिय हो जाने पर दिनांक 19.11.1987 को उसे अवसायन में लाया गया।

(3) समिति का पंजीयन कई वर्षों पूर्व निरस्त हो चुकने के उपरान्त समिति की पंजीयन पत्रावली एवं अवसायन पत्रावली का वीड आउट हो चुका है। अतः सूचना अनुपलब्ध है।

(4) जी नहीं। दिनांक 19.11.1987 को अवसायन में लाये जाने के उपरान्त दिनांक 30.3.1990 को समिति का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है।

(5) जी नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या-122
(स्थगित)

साम्प्रदायिक तनाव की रोक हेतु संगठनों पर रोक

123. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में राज्य में बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव तथा साम्प्रदायिक झगड़ों के लिये कौनसे संगठन तथा तत्व जिम्मेदार हैं ?

(2) उक्त श्रृंखलाबद्ध तरीके से घट रही उक्त घटनाओं के पीछे कोई योजनाबद्ध षडयंत्र तो नहीं है ? उक्त संदर्भ में सरकार ने क्या कोई जांच की है ? यदि हां, तो उक्त का

(श्री अमराराम)

क्या निष्कर्ष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य में विभिन्न संगठनों के कारण तो साम्प्रदायिक तनाव में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? यदि हां, तो उक्त गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या सरकार उक्त साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) राज्य में जनवरी 2000 से अक्टूबर 2001 तक घटित साम्प्रदायिक घटनाओं तथा तनाव में किसी संगठन विशेष का प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने पर प्रमाणित सबूत नहीं है।

(2) उक्त अवधि में घटित साम्प्रदायिक घटनाओं के पीछे योजनाबद्ध षडयंत्र होने का कोई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(3) राज्य में किन्हीं विशेष संगठनों के कारण साम्प्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(4) बिन्दु संख्या 3 में वर्णित वर्जित तथ्यों के अनुसार राज्य में कोई विशेष संगठन के प्रमाण नहीं होने के कारण रोक लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष नगरपालिका धौलपुर द्वारा किये गये अनियमित कार्यों की जांच

124. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कितने भू-खण्ड सिवायचक भूमि पर नगरपालिका धौलपुर में आबंटित/विक्रय किन नियमों के अन्तर्गत किये? क्या सिवायचक में भूखण्ड आबंटन की स्वीकृति बोर्ड ने अपनी बैठक में ली थी? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका अध्यक्ष ने पूर्व नरेश के फर्जी वसीयतनामे के आधार पर बजरिया धौलपुर में बेशकीमत भूमि अपने पुत्र के नाम से आबंटित की है? यदि हां, तो किस आधार व नियम से? क्या उक्त भू-खण्ड पर श्री सन्तोष पुत्र श्री बालमुकन्द के नाम में पूर्व में कब्जा है? यदि हां, तो पूर्व कब्जाधारक को किस आधार पर हटाया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष में नगरपालिका अध्यक्ष ने धौलपुर में बिना बोर्ड की स्वीकृति के 3 ट्रैक्टर बिना ट्राली के क्रय किये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या धौलपुर नगरपालिका में वर्तमान में 7 ट्रैक्टर हैं और मात्र 2 ट्राली हैं?

(4) वर्ष 2000-2001 से अक्टूबर 2001 तक नगरपालिका धौलपुर ने कितने भू-खण्ड, खांचा भूमि, व्यावसायिक भूमि का विक्रय किया है तथा कितने भू-खण्डों के विक्रय का अनुमोदन बोर्ड की बैठक में हो गया और

(श्री जसवंत सिंह गुर्जर)

कितने बिना बोर्ड के अनुमोदन के विक्रय हुये हैं ? क्या यह नियम संगत है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका धौलपुर में वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में सिवायचक भूमि पर कोई भी भूखण्ड आबंटित/विक्रय नहीं किया है।

(2) जी नहीं, श्री सन्तोषी/बालमुकुन्द का कब्जा पूर्व में था और आज भी है।

(3) गत वर्ष 2 ट्रैक्टर क्रय किये गये जिसकी स्वीकृति बोर्ड में ली गई है। वर्तमान में 7 ट्रैक्टर व तीन ट्राली हैं, 4 ट्रैक्टर नकारा हैं, तीन ट्रैक्टर ही कार्य कर रहे हैं।

(4) वर्ष 2000-2001 से अक्टूबर 2001 तक नगरपालिका धौलपुर द्वारा 2 व्यावसायिक एवं 3 आवासीय कुल 5 खांचा भूमि विक्रय की हैं, जिनका अनुमोदन बोर्ड से हो चुका है।

पेट्रोलियम उत्पादन की वृद्धि हेतु करार

125. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक क्या-क्या किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य हेतु किन-किन क्षेत्रों से गैसतेल खनन करार किया गया ?

(3) क्या उक्त करार में राज्य सरकार की सहमति है ?

उत्तर

(1) राज्य में ओ.एन.जी.सी.एल (आयल एवं नेचुरल गैस कारपोरेशन लि.) द्वारा वर्ष 1962 में एवं आयल इंडिया लि. द्वारा वर्ष 1985 में जैसलमेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हेतु अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किया गया। अन्वेषण अनुज्ञापत्र भारत सरकार की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते है। वर्तमान में ओ.एन.जी.सी.एल. एवं आयल इंडिया लि. को दो खनन पट्टे एवं सात पी.ई.एल. स्वीकृत है। इन सात पी.ई.एल. में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण नीति के अन्तर्गत चिन्हित 12 ब्लाक में से तीन ब्लाक सम्मिलित है।

भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं गैस की खोज के लिये वर्ष 1998 में नई पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी (एनईएलपी) जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पूर्व में चिन्हित ब्लाक में से एक आबंटित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पी.ई.एल. स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

पेट्रोलियम की खोज के सम्बन्ध में अब तक किये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है।

राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 1994-95 से आरम्भ हुआ है, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर दिया गया है।

(2) बाड़मेर-जालौर जिले के लिए भारत सरकार ओ.एन.जी.सी.एल. एवं शैल इंडिया के

(राज्य मंत्री, खनिज)

बीच शाहगढ़ जिला जैसलमेर में भारत सरकार, ओ.एन.जी.सी.एल. एवं फीनिक्स ओवरसीज के मध्य तथा गंगानगर, बीकानेर एवं चूरू जिलों के लिए भारत सरकार, आयल इंडिया लि. व एस्सार आयल के बीच त्रिपक्षीय करार हुए हैं।

(3) त्रिपक्षीय करारों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

परिशिष्ट "अ"

ओ.एन. जी. सी. एल. एवं आयल इंडिया लि. द्वारा किये जा रहे अन्वेषण कार्य का विस्तृत ब्यौरा

(1) ओ.एन.जी.सी.एल. द्वारा अन्वेषण

क्षेत्र का नाम	खोदे गये कुओं की संख्या	कुएं जिसमें गैस/आयल मिला	इनप्लेस गैस भण्डार
मनहेरा टिबा. घोटारू, बाकिया, भाकरी टिबा, खरातर, सादेवाला, लुनार, म्याजलार जिला जैसलमेर	68	22 (गैस)	259 मिलियन घन मीटर
सांचौर (जिला जालौर) गुढ़ामलानी, कोसलू (जिला बाड़मेर)	4	2 (आयल)	गुढ़ामलानी एवं कोसलू में खोदे गये कुओं से उच्च श्रेणी के आयल भण्डारों का पता चला है। विस्तृत खोज कार्य जारी है।

(2) आयल इंडिया लि. द्वारा अन्वेषण

क्षेत्र का नाम	खोदे गये कुओं की संख्या	कुएं जिसमें गैस/आयल मिला	इनप्लेस गैस भण्डार
तनोट, डांडेवाला, बागी टिबा, रामगढ़, जलालवाला जिला जैसलमेर	36	25 (गैस)	920 मिलियन घन मीटर
बागेवाला तवरीवाला, कलरेवाला, चरनेवाला, देवेवाली जिला जैसलमेर	10	08 हेवी + आयल बिटूमिन	14.60 मैट्रिक मिलियन टन + 33.2 मैट्रिक मिलियन टन
नानूवाला जिला गंगानगर	01	01 (आयल)	आयल भण्डारों का पता चला है। विस्तृत खोज कार्य जारी है।

परिशिष्ट "ब"

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

(1) ओ.एन.जी.सी.एल. द्वारा उत्पादित गैस

क्षेत्र का नाम	वर्ष	उत्पादन (मिलियन घन मीटर)
मनहेरा टिबा जिला जैसलमेर	1994-1995	0.86
	1995-1996	12.08
	1996-1997	10.25
	1997-1998	10.86
	1998-1999	13.56
	1999-2000	11.75

(2) आयल इंडिया लि. द्वारा उत्पादित गैस

क्षेत्र का नाम	वर्ष	उत्पादन (मिलियन घन मीटर)
तनोट डाडेवाला जिला जैसलमेर	1996-1997	47.46
	1997-1998	137.46
	1998-1999	150.03
	1999-2000	138.247

तहसील सरदारशहर के ग्रामों हेतु विचाराधीन आपणी योजना

126. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सरदारशहर के ग्राम मेलूसर, राजास, बलाल, फोगा, नैयासर, नैणासर, महरी, डालमाण, कानडवास में भंयकर खारा पानी है? क्या उक्त गांवों को आपणी योजना के प्रथम चरण में लिये जाने के लिए कोई कार्यवाही की गई? उक्त सम्बन्ध में स्थानीय विधायक, विभागीय अधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त सम्बन्ध में जनता की मांग आई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों में खारा पानी होने के कारण इन्हें आपणी योजना के प्रथम चरण में लिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त ग्रामों को आपणी योजना के प्रथम चरण में लिये जाने के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही विचाराधीन है और कब तक कार्यवाही पूर्ण करवाकर काम शुरू करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मेहरी राजीया के अतिरिक्त सभी गांवों में स्थानीय स्रोत के जल में घुलनशील लवण 3000 पी.पी.एम. से अधिक है तथा पानी खारा है। ग्राम मेहरी राजीयान के स्थानीय जल स्रोत में घुलनशील लवण अधिकतम सीमा 3000 पी.पी.एम. से कम है। फोगा भरतरी गांव क्षेत्रीय जलयोजना सरदारशहर-आलपालसर से जुड़ा हुआ है तथा यहां इस प्रकार उपलब्ध पेयजल मानक दण्डों के अनुरूप है। शेष गांव में पीने हेतु स्थानीय टांकों में भरा पानी (वर्षा जल) प्रयोग किया जाता है तथा अन्य कार्यों हेतु स्थानीय स्रोत का पानी उपयोग में आता है। ग्रीष्म 2001 में टांके खाली हो जाने के कारण परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया गया था। संदर्भित गांवों हेतु "आपणी योजना" के द्वितीय फैज में प्रावधान किया हुआ है।

वर्तमान में सिर्फ फैज प्रथम हेतु भारत सरकार व के.एफ.डब्ल्यू.जर्मन फैडरल रिपब्लिक में समझौता हुआ है, अतः इन गांवों को फैज प्रथम में लेना सम्भव नहीं है। इन गांवों हेतु योजना पर खर्च भारत सरकार/राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। इस हेतु 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' के अर्न्तगत योजना बनाई गई है, जो स्वीकृति पूर्व जांच की प्रक्रिया में है। तत्पश्चात् प्राथमिकता तथा धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति तथा कार्य सम्पादन सम्भव होगा।

(2) प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार।

(3) प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार।

जिला जयपुर में मिट्टी तेल की अनियमितता की जांच

127. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में जयपुर जिले में मिट्टी के तेल के वितरण एवं आयल कम्पनियों से मिट्टी के तेल के उठाव में हुई अनियमितताओं की जांच सरकार द्वारा करवाई गई है? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच के आधार पर कितने अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब जांच ही नहीं करायी गई, तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन (नागौर) के अपूर्ण राहत कार्य

128. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुचामन क्षेत्र में विधायक कोटे से 8 कार्यों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जिला विकास अभिकरण नागौर द्वारा पत्र क्रमांक 3527 दिनांक 8-2-2001 को जारी हुई थी? क्या उक्त स्वीकृति में यह नोट लगाया था कि अकाल राहत के कार्य बन्द होने पर अपूर्ण रहे

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वांछित राशि विधायक मद से उपलब्ध कराई जावेगी? क्या इसके लिये विधायक ने सहमति दे दी थी? यदि हां, तो जिला विकास अभिकरण द्वारा जारी स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या उक्त कार्यों की अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृति जारी की गई? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जिला कलक्टर (सहायता) द्वारा दिनांक 19-6-2001 को अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी की गई उनमें सांसद कोटे से स्वीकृत कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृतियां भी थीं? यदि हां, तो दिनांक 8-6-2001 को विधायक कोटे से जारी स्वीकृति को अकाल राहत जारी स्वीकृति में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया?

(4) उक्त स्वीकृतियां जारी करने में पक्षपात किन परिस्थितियों में किया गया? क्या इस सम्बन्ध में सरकार के कोई निर्देश प्राप्त हुये? यदि हां, तो उसके आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त कार्यों में पक्षपात करने के सम्बन्ध में इस जिले के प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा जिला कलक्टर नागौर को निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही से क्या विधायक को अवगत कराया गया था। क्या जांच कराई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या विधायक द्वारा की गई शिकायत पर उन्हें अब तक जानकारी नहीं देने से राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19-7-2001 को निर्देशों की अनुपालना नहीं हुई?

उत्तर

(1) जी हां। जिला विकास अभिकरण द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 8.6.2001 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं। विभागीय निर्णय की पालना में 28.5.2001 से पूर्व स्वीकृत कार्यों के बाद जारी स्वीकृति विधायक कोटे से स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत ही स्वीकृत किये जाने के कारण राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(3) सांसद कोटे से पक्के कार्यों को राहत मद में डोवटेल करने की अनुमति इस आधार पर दी गई थी कि राहत कार्य बन्द होने की दशा में सांसद कोटे से कार्यों को पूर्ण कराया जावेगा तथा कार्यों की स्वीकृति विभाग द्वारा स्वीकृति श्रमिक सीमा के अन्दर/सीमा में ही जारी की जावे।

(4) जी नहीं। आदेश दिनांक 28.5.2001 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(5) दिनांक 21.7.2001 को माननीय प्रभारीमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक में विधायक महोदय द्वारा प्रश्न उठाया था लेकिन विधायक महोदय को 28.5.2001 के निर्देशों की जानकारी दी गई। विधायक से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जांच कार्यवाही नहीं की गई। समीक्षात्मक बैठक में सभी तथ्यों की सूचना

(अकाल राहत मंत्री)

विधायक महोदय को स्पष्ट कर दिये गये थे। मामले में कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

(आदेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका करौली को लाइट व्यवस्था हेतु अतिरिक्त राशि

129. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला मुख्यालयों में शहर की रोड लाइटों पर मरकरी/सोडियम अथवा ट्यूब लाइटें लगाने का प्रावधान है? यदि हां, तो करौली शहर की सड़कों पर लगे बिजली के खम्भों पर कितनी मरकरी/सोडियम या ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं और उक्त में से कितनी चालू/बन्द अवस्था में है?

(2) क्या करौली शहर में सोडियम/मरकरी लाइटें पर्याप्त मात्रा में हैं? यदि नहीं, तो क्यों और अब उक्त खम्भों पर कब तक लाइट हेतु व्यवस्था कर दी जावेगी?

(3) गत तीन वर्षों में सरकार ने नगरपालिका करौली को लाइट व्यवस्था हेतु प्रति वर्ष कितनी राशि आबंटित की है? क्या उक्त राशि मुख्यालय के लिये पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब उक्त नगरपालिका को अधिक राशि आबंटित कर उक्त क्षेत्र में सोडियम/मरकरी लाइटें लगवाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शहर में रोशनी व्यवस्था का प्रावधान है। करौली शहर की सड़कों पर लगे बिजली के खम्भों पर 42 मरकरी लाइटें तथा 40 ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं, जिनमें से 15 मरकरी तथा 10 ट्यूब लाइटें चालू हैं तथा 27 मरकरी एवं 30 ट्यूब लाइट बंद हैं।

(2) जी नहीं। पालिका की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण से सोडियम/मरकरी लाइटें पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाई जा सकी हैं और पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर उक्त व्यवस्था कर दी जावेगी।

(3) नगरपालिका, करौली को वर्ष 1998-99 में सफाई एवं रोशनी व्यवस्था हेतु 5.04 लाख रुपये विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया था। विगत दो वर्षों (वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001) में नगरपालिका को रोशनी व्यवस्था हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु नगरपालिका, करौली को वर्ष 2001-2002 में 9.02 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। प्रश्न के शेष भाग का उत्तर प्रश्न के बिंदु संख्या-2 के उत्तर में निहित है।

तारांकित प्रश्न संख्या-130
(स्थगित)

कृषकों की उत्पादित फसलों हेतु निर्धारित नीति

131. **श्री मांगीलाल डांगा** (मेड़ता) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कृषकों के उत्पादित फसल को समर्थन मूल्य

(श्री मांगीलाल डांगा)

पर खरीद के लिए क्या नीति निर्धारित कर रखी है? निर्धारित नीति सम्बन्धी पत्रादि एवं शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा नई विकेन्द्रीकरण नीति के अर्न्तगत कृषि जिन्सों को समर्थन मूल्य पर खरीद का दायित्व राज्य सरकार का है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं और सरकार समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद कब शुरू कर रही है?

(3) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद के लिए क्या वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये हैं?

(4) भारत सरकार का नई विकेन्द्रीकरण नीति में यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व नहीं है तो राज्य सरकार ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है?

(5) क्या समर्थन मूल्य पर खरीद का दायित्व भारत सरकार का ही है तो राज्य सरकार ने भारत सरकार से बाजरा की खरीद करवाने के लिए कोई व्यवस्था करवाई है? राज्य सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार विभिन्न कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य घोषित करती है। विभिन्न अनाजों के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा दलहनी व तिलहनी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए नाफेड को नोडल एजेन्सी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित नीति सम्बन्धी पत्रादि एवं शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विकेन्द्रीकृत खरीद की नीति अभी लागू नहीं है। राज्य में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद 1 नवम्बर, 2001 से भारतीय खाद्य निगम कर रही है।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य में नई विकेन्द्रीकरण नीति अभी विचाराधीन है।

(5) जी हां। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने की व्यवस्था की है। राज्य सरकार की एजेन्सीज समर्थन मूल्य पर खरीद में भारतीय खाद्य निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस थाना गढ़ी (बासंवाड़ा) हेतु जीप आबंटन

132. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना गढ़ी (बांसवाड़ा) में पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी हैं? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुलिस थाना के परिक्षेत्र में कितने गांव आते हैं और निकटतम पुलिस थाने की दूरी कितनी है?

(3) क्या सरकार उक्त थाने में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त पुलिस थाना में जीप उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पुलिस थाना गढ़ी जिला बांसवाड़ा में पुलिस कर्मियों की संख्या इस प्रकार है :—

निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहा. उप.नि.	हैड कानि.	कानि.
स्वीकृत नफरी-1	2	10	5	25
मौजूदा नफरी-1	2	6	5	22

(2) थाना गढ़ी परिक्षेत्र में 133 गांवों आते हैं। थाना गढ़ी के निकटतम थाना सागवाड़ा जिला डूंगरपुर 22 कि.मी., थाना चीतरी 35 कि.मी. थाना-लोहारिया जिला बासंवाड़ा 30 कि.मी. थाना अनन्तपुरी 42 कि.मी., थाना कलिंजरा 40 कि.मी. एवं थाना सदर 35 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

(3) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाना सम्भव नहीं है।

(4) पुलिस थाना गढ़ी को आबंटित वाहन नकारा घोषित हो जाने पर, उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट में वाहन सीमित वित्तीय संसाधनों की कमी से उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

विधायक/सांसद व पत्रकारों को मकानों का आबंटन

133. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने विधायक/सांसद व पत्रकारों को मकान आबंटित करने का प्रावधान रखा है? यदि हां, तो कितनी राशि जमा करवाई गई है?

(2) क्या सरकार उक्त को मकान शीघ्र आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त जमा राशि पर ब्याज देने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में माननीय विधायकों, सांसदों एवं पत्रकारों हेतु आरक्षित 2.5% कोटे के तहत आवास आबंटित किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रतिक्षारत पंजीकृत आवेदक माननीय विधायक, सांसद व पत्रकारों की पंजीकरण/पूर्वग्रहण राशि के पेटे रुपये 2,1765,600.00 जमा करवाई गई है।

(2) जी हां। उक्त पंजीकृत आवेदकों को उनकी वरियतानुसार आवासों का आवंटन एक वर्ष, 6 माह से 3 वर्ष की अवधि में किया जा सकेगा।

(3) जी हां। मण्डल नियमानुसार योग्य पंजीकृत आवेदकों की जमा पंजीकरण राशि पर प्रथम तीन वर्ष तक 6% तीन वर्ष के पश्चात् तथा 6 वर्ष तक की अवधि के लिए 8% एवं 6 वर्ष के पश्चात् 10% की दर से ब्याज दिये जाने का प्रावधान है किन्तु मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर (जगतपुरा जयपुर) की योजना में आवास आबंटन से पूर्व जमा राशि पर प्रथम तीन वर्ष तक 5% तीन वर्ष 6 वर्ष तक की अवधि पर 6% तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात् 7% की दर से ब्याज दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

सोनू लाइम स्टोन क्षेत्र में सीमेन्ट प्लांट हेतु जमा राशि की वापसी

134. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोनू लाइम स्टोन क्षेत्र में सीमेन्ट प्लांट के लिये वर्ष 1995 से 1998 के बीच खनन पट्टा अनुदान स्वीकृत करने के लिये आवेदन पत्र मांगने पर मै. डंकन इण्डस्ट्रीज पेपर केमिकल्स लिमिटेड व ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन प्रार्थना पत्र दिये गये थे? उक्त आवेदकों से नियम 1960 के नियम 22 (i)व 22 (3) (i) (ए) के अनुसार व 22 (3) (ii) के अनुसार आवेदन पत्र फीस व प्रारम्भिक खर्चे के तौर पर कुल पन्द्रह सौ रुपये जमा करवाये गये थे?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों से उनके आवेदनों को स्वीकृत करने के लिये केन्द्र सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए कीनवेस मनी के नाम पर दस-दस लाख रुपये जाम कराने के लिये कहा गया था? क्या उक्त में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर खनन पट्टा स्वीकृत करने के बाद तीन साल में आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई तो उक्त राशि जब्त कर ली जावेगी? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें? उक्त आवदेकों में से किस-किस ने कब-कब कीनवेस मनी राशि जमा करवाई?

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स दूजोदवाला पेपर केमिकल्स लिमिटेड द्वारा यह प्रार्थना पत्र देने पर कि वर्तमान में कोई संस्था वित्तीय ऋण सीमेन्ट प्लांट लगाने हेतु तैयार नहीं है विभाग द्वारा आवेदक कम्पनी को उक्त राशि आदेश दिनांक 2.10.99 द्वारा लौटा दी गई? क्या मैसर्स डंकन इण्ट्रस्टीज व मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा बार-बार यह लिखे जाने पर कि वर्तमान में उन्हें भी कोई वित्तीय संस्था सीमेन्ट प्लांट लगाने के लिये ऋण देने के लिये तैयार नहीं है के बाद भी उक्त दोनों आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि नहीं लौटाई गई? क्या उक्त को एम.एम.आर.डी. एक्ट 1957 व खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के अधीन उक्त राशि जब्त करने के आदेश दिये गये? यदि हां, तो क्यों उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित आवेदकों से कीनवेस मनी के रूप में दस-दस लाख रुपये जमा कराने हेतु कहा गया था। यह भी सही है कि इन आवेदकों को कहा गया था कि यदि उनके द्वारा भूमि के क्रय एवं रूपान्तरण, वित्तीय संस्थाओं को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन व सरकार आदि से विधिक अनुमतियां प्राप्त करने हेतु कार्यवाही खनन पट्टा स्वीकृति के तीन वर्ष की अवधि में नहीं की गई तो, कीनवेस मनी जब्त की जा सकेगी। आवेदकों को लिखे गये पत्रों की प्रतियां संलग्न है। मैसर्स डंकन इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा दिनांक 16.4.1996 को व मै. दुजोदवाला पेपर एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा दिनांक 29.6.1996 को कीनवेस मनी जमा कराई गई है।

(3) यह सही है कि दूजोदवाला पेपर केमिकल्स लि. को कीनवेस मनी लौटाने के

(खनिज, राज्य मंत्री)

आदेश दिनांक 20.10.1999 को दिये गये हैं। यह भी सही है कि मै. डंकन इण्डस्ट्रीज व मै. अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज को कीनवेस मनी नहीं लौटाई गई है। इन दोनों पार्टीज को खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु आशय पत्र जारी कर वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति करने बाबत राज्य सरकार द्वारा दिये गये नोटिस की पालना लम्बी अवधि तक नहीं करने के कारण एवं कीनवेस मनी रिफन्ड करने बाबत शर्तों की सन्तोषजनक पालना नहीं करने से आवेदन पत्र आवेदन शुल्क व कीनवेस मनी जब्त करते हुए अस्वीकृत किये गये हैं। कीनवेस मनी एम.एम.आर.डी. एक्ट, 1957 व खनिज रियायत नियम के प्रावधानों के तहत जब्त नहीं की गई।

(पत्रों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डेगाना (नागौर) में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

135. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस चौकी को थाने में तब्दील करने तथा उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के क्या मानदण्ड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डेगाना (नागौर) तहसील मुख्यालय में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या डेगाना थानान्तर्गत कार्यरत हरसोर पुलिस चौकी को थाना में तब्दील करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त चौकी का कब तक थाना बना दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पुलिस चौकी को थाने में परिवर्तित करने तथा उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के कोई निश्चित मानदण्ड निर्धारित नहीं है। पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने अथवा नये वृत्त सृजन के प्रस्ताव क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं, साम्प्रदायिक स्थिति एवं अन्तरराष्ट्रीय, अन्तर राज्य सीमा पर हो रही गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं।

(2) जिला नागौर के डेगाना में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक नागौर से वर्ष 1998 में प्राप्त हुआ। इन प्रस्तावों को नवीन व्यय के प्रस्तावों में सम्मिलित कर बजट निर्णायक समिति में रखे गये, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सहमति प्रदान नहीं की गई।

(3) जिला नागौर के थाना डेगाना में चौकी हरसोर कार्यरत नहीं है। पुलिस चौकी हरसोर पुलिस थाना थावला के अधीन संचालित है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पुलिस चौकी हरसोर को थाना में क्रमोन्नत करना सम्भव नहीं है।

नगरपालिका क्षेत्र चौमूं (जयपुर) की ढाणियों में पेयजल व्यवस्था

136. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(1) जिला जयपुर के कस्बा चौमूं में सरकारी पेयजल योजना कब स्थापित हुई ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र चौमूं में अब भी कतिपय वार्डों की ढाणियां पीने के पानी से वंचित है ? यदि हां, तो उक्त को पेयजल स्कीम से कब तक जोड़ दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों तक पाइप लाइन बिछाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर के कस्बा चौमूं में वर्ष 1968 में सरकारी पेयजल योजना स्थापित हुई।

(2) जी, नहीं। नगरपालिका क्षेत्र चौमूं की सभी ढाणियों को विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पाइप लाइन अथवा हैण्ड पम्पों से लाभान्वित किया जा चुका है। हुडको की सहायता से स्वीकृत पुनर्गठित जल योजना के अन्तर्गत 10 ढाणियों में पाइप लाइन डाला जाना शेष है। जिन्हें बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार माह मार्च, 2002 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। विवरण संलग्न-'अ' के अनुसार है।

(3) उत्तर प्रश्न के भाग 2 के अनुसार।

शेष रही ढाणियों की सूची **परिशिष्ट "अ"**

क्र.सं.	ढाणी का नाम	अनुमानित जनसंख्या (व्यक्ति)	ढाणी में स्थापित हैण्ड पम्प	निकटतम हैण्ड पम्प का स्थान एवं दूरी
1	तोबडो एवं विशनालियों की ढाणी वार्ड नं. 1	400	1	—
2	दम्बीवाली की ढाणी वार्ड नं. 1	350	1	—
3	भढालों एवं करवों की ढाणी जयपुर रोड	500	1	—
4	गरैडों की ढाणी वार्ड नं. 3	300	—	0.5 कि.मी. अहीर की ढाणी
5	खडोलियों की ढाणी रेलवे क्रासिंग के आगे	300	1	—
6	पण्डों की ढाणी बिहारीपुरा फाटक से आगे	350	—	0.5 कि.मी. खडोलिया की ढाणी
7	सारणों की ढाणी रेनवाल रोड	200	—	0.5 कि.मी. पावर हाउस
8	कालू चोपड़ा की ढाणी वार्ड नं. 3	300	—	0.5 कि.मी. पांचियां की ढाणी
9	पांचियां की ढाणी वार्ड नं. 3	500	1	—
10	इन्दौरा एवं अहीरों की ढाणी वार्ड नं. 22	500	1	—

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-202 का विवरण)

वार्ड नं. 35 ए, आनन्दपुरी में नियमित नालियों की सफाई व्यवस्था एवं कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था है। प्रातः 6.30 से 10.30

2.30 से 5.00

आनन्दपुरी में निम्नप्रकार नालियों पर एवं कचरा उठवाये जाने हेतु कर्मचारी लगा रखे हैं :—

आनन्दपुरी-ए

1. सुरेश पुत्र गुलाब-जमादार

1. हाजरीगाह के सामने से देहली आई अस्पताल तक

1.	मुकेश—रामचन्द्र	नाली पर
2.	महेन्द्र—ताराचन्द	गाड़ी पर
3.	बीला—रामस्वरूप	झाडू वाली

2. देहली आई अस्पताल से चकली वाला नाका

1.	जयनारायण—महादेव	गाडी वाला
2.	पूरण—मूलाराम	नाली वाला
3.	जुम्मी—बाबूलाल	झाडू वाली
4.	गुलाब—गणपत	झाडू वाली

3. नाथूलाल जी का नाका से मोती डूंगरी रोड, आनन्दपुरी मोड़ तक

1.	प्रकाश—मांगीलाल	हाथ गाड़ी
2.	बाबू—प्रभात	नाली पर
3.	भगवती—रामचन्द्र	झाडू वाली

4. आनन्दपुरी पार्क पेशाबगाह से श्री ताराचन्द जी चन्देल तक

1.	इस्सर—कालू	हाथ गाड़ी पर
2.	महावीर—मीठू	नाली पर
3.	आशा—फूलचन्द	झाडू वाली

आनन्द पुरी-II

1. गणपत लाल—प्रभातीलाल जमादार

आनन्दपुरी रोड से पुरानी कोतवाली तक एवं मोटवारी का रास्ता

1.	कालू—झब्बा	हाथ गाड़ी
2.	मालाराम—कल्याण	नाली पर
3.	कमला—प्रभू	झाडू वाली

2. पतासी वालों की बगीची का नाका से कृपलानी रोड के नाके तक

1.	भंवर—छोटू	हाथ गाड़ी
2.	शान्ती—जुम्मा	झाड़ू वाला
3.	मांगीलाल—सूवा	नाली पर

3. बाल मन्दिर से पतासी वालों की बगीची के पीछे तक

1.	त्रिलोक—मेवालाल	गाड़ी वाला
2.	रामजीलाल—मूलचन्द	हाथ गाडी
3.	गिर्राज—कमलेश	झाड़ू वाला

4. थाने के पीछे से श्री छोटीलाल राजौरिया मार्ग तक

1	छोटू—छीतर	हाथ गाड़ी
2.	रमेश—मन्नू	नाली पर
3.	धन्नी—लालचन्द	झाड़ू वाली

अतः सम्पूर्ण आनन्द पुरी क्षेत्र में

जमादार-2 हाथ गाड़ी पर 8 कर्मचारी नाली पर 8 कर्मचारी

झाड़ू वाली-9 कुल 27 कर्मचारी कार्यरत हैं।

अतः सेवा में रिपोर्ट प्रस्तुत है।

ह०/-

आयुक्त (मुख्यालय)

जयपुर नगर निगम

Office of Executive Engineer M.C. Jaipur

Work Order

सड़क नाली विशेष अनुदान : 6/99-2000

No. 51 M.E.-IIIrd Dated 27.6.2000

M/s Vijay Const. Co.
Contractor, Jaipur

Sub. : Construction of drain and Road in ward No. 35, Jaipur

Your tender @Rs. 29.98 % above below the schedule rates amounting to Rs. 844870/- has been accepted. The work may please be started within 3 days from the receipt of the order and completed within 10 month is specified in the tender.

You should also come in office to sign the agreement with in 3 days.

You should also inform in writing the date of Starting the work.
Date of Start 29.6.2000
Date of Completion 28.4.2001

ह०/-

Executive Engineer,

Jaipur

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-204 के पत्र की प्रति)

563234
दूरभाष : 563111 PB
563240

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्कल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प.4 (32) अविप्रा/मुराअ/97/6345 दिनांक : 7.8.1997

उप शासन सचिव,

नगरीय विकास विभाग,

राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों को लीज होल्ड के स्थान पर फ्री-होल्ड करने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक प.7(ii)नविआ/3/79 दिनांक 1.7.1996

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का निस्तारण शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम-3 के अनुसार लीज-होल्ड बेसिस पर किया जा रहा है। जिसमें क्रेता को आवासीय भूखण्डों के मामलों में आरक्षित दर का 2½ प्रतिशत तथा वाणिज्यिक मामलों में आरक्षित दर का 5 प्रतिशत राशि लीज के रूप में भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम-7 के अन्तर्गत वसूली की जाती है। दूसरी ओर भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम सं. 12 के अन्तर्गत आरक्षित दर का निर्धारण कर प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ष पुनर्विचार कर आरक्षित दर बढ़ाई जाती है। जिससे लीज भार में वृद्धि होने के कारण मुख्य रूप से बड़े वाणिज्यिक भूखण्डों का नीलामी में निस्तारण नहीं हो पा रहा है वहीं दूसरी ओर छोटे भूखण्डधारियों द्वारा लीज की राशि समय पर जमा नहीं कराई जा रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ.(594) डी.डी./आरडीपी(94 दिनांक 23.2.1996 तथा पत्र संख्या प. 4(4)जविप्रा/मुराज/1473 दिनांक 18.3.1996 (प्रति संलग्न) के द्वारा नीलामी से विक्रय किये जाने वाले भूखण्ड को फ्री-होल्ड करने के लिये प्रस्ताव भिजवाये गये थे। परन्तु इस पर अभी तक कोई निर्णय राज्य सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे प्राधिकरण द्वारा राजस्व प्राप्ति कठिनाई जो रही है। इस सम्पूर्ण स्थिति के बारे में प्राधिकरण की 34वीं बैठक दिनांक 10.7.1997 में वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक अनुमान तथा वर्ष 1996-97 के वास्तविक आय-व्ययक अनुमानों पर विस्तार से चर्चा के दौरान वर्ष 1996-97 को राजस्व लक्ष्यों के अनुरूप रही कमी के कारणों पर चर्चा की गई और उसमें इस बात को अनुभव किया गया कि लीज भार

के कारण नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अतः बैठक में यह निर्णय लिया गया कि:—

जविप्रा द्वारा नीलामी में विक्रय की जाने वाली भूमि लीज किराये के बजाय फ्री-होल्ड बेसिस पर, अन्यथा एक मुश्त वसूली का प्रावधान किये जाने बाबत प्रस्ताव राज्य सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

जहां तक एक मुश्त रूप से लीज राशि वसूल किये जाने के प्रावधान का प्रश्न है भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 7 (4) के नीचे दिये गये प्रोविजो में 10 वर्ष की शहरी जमा बन्दी एक मुश्त लेने पर 99 वर्ष के लिये फ्री-होल्ड करने का प्रावधान है। पर राज्य सरकार की यह स्कीम रियाती दर पर आबंटित किये गये भूखण्डों के लिये प्रेरणादायक रही है। नीलामी द्वारा बेचे गये भूखण्डों के भूखण्डधारी इस योजना की ओर विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुये हैं क्योंकि नीलामी द्वारा बेचे जाने वाले भूखण्ड विशेष रूप से कारपोरेट सेंटर की कम्पनियों के द्वारा ही क्रय किये जाते हैं जो वर्तमान एवं भविष्य के सभी प्रकार के कर दायित्वों लागत/नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुये क्रय किये हैं। वर्तमान में चालू वर्ष में बेचे गये/जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों पर लीज भार लगा 165/- रु. प्रति वर्ग मीटर से 255/- प्रति वर्ग मीटर वार्षिक के बीच वाणिज्यिक भूखण्डधारियों को वहन करना पड़ता है। अगर विद्याधर नगर का उदाहरण लें तो 5000 वर्ग के प्लाट की वाणिज्यिक कीमत (4200 ×5000) रुपये 2,10,00,000/- होती है और इस पर लीज मनी (आरक्षित दर का 5 प्रतिशत) रु. 10,50,000/- साल होती है और अगर दस साल की एक मुश्त जमा कराता है तो रुपये एक करोड़ पांच लाख होते हैं। अर्थात् यह भूमि उसे वास्तव में रुपये 3 करोड़ 15 लाख की पड़ती है। जिससे प्रति वर्ग गज दर 6300/- पड़ती है। इसी प्रकार रहवासीन भूमि (ग्रुप हाउसिंग के फ्लेट्स उदाहरणार्थ) को आरक्षित राशि की दुगनी यानि 2800/- प्रति वर्ग गज में बेचने से रुपये 1,40,00,000/- की होती है। इस पर आरक्षित दर को 2½ प्रतिशत लीज मनी लेने पर 1,75,000/- होता है। दस वर्ष की राशि जमा कराने पर 17,50,000/- रुपये होते हैं, यानि कि भूमि की कीमत वास्तव में रुपये 1,57,50,000/- अर्थात् 3150/- रुपये प्रति वर्ग गज पड़ती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये राज्य सरकार से लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड करने हेतु शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 7/41 में आवश्यक संशोधन कराये। संशोधन का प्रारूप संलग्न है।

संलग्न

भवदीय
ह०/-
सचिव,

भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 7 (4) की प्रति

7. Liability for urban Assessment or Ground Rent: [1][Rate – (1) Urban Assessment or ground rent shall be fixed on the basis of the reserve price at 2.5% in case of land given on lease for residential, educational, social and charitable institutions[2] (medical clinics and nursing homes)[3] (Tourismunit, Multiplex unit and Auditorium) purposes and 5% in case of land given on lease for commercial and other purposes.]

[4][Provided that the State Government shall have powers to permit charging urban assessment on such rates, terms and conditions as may be specified by the State Government on merits of each case, where the land is allotted under Rule 18.]

(2) **Revision.**—The urban assessment or ground rent once fixed under these rules shall be liable to revision after every 15 years and also at such transfer by sale or gift otherwise and such increase shall at each stage be 25% of the urban assessment or ground rent at the time of such revision or transfer, as the case may be.

(3) **Half the urban assessment (ground rent) during first three years.**—Full urban assessment shall be charged on the plot after 3rd year before which the construction of a house or a building shall be completed. For the first 3 years only half of the urban assessment shall be charged.

---

1. Substituted vide Notification No. F.9(3) UDH/Gr.3/85, dt. 25.9.87, published in Raj. Gazette Part IV-C(I), dt. 28.1.88, Page 432.
2. Inserted vide Notification No. F.3(316)UDH/3/89, dt. 24.5.90, published in Raj. Gazette Part IV C(I). dt. 14.6.90, page 37.
3. Inserted vide Notification No. F.9(63) UD/3/8Pt. dated 20.1.2001, published in Raj. Gazette E.O. Part 4(C) (I) dated 29.1.2001, page 181, with immediate effect.
4. Added vide Notification No. F9-(63) UD/3/81 dated 22.9.2000, published in Raj. Gazette E.O. Part 4 (C) (I) dated 18.10.2000, page 116 (1) with immediate effect.

(4) Urban Assessment (Ground Rent) to be credited to the consolldated fund of the Government.—The urban assessment or ground rent shall be doposited with the Trust by the 31st of March each year to be credited to the Consolidate fund of the Government provided that (a) 10% rebate shall be admissibile on the assessed amount of urban assessment or ground rent in case of payment by an assessee before the expiry of the date of payment (b) 10% of the collectd amount may be retained by the Trust by way of service charge for the collection of urban assessment or ground rent.[1][xxx]

[2][Provided that it is at the option of the assessee, if he deposits one time urban assessment or ground rent which would be equal to ten times of yearly urban assessment then he shall be exempted from future liability of urban assessment or ground rent. Out of the total amount so collected by such one time collection in each UIT/local body, one percent may be retained as collection charges by them. Ninety percent of the remaining amount may be deposited with Government as Government receipts. The remaining ten percent may be left with each UIT/local body as its own resources.]

[3][(5) **Interest on late payment of Urban Assessment (ground rent)**—If the urban Assessment or ground rent is not deposited in time, then the interest at the rate of [4](12% per annum) shall be charged.

---

1. Deleted vide Noti. No. F.3 (234) UDH/III 89, dt. 26.11.90, pub. in Raj. Gazette Part-IV-C (I), dt. 23.4.92, Page 29.
2. Substituted vide Noti. No. F.10(7) UDH/Gr.I/84 dt. 7.8.93, published in Raj. Gazette E.O. Part-IV-C(I), dt. 23.8.93, Page 72.
3. Added vide Notification No. F.5 (46) UDH/77, dt. 7.11.78, pub. in Raj. Gazette E.O. Part-IV-C(I) dt. 9.11.78, Page 281.
4. Substituted vide Notification No. F.5 (46) UDH/II/77, dt. 30.4.82, published in Raj. Gazette Part-IV-C, dt. 13.5.82, Page 92

[5][Provided that Government may exempt from interest upto 50% by a general order, if arrears of urban assessment or ground rent together with interest are deposited.]

(6) Recovery of Urban Assessment (ground rent)—The arrears of Urban Assessment or ground rent together with interest shall be recovered under the provisions of the Rajasthan Public Demands Recovery Act, 1952]

8. Preparation of Scheme by the Trust.—(1) Before disposing of the land, every Trust shall prepare a scheme for all land exceeding 1500 sq. yds in area and exercising jurisdiction thereon, showing sub-division of land into plots of various sizes for residential purposes and indicate lands for parks and play-grounds, educational institutions, hospitals, dispensaries, cinemas, markets and such other amenities and facilities as may be required. [6][xxx].

[7][(2) In the scheme, the plots for allotment and sale by auction.

---

5. Added vide Notification No. F.9 (63) UD/3/8/Pt. dated 20.1.2001, published in Raj. Gazette E.O. Part 4(C) (I) dated 29.1.2001, Page 181, with immediate effect.

6. Deleted vide Notification No. F.9(63) UDH/81, dt. 29.7.83, published in Raj. Gazette Part-IV-C(I), dt. 11.8.83, Page 461.

7. Substituted vide Noti. No. F.9(3)UDH/Gr. 3/85, dt. 25.9.87, published in Raj. Gazette Part-IV-C(I) dt. 28.1.88, Page 432.

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-205 की सूची)

कार्यालय नगर निगम, जयपुर।

जयपुर नगर निगम वार्ड नं. 53 (कुण्डा आमेर, ढाणी बुलाका) में कार्यरत

सफाई कर्मचारियों की सूची

1. श्री पांचू पुत्र श्री नाथू फावड़े वाला
2. श्रीमती लाली पत्नी श्री मोहन झाड़ू वाली

ह०/-

आयुक्त

नगर निगम, जयपुर

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-210 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे निर्माण कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश का संदर्भ	कार्य की ले आउट दिनांक	कार्य पूर्ण की निर्धारित दिनांक	अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु की गई कार्यवाही का संदर्भ
1	2	3	4	5	6	7
1.	पुनर्गठित शहरी योजना कानोड पर जे-2 टाइप स्टाफ क्वार्टर एवं बाउण्डरीवाल का कार्य	श्री किशनलाल निमावत ठेकेदार बेदला	4120 6.88.1999	6.10.1999	5.2.2000	अधूरा कार्य पूर्ण कराने हेतु नोटिस सं. 6050 दिनांक 25.7.01 को जारी किया गया तत्पश्चात् कार्यालय पत्रांक 4717 दिनांक 1.11.2001 से वृत कार्यालय को अन्तिम कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। योजना पर जल वितरण प्रभावित नहीं हुआ है।
2.	पुनर्गठित शहरी योजना भीण्डर पर जे टू टाइप क्वार्टर बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	श्री ओम प्रकाश नागदा ठेकेदार सीसारमा	8712-19 14.1.1999	27.6.1999	26.8.1999	अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु ठेकेदार को अन्तिम नोटिस सं.3600-3683 दिनांक 17.9.2001 को जारी किया गया है। योजना पर जल वितरण प्रभावित नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7
3.	पा. ला. बोखाड़ा पाइप लाइन	जी.एस. राठौड़	86-94 4.4.1998	15.5.1998	15.6.1998	1800 मीटर कुल पाइप लाइन डालनी थी लेकिन ठेकेदार द्वारा 1100 मीटर पाइप लाइन डाली गई। उसके बाद ठेकेदार ने काम करना बन्द कर दिया। अन्तिम नोटिस इस कार्यालय के पत्रांक 3822-24 दिनांक 28.9.2001 को दिया जा चुका है। कार्यादेश निरस्त कर अन्य अनुबन्ध से कार्य कराने की कार्यवाही जारी है। ग्राम को पेयजल योजना से लाभान्वित नहीं किया गया तथा कार्य प्रगति पर है।
4.	कोटड़ा खुला कुआं	लक्ष्मण केरिंग कुमावत	77 9.4.01	19.4.01	18.7.01	ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन बरसात आने से कुआं ढह गया। वर्तमान में ठेकेदार ने कुएं का कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है।
5.	जल योजना बावलवाड़ा तहसील खैरवाड़ा पर आर.सी.सी. खुले कुएं का कार्य	मै. रवि एण्ड सन्स खेरोदा	111-117 16.4.2001 26.4.2001	26.4.2001	31.8.2001	अनुबन्धक द्वारा राशि रुपये 1.20 लाख का कार्य सम्पादित किया है तथा शेष कार्य पूर्ण करने के लिए अनुबन्धक को पत्रांक 1528 दिनांक 9.8.01 एवं 1987 दिनांक 12.9.01 द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं। क्षतिपूर्ति आरोपित करने की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
6.	जल योजना बडला तहसील खैरवाड़ा पर आर.सी.सी. खुले कुएं का कार्य	श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत कुएं	208-215 16.4.01	26.4.01	25.6.01	अनुबन्धक को पत्रांक 1549 दिनांक 9.8.01 एवं 2014 दिनांक 12.9.01 द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं एवं किये गये कार्य का भुगतान भी नहीं किया है।
7.	जल योजना खेरवाड़ा तहसील खैरवाड़ा पर पा.ला. का कार्य		136-143	26.4.2001	25.5.2001	अनुबन्धक को पत्रांक 1534 दिनांक 9.8.01 एवं 1990 दिनांक 12.9.01 द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं एवं किये गये कार्य का भुगतान भी नहीं किया है।
8.	जल योजना सेमारी तहसील सेमारी पर पा. ला. का कार्य	शांतिलाल टेलर	168-175 16.4.2001	26.4.2001	25.5.2001	पाइपों की आपूर्ति समय पर प्राप्त नहीं होने से देरी हुई, अब प्राप्त हो गये हैं तथा कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-213 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

प्रेषित योजनाओं की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	योजना का नाम	तहसील	तकनीकी सदस्य आर. डब्ल्यू. एस.एस.एम.बी. को प्रेषित करने का विवरण	विशेष विवरण
1.	नगरीय योजना, शिवगंज	शिवगंज	मु. अ. पत्रांक दिनांक 13845/5.11.01 से पुनः प्रेषित	तकनीकी सदस्य के कार्यालय में विचाराधीन है (तकनीकी परीक्षण में)
2.	पाइप्ड योजना, जावाकल	सिरोही	—"— 10861/17.9.01	तकनीकी सदस्य द्वारा अपने पत्रांक 2800/12.10.01 से आपत्तियों के निवारण हेतु मु.अ. जोधपुर को भेजी गई
3.	क्षेत्रीय योजना बेलागरी-मामावल	सिरोही	—"— 9278/24.8.01	तकनीकी सदस्य द्वारा अपने पत्रांक 2100/4.9.01 से आपत्तियों के निवारण हेतु अधी. अभि. जालौर को भेजी
4.	क्षेत्रीय योजना धान्ता-माकरोड़ा	सिरोही	—"— 9772/24.8.01	तकनीकी सदस्य के कार्यालय में विचाराधीन है (तकनीकी परीक्षण में)
5.	पनघट योजना जुबलीगंज	शिवगंज	—"— 30.8.01	—"—

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-215 का विवरण)

हनुमानगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाइप लाइन के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त लम्बित कार्यों का विवरण

क्र. सं.	जल योजना का नाम	प्रशा. स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	वित्तीय स्वी. क्रमांक/ दिनांक	राशि रु. लाखों में	पाइपों का साइज/मात्रा मी.	अधिशासी अभियंता द्वारा मांग प्रस्तुत करने का क्रमांक/ दिनांक	मांग के विरुद्ध क्रय आदेश की मात्रा	फर्म के द्वारा आपूर्ति करने की निर्धारित अवधि	शेष मांग जिसके लिए क्रय आदेश जारी होना है।	कार्य जिस दिनांक से लम्बित हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	फतेहगढ़	253/ 29.9.00	826/ 15.1.01	3.70	80 एम. एम.-2553 मी. 125 एम.एम.-1480 मी.	8832/ 2.2.01	2553 मी. 1480 मी.	1.1.02 से 31.1.02 निर्धारित की जानी है	—	15.1.01
2.	हनुमानगढ़ वार्ड 3, 4, 23, 39, 40	1553/ 31.3.01	241/ 14.5.01	5.00	80 एम. एम.-5780 मी.	3061/ 23.8.01	—	—	5780 मी.	14.5.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	नन्दराम की ढाणी	1553/ 31.3.01	556/ 31.3.01	1.80	75 एम.एम.-925 मी.	1082/ 14.5.01	—	—	925 मी.	31.3.01
4.	ढाणी बलवीर सिंह	1553/ 31.3.01	556/ 31.3.01	3.80	80 एम.एम.-4080 मी.	1082/ 14.5.01	4080 मी.	1.2.01 से 28.2.01	—	31.3.01
5.	रोड़ावली	2362/ 27.9.01	3113/ 16.10.01	0.38	80 एम.एम.-460 मी.	4917/ 5.11.01	—	—	460 मी.	16.10.01
			योग	14.68	80 एम.एम—12873 मी. 125 एमएम-1480 मी. 75 एमएम-925 मी.	—	6633 मी. 1480 मी. —	—	6240 मी. — 925 मी.	

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-218 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा में फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	वर्ष 1991 के आधार पर जनसंख्या
1	2	3	4
1.	टामटिया	12	852
2.	रेगनिया	14	176
3.	नेगड़िया	16	640
4.	चेकला	46	502
5.	कराना	56	685
6.	काली का परड़ा	57	508
7.	बारन पारड़ा	69	2058
8.	ढाका	74	223
9.	बड़ेता	90	1006
10.	टोड़ी सीमरोल	94	1269
11.	डूंगर	99	919
12.	नहापुर राठोड़	106	230
13.	नहापुर पोरल	108	276
14.	पडाल छोटी	110	1116
15.	हिम्मत सिंह का गढ़ा	117	1582
16.	बडाना	122	3127
17.	भूयासा	125	1374
18.	सिंहपुरा	128	417
19.	कनजी का गढ़ा	138	365
20.	नेगरेड	148	927
21.	कमजी का खेड़ा	155	445
22.	कुशाली तालाब	156	104
23.	रुजड़ी	289	260
24.	टमटीया	290	1034
25.	खरखोटी	294	684

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-220 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र भादरा में स्लो-सैण्ड फिल्टरों का विवरण

क्र.सं	जल योजना का नाम	काम में नहीं लिए जाने वाले स्लो सैण्ड फिल्टरों की संख्या	काम में नहीं लिए जाने का कारण	फिल्टर कितने समय से बन्द है
1	डूंगराना	2	जल योजना पर नवनिर्मित आर.जी.एफ. फिल्टर चालू करने के पश्चात् वर्तमान मांग के अनुसार आपूर्ति आर.जी.एफ. से ही पूरी हो जाती है। अतः स्लो-सैण्ड फिल्टरों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है।	8 माह
2	बीरान	1	वर्तमान में 2 स्लो-सैण्ड फिल्टर कार्यरत है तथा एक नया फिल्टर निर्माण किया गया है जिसे पाइप लाइन से जोड़ कर चालू किया जाना शेष है।	6 माह
3.	मुन्सरी	1	जल योजना पर 2 फिल्टर है। 1 से जलापूर्ति की जा रही है एवं 1 फिल्टर में मीडिया साफ किया जाना है।	2 माह
4.	खचवाना	1	1 फिल्टर चालू है एवं 1 फिल्टर का मीडिया साफ किया जाना है।	3 माह
	कुल योग	5		

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-221 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति)

कार्यालय अधिशासी अभियंता एवं सदस्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम, जयपुर

क्रमांक दिनांक :

संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश

इस कार्यालय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश संख्या 2576-85 दिनांक 10.7.2001 के द्वारा क्रम संख्या-4 पर अंकित ग्राम छरदड़ा पंचायत समिति कोटपूतली में सैक्टर रिफोर्म के तहत जल योजना छरदड़ा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त योजना की कुल लागत 10.00 लाख रुपये से अधिक होने के कारण इसे निरस्त कर निम्नानुसार योजनाओं की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

(Rs. Lacs)

S.No.	Name of Panchayat	Name of Village	Cost of Scheme	Administrative Sanction No. & Date
1.	Amer	Ramawas	3.17	1 dt. 2.7.2001
2.	Amer	Balnad	5.00	2 dt. 2.7.2001
3.	Amer	Jalsoo	10.00	3 dt. 2.7.2001
4.	Shahpura	Khojawala	7.36	4 dt. 2.7.2001
5.	Shahpura	Amarpura	10.00	5 dt. 2.7.2001
6.	Virat Nagar	Paparl	9.90	6 dt. 2.7.2001
7.	Phulera	Doongri Kallan	10.00	7 dt. 2.7.2001
8.	Phulera	Kalakh	4.60	8 dt. 2.7.2001

ह० /-
अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-222 के नोटिस की प्रति)

निदेशक
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर।

श्रीमती चांद कंवर पत्नी श्री नरपत सिंह
विकास कालोनी, पंचायत समिति, सोजतसिटी।
(राजस्थान)

जिला भू/सोजत/सीसी-II/प.1(2)6/92

विषय :— पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र वास्ते खनिज लाइम स्टोन निकट ग्राम सिन्ता तहसील जैतारण जिला पाली में आवेदित दिनांक 15.1.1992 पर भारत सरकार द्वारा रिवीजन पर दिये गये निर्णय दिनांक 19.6.2000 की पालना बाबत।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र का आवेदन-पत्र राज्य सरकार के आदेश क्रमांक-प. 16(80)खान/ग्रुप-1/95 दिनांक 24.8.94 के द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने पर आपने उसके विरुद्ध भारत सरकार के सम्मुख पुनरीक्षण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, एवं भारत सरकार ने निर्णय क्रमांक-101/2000 में दिनांक 19.6.2000 के द्वारा आपको सुनवाई का अवसर देते हुए आवेदन-पत्र का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये हैं।

चूंकि आप द्वारा आवेदित क्षेत्र में खनिज लाइम स्टोन के विपुल भण्डार की उपलब्धता को देखते हुए वहां पर बड़ा सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित हो सकता है तथा भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार भी जहां पर लाइम स्टोन के विपुल भण्डार उपलब्ध हैं, वहां पर बड़ा सीमेन्ट प्लान्ट ही स्थापित किये जाने के लिये खनन क्षेत्र दिये जाने पर विचार किया जाना है। आपने राज्य सरकार को छोटा सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की इच्छा जाहिर की थी जिसको देखते हुए ही राज्य सरकार ने आपका आवेदन-पत्र अस्वीकार किया था।

अतः भारत सरकार द्वारा आपकी रिवीजन पर दिये गये निर्णय के अनुसार आपको खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 12 के अन्तर्गत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये सुनवाई का अवसर दिया जाता है कि आप उक्त क्षेत्र में सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने के सम्बन्ध में अपनी आर्थिक स्थिति एवं तकनीकी ज्ञान का पूर्ण विवरण सहित दिनांक 28.11.2001 को प्रातः 11.00 बजे निदेशक, महोदय के कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय
ह०/-
अतिरिक्त निदेशक, (खान) मु.

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-224 का विवरण)

सितम्बर, 1999 से प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	शिकायत की दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत मूल रूप से सम्बन्धित का नाम	विषय	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	23.9.1999	श्री विष्णु किशोर कट्टा, अध्यक्ष, राजस्थान उद्योग संघ	माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार	बस्सी, जिला जयपुर में भाजपा विधायक के नेतृत्व में अवैध खनन बाबत	दिनांक 30.9.1999 को खनि. अभियंता, जयपुर व स्टाफ सहित चैकिंग की गई एवं 17 नग औजार जब्त किये गये एवं नोटिस दिनांक 20.10.99 जारी किया तथा आदेश दिनांक 24.3.2000 से रुपये 26,880.00 की मांग कायम की जाकर दिनांक 26.4.2000 को रुपये 26,885.00 की वसूली की गई।
2.	30.5.2000	श्री विष्णु किशोर कट्टा, अध्यक्ष, राजस्थान उद्योग संघ	माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार	बस्सी, जिला जयपुर में विधान सभा क्षेत्र के आसपास हो रहे अवैध खनन के संबंध में	दिनांक 2.6.2000 को कार्यालय खनिज अभियंता, जयपुर के सर्वेक्षक एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग के सी.आई. द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन पिट्स की नाप की गई। दिनांक 2.6.2000 को ही खनिज अभियंता (सतर्कता), जयपुर द्वारा निरीक्षण कर 9 औजार जब्त किये गये। दिनांक 8.6.2000 को पुनः खनिज अभियंता (सतर्कता) द्वारा जांच/निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया तथा नोटिस जारी किया गया जिसकी जांच जैरकार है। दिनांक 29.7.2000 को चैकिंग की गई तथा जुर्माना वसूल किया गया। दिनांक 21.7.2001 से 25.7.2001 तक अभियान चलाकर अवैध निर्गमन के रुपये 12,000.00 वसूल किये गये।

1	2	3	4	5	6
3.	9.6.2000	श्री ओम प्रकाश शर्मा, महासचिव, जयपुर शहर, युवक कांग्रेस आई	माननीय राजस्व मंत्री, राजस्थान सरकार	ग्राम श्यामपुर तहसील बस्सी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 81 राजकीय भूमि में अवैध क्रेशर से करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि के क्रम में।	दिनांक 8.11.2000 को जांच की गई। मौके पर क्रेशर मशीन खुली हुई तथा बन्द थी। खनन कार्य पूर्णतया बन्द था एवं 6-7 माह पूर्व बन्द होना मौत विरान द्वारा जाहिर किया गया। इस संबंध में एक प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग द्वारा एक एफ.आई.आर. नम्बर 284/2000 दर्ज कराई जाकर जांच की जा रही है। क्रेशर के खनन पट्टे की पत्रावली दिनांक 19.7.2000 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भिजवाई गई है।
4.	3.1.2000	श्री सुधीर मोहन शर्मा, बस्सी	शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार	ग्राम श्यामपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 81 राजकीय भूमि में अवैध क्रेशर से करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि के क्रम में।	शिकायत की जांच दिनांक 25.7.2000 को कराई गई। जांच के अनुसार खनन कार्य काफी समय से बन्द पाया गया तथा ताजा खनन के निशानात नहीं पाये गये। मौके पर लगे हुए क्रेशर को खुला हुआ पाया गया।

1	2	3	4	5	6
5.	20.6.2000	समस्त ग्रामवासीगण, कुथाडाकलां	माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार	बारूदी विस्फोट कर अवैध खनन से हानि।	दिनांक 29.7.2000 को खनि अभियंता (सतर्कता) जयपुर द्वारा चैकिंग की जाकर बिना खन्ना दो वाहनों से रु. 900/- वसूल किये एवं दिनांक 26.8.2000 को संयुक्त चैकिंग के दौरान छह बिना खन्ना वाहनों से रुपये 3,600/- की वसूली की गई। दिनांक 6.9.2000 को फील्ड स्टाफ द्वारा क्रेशर यूनिट एवं खनन-पट्टों का निरीक्षण कर जांच की गई। दिनांक 21.9.2001 को खनि. अभियंता (सतर्कता) जयपुर द्वारा निरीक्षण किया गया तथा मौका पंचनामा बनाया गया।
6.	12.9.2000	श्रीमती गीता कट्टा	शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार	आबंटित खनन क्षेत्र में अनधिकृत खनन किये जाने की शिकायत।	दिनांक 8.11.2000 को जांच की गई। मौके पर स्थित क्रेशर बन्द पाया गया तथा खुला हुआ पाया गया। खनन कार्य पिछले 7-8 माह से बन्द होना पाया गया। इससे पूर्व इस क्षेत्र में दिनांक 19.8.1999 एवं दिनांक 30.9.1999 को जांच की जा चुकी है तथा दिनांक 8.6.2000 को बनाये गये पंचनामे पर जांच कार्यवाही की जा रही है। इसी शिकायत के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग में प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच विचाराधीन है।
7.	12.10.2000	श्री उम्मेदराम, माधोगढ़, बस्सी	शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार	खनि. अभियंता, जयपुर के नेतृत्व में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में।	उक्त प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विचाराधीन है एवं कार्यालय की पत्रावली पत्र क्रमांक खअ/जय/सीसी-1/97/30 दिनांक 19.4.2000 से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग, जयपुर को भेजी गई है।

1	2	3	4	5	6
8.	30.10.2000	श्री मधुसुदन शर्मा, एडवोकेट	शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार	ग्राम कुथाडा की क्रेशिंग मशीनों द्वारा अवैध खनन/बारूदी विस्फोटों से प्रदूषण बाबत।	दिनांक 8.11.2000 को जांच की गई। गांव वालों के अनुसार उनकी कोई शिकायत नहीं है बल्कि उन्हें रोजगार मिला होने की बात बताई गई। इस प्रकरण में जनहित याचिका संख्या 3332/2000 माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा उनके निर्णय दिनांक 9.10.2001 से अस्वीकृत की जा चुकी है।
9.	15.5.2001	श्री संजीव कुमार कट्टा	संभागीय आयुक्त, जयपुर	खसरा नम्बर 81 गैर-मुमकीन पहाड़ ग्राम श्यामपुरा तहसील बस्सी में अवैध तौर पर लगे हुए क्रेशरों से हो रही भारी हानि के सम्बन्ध में।	दिनांक 22.5.2001 को निरीक्षण करने पर कोई खनन कार्य नहीं मिला तथा न ही क्रेशर चालू पाया गया। इस सम्बन्ध में खनिज अभियंता जयपुर खनिज अभियंता (सतर्कता) जयपुर तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग द्वारा जांच की जा रही है। जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 1.6.2001 से उक्त क्रेशर को खसरा नम्बर 81 में से 10,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की गई है।

ह०/-

खनिज अभियन्ता,

जयपुर।

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-226 की सूची) परिशिष्ट "अ"

नागौर जिले में कार्यरत थाने व चौकियों की स्थानवार सूची

नागौर जिले में थानों की सूची

1.	पुलिस थाना नागौर	2.	पुलिस थाना श्री बालाजी
3.	पुलिस थाना पांचोड़ी	4.	पुलिस थाना भावण्डा
5.	पुलिस थाना खींवसर	6.	पुलिस थाना जायल
7.	पुलिस थाना सुरपालिया	8.	पुलिस थाना रोल
9.	पुलिस थाना खाटूबड़ी	10.	पुलिस थाना मूण्डवा
11.	पुलिस थाना मेड़तासिटी	12.	पुलिस थाना मेड़ता रोड
13.	पुलिस थाना गोटल	14.	पुलिस थाना थावला
15.	पुलिस थाना पादूकला	16.	पुलिस थाना कुचेरा
17.	पुलिस थाना डेगाना	18.	पुलिस थाना डीडवाना
19.	पुलिस थाना लाडनूं	20.	पुलिस थाना जसवंतगढ़
21.	पुलिस थाना मौलासर	22.	पुलिस थाना खुनखुना
23.	पुलिस थाना मकराना	24.	पुलिस थाना परबतसर
25.	पुलिस थाना गच्छीपुरा	26.	पुलिस थाना पीलवा
27.	पुलिस थाना कुचामन सिटी	28.	पुलिस थाना नावां
29.	पुलिस थाना मारौठ	30.	पुलिस थाना चितावा

नागौर जिले में पुलिस चौकियों की सूची

1.	पुलिस चौकी दिल्ली गेट	2.	पुलिस चौकी लौहारपुरा
3.	पुलिस चौकी तरनाऊ	4.	पुलिस चौकी रोल
5.	पुलिस चौकी डेह	6.	पुलिस चौकी मेड़तासिटी
7.	पुलिस चौकी रेण	8.	पुलिस चौकी कुचेरा
9.	पुलिस चौकी हरसौर	10.	पुलिस चौकी गोटन
11.	पुलिस चौकी रिया	12.	पुलिस चौकी डीडवाना
13.	पुलिस चौकी बालियां	14.	पुलिस चौकी लाडनूं
15.	पुलिस चौकी निम्बी जोधा	16.	पुलिस चौकी मीठड़ी
17.	पुलिस चौकी बरडवा	18.	पुलिस चौकी छोटी खाटू
19.	पुलिस चौकी मकराना	20.	पुलिस चौकी बडू
21.	पुलिस चौकी कुचामनसिटी		

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-227 की सूची)

निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग संख्या 3/2001 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 313, 332, 307, 395, 427 भा.द.स. व 3 पीडीपीपी अधिनियम में थाना मौलासर जिला नागौर पर दर्ज किया गया।

1. लक्ष्मण पुत्र श्री चूनाराम कुम्हार नि. आनन्दपुरा, 2. मदन पुत्र पेमाराम मेघवाल, नि. बुगालियों की ढाणी तन खाखोली, 3. रामनिवास पुत्र राधाकिशन जाट नि. दीनदारपुरा, 4. हनुमानराम पुत्र श्रवणराम मेघवाल नि. बुगालियों की ढाणी, 5. मूलाराम पुत्र चूनाराम जाट नि. खींवज, 6. मुस्ताखां पुत्र मांगूखां कायमखानी नि. झाड़ोल, 7. ओम प्रकाश पुत्र रामूराम कुम्हार नि. लाड़पुरा, 8. किशनाराम पुत्र कुम्भाराम नि. किचक, 9. पूसाराम पुत्र श्री नारायणराम जाट नि. कांकरिया हरिपुरा, 10. ओमप्रकाश पुत्र जोधारामजाट नि. बड़ी बेरी, 11. शिवलाल पुत्र श्री भीवाराम जाट नि. आसलसर, 12. मेवाराम पुत्र चूनाराम जाट नि. बुगालियों की ढाणी, 13. नोपाराम पुत्र नानगाराम जाट नि. बगतपुरा, 14. मुनेश पुत्र भोलाराम जाट नि. मौलासर, 15. भंवराराम पुत्र फूलाराम जाट नि. लाड़पुरा, 16. मांगीलाल पुत्र कानाराम जाट नि. जाखड़ों की ढाणी तन मोलासर, 17. भंवरलाल साहू पुत्र श्री, 18. दौलाराम पुंदा, 19. कैलाश पुत्र किशनाराम जाट निवासी फोगडी, 20. लाखाराम पुत्र हरलाल नि. डाकीपुरा, 21. देवराम पुत्र रामूराम जाट नि. जैतपुरा, 22. जगदीश पुत्र हनुमानराम नि. लाडरिया, 23. भागू पुत्र मोहनेराम जाट नि. निम्बा का बास, 24. भागीरथ यादव पुत्र लखाराम यादव नि. अहीरों का बास नि. सुदरासन, 25. सुवाराम पुत्र दुलाराम जाट नि. मोहनपुरा, 26. भागीरथ मेतड पुत्र प्रेमाराम जाट नि. नेतड़ों की ढाणी तन लालासरी, 27. दिनेश मावलिया पुत्र किश्तूराम जाट नि. भांवता, 28. भंवराराम पुत्र पूसाराम जाट नि. बडी बेरी, 29. नारायणराम पुत्र श्री बिरदाराम नि. रसाल, 30. जोराराम पुत्र प्रमाराम नि. पाबूपुरा तन धनकोली, 31. धन्नाराम पुत्र घीसाराम सोनी नि. लाढरिया, 32. प्रेमराज पुत्र हरकचन्द्र उर्फ हरचन्द जाट नि. निम्बोद, 33. भैंरूराम पुत्र जग्गूराम जाट नि. आसलसर, 34. आनन्दपाल सिंह पुत्र श्री हुक्मसिंह रावणा राजपूत नि. सांवगढ़

परिशिष्ट-16

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-233 की सूची)

क्र.सं.	दर्ज अभियोग संख्याः/धारा/थाना	लिया गया निर्णय
1	2	3
1.	204/19.9.2001, धारा 348, 149, 332, 353, 188, 153 भादस थाना-आबूरोड शहर जिला सिरोही।	अन्वेषणाधीन
2.	205/16.9.2001 धारा 147, 153ए, 188, 149 भादस थाना-आबूरोड शहर जिला सिरोही।	अन्वेषणाधीन
3.	127/6.8.1999 धारा 147, 148, 149, 452, 323 भादस थाना-नाणा।	चार्जशीट नं. 27 दिनांक 18.3.2000
4.	128/6.8.1999 धारा 147, 148, 149 भादस थाना-नाणा।	चा. नं. 28/8.3.2000
5.	129/6.8.1999 धारा 147, 148, 149, 436 भादस, नाणा।	चा.नं. 29/10.8.2000
6.	130/6.8.1999 धारा 147, 148, 149, 436, 427 भादस, थाना-नाणा।	चा.नं. 30/18.3.2000
7.	131/6.8.1999 धारा 147, 148, 149, 436, 323 भादस, थाना-नाणा।	चा.नं. 31/18.3.2000
8.	132/6.8.1999 धारा 147, 148, 149, 436, 452, 427 भादस-नाणा।	चा.नं. 32/18.3.2000
9.	4/3.1.2000 धारा 147, 149, 323, 427 भादस थाना-सूरसागर जिला जोधपुर शहर।	चालान पेश अदालत किया गया जो जैरट्रायल है
10.	5/3.1.2000 धारा 247, 149, 323, 427 भादस, थाना-सूरसागर, जोधपुर शहर।	चलान पेश अदालत किया गया जो जैरट्रायल है
11.	128/7.7.2000 धारा 147, 149, 336, 323, 325, 452 भादस व 3 (1) (10) एससी/एसटी एक्ट, थाना सूरसागर, जोधपुर शहर।	अनुसंधान से छेड़छाड़ का मामला उजागर नहीं हुआ

1	2	3
12.	129/7.7.2001 धारा 147, 149, 323, 325, 336, 452 भादस थाना सूरसागर, जोधपुर शहर।	अनुसंधान से छेड़छाड़ का मामला उजागर नहीं हुआ
13.	334/1.9.2001 धारा 153ए., 153बी. भादस थाना-सूरसागर, जोधपुर शहर।	जैर तफतीश
14.	283/20.12.1999 147, 148, 149, 436, 323, 427 भादस थाना-फलौदी।	जैर तफतीश
15.	284/20.12.1999 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307, 336, 436, 323, 324, 153ए. भादस व 3/27 आर्म्सएक्ट थाना फलौदी।	जैर तफतीश
16.	173/21.2.1999 धारा 436, 143, 295, 153बी, 153, 380 भादस थाना लोहावट।	चार्जशीट नं. 35/6.7.2000
17.	93/19.4.2000 धारा 147, 149, 334, 436, 353, 324 भादस थाना-पीपाड़ शहर।	अनुसंधान पूर्ण हो चुका है नतीजा आदेश दिया जाना शेष है
18.	323/19.11.1998 धारा 295 भादस थाना पिण्डवाडा।	चार्जशीट नं. 230/दिनांक 20.12.98 295 भादस पी.टी.

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	घटित घटना का कारण	दर्ज अभियोग संख्या धारा एवं थाना	लिया गया निर्णय	विशेष विवरण
1.	दि. 20.12.1999 को कस्बा फलौदी में गौवंश को बचाने को लेकर हुये दंगे से उत्तेजित होकर ग्राम लोहावट के हिन्दू सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा मदरसा के दरवाजे जलाना इस्लामी धर्म की किताबें जलाना एवं उत्तेजित नारे लगाना।	173/21.12.1999 धारा 436, 143, 295, 153, 153बी, 380 भादस थाना लोहावट	चालान चा. नं. 35/6.7.2000	
2.	कस्बा पीपाड़ में दिनांक 19.4.2000 को फूल प्याला के जुलूस को निकालने को लेकर घटना घटित हुई।	93/19.4.2000 धारा 147, 149, 332, 436, 353, 324 भादस थाना पीपाड़ शहर	अनुसंधान पूर्ण हो चुका है नतीजा आदेश लिया जाना शेष है	
3.	प्रार्थी रसूल खां पुत्र भूरेखां नि. उन्दरा ने रिपोर्ट दिनांक 14.11.1998 को पेश की की मुलजिम लादुसिंह पुत्र बागसिंह राजपूत नि. उन्दरा शराब पीकर मस्जिद में प्रवेश कर गालीगलोच किया तथा मस्जिद गिराने की धमकी दी।	मु.स. 323/19.11.98 धारा 295 भादस थाना पिण्डवाड़ा	चालान सं. 230/20.12.1998 धारा 295 भादस पी.टी.	

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-235 की सूची) परिशिष्ट "क"

वन विभाग में रेंजर स्तर से उच्च अधिकारियों की सूची जिनके विरुद्ध वर्तमान में विभागीय जांच लम्बित है

क्र.सं.	नाम	पद
1	2	3
1. भारतीय वन सेवा के अधिकारी		
1.	श्री शफाअत हुसैन	उप वन संरक्षक
2.	श्री के. एल. सैनी	उप वन संरक्षक (सेनि.)
3.	श्री दीपक भटनागर	उप वन संरक्षक
4.	श्री सुखबीर सिंह शर्मा	उप वन संरक्षक
5.	श्री के.सी. सकरवाल	उप वन संरक्षक
6.	श्री मुनीष कुमार गर्ग	उप वन संरक्षक
7.	श्री एन. उदयशेखर	उप वन संरक्षक
8.	श्री एल. के. शर्मा	उप वन संरक्षक
2. राज्य वन सेवा के अधिकारी		
(अ) सी. सी. ए. नियम-16 के अन्तर्गत		
1.	श्री धर्मपाल सिंह	सहायक वन संरक्षक
2.	श्री एल. पी. शर्मा	सहायक वन संरक्षक
3.	श्री सुहेल मजबूर	सहायक वन संरक्षक
4.	श्री के. आर. काला	सहायक वन संरक्षक
5.	श्री जे. एस. सरा	उप वन संरक्षक (सेनि.)
6.	श्री रविशंकर शर्मा	उप वन संरक्षक
7.	श्री आर. के. भाटी	सहायक वन संरक्षक
8.	श्री महेश चन्द गर्ग	सहायक वन संरक्षक
9.	श्री जयसिंह चौहान	उप वन संरक्षक (सेनि.)
10.	श्री महेश कुमार विजयवर्गीय	उप वन संरक्षक
11.	श्री गोपाल सैन	उप वन संरक्षक

1	2	3
12.	श्री निर्मल कुमार शर्मा	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
13.	श्री जयपाल सिंह चौहान (सेनि.)	सहायक भू संरक्षण अधिकारी
(ब)	सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत	
1.	श्री दीपचन्द बैरवा	उप वन संरक्षक
2.	श्री जे. पी. शर्मा	उप. वन संरक्षक
3.	श्री आर. बी. एल. गर्ग	अधिशासी अभियंता
4.	श्री एस.पी. गुप्ता	सहायक अभियंता

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-241 का विवरण)

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ.17(1)खा.वि/विधि/98 जयपुर, दिनांक : 11.9.1998

विज्ञप्ति

राज्य में विभिन्न निर्धारित स्थानों के लिए बैरल पाइंट के माध्यम से डीजल विक्रय करने हेतु डीलर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। बैरल पाइंट के लिए निर्धारित स्थानों की जानकारी सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हो सकती है। आवेदकों के लिए मुख्य रूप से निम्नांकित शर्तें निर्धारित की जाती है :—

1. आवेदक यथासम्भव उसी सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी होना चाहिये जिस स्थान के लिए बैरल पाइंट हेतु आवेदन कर रहा है तथा वयस्क होना चाहिये।
2. आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य उचित मूल्य दुकानदार अथवा खुदरा केरोसीन विक्रेता नहीं होना चाहिये तथा पेट्रोल/डीजल व्यवसायी नहीं होना चाहिये।
3. आवेदित स्थान से 10 कि.मी. की त्रिज्या (Radius) में किसी भी आयल कम्पनी का डीजल रिटेल आउटलेट स्थित नहीं होना चाहिये।
4. आवेदन राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र "अ" में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजात/शपथ पत्र के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।
5. आवेदन पत्र के लिफाफे पर बैरल पाइंट हेतु आवेदन आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।
6. आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.9.1998 तक प्रस्तुत किये जाये। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

आवेदन प्रस्तुत करते समय साक्षात्कार की तिथि व स्थान के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी से प्राप्त कर लें।

ह०/-
शासन उप सचिव,
राज., जयपुर।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर

जयपुर जिले में डीजल बैरल पाइंट की सूची वर्ष 1998-99

क्र.सं.	नाम अनुज्ञापत्रधारी	ग्राम/स्थान का नाम	लाई. नम्बर	वैद्यता अवधि
1	2	3	4	5
तहसील : साम्भर				
1.	श्री कैलाश चन्द	काजीपुरा	195	31.3.2016
2.	श्री गौरी शंकर	करणसर	148	31.3.2016
3.	श्री मूल चन्द	बधाल	178	31.3.2016
4.	श्री नरेश कुमार	नरेना	128	31.3.2016
5.	श्री ओमप्रकाश	नरायना	173	31.3.2016
6.	श्री दिनेश कुमार	भादवा	193	31.3.2016
7.	श्री बाबूलाल	देवरिया	175	31.3.2016
8.	श्री बुद्धाराम	भैसलाना	167	31.3.2016
9.	श्री अनिल कुमार	हिरनोदा	49	31.3.2016
10.	श्री हनुमान सहाय	हिगोंनिया	64	31.3.2017
11.	श्री काना राम यादव	भैसवा	87	31.3.2018
12.	श्री अमर चन्द	भैसवा	88	31.3.2018
तहसील : फागी				
1.	श्री कैलाश चन्द	गोपालपुरा	166	31.3.2016
2.	श्री राम किशोर	डाबीच	149	31.3.2016
3.	श्री सत्यनारायण	रामजीपुरा	146	31.3.2016
4.	श्री गिरधारी लाल	निमेड़ा	71	31.3.2018
5.	श्री सीताराम	पीपला	77	31.3.2018
तहसील : दूदू				
1.	श्री पवन कुमार	सेवा	113	31.3.2016
2.	श्री सत्यनारायण	बोराज	50	31.3.2016
3.	श्री मदन लाल	बन्धे का बालाजी	67	31.3.2018
4.	श्री हरि नारायण	मोरेड़ा	70	31.3.2018
तहसील : कोटपूतली				
1.	श्री जय सिंह	मण्डा	172	31.3.2016
2.	श्री हरि राम यादव	राजनौता	38	31.3.2016
3.	श्रीमती गैंदा कंवर	मीरपुरा	60	31.3.2016

1	2	3	4	5
तहसील : शाहपुरा				
1.	श्री उम्मेद कुमार	राडावास	109	31.3.2016
2.	श्री ओम प्रकाश	धानोटा	132	31.3.2016
3.	श्री मान दास	मानपुरी	42	31.3.2016
4.	श्री दामोदर प्रसाद	धानोटा	54	31.3.2016
5.	श्री बाबू लाल शर्मा	धानोटा	55	31.3.2016
6.	श्री कालूराम	धवली	81	31.3.2018
7.	श्री रजनीकान्त	बड़ी जोड़ी	82	31.3.2018
तहसील : विराटनगर				
1.	श्री हरिश चन्द	पालडी	136	31.3.2016
2.	श्री माम राज	मेड	190	31.3.2016
3.	श्री विक्रम सिंह	सूरजपुरा	45	31.3.2016
4.	श्री कमलेश कुमार	मेड	57	31.3.2016
5.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	बागावास	74	31.3.2018
तहसील : आमेर				
1.	श्री नरपत सिंह	नांगलबाडी	202	31.3.2016
2.	श्री प्रहलाद सहाय	जालसू	110	31.3.2016
3.	श्री प्रहलाद/गणपत	रायथल	179	31.3.2016
4.	श्री राम सिंह	लालपुरा	111	31.3.2016
5.	श्री राम गोपाल	खनीपुरा	170	31.3.2016
6.	श्री मुकेश कुमार	बल्लुपुरा	51	31.3.2016
7.	श्री रामकिशन	चाकरोदा	53	31.3.2016
8.	श्रीमती मंजू	खोडा बीसल	58	31.3.2016
9.	श्री शिवराम शर्मा	बगवाड़ा	63	31.3.2017
10.	श्री हरदेव प्रसाद चौधरी	रोजदा	73	31.3.2018
11.	श्री लालचन्द	प्रतापपुरा	76	31.3.2018
12.	श्री रामेश्वरलाल	राधाकिशनपुरा	79	31.3.2018
13.	श्री भगवती प्रसाद शर्मा	बावड़ी भोड़िया	83	31.3.2018
14.	श्री बिरदीचन्द	राधाकिशनपुरा	85	31.3.2018

1	2	3	4	5
15.	श्री कन्हैया लाल कुमावत	प्रतापपुरा	86	31.3.2018
16.	श्री राम सिंह	चतरपुरा	90	31.3.2018
तहसील : सांगानेर				
1.	श्री सचिन पारीक	वाटीका	47	31.3.2016
2.	श्री विष्णु नारायण	गोनेर	48	31.3.2016
तहसील : जमवारामगढ़				
1.	श्री दीपक कुमार	साइपुरा	150	31.3.2016
2.	श्री मदन मोहन	साइपुरा	151	31.3.2016
3.	श्री गिरधारी लाल	भावनी	125	31.3.2016
4.	श्री मुकेश कुमार	बोबाड़ी	192	31.3.2016
5.	श्री रामावतार	ताला	191	31.3.2016
6.	श्री मदन लाल मोदी	आन्धी	40	31.3.2016
7.	श्री रामकरण	नायला	44	31.3.2016
8.	श्री हनुमान सहाय	बेगराज बावड़ी	61	31.3.2016
9.	श्री सुभाष चन्द	गढवारी	66	31.3.2017
तहसील : चौमूं				
1.	श्री राम कुमार	ढोड़सर	112	31.3.2016
2.	श्री मोहन सिंह	ढोडसर	201	31.3.2016
3.	श्री रमाकान्त	ढोडसर	133	31.3.2016
4.	श्री राजेश कुमार	किशनमानपुरा	124	31.3.2016
5.	श्री गजानन्द	चीतवाड़ी	131	31.3.2016
6.	श्री हनुमान सहाय	तिगारिया	69	31.3.2018
7.	कुमारी आशा	नांगल तातेड़ा	75	31.3.2018
8.	श्री बृजमोहन	मेहरकलां	89	31.3.2018
तहसील : जयपुर				
1.	श्री लाला राम	धानकिया	177	31.3.2016
2.	श्री लालू राम यादव	बेगस	39	31.3.2016
3.	श्री गोपाल लाल	बिन्दायका	41	31.3.2016
4.	श्री शक्ति सिंह	खातीपुरा	52	31.3.2016

1	2	3	4	5
5.	श्री रामजी लाल	कालवाड़	56	31.3.2016
6.	श्री मदन लाल	बसेड़ी	68	31.3.2018
7.	श्री सीताराम बसेड़ी	बसेड़ी	84	31.3.2018
तहसील : चाकसू				
1.	श्री मांगीलाल	कोथून	176	31.3.2016
2.	श्री महावीर कुमार	कोटखावदा	171	31.3.2016
3.	श्री भंवर सिंह	रादेड़ा	194	31.3.2016
4.	श्री रामावतार	कुम्हारियावास	147	31.3.2016
5.	श्री राधेश्याम	तीतरिया	43	31.3.2016
6.	श्री रघूवर दयाल	कोथून	46	31.3.2016
7.	श्री ओम प्रकाश मीणा	देहलाला	62	31.3.2017
8.	श्री रामेश्वर प्रसाद	बड़ा पदमपुरा	72	31.3.2018
तहसील : बस्सी				
1.	श्री भौंरी लाल	काशीपुरा	59	31.3.2016
2.	श्री अर्जुन कुमार तिवाड़ी	खिजुरिया	65	31.3.2017
3.	श्री जगदीश	बांसमोह	78	31.3.2018
4.	श्री कैलाश चन्द छीपा	बस्सी	80	31.3.2018

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-242 की जांच रिपोर्ट)

सादुलशहर शहर में अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित राशन कार्डों की जांच द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति–सादुलशहर

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के आदेशानुसार अध्यक्ष दहेज व भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति सादुलशहर द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों की शिकायत के सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच की गयी जिसका विवरण निम्नप्रकार है :—

1. वार्ड सं.-1, 3, 4 व 16 में जो परिवार अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में की गयी शिकायत निराधार है। इन वार्डों में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों का ही चयन किया गया है।

2. वार्ड सं.-17 में जिन 8 परिवारों का अन्त्योदय अन्न योजना में चयन किया गया है उनके चयन में निष्पक्षता नहीं बरती गयी। वार्ड नं. 17 में चयनित सभी व्यक्ति एक ही जाति विशेष के हैं, जिनमें से सुरेश पुत्र श्री शंकर लाल घड़साना में रहता है व महेन्द्र पुत्र कटूराम ट्रक ड्राइवर है इसी प्रकार राजेन्द्र पुत्र भगवानदास भी सादुलशहर में नहीं रहता। अतः वार्ड नं. 17 में अन्त्योदय अन्न योजना में चयन के लिए सभी चयनित परिवारों की पुनः वार्ड सभा बुलाकर चयन किया जाना अपेक्षित है।

3. अधिकांश शिकायतकर्ता बीपीएल 98 में चयनित नहीं है। अन्त्योदय अन्न योजना में केवल चयनित परिवारों में से ही 15.33 प्रतिशत परिवारों का चयन किया जाता है। चूंकि अधिकांश शिकायतकर्ता बीपीएल '98 में चयनित नहीं है। अतः इनका अन्त्योदय अन्न योजना में नियमानुसार चयन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब बीपीएल 98 की सूची में कोई भी नया नाम नहीं जोड़ा जा सकता। केवल वार्ड सभा की शिकायत पर बीपीएल की सूची से नाम हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।

जांच रिपोर्ट मय शिकायत पत्र आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

ह०/-

(रामगोपाल जांगिड़)

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, सादुलशहर।

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-245 की आदेश की प्रति) परिशिष्ट "ए"

Head Office : 6328
Telephone : G. M. Resi. : 6717
L. M. Br. : 6064

The Pali Central Co-operative Bank Ltd.

Head Office : PALI-MARWAR

(Registered under the Rajasthan State Co-operative Societies Act, 1953)

दी पाली सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

No. PCCB/कैडर/प्रकोष्ठ (83) PALI-MARWAR

Dated : 18.5.1983

कार्यालय आदेश

श्री देवीसिंह व्यवस्थापक, वागोस ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., प. स. देसूरी द्वारा संस्था में गम्भीर अनियमितताएं बरतने, धन का दुरुपयोग व गबन करने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

अतैव श्री देवीसिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बनकाल में इनका मूख्यावास प्रधान कार्यालय पाली में किया जाता है।

वागोस ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का कार्यभार श्री केवल चन्द, व्यवस्थापक (स्थानान्तरणागत) देसूरी को सम्भलाया जावे।

ह० /-
प्रबन्ध संचालक

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-253 की दरों का विवरण) परिशिष्ट "क"

संविदा एवं मंजिली वाहनों पर लागू स्पेशल रोड टैक्स की वर्तमान दरें

संविदा वाहन (सम्पूर्ण भारत)

परिवहनयान का वर्णन	एस. आर. टी. की वार्षिक दर
1	2
(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 13 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की सीट क्षमता वाले	
(1) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	
(क) साधारण	चैसिस की लागत का 10 प्रतिशत
(ख) साधारण से भिन्न	चैसिस की लागत का 16 प्रतिशत
(2) सम्पूर्ण बाडी के साथ क्रय किये गये	
(क) साधारण	यान की लागत का 9 प्रतिशत
(ख) साधारण से भिन्न	यान की लागत का 14 प्रतिशत
(ii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 तक की सीट क्षमता वाले	
(1) चैसिस की लागत के रूप में क्रय किये गये	
(क) साधारण	चैसिस की लागत का 20 प्रतिशत
(ख) साधारण से भिन्न	चैसिस की लागत का 30 प्रतिशत
(2) सम्पूर्ण बाडी के साथ क्रय किये	
(क) साधारण	यान की लागत का 15 प्रतिशत
(ख) साधारण से भिन्न	यान की लागत का 22 प्रतिशत
(iii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 40 तक की सीट क्षमता वाले	
(1) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	

1	2
(क) साधारण	चैंसिस की लागत का 30 प्रतिशत
(ख) साधारण से भिन्न	चैंसिस की लागत का 36 प्रतिशत
(2) सम्पूर्ण बाडी के साथ क्रय किये गये	
(क) साधारण	यान की लागत का 15 प्रतिशत
(ख) साधारण से भिन्न	यान की लागत का 22 प्रतिशत
(iv) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 40 से अधिक सीट क्षमता वाले	
(1) चैसिस के रूप में क्रय किये गये	
(क) साधारण	चैंसिस की लागत का 30 प्रतिशत
(ख) साधारण से भिन्न	चैंसिस की लागत का 36 प्रतिशत
(2) सम्पूर्ण बाडी के साथ क्रय किये गये	
(क) साधारण	यान की लागत का 15 प्रतिशत
(ख) साधारण से भिन्न	यान की लागत का 22 प्रतिशत

2. रूट की संचालित मंजिली वाहन

परिवहनयान का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1	2
(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 तक की सीट क्षमता वाली	
(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 किमी. तक हो	चैसिस की लागत का 0.43 प्रतिशत
(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के अपेक्षित दूरी 100 किमी. से अधिक किन्तु 180 किमी. अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 0.73 प्रतिशत
(ग) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 180 किमी. से अधिक किन्तु 240 किमी. से अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 1.12 प्रतिशत
(घ) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 240 किमी. से अधिक किन्तु 320 किमी. से अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 1.46 प्रतिशत

1	2
(ड) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 320 किमी. से अधिक किन्तु 400 किमी. से अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 1.72 प्रतिशत
(च) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 किमी. से अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 2.15 प्रतिशत
(ii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 से अधिक की सीट क्षमता वाली	
(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 किमी. तक हो	चैसिस की लागत का 0.52 प्रतिशत
(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी किमी. से अधिक किन्तु 180 किमी. से अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 0.95 प्रतिशत
(ग) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 180 किमी. से अधिक किन्तु 240 किमी. से अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 1.38 प्रतिशत
(घ) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 240 किमी. से अधिक किन्तु 320 किमी. से अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 1.94 प्रतिशत
(ड) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने वाले के लिए अपेक्षित दूरी 320 किमी. से अधिक किन्तु 400 किमी. से अनाधिक हो	चैसिस की लागत का 2.37 प्रतिशत
(च) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 किमी. से अधिक हो	चैसिस की लागत का 2.80 प्रतिशत

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-256 की सूची)

श्रीगंगानगर आगार में उपलब्ध माण्डलवार बसों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	वाहनों की संख्या
1.	1993	13
2.	1994	34
3.	1995	27
4.	1996	7
5.	1997	29
6.	1998	9
7.	1999	5
8.	2000	16
9.	2001	14
	कुल	154

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या-261 का विवरण)

दौसा जिले के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्राप्त आय एवं सड़क तथा भवन निर्माण व्यय का विवरण

क्र.सं.	मण्डी समिति का नाम	आय (लाखों में)				भवन निर्माण पर व्यय (लाखों में)				सड़क निर्माण पर व्यय (लाखों में)			
		1998-99	1999-2000	2000-01	योग	1998-99	1999-2000	2000-01	योग	1998-99	1999-2000	2000-01	योग
1.	दौसा	118.29	126.19	100.78	345.26	29.28	6.18	4.03	39.49	23.87	10.14	16.32	50.33
2.	लालसोट	237.27	228.62	221.65	687.54	23.61	2.52	22.62	48.75	15.01	3.94	52.32	71.27
3.	महुवा मण्डावर	95.94	110.67	128.08	334.69	13.75	7.91	22.34	44.00	22.68	14.56	—	37.24
4.	बांदीकुई	187.82	52.96	89.32	330.10	5.83	—	—	5.83	119.87	28.63	6.90	115.40

परिशिष्ट "ब"

दौसा जिले के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में स्वीकृत कार्यों में से अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण

क्र.सं.	मण्डी का नाम	कार्य का नाम	विवरण
1.	बांदीकुई	ट्यूब वैल वाटर सप्लाई एवं ओवर हैड टेंक	सिविल कार्य लगभग पूर्ण एवं विद्युत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
2.	बांदीकुई	निर्माण कार्य आंतरिक नालियां एवं दुकान मय गोदाम में डाउन टैंक पाइप कराने का कार्य	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
3.	बांदीकुई	चारदीवारी को ऊंचा उठाना	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
4.	लालसोट	10 नं. दुकान मय गोदाम साइज 20.5×45′	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
5.	लालसोट	आन्तरिक सड़क सब यार्ड मण्डावरी	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
6.	लालसोट	2 नं. आक्सन प्लेट फार्म सब यार्ड मण्डावरी	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
7.	लालसोट	कार्यालय भवन का निर्माण सब यार्ड मण्डावरी	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
8.	लालसोट	वाटर हट एण्ड कियोस्क का निर्माण	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
9.	लालसोट	जल वितरण व्यवस्था मण्डावरी	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
10.	लालसोट	एप्रोच रोड भाईपुर से हेमलियावास	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
11.	लालसोट	एप्रोच रोड राहुवास से पालुन्दा वाया रामपुरा	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
12.	लालसोट	एप्रोच रोड कैथून रोड से लाखनपुर	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
13.	लालसोट	एप्रोच रोड पचवाड़ा से नांगलियावास	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है
14.	महुवा मण्डावर	कन्या पाठशाला से आदर्श कालोनी लिंक रोड	इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होना सम्भावित है

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या-263 का विवरण)

कार्यालय जिला कलक्टर (अल्प बचत), सवाईमाधोपुर

वर्ष 2000-2001 में अल्प बचत कोष से स्वीकृत स्थायी विकास निर्माण कार्यों की सूची

पंचायत समितिवार

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति संख्या	स्वीकृत राशि	पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि योग
1	2	3	4	5
पंचायत समिति : सवाईमाधोपुर				
1.	रा. उ. प्रा. वि., पढ़ाना में भवन निर्माण	8004 1.7.2000	2.00	2.00
पंचायत समिति : गंगापुरसिटी				
1.	देव नारायणजी मन्दिर प्रांगण में कुएं का निर्माण कार्य	10669-76 30.3.01	1.00	1.00
पंचायत समिति : खण्डार				
1.	लहसोडा से लक्ष्मीपुरा सड़क निर्माण	8375 7.8.2000	3.96	
2.	लक्ष्मीपुरा से घोसेश्वर सड़क निर्माण	8892 22.8.2000	3.96	7.92
पंचायत समिति : बौंली				
1	रास्ता पटाव माली मोहल्ला से गोपाल धोबी (टंकी) गांव चादणोली	8491 18.8.2000	2.10	
2	रास्ता पटाव स्कूल से खाड (नाला) तक गांव चादणोली	8491 18.8.2000	1.05	
3	रा. उ. प्रा. वि., भाडोती में 2 नवीन कमरों एवं बरामदा निर्माण	8962 30.8.2000	2.27	
4	गांव भूखा में सीमेन्ट कंकरीट रोड	8986 31.8.2000	2.90	
5.	सी. सी. रोड सैकण्डरी स्कूल से राधा किशन के मकान तक गांव गम्भीरा	9104 14.9.2000	1.55	
6.	सी. सी. रोड मन्दिर से रघुनाथ के मकान तक गांव भारजा नदी	9104 14.9.2000	2.00	

1	2	3	4	5
7.	सत्यनारायणजी के मन्दिर से काली कोठी तक सीमेन्ट कंकरीट रोड ग्राम खिरनी	9178 26.9.2000	2.00	
8.	ग्राम बहनोली तहसील बौंली में ट्यूबवैल स्थापित कराने व पाइप लाइन डालने का कार्य	10385 27.2.2001	3.00	
9.	नवीन हाल मय बरामदा चारदीवारी प्रा. वि., पूनेता	9178 26.9.2000	1.81	
10.	ग्राम पंचायत-भाडौती एक हाल व दो कमरे निर्माण (पंचायत भवन पर) जीना निर्माण कार्य	9178 26.9.2000	2.00	
11.	ग्राम पंचायत-बोरदा में सी. सी. रोड सड़क से पटवार घर तक	10669 30.3.01	2.10	22.78
पंचायत समिति : बामनवास				
1.	रा. सी. उ. मा. वि., पिपलाई में 2 हाल मय बरामदा निर्माण	8986 31.8.2000	2.18 लाख	
2.	प्रा. वि., हल्कारा ढाणी बिछोछ में चारदीवार निर्माण	9005 2.9.2000	1.79	
3.	सी. सी. रोड एवं नाल-निर्माण ग्राम जीवद	9005 2.9.2000	2.00	
4.	सी. सी. रोड भिनोरा ग्राम	9005 2.9.2000	2.00	
5.	सी. सी. रोड मोरपा लिंक रोड से पंचायत तक ग्राम मोरपा	9104 14.9.2000	1.98	
6.	सी. सी. रोड रामधन नाथ के मकान से लड्डू प्रजापत के मकान तक ग्राम मोरपा	9104 14.9.2000	1.37	
7.	सी. सी. रोड कुछ से लटूर के मकान तक गांव भिनोरा	9178 26.9.2000	2.00	
8.	सी. सी. रोड बुद्ध से रामहेत के मकान तक गांव भिनोरा	9178 26.9.2000	2.00	
9.	भंवर की तालाब के पक्के स्थायी निर्माण कार्य	8004 1.7.2000	3.00	18.32